



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

आयकर निर्धारिती से बकाया मांग पर
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2024 की प्रतिवेदन संख्या 14

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

**आयकर निर्धारिती से बकाया मांग पर
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2024 की प्रतिवेदन संख्या 14**

_____ को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ
प्रस्तावना	i
कार्यकारी संक्षिप्त	iii-vi
अनुशंसा का संक्षिप्त	vii-xi
अध्याय 1: परिचय	1-11
अध्याय 2: विजन, कार्य योजना और कानूनी प्रावधान	13-20
अध्याय 3: लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	21-29
अध्याय 4: डेटा विश्लेषण और रूपरेखा	31-43
अध्याय 5: बकाया मांग के उच्च राशि वाले मामलों का विश्लेषण	45-117
अध्याय 6: अनुपालन संबंधी मुद्दे	119-168
अध्याय 7: प्रतिवेदन प्रणाली का विश्लेषण और बकाया मांग का संचय	169-221
परिशिष्ट 1 से 16	223-279
संक्षिप्त रूप	281-282

प्रस्तावना

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के राजस्व विभाग प्रत्यक्ष कर के विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.) के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो मार्च 2021 तक आयकर निर्धारितियों पर बकाया मांग की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और प्रथम चरण में नवंबर 2020 से जुलाई 2021 तक किए गए। कुछ उच्च बकाया राशि वाले निर्धारितियों के 360 डिग्री विश्लेषण के लिए एक पूरक लेखापरीक्षा भी आयोजित की गई जो जनवरी 2023 तक जारी रही।

वि.वि.अ.ले. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

कार्यकारी संक्षिप्त

आयकर विभाग (आ.वि./आई.टी.डी.) कर मांग बकाया मांग को नियंत्रित करने वाले आयकर प्रावधानों को कर मांगों को वसूलने और कर की चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करता है। राजस्व हितों की रक्षा के लिए इन प्रावधानों के होने के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में कर मांग के बकाया के संचय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें आयकर विभाग द्वारा मांग 'जिसकी वसूली कठिन है' करार दिए गए कर मांगों का प्रतिशत लगातार उच्च है। बकाया मांग के संचय में लगातार वृद्धि हुई है एवं कुल बकाया मांग से मांग 'जिसकी वसूली कठिन है' करार दिए गए कर मांगों का प्रतिशत लगातार असामान्य रूप से उच्च है। लेखापरीक्षा ने इस विषय का चयन बकाया मांग की वसूली के संबंध में आयकर विभाग में विद्यमान प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता और प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु किया तथा एक नमूना जांच के माध्यम से यह सत्यापित किया कि क्या आयकर विभाग ने बकाया मांग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। प्रतिवेदन में ज्यादा संख्या में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी प्रकाश डाला गया है, क्योंकि आयकर विभाग 42.26% अपेक्षित मामलों को उपलब्ध कराने में विफल रहा जिससे लेखापरीक्षा का दायरा सीमित हो गया। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने मार्च 2020 के बाद बंद किए गए मामलों पर डेटा उपलब्ध नहीं कराया, जिससे इन मामलों के बंद होने के आधार की सत्यता का सत्यापन नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा में बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन, बकाया मांग की वसूली न होना या उसमें देरी, प्रणालीगत मुद्दे जैसे विस्तृत आंकड़ों का अभाव, लक्ष्य निर्धारण में जोखिम स्कोरिंग तकनीक का प्रयोग न करना, डोजियर प्रतिवेदन का रखरखाव न करना तथा कमजोर निगरानी एवं समीक्षा तंत्र से संबंधित कई मुद्दे पाए गए।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर कर मांग जारी करने के मामलों को देखा, जैसे कि निर्धारिती द्वारा पहले से भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट न देना, गलत ब्याज लगाना और अपील आदेशों को प्रभावी करने में गलतियाँ करना। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बकाया मांग के आंकड़ों में निरस्त कर दी गयी मांगें शामिल हैं। अपील आदेशों को प्रभावी करने में देरी के परिणामस्वरूप धनवापसी (प्रतिदाय) जारी करने में देरी हुई; आयकर विभाग को आयकर अधिनियम की धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ एकत्र की गई

बढ़ी हुई राशि को वापस करना पड़ा; गलत प्रतिवेदन के अलावा, बढ़ी हुई मांग के कारण निर्धारिती को उत्पीड़न और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित अपील आदेशों को प्रभावी करने में सात वर्षों तक की देरी देखी, एक मामले में प्रभावी आदेश 11 वर्षों की अवधि के बाद भी पारित नहीं किया गया। परिणामी आदेश पारित करने में देरी के परिणामस्वरूप अभिलेखों पर अधिक बकाया मांग दर्ज की गई; कर जमा किए जाने में देरी वाले मामलों में धारा 220(2) के तहत ब्याज न लगाए जाने के परिणामस्वरूप बकाया मांग की राशि कम दिखाई गई। केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अभी भी अपने स्वयं के निर्देश के अनुसार बकाया मांग पर वार्षिक रूप से ब्याज लगाने के लिए वर्तमान प्रणाली में आवश्यक प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि धारा 281बी के तहत अनंतिम कुर्की लागू की गई थी, लेकिन आयकर विभाग द्वारा कोई वसूली नहीं की जा सकी। टीआरओ ने संपत्ति कुर्क करने और उसका निपटान करने के लिए अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार विशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं किया और उच्च बकाया मांग के मामलों में संपत्ति कुर्क करने के बाद भी वसूली प्रक्रिया धीमी थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारिती की चल और अचल संपत्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी के कारण अक्सर बकाया मांग की वसूली में देरी हुई, जो की सीबीडीटी के निर्देशों के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी क्षेत्रों में टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित अभ्यास के रूप में नहीं की जा रही है, जो दर्शाता है कि आयकर विभाग को जुलाई 2017 में जारी सीबीडीटी के निर्देश का पालन करने की आवश्यकता है। टीआरओ टीआरसी के निपटान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, जब की क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) से टीआरओ को हस्तांतरित मामलों की संख्या काफी कम थी। टीआरओ सीबीडीटी द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण लक्ष्यों के 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सके। टीआरओ ने संपत्ति कुर्क करने के लिए अपने पास निहित विशेष शक्तियों का भी उपयोग नहीं किया। इसके अलावा, आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि टीआरओ द्वारा वैधानिक रजिस्ट्रों के गैर-रखरखाव से स्पष्ट होता है, जो की बकाया मांग की वसूली में बाधा डालता है।

सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु, संक्षिप्त आकलन करता है, और जारी की गई मांगें वसूली के लिए संबंधित निर्धारण अधिकारी (एओ) के पोर्टल में दिखाई देती हैं। संक्षिप्त निर्धारण के तहत मांग के लिए वसूली प्रक्रिया जांच संवीक्षा निर्धारण के तहत उठाई गई मांग के समान है। फिर भी, विभाग को संक्षिप्त निर्धारण के तहत उठाई गई मांगों की वसूली के लिए डोजियर तैयार करने, बैंक खातों को जब्त करने और मामलों को टीआरओ को स्थानांतरित करने जैसी प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ संपत्तियों की कुर्की का पंजीकरण, अन्य लेनदारों पर आयकर विभाग के अधिकार को बरकरार रखने के लिए वसूली तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। डीआईटी (वसूली और टीडीएस) द्वारा निर्देश जारी करने के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सीईआरएसएआई के साथ कुर्की का एक भी मामला दर्ज न होना, वसूली प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

यद्यपि डोजियर रिपोर्टें निगरानी प्राधिकारियों के लिए बकाया मांगों का विश्लेषण करने, नीतियां बनाने तथा संग्रह/वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, फिर भी, एओ ने अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, जैसा कि डोजियर प्रतिवेदन तैयार न करने तथा उसकी तैयारी में विसंगतियों से संबंधित मामलों से स्पष्ट होता है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अंकगणितीय अशुद्धियों और अन्य विसंगतियों को देखते हुए, सीएपी-1 विवरण डेटा अविश्वसनीय हैं। लेखापरीक्षा विस्तृत डेटा के अभाव में सीएपी-1 के डेटा की सटीकता को सत्यापित नहीं कर सकी। सीएपी-1 और सीएपी-11 डेटा का निर्माण स्वचालित और मैनुअल प्रक्रिया का एक संयोजन है; लेखापरीक्षा सीएपी-1 विवरण के स्रोतों को मान्य नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि सुरक्षात्मक मांगें जो संग्रहणीय मांगें नहीं हैं, उन्हें बकाया मांग के आंकड़ों में शामिल किया गया है और सीएपी-1 विवरण में 'मांग जिसकी वसूली कठिन है' के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे मामले जहां स्रोत पर कर कटौती करके सरकारी खाते में जमा कर दी गई है, लेकिन करदाता को अभी तक दावा किए गए टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिला है, उन्हें 'मांग जिसकी वसूली कठिन है' के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, जो मांग 'जिसकी वसूली कठिन है' श्रेणी के आंकड़ों में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करने में योगदान देता है। लेखापरीक्षा ने

विभिन्न डेटा स्रोतों, जैसे ई-फाइलिंग, पोर्टल, केन्द्रीय कार्य योजना, आईटीबीए पोर्टल और बजट दस्तावेजों, से प्राप्त डेटा में विसंगतियां तथा विसंगतियों की गैर-निगरानी देखी जिनके मिलान की आवश्यकता थी।

इसके अलावा, आयकर विभाग के विभिन्न डेटा स्रोतों में प्रतिरूप मांगों की संख्या में अंतर था, जिसके परिणामस्वरूप बकाया मांग की गलत रिपोर्टिंग हुई। वर्ष 2021-22 के लिए अपनी अंतरिम केन्द्रीय कार्य योजना में सीबीडीटी द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई पर आयकर विभाग द्वारा कोई जानकारी साझा नहीं की गई; इस प्रकार, लेखापरीक्षा आयकर विभाग द्वारा प्रतिरूप मामलों का समाधान और हटाने के लिए किए गए प्रयासों का पता नहीं लगा सकी। प्रतिरूप प्रविष्टियाँ अभी भी मौजूद हैं, और हर साल नए प्रतिरूप मामले जुड़ जाते हैं।

लेखापरीक्षा में बकाया मांगों पर सटीक और विश्वसनीय डेटा प्रदान करने में आयकर विभाग की निगरानी और समीक्षा प्रणाली की विफलता पर प्रकाश डाला गया, जिससे वसूली के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। स्वचालन की दिशा में प्रयासों के बावजूद, लक्षित हस्तक्षेपों के लिए आवश्यक विस्तृत डेटा अभी भी अप्राप्य बना हुआ है।

लेखापरीक्षा किसी भी स्तर पर किसी भी समिति के अस्तित्व और प्रभावी कामकाज पर आश्वासन नहीं प्राप्त कर सकी, जो बड़े खाते में डालने योग्य मामलों पर विचार कर सके। इस प्रकार, राजस्व के हितों की रक्षा करने और बकाया कर के आगे संचय को रोकने का प्राथमिक उद्देश्य काफी हद तक अधूरा रह गया। निष्कर्ष मौजूदा वसूली प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करने और उन्हें मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व हितों की रक्षा करने और बकाया कर के आगे संचय को रोकने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो।

अनुशंसाओं का संक्षिप्त

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- उच्च जोखिम बनाम कम जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए डेटा का वर्गीकरण आवश्यक है। आयकर विभाग उच्च जोखिम वाले निर्धारिती की पहचान करने और उन्हें अलग करने के लिए ई-फाइलिंग/आईटीबीए से डेटा निकालने के लिए एक प्रणाली विकसित कर सकता है/प्रावधान सक्षम कर सकता है, जिससे निर्धारण अधिकारी/टीआरओ संग्रह प्रक्रिया में सतत प्रयास कर सकें।

(पैरा 4.2.7)

- आयकर विभाग अपने निर्धारिती चार्टर में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर सकता है और जहां भी आवश्यक हो, समय पर कार्रवाई न करने की जिम्मेदारी तय करने सहित सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है।

(पैरा 5.3.1)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि रद्द कर दिए गए निर्धारण का विवरण आईटीबीए रिकवरी सिस्टम मॉड्यूल में अद्यतन किया जाए ताकि मांग की वर्तमान और वास्तविक स्थिति को दर्शाया जा सके और बढ़ी हुई, गैर-मौजूद मांगों को दर्शाने से बचा जा सके।

(पैरा 5.3.2)

- सीबीडीटी

(i) नकदी संग्रह और बकाया मांग में कमी के लिए यथार्थवादी लक्ष्य तय करना सुनिश्चित करे, क्योंकि केंद्रीय कार्य योजनाओं के अनुसार बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का एक समान प्रतिशत तय करना यथार्थवादी या व्यावहारिक नहीं लगता है।

(ii) वर्षों से न्यायालयों में लंबित विवादित उच्च बकाया मांग के मामलों को हल करने और निपटाने के लिए समय-समय पर फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करें।

(पैरा 5.3.3)

- सीबीडीटी कुर्क की गई संपत्ति की प्रकृति और बकाया मांग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर सकता है, जहां अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों को लागू किया गया था।

(पैरा 5.3.4)

- सीबीडीटी निर्दिष्ट सीमा से अधिक बकाया मांगों के सभी मामलों के लिए डोजियर तैयार करना सुनिश्चित कर सकता है, तथा अपने निर्देश संख्या 10/2015 दिनांक 16/09/2015 के अनुपालन की निगरानी कर सकता है।

(पैरा 6.2.1)

- सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने में आयकर अधिनियम की धारा 153 के तहत निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए और उसके पालन की निगरानी की जाए। सीबीडीटी उन मामलों में कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है जहां बिना किसी औचित्य के अत्यधिक देरी देखी गई है।

(पैरा 6.2.4)

- विवादित मांग की न्यूनतम निर्धारित सीमा के संग्रह के लिए सीबीडीटी के निर्देश को लंबित मांग को कम करने के लिए लागू किया जा सकता है। सीबीडीटी बिना किसी औचित्य के गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है

(पैरा 6.2.5)

- सीबीडीटी टीआरसी की तेजी से निपटान सुनिश्चित करने और वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उपयुक्त निर्देश और अनुवर्ती प्रक्रियाएं जारी कर सकता है। सीबीडीटी उन मामलों में कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है जहां बिना किसी औचित्य के अत्यधिक देरी देखी गई है।

(पैरा 6.3.1)

- चूंकि निर्धारित रजिस्टर बकाया मांगों की वसूली और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी निर्धारित रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जाए और समय-समय पर

टीआरओ द्वारा उन्हें अद्यतन किया जाए तथा गैर-अनुपालन मामलों में कार्रवाई करने पर विचार किया जाए।

(पैरा 6.3.6)

- टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के सीबीडीटी के निर्देशों को दोहराया जाना चाहिए, तथा समयबद्ध तरीके से उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

(पैरा 6.6)

- सीबीडीटी

(i) प्रत्येक मूल्यांकन इकाई स्तर पर सीएपी-1 विवरण के लिए सटीक, विस्तृत डेटा बनाए रखने के लिए प्रणाली प्रक्रिया की समीक्षा और उसे सुव्यवस्थित कर सकता है, ताकि मांगों की वसूली के बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए सभी पीसीआईटी, प्रधान सीसीआईटी स्तर पर सीएपी-1 और सीएपी-11 विवरणों से निर्धारित -वार विवरण निकालने में सुविधा हो।

(ii) सभी क्षेत्रों और डेटा स्रोतों में इन विवरणों को समान रूप से तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने/दोहराने पर विचार कर सकता है।

(iii) इसके अलावा, एमआईएस प्रतिवेदन तैयार करने में असंगति से बचने के लिए प्रशिक्षण पर भी विचार किया जा सकता है।

(पैरा 7.1)

- सीबीडीटी सीपीसी-आईटीआर पोर्टल पर दर्शाई गई बकाया मांग का सीएपी-1 विवरण के साथ प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर सकता है, ताकि प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवेदन में एकरूपता और निवलता सुनिश्चित हो सके, ताकि सही बकाया मांगों की वसूली हो सके और वास्तविक बकाया मांग में कमी की निगरानी की जा सके।

(पैरा 7.2.3)

- सीबीडीटी निगरानी कर सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि सिस्टम में कोई प्रतिरूप प्रविष्टियाँ न हों और मौजूदा प्रतिरूप प्रविष्टियाँ समयबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएँ। इसके अलावा, प्रतिरूप माँगों की उत्पत्ति के कारणों की पहचान की जा सकती है, और आवश्यक सुधार को प्राथमिकता के आधार पर बारीक स्तर पर किया जा सकता है।

(पैरा 7.2.4)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि:
 - (i) बकाया मांग को कम करने के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जिसमें जोखिम वाले कारकों जैसे आयु, मांग की राशि, निर्धारिती की परिसंपत्तियां, अपील में लंबित मामलों की स्थिति, निर्धारिती का पता न लग पाना आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बकाया मांग को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
 - (ii) नकदी संग्रहण के लक्ष्य तय करने के लिए सीबीडीटी द्वारा अपनाई गई जोखिम-प्रोफाइलिंग तकनीकों का उपयोग उचित परिवर्तनों के साथ बकाया मांगों को कम करने के लक्ष्य तय करने के लिए भी किया जा सकता है।
 - (iii) बकाया मांग में कमी के लक्ष्य क्षेत्रवार/अधिकार क्षेत्रवार आधार पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद तय किए जाए, जिसमें पिछले प्रदर्शन, निर्धारिती की प्रकृति/प्रकार आदि शामिल हैं। अधिकार क्षेत्र, निर्धारण आदि से संबंधित विशिष्ट कारकों पर विचार किए बिना एक समान लक्ष्य तय करना तर्कसंगत नहीं है।

(पैरा 7.3.1)

- आयकर विभाग को एआईएस में विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त पैन विवरण को 'निर्धारिती का पता लगाना कठिन है' के अंतर्गत वर्गीकृत मांगों के पैन विवरण के साथ मैपिंग करने की एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि निर्धारिती की पहचान की जा सके और उसे या तो निर्धारण के समय या निर्धारण पूरा होने के बाद पता किया जा सके।

(पैरा 7.3.4)

- सीबीडीटी, 'मांग जिस की वसूली कठिन है' श्रेणी के अंतर्गत दिखाए गए कारकों के वर्गीकरण की समीक्षा कर सकता है, ताकि सीएपी-1 प्रतिवेदन में केवल वास्तविक बकाया मांग ही दर्शाई जाए। 'मांग जिस की वसूली कठिना है' के अंतर्गत सुरक्षात्मक मांग और टीडीएस बेमेल के मामलों के आंकड़ों को शामिल करने से बकाया मांग की स्थिति की गलत तस्वीर सामने आती है।

(पैरा 7.3.5 और 7.3.6)

- आयकर विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि:-
 - (i) बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामलों के संबंध में सीएपी-॥ विवरण के प्रारूप को पर्याप्त और सही जानकारी देने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।
 - (ii) बट्टे खाते में डाले गए मामलों के समय पर निपटान के संबंध में विभिन्न समितियों के गठन और उनके कामकाज की प्रभावी निगरानी की जाती है।
 - (iii) बकाया मांगों की समय-समय पर समीक्षा करके अप्राप्य मांगों का आकलन किया जाता है और इन मांगों को माफ करवाने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जाती है। कम राशि वाले मामलों को माफ करवाने को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे मामलों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आएगी, भले ही राशि के मामले में नहीं।

(पैरा 7.3.8)

- सीबीडीटी
 - (i) संक्षिप्त मूल्यांकन के तहत बकाया मांगों की वसूली को प्राथमिकता दे सकता है क्योंकि वे किसी अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित नहीं हैं, और संग्रहणीय हैं।
 - (ii) निर्धारिती को उनकी बकाया मांगों की याद दिलाने के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी करना तथा निर्धारण आदेश की सूचना जारी करते समय, यदि कोई हो तो, पिछले वर्षों की लंबित मांगों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
 - (iii) क्षेत्राधिकार वाले ए.ओ. (जे.ए.ओ.) द्वारा अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करना, विशेष रूप से जब अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत मांगें संक्षिप्त मूल्यांकन में उठाई जाती हैं, प्रभावी होनी चाहिए, और ऐसे मामलों को यदि आवश्यक हो तो जे.ए.ओ. द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों में उपलब्ध सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद टी.आर.ओ. को भेजा जा सकता है।

(पैरा 7.5)

अध्याय 1 परिचय

1.1 विहंगावलोकन

राजस्व प्राप्तियाँ जो किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, दो प्रकार की होती हैं- कर राजस्व और गैर-कर राजस्व। कर राजस्व सरकार के लिए आय का प्राथमिक स्रोत है। कर सरकारी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए लगाए जाते हैं और प्राप्त बजट का एक हिस्सा बनते हैं, जो बदले में संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) का हिस्सा होता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व करों के माध्यम से सरकार द्वारा एकत्र किए गए देश के उत्पादन का हिस्सा दर्शाता है। इसे इस बात का एक माप माना जाता है कि सरकार किस हद तक आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करती है। कर राजस्व में प्रत्यक्ष¹ और अप्रत्यक्ष² दोनों कर शामिल होते हैं, लेकिन यह प्रतिवेदन केवल प्रत्यक्ष करों के संबंध में बकाया मांग³ से संबंधित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में, प्रत्यक्ष कर संग्रह सरकार के समग्र राजकोषीय प्रबंधन और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्यक्ष करों को विभिन्न तरीकों से एकत्र किया जाता है जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर (एसएटी) और निगम कर और आयकर दोनों के लिए नियमित निर्धारण कर। पूर्व-निर्धारण कर संग्रह टीडीएस, अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के माध्यम से करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन है, जबकि नियमित निर्धारण चरण के माध्यम से कर का संग्रह निर्धारण के बाद होता है। राजस्व विभाग केंद्रीय प्राधिकरण है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में नियंत्रण रखता है, जिसे आगे सीबीडीटी के रूप में संदर्भित किया गया है।

कर प्रशासन का पूरा उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व सुरक्षित करना और निर्धारिती से देय और वैध रूप से देय कर से अधिक कर नहीं वसूलना है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए, आयकर अधिनियम 1961 ने राजस्व विभाग को कर मांग की वसूली के लिए बलपूर्वक और दखलंदाजी कार्रवाई करने का अधिकार

¹ आयकर, पूंजीगत लाभ कर, निगम कर, संपत्ति कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, आदि।

² वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट), आदि।

³ इस रिपोर्ट में 'बकाया मांग' शब्द में बकाया मांग और चालू मांग दोनों शामिल हैं।

दिया है, जिसमें चूक करने वाले निर्धारिती को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार भी शामिल है।

निम्नलिखित चार्ट 1.1 वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक कुल कर संग्रह के घटकों के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह को दर्शाता है:



स्रोत: आयकर विभाग का निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक का समय श्रृंखला डेटा और प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार * वर्ष 2022-23 के अनंतिम आंकड़े। दर्शाये गए आंकड़े प्रतिदाय के समायोजन के बाद के हैं।

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह हमेशा अप्रत्यक्ष करों से अधिक रहा है, सिवाय वर्ष 2016-17 और 2020-21 के, जब अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर संग्रह से अधिक हो गए।

कर संग्रह का नब्बे प्रतिशत से अधिक निर्धारिती द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से होता है। टीडीएस और अग्रिम कर पूर्व-निर्धारण कर संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टीडीएस, अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है (वर्ष 2019-20 को छोड़कर)। जबकि प्रत्यक्ष कर संग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वैच्छिक अनुपालन से प्राप्त होता है, कर संग्रह का 10 प्रतिशत से भी कम निर्धारण-पश्चात प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: प्रत्यक्ष करों का पूर्व-निर्धारण और नियमित निर्धारण संग्रह							
(₹ करोड़ में)							
निर्धारण वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-निर्धारण संग्रह	नियमित निर्धारण कर	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों में पूर्व-निर्धारण संग्रह का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	63,814	7,58,985	91.59
2016-17	3,43,144	4,06,769	68,160	8,18,073	74,138	8,92,211	91.69
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	92,044	10,26,146	91.03
2018-19	4,50,769	5,27,529	84,174	10,62,472	99,032	11,61,504	91.47
2019-20	4,80,383	4,67,315	85,099	10,32,797	67,620	11,00,417	93.86
2020-21	4,70,275	5,17,769	84,734	10,72,778	42,296	11,15,074	96.21

स्रोत: प्र.सीसीए, सीबीडीटी

1.2 निर्धारण और कर वसूली तंत्र

एक कुशल कर प्रशासन न केवल स्वैच्छिक अनुपालन, निर्धारण की गुणवत्ता आदि पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि मजबूत और व्यवस्थित संग्रह तंत्र पर भी ध्यान देता है जो बकाया मांग को कम करने में सहायता करता है।

आयकर विभाग में मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, निर्धारिती द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल में आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद, रिटर्न को सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु द्वारा धारा 143(1) के तहत संक्षेप में संसाधित⁴ किया जाता है, और कर मांग, यदि कोई हो, निर्धारिती को जारी की गई सूचना के माध्यम से उठाई जाती है। धारा 143(3) के तहत नियमित निर्धारण⁵ के मामले में, कर मांग निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा निर्धारण पूरा होने पर उठाई जाती है जब यह पाया जाता है कि कोई कर, ब्याज, जुर्माना, जुर्माना या कोई अन्य राशि, जो भी लागू हो, निर्धारिती द्वारा देय है। तदनुसार, एओ निर्धारित प्रपत्र⁶ में धारा

⁴ प्रारंभिक निर्धारण, जिसे संक्षिप्त निर्धारण कहा जाता है, अधिनियम की धारा 143(1) के तहत किया जाता है।

⁵ अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत निर्धारण, जिसे संवीक्षा निर्धारण/नियमित निर्धारण कहा जाता है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न में करदाता द्वारा किए गए विभिन्न दावों, कटौतियों आदि की सत्यता और वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए आयकर रिटर्न की विस्तृत जांच की जाती है।

⁶ निर्धारित प्रपत्र में एओ द्वारा करदाता को दिया गया मांग नोटिस, जो पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप किसी भी कर, ब्याज, दंड, जुर्माना या अन्य राशि के लिए देय राशि को निर्दिष्ट करता है।

156 के तहत निर्धारिती को मांग की सूचना देता है, जिसमें देय मांग को निर्दिष्ट किया जाता है।

अक्टूबर 2019 में फेसलेस निर्धारण की शुरुआत के बाद, निर्धारण की कार्यवाही निर्धारिती के पंजीकृत खाते के माध्यम से "ई-प्रोसीडिंग" मोड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है। धारा 143(3), 144 के तहत निर्धारण, धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना निर्दिष्ट क्षेत्रीय क्षेत्रों⁷, व्यक्तियों, आय या मामलों के वर्ग के संबंध में फेसलेस तरीके से की जाती है। नामित फेसलेस निर्धारण इकाइयों द्वारा निर्धारण करने के बाद, राष्ट्रीय फेसलेस निर्धारण केंद्र (एनएएफएसी) द्वारा मांग नोटिस जारी किए जाते हैं। इसके बाद, मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को प्रेषित कर दिए जाते हैं। फेसलेस निर्धारण योजना शुरू करने के बाद सीपीसी, बेंगलुरु द्वारा धारा 143(1) के तहत रिटर्न के प्रसंस्करण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, धारा 143(1) के तहत निर्धारिती द्वारा देय निर्धारित किसी भी राशि की सूचना भी धारा 156 के तहत मांग की सूचना मानी जाती है। चाहे किसी मामले को संक्षिप्त में संसाधित किया गया हो या नियमित निर्धारण में निर्धारण किया गया हो, अगर निर्धारिती नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कर मांग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह एक बकाया मांग बन जाती है। नतीजतन, क्षेत्राधिकार वाले एओ और क्षेत्राधिकार वाले टीआरओ बकाया मांग को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। क्षेत्राधिकार वाले पी.सी.आई.टी., पी.सी.सी.आई.टी. और अन्य नामित प्राधिकरण इसकी अंतिम कटौती या संग्रह की निगरानी करते हैं।

बकाया मांग के आंकड़े आयकर विभाग के नीति निर्माण और वार्षिक बजट तैयार करने में सरकार के लिए महत्वपूर्ण इनपुट में से एक हैं। भारत सरकार का प्राप्त बजट 31 मार्च 2021 तक उठाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व यानी बकाया मांग को भी दर्शाता है, जैसा कि नीचे तालिका 1.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

⁷ जांच और अंतर्राष्ट्रीय कराधान क्षेत्रों को छोड़कर

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर की बकाया मांग			
			(₹ करोड़ में)
वर्ग	बकाया मांग पर विवाद	बकाया मांग विवादाधीन नहीं	कुल बकाया कर मांग
1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से कम	6,58,110	2,35,632	8,93,742
2 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम	3,40,349	1,31,051	4,71,400
5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष से कम	32,765	9,659	42,424
10 वर्ष से अधिक	26,415	7,274	33,689
कुल	10,57,639	3,83,616	14,41,255
स्रोत: प्राप्तियां बजट वर्ष 2022-23 का अनुलग्नक 5			

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, उठाई गई लेकिन वसूल नहीं की गई संचित मांग, यानी बकाया कर मांग ₹ 14,41,255 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 10,57,639 करोड़ को 'विवादित' के रूप में दिखाया गया, जो 73.38 प्रतिशत है।

1.3 क्षेत्राधिकार ए.ओ. और टी.आर.ओ. की भूमिका

क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) और कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) मांगों के संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्धारण अधिकारी (एओ) के मुख्य कार्यों में आय का निर्धारण, मांग की नोटिस जारी करना, मांग का संग्रह आदि शामिल हैं। आयकर विभाग के अनुसार, सभी बकाया और वर्तमान मांगों पूर्ववर्ती निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी)⁸/ आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए)⁹ पर उपलब्ध हैं/ मैनुअल अपलोड को सीपीसी-आईटीआर¹⁰, बेंगलुरु

⁸ एएसटी मॉड्यूल आईटीडी अनुप्रयोगों की मुख्य प्रक्रिया थी, जिसकी संकल्पना ऑनलाइन, मेनू-संचालित सॉफ्टवेयर के रूप में की गई थी, जो सभी निर्धारण और संबंधित कार्यों को पूरा करने में सक्षम था।

⁹ पोर्टल का उद्देश्य आईटीडी आवेदन को मजबूत करके और आईटीडी में विभिन्न कार्यात्मकताओं तक पहुंचने के लिए एकल-उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करके एक कागज रहित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया बनाना है।

¹⁰ देश में सभी ई-फाइल किए गए रिटर्न और पेपर रिटर्न (कर्नाटक और गोवा में दाखिल) के प्रसंस्करण के लिए आईटीडी द्वारा बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है, धारा 154 के तहत रिटर्न के प्रसंस्करण से स्पष्ट गलतियों को सुधारने के लिए, धारा 133 के तहत जानकारी मांगने के लिए, प्रक्रिया के गैर-अनुपालन या अन्यथा के लिए करदाता द्वारा दायर आयकर रिटर्न को अवैध रिटर्न घोषित करने के लिए, धारा 139 की उप-धारा (9) के तहत करदाता द्वारा दायर आयकर रिटर्न को दोषपूर्ण रिटर्न घोषित करने के लिए, धारा 143(1) के तहत संक्षिप्त निर्धारण के प्रसंस्करण के लिए, धारा 245 के तहत करदाता की बकाया कर देयता के खिलाफ प्रतिदाय का सेट-ऑफ या समायोजन करने के लिए और अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग का नोटिस जारी करने के लिए।


में केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र-वित्तीय लेखा प्रणाली (सीपीसी-एफएएस)¹¹ में समेकित किया गया है और आईटीबीए के साथ एकीकृत किया गया है और आईटीबीए के वसूली मॉड्यूल में एओ के लिए सुलभ है। एओ दो पोर्टलों *अर्थात्* आईटीबीए और ई-फाइलिंग¹² पोर्टल के माध्यम से निर्धारिती की बकाया मांग का विवरण प्राप्त करते हैं।

बकाया मांग को इकट्ठा करने में, एओ को बैंक खाते, निर्धारिती को देय किराया आदि के जब्ती के माध्यम से बलपूर्वक कार्रवाई करने का अधिकार है। कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) की भूमिका तब शुरू होती है जब एओ बकाया मांग को वसूलने के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट सभी संभावित तरीकों को अपना लेता है। टीआरओ के पास संपत्ति कुर्क करने, निर्धारिती को गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने तथा संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए रिसीवर नियुक्त करने का विशेष अधिकार है। एओ और टीआरओ के अधिकार और कार्यों का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय 6 और **परिशिष्ट 1** में दिया गया है। एओ और टीआरओ के स्तर पर कर संग्रह के लिए मांग जारी करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चार्ट में दी गई है: 1.2 (ए) और (बी):

¹¹ यह बैंक-एंड सिस्टम के रूप में काम करता है और सभी फ्रंट-एंड सिस्टम, यानी सीपीसी-आईटीआर पोर्टल, आईटीबीए पोर्टल, ओएलटीएएस पोर्टल, एएसटी पोर्टल लीगेसी के साथ डेटा प्रोसेसिंग, डिमांड प्रतिदाय की गणना के लिए इंटरैक्ट करता है और फ्रंट-एंड सिस्टम को आवश्यक डेटा भेजता है।


¹² भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आयकर विभाग का एक आधिकारिक पोर्टल, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एक मिशन-मोड परियोजना के रूप में विकसित किया गया था, ताकि करदाताओं और अन्य हितधारकों को केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र - आईटीआर, बंगलुरु द्वारा संचालित आयकर संबंधी सेवाओं तक एकल-खिड़की पहुंच प्रदान की जा सके।

चार्ट 1.2 (ए): निर्धारण और संग्रहण की प्रक्रिया प्रवाह चार्ट



स्रोत: आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान

चार्ट 1.2 (बी) : मांग का संग्रह कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) के माध्यम से



स्रोत: आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान

1.4 आयकर विभाग द्वारा बकाया मांग की निगरानी

सीबीडीटी आंतरिक प्रतिवेदन प्रणाली के हिस्से के रूप में कुछ एमआईएस प्रतिवेदन जैसे कि सीएपी-1¹³, सीएपी-11¹⁴, डोजियर आदि को एकत्रित और संकलित करता है, ताकि बकाया कर मांग की निगरानी की जा सके और बकाया कर मांग में कमी, नकद संग्रह, सीआईटी (ए) स्तर पर अपील मामलों में कमी आदि के लिए वार्षिक लक्ष्य तय किए जा सकें। इन रिपोर्टों से एकत्रित जानकारी नीति निर्माण को निर्देशित करने में भी सहायक होती है। सीएपी-1 और सीएपी-11 प्रतिवेदन मासिक आधार पर एओ स्तर पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती हैं और पीसीआईटी/ पीसीसीआईटी स्तर पर और अंत में सीबीडीटी द्वारा समेकित की जाती हैं।

¹³ सीएपी-1 विवरण में माह के लिए बकाया मांग का प्रारंभिक शेष, माह के दौरान सृजित मांग, संग्रहित मांग, 'मांग जिसकी वसूली कठिन है' से संबंधित अन्य सांख्यिकीय विवरण तथा 'निर्धारिता का पता लगाना कठिन है', 'वसूली हेतु कोई परिसंपत्ति नहीं' आदि जैसे विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत उसका वर्गीकरण दर्शाया जाता है।

¹⁴ सीएपी-11 विवरण में संसाधित रिटर्न की संख्या, पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारण की संख्या, अपील प्रभाव, दंड कार्यवाही, प्रतिदाय, बकाया मांग को बड़े खाते में डालना आदि का विवरण दिया गया है।

डोजियर, बकाया मांग वाले निर्धारिती के संबंध में तैयार की गई तिमाही प्रतिवेदन होती हैं। ये सभी प्रतिवेदन सकल मांग, वसूली अयोग्य मांग, वसूली योग्य न होने वाली मांग, निवल-संग्रहणीय मांग, अपील की स्थिति आदि दर्शाती हैं। उच्च राशि के मामलों की बकाया मांगों के संबंध में एओ द्वारा डोजियर तैयार करना और उनका रखरखाव करना तथा उस पर प्रतिवेदन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संग्रह प्रक्रिया का पूरक है। बकाया मांग की वसूली में महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिक जोर देने के लिए, सीबीडीटी ने बकाया मांगों की निगरानी के लिए अपने अधिकारियों के लिए संशोधित मौद्रिक सीमाएं अधिसूचित की है (सितंबर 2015)। इन मौद्रिक सीमाओं को नवंबर 2022 में जारी एक आदेश द्वारा फिर से संशोधित किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका 1.3 में दिखाया गया है:

तालिका 1.3: डोजियर के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा बकाया मांग की निगरानी की प्रक्रिया		
निगरानी प्राधिकरण	सीबीडीटी के 16 सितंबर 2015 के आदेशानुसार	सीबीडीटी के 3 नवंबर 2022 के आदेशानुसार
रेंज हेड	₹ 30 लाख तक	₹ 10 लाख से ₹ 1 करोड़
पीसीआईटी	₹ 30 लाख से अधिक से ₹ 3 करोड़ तक	₹ 1 करोड़ से अधिक से ₹ 25 करोड़ तक
सीसीआईटी	₹ 3 करोड़ से अधिक से ₹ 15 करोड़ तक	(i) दिल्ली और मुंबई क्षेत्र के लिए: ₹ 25 करोड़ से अधिक से ₹ 250 करोड़ तक (ii) अन्य क्षेत्रों के लिए: ₹ 25 करोड़ से अधिक से ₹ 100 करोड़ तक
पीसीसीआईटी	15 करोड़ से अधिक से 25 करोड़ तक	(i) दिल्ली और मुंबई क्षेत्र के लिए: ₹ 250 करोड़ से अधिक से ₹ 500 करोड़ तक (ii) अन्य क्षेत्रों के लिए: ₹ 100 करोड़ से अधिक से ₹ 500 करोड़ तक
प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रशासन)	एडीजी (वसूली) की सहायता से प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रशासन) द्वारा ₹ 25 करोड़ से अधिक के सभी डोजियर प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रशासन) अतिरिक्त महानिदेशक (वसूली) की सहायता से सदस्य (राजस्व) के निर्देश पर विशिष्ट अत्यधिक मांग वाले मामलों की निगरानी करेंगे।	₹ 500 करोड़ से अधिक के सभी डोजियर प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रशासन और टीपीएस) द्वारा एडीजी (वसूली) की सहायता से तैयार किए जाएंगे। प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रशासन एवं टीपीएस) सदस्यों (टीपीएस) के अनुमोदन हेतु अत्यधिक मांग वाले मामलों की निगरानी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
सदस्य (राजस्व), सीबीडीटी		---

1.5 फेसलेस निर्धारण में कर की मांग

आयकर विभाग में कर की मांग बढ़ाने की वर्तमान प्रणाली पर लेखापरीक्षा द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार, एक बार जब कोई निर्धारिती ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु द्वारा सीपीसी-आईटीआर पोर्टल के माध्यम से सत्यापित और संसाधित किया जाता है और मांग नोटिस/प्रतिदाय आदेश जारी किया जाता है। बकाया मांग, यदि कोई हो, तो वह क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के नियंत्रण में आईटीबीए पोर्टल '360 डिग्री मांग पुनर्प्राप्ति स्थिति' में प्रदर्शित की जाती है।

संवीक्षा निर्धारण मामलों के संबंध में, एओ/फेसलेस निर्धारण इकाई द्वारा निर्धारण पूरा होने के बाद, गणना के उद्देश्य से सीपीसी-एफएएस के साथ अंतःक्रिया के साथ, आईटीबीए के माध्यम से निर्धारिती को मांग जारी की जाती है और मांग को 'आईटीबीए वसूली मॉड्यूल' में लंबित दिखाया जाता है। अपील, सुधार, प्रभावी आदेश, जुर्माना, मांग की वसूली आदि जैसी सभी संभावित बाद की कार्रवाई आयकर व्यापार एप्लिकेशन (आईटीबीए) के माध्यम से इसी तरह की जाती है। निर्धारण अधिकारी के प्रत्येक कार्य के लिए आईटीबीए में 'निर्धारण', 'सुधार', 'वसूली' आदि जैसे विशिष्ट मॉड्यूल उपलब्ध हैं। 'वसूली' मॉड्यूल के माध्यम से, एक डोजियर प्रतिवेदन तैयार की जाती है, तथा निर्धारिती के संबंध में मांग विश्लेषण और मांग वसूली विवरण सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं। यह जानकारी सीपीसी-आईटीआर को भी भेजी जाती है ताकि इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट किया जा सके और निर्धारिती को सूचित किया जा सके। इस प्रक्रिया को **परिशिष्ट 2** में समझाया गया है।

निगरानी और एमआईएस उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, सीबीडीटी आयकर विभाग की आईटी प्रणालियों की विभिन्न कार्यात्मकताओं का उपयोग करता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- i. सीपीसी-आईटीआर पोर्टल - यह धारा 143(1) के तहत रिटर्न की प्रोसेसिंग, धारा 154 के तहत सुधार करने, मांग नोटिस/प्रतिदाय आदेश जारी करने में शामिल है। यह गणना और अन्य प्रक्रिया के लिए बैक एंड सीपीसी-एफएएस सिस्टम के साथ अंतःक्रिया करता है और ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ भी अंतःक्रिया करता है।

- ii. आईटीबीए - यह निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रंट एंड प्रणाली है, इसका उपयोग निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण आदेशों, सुधारों, पुनर्निर्धारण आदेशों, अपील संशोधनों से उत्पन्न मांग की गणना तैयार करने के लिए किया जाता है और यह सीपीसी-एफएएस के साथ अंतःक्रिया करता है।
- iii. सीपीसी-एफएएस - यह बैक एंड सिस्टम के रूप में काम करता है और डेटा के प्रसंस्करण, मांग की गणना, प्रतिदाय के लिए सभी फ्रंट एंड सिस्टम यानी सीपीसी-आईटीआर पोर्टल, आईटीबीए पोर्टल, ओएलटीएएस पोर्टल, एएसटी पोर्टल लीगेसी के साथ अंतःक्रिया करता है और फ्रंट एंड सिस्टम¹⁵ को आवश्यक डेटा भेजता है।
- iv. एएसटी- 'निर्धारण सूचना प्रणाली' आईटीबीए से पहले की विरासत प्रणाली है। पूर्ववर्ती एएसटी में पूर्ण किए गए निर्धारणों का संशोधन/सुधार वर्तमान में आईटीबीए में निर्धारण अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से अपलोड किया जाता है।
- v. ओएलटीएएस-ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम एक सिस्टम एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से कर, जुर्माना, ब्याज, प्रतिदाय आदि के भुगतान के लिए चालान का विवरण रखा जाता है।
- vi. आई-टैक्सनेट - वह प्रतिवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से सीएपी-I, सीएपी-II और डोजियर प्रतिवेदन आंतरिक रूप से तैयार की जाती हैं और उचित प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाती हैं।

¹⁵ यह उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित सूचना प्रणाली की सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने और उनका अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।

अध्याय 2 विज़न, कार्य योजना और कानूनी प्रावधान

आयकर विभाग के "विज़न 2020" दस्तावेज़ में विज़न, मिशन और मूल्यों का वर्णन किया गया है। इसमें आयकर विभाग के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और रणनीतिक योजना अवधि 2011-15 के दौरान इन चुनौतियों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न अवसरों का विश्लेषण किया गया है। 'विज़न 2020'-रणनीतिक योजना 2011-15 के भाग के रूप में, आयकर विभाग ने बकाया मांगों के लिए कर संग्रह रणनीति विकसित करने और संग्रह में दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए एक विस्तृत संग्रह योजना¹⁶ बनाने का इरादा किया था।

विस्तृत योजना के अनुसार, किए जाने वाले कार्यों को विज़न दस्तावेज़ में कार्य बिंदुओं के रूप में बताया गया है, जैसे कि एक वार्षिक संग्रह योजना विकसित करना जो वर्तमान और बकाया मांग दोनों के लिए लक्ष्य और समय मानक निर्धारित करेगी, जो कि (ए) संग्रह पैटर्न की पहचान करने के लिए वर्तमान और बकाया मांग की प्रकृति का विश्लेषण; (बी) निर्धारिती के कर अभिलेख का विश्लेषण; और (सी) देनदारों के जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए जोखिम स्कोरिंग तकनीकों का उपयोग पर आधारित होगी। अन्य कार्य बिंदुओं में निर्धारिती को उनके दायित्वों को समझाने के लिए संचार में सुधार करना, मांग विश्लेषण में निर्धारण-पूर्व और निर्धारण के बाद के करों सहित अप्राप्य कर बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं विकसित करना और निर्धारण और संग्रह कार्य को अलग करने पर विचार करना शामिल है।

सीबीडीटी ने वार्षिक केंद्रीय कार्य योजना¹⁷ तैयार करते समय "विज़न 2020" दस्तावेज़ के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया। अपनी केंद्रीय कार्य योजना के ज़रिए, सीबीडीटी नकदी संग्रह, अपील मामलों में कमी आदि सहित बकाया मांग में कमी के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य तय करता है। क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को अपनी केंद्रीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है, जैसे

¹⁶ अध्याय 4 रणनीतिक योजना- पैरा 4.2.6 कर संग्रह रणनीति विकसित करना

¹⁷ केंद्रीय कार्य योजना एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य आईटीडी की सभी वर्तमान प्राथमिकताओं को समग्र रूप से संबोधित करना है।

अपील में बंद मामलों के न्यायालयी प्रबंधन, काम के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता में सुधार और अनुपालन और प्रवर्तन कार्यों को मजबूत करना।

2.1 वैधानिक प्रावधान

निर्धारिती से बकाया कर की वसूली से संबंधित वैधानिक प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII के तहत धारा 220 से 232 में निहित हैं। अधिनियम की दूसरी अनुसूची कर की वसूली की प्रक्रिया से विस्तृत रूप से संबंधित है। कर लगाने और संग्रह से संबंधित धाराओं का विवरण नीचे दी गई तालिका 2.1 में संक्षेप में समझाया गया है:

तालिका 2.1: कर/बकाया मांग की वसूली से संबंधित प्रमुख प्रावधान	
आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं	संबंधित/कवर किए गए मुद्दे
140ए(3)	यह धारा प्रावधान करती है कि जहां कोई कर प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर देय है, और निर्धारिती ऐसे कर का पूरा या उसका कोई भाग चुकाने में असफल रहता है, तो उसे कर का भुगतान न किए जाने के संबंध में चूककर्ता निर्धारिती माना जाएगा।
156	यह किसी कर, ब्याज, जुर्माना, दंड या किसी अन्य राशि के संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारिती द्वारा देय मांग की सूचना जारी करने से संबंधित है।
220(2)	जब मांग नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो देरी के प्रत्येक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाना अपेक्षित है।
221(1)	जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे बकाया मांग और ब्याज के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में एक राशि (जैसा कि एओ निर्देश देता है) का भुगतान करना होता है।
222	यह धारा कर भुगतान में चूक करने वाले निर्धारिती के संबंध में टीआरओ द्वारा तैयार किए गए कर वसूली प्रमाणपत्र और कर की निर्दिष्ट राशि वसूलने के तरीकों से संबंधित है।
223	इस धारा में टीआरओ के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। टीआरओ का अधिकार क्षेत्र निर्धारिती के व्यवसाय के स्थान या निवास स्थान के आधार पर तय किया जाता है।
224	प्रमाणपत्रों की वैधता तथा उन्हें सही करने या रद्द करने की टीआरओ की शक्ति से संबंधित है।

तालिका 2.1: कर/बकाया मांग की वसूली से संबंधित प्रमुख प्रावधान	
आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं	संबंधित/कवर किए गए मुद्दे
225	यह धारा प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाही पर रोक लगाने तथा उसके संशोधन या निरस्तीकरण से संबंधित है।
232	यह धारा प्रावधान करती है कि अध्याय XVII में निर्दिष्ट वसूली के तरीके सरकार को देय ऋणों की वसूली से संबंधित किसी भी कानून या कर बकाया की वसूली के लिए मुकदमा चलाने के सरकार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे।
245	यह धारा आयकर विभाग की उस शक्ति से संबंधित है जिसके तहत वह निर्धारिती को सूचना देने के बाद उसका प्रतिदेय किसी भी बकाया कर की राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।
265	यदि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में संदर्भ प्रस्तुत किया गया हो या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई हो, तब भी कर देय होगा।
281बी(1)	यह धारा, निर्धारण के दौरान हुई आय के निर्धारण की किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित है।

2.2 सीबीडीटी के परिपत्र और निर्देश

आयकर अधिनियम¹⁸ सीबीडीटी को अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन में क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश और निर्देश जारी करने का अधिकार भी देता है। तदनुसार, सीबीडीटी ने कर की मांग, संग्रह और वसूली से संबंधित मामलों पर अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को विभिन्न परिपत्र/निर्देश/सामान्य आदेश जारी किए। संबंधित परिपत्रों/निर्देशों का संक्षिप्त विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है:

¹⁸ धारा 119 की उप-धारा 2 में यह प्रावधान है कि यदि सीबीडीटी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो वह राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए, समय-समय पर किसी भी वर्ग की आय या सीमांत लाभ या मामलों के वर्ग के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिसमें राजस्व के निर्धारण या संग्रहण या दंड लगाने की कार्यवाही शुरू करने से संबंधित कार्य में अन्य आयकर प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश या अनुदेश (जो निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें) दिए जाएंगे और यदि सीबीडीटी की यह राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, तो ऐसे किसी आदेश को सामान्य जानकारी के लिए निर्धारित तरीके से प्रकाशित और प्रसारित किया जा सकता है।

2.2.1 कर मांगों के बकाया को कम करने के लिए कार्य योजना

सीबीडीटी ने¹⁹ (जून 1992) 'आयकर की बकाया मांग में कमी को एक प्रमुख परिणाम क्षेत्र (केआरए)' के रूप में चिन्हित किया था और आयकर मांग को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाने पीछे से आ रहे बकाया मांग को कम करने तथा चालू मांग को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे।

2.2.2 बकाया मांगों पर रोक लगाने और वसूली के लिए दिशानिर्देश

सीबीडीटी ने दोहराया था²⁰ (दिसंबर 1993) कि हर मांग को उसके देय होते ही वसूल किया जाना चाहिए और उस मांग को केवल वैध कारणों से ही स्थगित रखा जा सकता है। इसने (i) जिम्मेदारी, (ii) स्थगन याचिका, (iii) स्थगन मांग आदि पर विस्तृत दिशा-निर्देश भी निर्दिष्ट किए, जिसमें विधिवत उल्लेख किया गया कि संबंधित निर्धारण अधिकारी (एओ) और कर वसूली अधिकारी (टीआरओ), जैसा भी मामला हो, और आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

2.2.3 टीआरओ द्वारा वसूली प्रमाण पत्र के निपटान के लिए संशोधित वार्षिक मानदंड

टीआरओ के लिए कार्य योजना तैयार करते समय, सीबीडीटी ने प्रत्येक टीआरओ द्वारा पीछे से लाए गए (बकाया) कर वसूली प्रमाणपत्रों (टीआरसी) के 20 प्रतिशत या 150 टीआरसी के निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया था²¹, जिसे संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत तक हासिल किया जाना था।

2.2.4 टीआरओ के प्रदर्शन की निगरानी

सीबीडीटी अपनी वार्षिक केंद्रीय कार्य योजना में टीआरसी के निपटान और टीआरओ द्वारा सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए लक्ष्य तय करता है। इस बात पर जोर देते हुए कि टीआरओ का बड़े पैमाने पर कर वसूली के काम में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सीबीडीटी²² (सितंबर 1999) ने कहा कि टीआरओ के प्रदर्शन का निर्धारण केवल उनके द्वारा प्राप्त नकद संग्रह से किया

¹⁹ अध्यक्ष सीबीडीटी डीओएफ संख्या 17/1/92-ओडी/डीओएमएस दिनांक 03 जून 1992

²⁰ सीबीडीटी निर्देश संख्या 1914 दिनांक 02 दिसंबर 1993

²¹ वर्ष 2017-18 / 2018-19 और 2019-20 के लिए सीबीडीटी केंद्रीय कार्य योजनाएं

²² सीबीडीटी पत्र एफ.सं.399/1/99-आईटी(बी) दिनांक 28 सितंबर 1999

जाएगा और यह जरूरी है कि करों की वसूली सार्थक तरीके से करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती और उचित बुनियादी ढांचा तैयार करके वसूली के काम पर उचित जोर दिया जाए।

2.2.5 बड़े खाते में डालने के लिए मौद्रिक सीमा की बढ़ोत्तरी और समितियों का पुनर्गठन

सीबीडीटी ने²³ नियमित प्रक्रिया के तहत वसूली न किए जा सकने वाले बकाए को बड़े खाते में डालने के लिए तीन स्तरीय संरचना का गठन करने के लिए समितियों की मौजूदा संरचना की समीक्षा की और उसे संशोधित किया (नवंबर 2003) जैसे कि (i) आंचलिक समिति, (ii) क्षेत्रीय समिति और (iii) स्थानीय समिति, और प्रत्येक स्तर के लिए मौद्रिक अधिकतम सीमा को भी पुनः परिभाषित किया (जैसा कि **परिशिष्ट 3** बी में दिखाया गया है)। सीबीडीटी ने (नवंबर 2003 में) बकाया मांगों को माफ करने के लिए तदर्थ प्रक्रियाओं के लिए मौद्रिक सीमा ₹ 10,000 तथा संक्षिप्त प्रक्रिया के लिए मौद्रिक सीमा ₹ 1,000 निर्धारित की।

सीबीडीटी ने²⁴ अपने निर्देशों की पुनः समीक्षा की (नवंबर 2003) और कहा कि क्षेत्रीय समितियों को माह में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी और क्षेत्रीय समिति के स्थायी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सीसीआईटी को प्रत्येक माह आंचलिक समिति की बैठकों की एक संक्षिप्त प्रतिवेदन वसूली और टीडीएस निदेशालय को और उसकी एक प्रति सीबीडीटी को भेजनी होगी।

2.2.6 उच्च मांग वाले मामलों में मांग की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कदम

यह देखते हुए कि आयकर विभाग पर भारी बकाया राशि वसूलने का उत्तरदायित्व है तथा कई मामलों में वास्तविक वसूली की संभावना बहुत कम है, सीबीडीटी ने निर्देश दिया²⁵ (सितंबर 2004) कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि जैसे बड़े शहरों में ₹ 5.00 लाख से अधिक तथा अन्य स्थानों पर ₹ 1.00 लाख से अधिक की मांग के मामलों में, निर्धारण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि

²³ सीबीडीटी निर्देश संख्या 14 दिनांक 06 नवंबर 2003

²⁴ सीबीडीटी के निर्देश दिनांक 18 नवंबर 2003

²⁵ सीबीडीटी निर्देश संख्या 8 दिनांक 02 सितंबर 2004

वह निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों की जांच करे तथा उन्हें धारा 281बी के अंतर्गत अनंतिम कुर्की²⁶ के तहत रखे।

2.2.7 आयकर प्राधिकारियों द्वारा डोजियर मामलों की निगरानी के लिए मौद्रिक सीमाएं

विभिन्न आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवधिक प्रतिवेदन और समीक्षा की आवश्यकता वाले डोजियर मामलों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए और यह भी विचार करते हुए कि डोजियर मामलों के लिए मौद्रिक सीमा की पिछले 30 वर्षों से समीक्षा नहीं की गई है, सीबीडीटी ने²⁷ डोजियर मामलों के लिए प्राथमिक सीमा को बढ़ाया (सितंबर 2015) और नवंबर 2022 में संशोधित किया और सदस्य (राजस्व), सीबीडीटी तक सभी आईटी प्राधिकारियों के लिए कार्यभार की केंद्रित निगरानी और युक्तिकरण के लिए तत्काल सीमाओं को पुनः समायोजित किया, जैसा कि पैरा 1.4 में चर्चा की गई है और इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 की तालिका 1.3 में दिखाया गया है।

2.2.8 डोजियर का रखरखाव

डोजियर प्रतिवेदन में उल्लिखित मांगों और सीपीसी-आईटीआर द्वारा अपने वित्तीय लेखांकन प्रणाली (एफएएस) के अनुसार बनाए गए सीपीसी-एओ मांग पोर्टल में उपलब्ध मांगों में पर्याप्त अंतर को ध्यान में रखते हुए, और इस आवश्यकता पर विचार करते हुए कि सीपीसी-एफएएस के अनुसार मांग को डोजियर रिपोर्टों में प्रतिवेदन किया जाना चाहिए, सीबीडीटी ने आईटीबीए में डोजियर प्रतिवेदन बनाने की नई प्रणाली उपलब्ध कराई।²⁸ आई-टैक्सनेट²⁹ में डोजियर प्रतिवेदन की प्रणाली को बदल दिया गया, और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही के लिए सभी डोजियर प्रतिवेदन आईटीबीए के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव था। तदनुसार, अब, सभी बकाया और वर्तमान मांग जो एएसटी

²⁶ राजस्व की सुरक्षा के लिए एओ द्वारा करदाता की संपत्ति की अनंतिम कुर्की। छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद अनंतिम कुर्की का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हालांकि, पीसीसीआईटी/सीसीआईटी/पीसीआईटी द्वारा लिखित में कारण दर्ज करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। विस्तार की कुल अवधि, किसी भी मामले में, कर निर्धारण आदेश की तिथि के बाद दो वर्ष या साठ दिन से अधिक नहीं होगी, जो भी बाद में हो।

²⁷ सीबीडीटी निर्देश संख्या एफ. सं. 404/02/2015-आईटीसीसी दिनांक 16 सितंबर 2015 और निर्देश संख्या एफ. सं. 404/1/2022-आईटीसीसी दिनांक 3 नवंबर 2022

²⁸ आईटीबीए-वसूली-मांग समाधान और डोजियर निर्देश संख्या -4 दिनांक 31 जुलाई 2018

²⁹ यह मॉड्यूल मुख्य रूप से पूर्व आईटीडी/व्यवसाय निरंतरता प्रक्रिया (बीसीपी) अनुप्रयोगों के भाग के रूप में सीएपी-1 और II रिपोर्ट के लिए उपयोग किया गया था।

और सीपीसी-एफएस प्रणाली पर उपलब्ध थी, उसे सीपीसी में समेकित कर दिया गया है और मांग विश्लेषण स्क्रीन के माध्यम से आईटीबीए में एओ को उपलब्ध कराया गया है।

2.2.9 प्रथम चरण के अपील में मांग पर स्थगन

सीबीडीटी के 21 मार्च 1996 के निर्देशों में निर्धारित किया गया था कि किसी मांग पर तभी रोक लगाई जाएगी जब ऐसा करने के लिए वैध कारण हों और केवल निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दायर करना मांग की वसूली पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। इसने आगे निर्धारित किया कि रोक लगाते समय, फील्ड अधिकारी निर्धारिती से उपयुक्त सुरक्षा (बैंक गारंटी, आदि) की पेशकश करने को कहा जा सकता है और/या निर्धारिती से एकमुश्त या किशतों में उचित राशि का भुगतान करने को कह सकते हैं। अपने पहले के निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, सीबीडीटी ने कुछ मामलों में विवादित राशि के 15 प्रतिशत के भुगतान के लिए नए निर्देश³⁰ (फरवरी 2016) जारी किए। सीबीडीटी ने आगे³¹ मानक दर को संशोधित किया जो कि निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाने वाली विवादित राशि का 20 प्रतिशत (जुलाई 2017) है, जहां मांग सीआईटी (ए) के समक्ष विवादित है।

2.2.10 टीआरओ इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

सीएजी की 2016 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 में आंतरिक नियंत्रण पर उठाए गए मुद्दों के मद्देनजर, सीबीडीटी ने आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा पर अपने सभी मौजूदा निर्देशों की समीक्षा³² की (जुलाई 2017), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान सीसीएसआईटी को निर्देश दिया गया कि वे एक टीआरओ की लेखापरीक्षा दूसरे टीआरओ द्वारा करने की प्रणाली लागू करें और उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि अन्य आपत्तियों के मामले में किया गया था।

³⁰ कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 फरवरी 2016

³¹ कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई 2017

³² सीबीडीटी के निर्देश दिनांक 21 जुलाई 2017

2.2.11 धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज लगाना

31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी प्रतिवेदन (1989 की प्रतिवेदन संख्या 06) में सीएजी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी ने कानून मंत्रालय के परामर्श के बाद, निर्देश³³ जारी किए (जून 1991) कि एओ को प्रत्येक निर्धारण वर्ष के अंत में धारा 220(2) के तहत देय ब्याज की गणना करनी चाहिए, और आगे कहा कि उपायुक्त या आयुक्त क्रमशः नवंबर और मई के महीनों में 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए एओ और टीआरओ के काम की अर्ध-वार्षिक समीक्षा करेंगे और क्रमशः 15 दिसंबर और 15 जून तक मुख्य आयुक्तों या आयुक्तों को एक प्रतिवेदन भेजेंगे।

³³ सीबीडीटी निर्देश संख्या 1883 दिनांक 07 जून 1991

अध्याय 3 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

3.1 हमने यह विषय क्यों चुना

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को चुनने के आधार थे:

निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए 'कुल बकाया मांग' और आयकर विभाग द्वारा 'जिनकी वसूली कठिन है' के रूप में वर्गीकृत मांग के विश्लेषण से पता चला है कि कुल बकाया मांग लगातार प्रत्यक्ष कर संग्रह से अधिक रही है। आयकर विभाग द्वारा 'वसूली अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत मांग इन सभी वर्षों में कुल बकाया मांग का 97 प्रतिशत से अधिक थी, जो कि चिंता का विषय था, जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में दिखाया गया है।

तालिका 3.1: प्रत्यक्ष कर संग्रह के मुकाबले बकाया मांग का विवरण						
						(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह	पिछले वर्ष की मांग का बकाया	चालू वर्ष की मांग का बकाया	कुल बकाया मांग	आयकर विभाग ने मांग को वसूली अयोग्य बताया	मांग का प्रतिशत कुल मांग से वसूली अयोग्य
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	8,49,713	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725	98.57
2017-18	10,02,738	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19
2018-19	11,37,718	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	98.82
2019-20	10,50,681	11,25,314	4,93,640	16,18,954	15,80,220	97.61
2020-21	9,47,176	14,63,126	31,166	14,94,292	14,68,013	98.24
2021-22	14,12,422	14,16,809	5,18,629	19,35,438	18,84,120	97.35

स्रोत: कॉलम 2 के लिए आयकर विभाग की समय श्रृंखला डेटा और [आयकर निदेशालय (संगठन और प्रबंधन सेवाएं), मांग और संग्रह प्रतिवेदन (सीएपी-1)] कॉलम 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए

सीएजी की 2011 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 23 में भी यह दर्शाया गया था कि ₹ 1,96,092.07 करोड़ की बकाया मांग में से ₹ 1,65,337.42 करोड़ (84.3 प्रतिशत) को आयकर विभाग ने वसूली योग्य नहीं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

1. प्रगतिशील कर नीति और बेहतर कर अनुपालन के साथ प्रभावी कर प्रशासन प्राप्त करने के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में, सीबीडीटी प्रत्येक वर्ष एक केंद्रीय कार्य योजना तैयार करता है, जिसमें बकाया मांग में कमी के लिए अपने क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नकद संग्रह के लक्ष्य सहित बकाया मांग में कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य, सीबीडीटी द्वारा 2017-18 में पेश किया गया था। 2016-17 तक, सीबीडीटी ने केवल 'नकद संग्रह' के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 और 2022-23 के लिए बकाया मांग में कमी के लिए वर्ष-वार लक्ष्य नीचे तालिका 3.2 में सूचीबद्ध हैं:

तालिका 3.2: निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का विवरण			
(₹ करोड़ में)			
वर्ष	केंद्रीय कार्य योजना के अनुसार कुल मांग	बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	लक्ष्य प्रतिशत
2017-18	10,52,085	4,20,834	40%
2018-19	11,22,750	4,49,100	40%
2019-20	12,77,644	5,11,058	40%
2020-21	--	--	--
2021-22	--	--	--
2022-23	19,35,377	7,74,152	40%

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना
 नोट: बकाया मांग में कमी के संबंध में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं था।

2. 'कर मांग के बकाया की वसूली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा (सीएजी की वर्ष 2011 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 23) में मांग वसूली प्रणाली में कुछ कमियों की ओर इशारा किया गया था, तथा बकाया मांग के विशाल लंबितपन को कम करने के लिए सिफारिशों की गई थीं। बकाया मांग के विशाल संचय के कारणों का निर्धारण करने तथा यह सत्यापित करने के लिए कि क्या आयकर विभाग ने बकाया मांग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय किए हैं, मौजूदा मांग वसूली प्रणाली की समीक्षा करने के लिए यह लेखापरीक्षा की गई थी।

3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

एसएससीए करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है:

1. क्या केन्द्रीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां पर्याप्त हैं तथा आयकर विभाग के "विजन 2020" दस्तावेज के अनुरूप हैं?³⁴
2. क्या बकाया मांग को उचित रूप से तैयार किया गया है और हितधारकों को सूचित किया गया है तथा बकाया मांग की भारी मात्रा के कारणों का पता लगाने और इसकी मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कार्य किया गया है?
3. क्या आयकर विभाग ने कर मांग के बकाया की शीघ्र वसूली के लिए अधिनियम, नियमों और सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार सभी संभव कार्रवाई की है?
4. क्या मांग उठाए जाने के बाद बकाया राशि की वसूली पर नजर रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है?

3.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

एसएससीए का उद्देश्य निम्नलिखित को कवर करना था:

- (i) 31 मार्च 2020 तक बकाया मांग जो लेखापरीक्षा प्रारंभ होने की तिथि अर्थात् नवंबर 2020 तक वसूली के लिए लंबित है [लेखापरीक्षा नमूने का स्तर 2(i) जैसा कि निम्नलिखित पैरा 3.4 में चर्चा की गई है]।
- (ii) ऐसे मामले जिनके विरुद्ध बकाया मांग 01 अप्रैल 2020 से संग्रहण या बाद के आदेशों के कारण बंद या रद्द कर दी गई है [लेखापरीक्षा नमूने का स्तर 2 (ii)]।
- (iii) 31 मार्च 2021 तक की अवधि को कवर करने वाले प्रत्येक क्षेत्र में बकाया मांग के उच्च मूल्य वाले निर्धारिती।

³⁴ विजन 2020 दस्तावेज में आईटीडी के विज़न, मिशन और मूल्यों का वर्णन किया गया है। इसमें आईटीडी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और रणनीतिक योजना अवधि 2011-15 के दौरान इन चुनौतियों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न अवसरों का विश्लेषण किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा नमूना

लेखापरीक्षा नवंबर 2020 में शुरू हुई और पूरे भारत में 279 निर्धारण इकाइयों और 74 टीआरओ इकाइयों का चयन किया गया। इसके बाद जनवरी 2023 तक 160 उच्च-बकाया मांग वाले पूरे भारत के निर्धारिती को कवर करते हुए एक पूरक लेखापरीक्षा भी की गई।

नमूना मामलों के चयन के लिए³⁵, लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी से पूरे भारत के निर्धारिती का विवरण मांगा था, जिनकी मांग 31 मार्च 2020 तक लंबित थी, भले ही मांग उठाने की तिथि कुछ भी हो। सीबीडीटी ने बार-बार अनुरोध के बावजूद अपेक्षित डेटा उपलब्ध नहीं कराया। सीबीडीटी से डेटा का अभी भी अपेक्षित है (मार्च 2024)। इन विवरणों के बिना, लेखापरीक्षा जोखिम विश्लेषण के बाद केंद्रीय रूप से मामलों का चयन नहीं कर पाया और उसे मामलों की रूपरेखा तैयार करनी पड़ी, अपने दृष्टिकोण को संशोधित करना पड़ा, तथा दो-स्तरीय नमूनाकरण तकनीक को अपनाना पड़ा।

सबसे पहले स्तर 1 पर, निर्धारण इकाइयों और संबंधित टीआरओ का चयन किया गया।³⁶ दूसरे, स्तर 2 पर, चयनित इकाइयों के अंदर मामलों का चयन किया गया। स्तर 1 पर, 22 सितंबर 2017 तक लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध इकाई-वार बकाया मांग के आंकड़ों का उपयोग करके निर्धारण इकाइयों का चयन किया गया। स्तर 2 पर, चयनित निर्धारण इकाइयों और टीआरओ के अंदर व्यक्तिगत मामलों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा के प्रारंभ में (नवंबर 2020 से), 31 मार्च 2020 तक की कुछ बकाया मांगों को बीच की अवधि के दौरान आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए संशोधन या सुधार आदेशों की वजह से मांग में संग्रह या कमी के कारण बंद कर दिया गया था। कुल बकाया मांग के आधार पर प्रत्येक राज्य/क्षेत्र में निर्धारण इकाइयों और टीआरओ का अलग-अलग चयन किया गया। इकाइयों के भीतर व्यक्तिगत निर्धारिती का चयन केस-वार बकाया राशि के आधार पर किया गया। उन मामलों का चयन जहां लेखापरीक्षा की तारीख तक बकाया मांग लंबित थी, उन्हें लेवल 2(i) माना गया और बंद किए गए मामलों का चयन लेवल 2(ii) माना गया।

³⁵ मामलों में धारा 143(1) के अंतर्गत प्रसंस्करण, निर्धारण, सुधार, संशोधन, अन्य आदेश आदि के संबंध में विभिन्न चरणों में लंबित मांगें शामिल हैं।

³⁶ लेखापरीक्षा द्वारा चयनित निर्धारण इकाइयों के रूप में उसी पीसीआईटी के अंतर्गत टीआरओ तैनात किए जाते हैं।

इकाइयों और मामलों के चयन के लिए लेखापरीक्षा मानदंड **परिशिष्ट 4** में दिए गए हैं। स्तर-1 पर चयनित क्षेत्रवार निर्धारण इकाइयों और टीआरओ इकाइयों का विवरण **परिशिष्ट 5** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2020 तक बकाया मांग का निर्धारिती-वार डेटा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था (नवंबर 2020)। चयनित निर्धारण इकाइयों के दो एओ ने³⁷ कहा कि आईटीबीए अत्यधिक गतिशील है और मांग विवरण अद्यतन किए जाते हैं, जब भी परिवर्धन/ कमी/ संग्रह के संबंध में परिवर्तन होते हैं और यह एक बीत चुकी तारीख (अतीत की एक विशेष तारीख) पर मांग की स्थिति या डेटा को पुनः प्राप्त करने का समर्थन नहीं करता है। इसलिए, एओ डेटा निकालने के दिन केवल सक्रिय मामलों की सूची तैयार करने में सक्षम थे। यह भी कहा गया कि बंद या रद्द/ निपटाए गए मामलों की पूरी सूची भी आईटीबीए या ई-फाइलिंग या सीपीसी-एओ पोर्टलों से तैयार करने के लिए उपलब्ध नहीं थी।

चूँकि मांगी गई जानकारी (31 मार्च 2020 तक बकाया मांग का निर्धारिती - वार डेटा) आईटीबीए या ई-फाइलिंग या सीपीसी-एओ पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा ने 279 सैंपल निर्धारण इकाइयों से संबन्धित 21,58,443 मामले, जो 31 मार्च 2020 तक लंबित थे, एओ द्वारा उपलब्ध कराये गए ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा (नवंबर/दिसंबर 2020) से निकाले। ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा से, निर्धारण अधिकारियों और टीआरओ से व्यक्तिगत अभिलेख मांगे गए, और लेखापरीक्षा जांच के अधीन किए गए।

31 मार्च 2020 तक पूरे भारत में कुल बकाया मांग ₹ 16,18,954 करोड़³⁸ थी। इस एसएससीए के लिए, लेखापरीक्षा ने 279 मूल्यांकन इकाइयों³⁹ और 74 टीआरओ इकाइयों का चयन किया (जैसा कि **परिशिष्ट 5** में दिखाया गया है)। ₹ 8,49,931 करोड़⁴⁰ की कुल बकाया मांग के साथ 12,73,180 निर्धारितियों के संबंध में इन चयनित इकाइयों के अंतर्गत मामलों की कुल संख्या 21,58,443 थी, जो अखिल भारतीय स्तर पर कुल बकाया मांग का 52.50 प्रतिशत है।

³⁷ डीसीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल 3(1), चेन्नई और एसीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), कोच्चि।

³⁸ स्रोत: डीआईटी (ओ एंड एम) सेवाएं

³⁹ चयनित 279 इकाइयों में से तमिलनाडु क्षेत्र की नौ इकाइयों से रिकार्ड नहीं मांगे गए थे।

⁴⁰ ई-फाइलिंग पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 279 सैंपल इकाइयों के मामले में 21,58,443 मामले थे, जिनमें ₹ 8,49,931 करोड़ की बकाया मांग थी। प्रतिलिपि प्रविष्टियों को हटाने के बाद, ₹ 8,26,157 करोड़ के ओएसडी वाले 20,85,715 मामले बचे।

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

आयकर विभाग के 17 क्षेत्रों से लेखापरीक्षा जांच के लिए कुल 18,870 मामले मांगे गए (नागपुर और पुणे क्षेत्रों से अभिलेख नहीं मांगे गए)। लेखापरीक्षा जांच के लिए प्रस्तुत कुल 10,896 मामलों में 160 उच्च बकाया मांग (लंबित बकाया मांग के संदर्भ में) निर्धारिती के 1,279 मामले (प्रत्येक क्षेत्र से पांच से पंद्रह निर्धारिती को चुना गया, जिनकी कुल बकाया मांग संबंधित क्षेत्र में सबसे अधिक थी) शामिल हैं। 10,896 मामलों की कुल बकाया मांग ₹5,92,371 करोड़ थी। बकाया मांगों के क्षेत्रवार और राशिवार उच्च बकाया मांग वाले मामलों का विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: क्षेत्रवार एवं राशिवार शीर्ष 160 निर्धारिती													
													(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	पीसीसी आईटी/ क्षेत्र	₹ 100 करोड़ से कम		₹ 100 से 1000 करोड़		₹ 1000 से 10,000 करोड़ तक		₹ 10,000 से 1 लाख करोड़ तक		₹ 1 लाख करोड़ से अधिक		कुल	
		निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग	निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग	निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग	निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग	निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग	निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग
1	मुंबई	-	-	-	-	12	27,153	2	1,11,751	1	1,37,563	15	2,76,467
2	दिल्ली	-	-	-	-	10	30,750	2	47,311	-	-	12	78,061
3	ब्याज कर, दिल्ली	-	-	-	-	2	7,761	1	14,423	-	-	3	22,184
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	-	-	10	5,018	5	20,274	-	-	-	-	15	25,292
5	बंगलुरु	-	-	8	5,492	7	18,261	-	-	-	-	15	23,753
6	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	-	-	6	3,233	4	12,693	-	-	-	-	10	15,926
7	गुजरात	-	-	5	3,717	5	12,439	-	-	-	-	10	16,156
8	तमिलनाडु	-	-	10	6,291	5	11,712	-	-	-	-	15	18,003
9	भुवनेश्वर	-	-	5	1,370	-	-	-	-	-	-	5	1,370
10	केरल	-	-	5	950	-	-	-	-	-	-	5	950
11	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	01	97	9	2,172	-	-	-	-	-	-	10	2,269
12	बिहार और झारखंड	07	260	3	738	-	-	-	-	-	-	10	998
13	राजस्थान	02	144	3	625	-	-	-	-	-	-	5	769
14	उत्तर पूर्व क्षेत्र	02	135	3	597	-	-	-	-	-	-	5	732
15	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	08	543	2	415	-	-	-	-	-	-	10	958
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	05	36	-	-	-	-	-	-	-	-	5	36
17	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	10	128	-	-	-	-	-	-	-	-	10	128
	कुल योग	35	1343	69	30,618	50	1,41,043	05	1,73,485	1	1,37,563	160	4,84,052

160 उच्च बकाया मांग के मामलों में से लेखापरीक्षा ने ₹ 4,37,674 करोड़ की कुल बकाया मांग के साथ 947 निर्धारण अभिलेखों (अनुपूरक लेखापरीक्षा) की जांच की।

3.5 अभिलेख प्रस्तुत ना करना

लेखापरीक्षा ने 18,870 मामले (₹ 7,58,611 करोड़ की बकाया मांग के साथ) मांगे, जिनमें से आयकर विभाग ने 8,080 निर्धारिती से संबंधित 10,896 मामले प्रस्तुत किए, जिनका बकाया मांग ₹ 5,92,371 करोड़ था और जो चयनित इकाइयों की मांगों का 78.06 प्रतिशत था। आयकर विभाग ने 7,974 मामले (निर्धारिती की संख्या - 6,262, बकाया मांग ₹ 1,66,240 करोड़) जो कि 42.26 प्रतिशत है, प्रस्तुत नहीं किए। जिन मामलों को प्रस्तुत नहीं किया गया उनमें उच्च बकाया मांग वाली कंपनियां शामिल हैं, जैसे मेसर्स एम1 लिमिटेड (आठ निर्धारण वर्ष, मांग ₹ 6,641.40 करोड़), मेसर्स वी1 लिमिटेड (दो निर्धारण वर्ष, मांग ₹ 2,086.17 करोड़) और मेसर्स एच1 लिमिटेड (दो निर्धारण वर्ष, ₹ 2,336.74 करोड़), जैसा कि **परिशिष्ट 6** में विस्तृत है। लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारियों/ टीआरओ/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों के स्तर पर भी ब्यौरा⁴¹ 653 अनुलग्नकों⁴² के माध्यम से मांगा, जिनमें से आयकर विभाग ने 435 अनुलग्नकों (66.62 प्रतिशत) का जवाब नहीं दिया। लेखापरीक्षा के दौरान 2,156 लेखापरीक्षा टिप्पणियां/लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए। आयकर विभाग ने 1,746 लेखापरीक्षा टिप्पणियों/प्रश्नों (80.98 प्रतिशत) का जवाब नहीं दिया। मार्च 2023 तक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने का क्षेत्रवार विवरण **परिशिष्ट 7** में दर्शाया गया है।

3.6 बाधाएं

1. कोविड-19 महामारी के कारण, लेखापरीक्षा कवरेज उन स्थानों पर स्थित निर्धारण इकाइयों तक सीमित थी जहाँ लेखापरीक्षा कार्यालय स्थित थे।
2. प्रासंगिक अभिलेखों की प्रस्तुति धीमी थी और कुछ स्टेशनों पर अभिलेखों की बड़ी मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई।

⁴¹ नमूना इकाइयों के संबंध में 18 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा एओ (1 अनुलग्नक), टीआरओ (3 अनुलग्नक) और प्रधान सीसीआईटी (13 अनुलग्नक) से प्राप्त जानकारी।

⁴² प्रधान सीसीआईटी/प्रधान सीएसआईटी/एओ स्तर पर सभी क्षेत्रों में जारी अनुलग्नकों की कुल संख्या।

3. सीबीडीटी द्वारा 31 मार्च 2018, 2019 और 2020 तक बकाया मांगों पर डेटा प्रस्तुत न किए जाने के कारण, इकाइयों का चयन लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध डेटा (सितंबर 2017 तक) से किया गया, जिससे लेखापरीक्षा का दायरा प्रभावित हुआ क्योंकि इकाइयों/ मामले के विवरण का केंद्रीय रूप से चयन नहीं किया जा सका।
4. सीएपी-1 विवरण के लिए विस्तृत डेटा मांगा गया था, लेकिन सीबीडीटी और जेएओ द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा की तिथि तक ई-फाइलिंग पोर्टल से निकाले गए डेटा को प्राप्त किया। सीएपी के लिए विस्तृत डेटा के अभाव में, लेखापरीक्षा सीएपी-1 विवरण के स्रोतों को मान्य नहीं कर सका।
5. बार-बार याद दिलाने के बावजूद डीआईटी (वसूली), नई दिल्ली द्वारा आयु-वार, मौद्रिक-वार और श्रेणी-वार बकाया मांग का सांख्यिकीय डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया। जवाब में, यह कहा गया (नवंबर 2021) कि उनकी क्षेत्रीय इकाइयों से जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।
6. आयकर विभाग के पुनर्गठन (अगस्त 2020) के परिणामस्वरूप कई निर्धारण इकाइयों का एक इकाई (सर्किल/वार्ड) में विलय हो गया। यद्यपि इकाइयों का विलय हो गया था, फिर भी कई मामलों में फाइलों/अभिलेखों का भौतिक हस्तांतरण अभी भी लंबित था, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
7. आयकर विभाग ने 31 मार्च 2020 के बाद भुगतान या मांग में कमी/हटाने के आधार पर बंद किए गए मामलों पर डेटा उपलब्ध नहीं कराया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा उन कारणों की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सकी जिस की वजह से ये मामले बंद किए गए थे।
8. नमूनों में संक्षिप्त निर्धारण अर्थात् सीपीसी-आईटीआर बेंगलुरु द्वारा धारा 143(1) के तहत संसाधित मामले शामिल थे। निर्धारण अधिकारी के पास आयकर रिटर्न, धारा 143(1) के तहत सूचना आदि जैसे दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण कई मामलों का लेखा-परीक्षण नहीं किया जा सका।

3.7 प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना

मई 2023 में सीबीडीटी के सदस्य (एएंडजे) और अन्य अधिकारियों के साथ एक एक्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पहले लेखापरीक्षा के दौरान, इस एसएससीए के लिए एंट्री और एक्जिट कॉन्फ्रेंस आयकर विभाग के संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों (प्रधान सीसीआईटी) के साथ भाग लेने वाले फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आयोजित की गई थी।

3.8 आभार

लेखापरीक्षा आयकर विभाग द्वारा निर्धारण अभिलेख उपलब्ध कराने तथा इस एसएससीए के संचालन में सुविधा प्रदान करने के लिए दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी के कारण कठिन परिस्थितियों में भी अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने में अपना सहयोग दिया। उनके सहयोग के बिना, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना संभव नहीं होता।

अध्याय 4 डेटा विश्लेषण और रूपरेखा

इस अध्याय में बकाया मांग के सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों, बकाया मांग का आयु-वार विवरण, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रत्यक्ष करों के संबंध में बकाया मांग, क्षेत्रवार बकाया मांग, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बकाया मांग, निर्धारण प्रकारवार बकाया मांग, चयनित मामलों में बकाया मांग का आयु-वार विश्लेषण, चयनित मामलों में स्थिति-वार बकाया मांग, मौद्रिक स्लैब-वार बकाया मांग आदि का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 279 चयनित निर्धारण इकाइयों के संबंध में कुल बकाया मांग ₹8,49,931 करोड़ थी, जिसमें 21,58,443 मामले शामिल थे।

बकाया मांग की रूपरेखा और विश्लेषण के लिए, विस्तृत और समग्र दोनों तरह के डेटा का रखरखाव आवश्यक है। बकाया मांग में कमी के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले आयकर विभाग के प्रदर्शन को समझने के लिए, अवधि के दौरान बकाया मांग का प्रवृत्ति विश्लेषण, आयु-वार, स्थिति-वार और राशि-वार भी महत्वपूर्ण था। लेखापरीक्षा ने बजट दस्तावेजों से बकाया मांग की रूपरेखा तैयार करने और चयनित 279 इकाइयों से प्राप्त बकाया मांग के डेटा का विश्लेषण करने का प्रयास किया। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में प्रस्तुत किए गए हैं।

4.1 सम्पूर्ण भारत के बकाया मांग का विवरण

संसद में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला बजट दस्तावेज, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष करों की बकाया मांग, अर्थात् बढ़ोतरी किये गए परंतु वसूल नहीं हुए राजस्व का विवरण प्रदान करता है।

4.1.1 वर्षवार एवं श्रेणीवार बकाया मांग:

वित्त मंत्रालय अनुलग्नक-5 के तहत 'बढ़ोतरी लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व' के अंतर्गत प्राप्ति बजट के माध्यम से बकाया मांग का विवरण प्रदान करता है और इसे विवादित और निर्विवाद में वर्गीकृत करता है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार बकाया मांग नीचे तालिका 4.1 में दी गई है:

तालिका 4.1: वर्षवार एवं श्रेणीवार बकाया मांग					
निर्धारण वर्ष	विवादित मांग		निर्विवाद मांग		कुल बकाया मांग (₹ करोड़ में)
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया मांग का प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया मांग का प्रतिशत	
2015-16	5,77,725	88	81,406	12	6,59,131
2016-17	6,10,390	83	1,20,656	17	7,31,046
2017-18	6,23,539	85	1,08,751	15	7,32,290
2018-19	8,02,621	85	1,38,471	15	9,41,092
2019-20	8,83,875	79	2,39,806	21	11,23,681
2020-21	10,57,639	73	3,83,616	27	14,41,255
2021-22	10,36,346	75	3,54,305	25	13,90,651

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2023-24 के लिए भारत सरकार का प्राप्त बजट।

उपरोक्त तालिका 4.1 से देखा जा सकता है कि कुल बकाया मांग के अनुरूप विवादित मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। विवादित मांग वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 5.78 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 10.36 लाख करोड़ हो गई, यानी सात वर्षों की अवधि में 79.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में कुल बकाया मांग का 75 प्रतिशत विवादित था और अविवादित मांग केवल 25 प्रतिशत थी।

4.1.2 बकाया मांग का आयु-वार और श्रेणी-वार विवरण

31 मार्च 2022 तक आयु-वार और श्रेणी-वार बकाया मांग का लेखापरीक्षा विश्लेषण नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है:


तालिका 4.2: बकाया मांग का आयुवार विवरण - 31 मार्च 2022 को					
अवधि	मांग पर विवाद (₹ करोड़ में)	कुल का प्रतिशत	मांग पर कोई विवाद नहीं (₹ करोड़ में)	कुल का प्रतिशत	कुल (₹ करोड़ में)
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम	6,58,925	76	2,09,576	24	8,68,501
2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	3,15,879	71	1,28,662	29	4,44,541
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम	35,237	80	8,784	20	44,021
10 वर्ष से अधिक	26,304	78	7,283	22	33,587

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार का प्राप्त बजट

उपरोक्त तालिका 4.2 से देखा जा सकता है कि विवादित और निर्विवाद मांग का अनुपात सभी अवधि श्रेणियों में लगभग एक समान रहा है, अर्थात् 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम; 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम; 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम; तथा 10 वर्ष से अधिक। जबकि विवादित मांगों, जिन्हें मुकदमेबाजी और विभिन्न चरणों में अदालतों में मामलों के लंबित रहने के कारण लंबित रहीं, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल ₹ 3.54 लाख करोड़ की निर्विवाद मांगें भी एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, जो कुल बकाया मांग का 26.48 प्रतिशत से अधिक है। प्राप्ति बजट के अनुसार, विवाद श्रेणी के तहत मांग की गैर-संग्रहणता के प्रमुख कारण हैं, निर्धारिती के पास वसूली के लिए कोई संपत्ति नहीं होना या अपर्याप्त संपत्ति होना, निर्धारिती का पता नहीं चल पाना आदि।

4.1.3 सकल घरेलू उत्पाद और प्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में बकाया मांग

लेखापरीक्षा ने सकल घरेलू उत्पाद, प्रत्यक्ष कर संग्रह और बकाया मांग से संबंधित वर्षवार आंकड़ों की तुलना की, जो नीचे चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:



स्रोत: बकाया मांग के लिए भारत सरकार का प्राप्ति बजट; जीडीपी एवं प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए आयकर विभाग का समय श्रृंखला डेटा। *प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार (अनंतिम आंकड़े); अनंतिम वर्ष 2022-23 के लिए बकाया मांग पर डेटा उपलब्ध नहीं है।


यह देखा जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले बकाया मांग 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान 4.76 प्रतिशत से बढ़कर 5.88 प्रतिशत हो गई। संचित बकाया मांग वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2021-22 में से प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह के 70 प्रतिशत से अधिक थी; और संचित बकाया मांग वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह से भी अधिक थी।

4.1.4 क्षेत्रवार बकाया मांग

बकाया मांग का क्षेत्रवार हिस्सा देखने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2022 तक संबंधित क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण से बकाया मांगों पर डेटा एकत्र किया, जो नीचे चार्ट 4.2 में दिखाया गया है:

चार्ट 4.2: 31 मार्च 2022 तक बकाया मांग का क्षेत्रवार विश्लेषण
(₹ करोड़ में)

कुल बकाया मांग ₹ 17,90,159 करोड़



स्रोत: सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण 2021-22


*अन्य में 3 प्रधान सीसीआईटी-एनईआर, नागपुर

और भुवनेश्वर शामिल हैं; प्रधान सीसीआईटी-एनडब्ल्यूआर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि डेटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था

उपरोक्त चार्ट 4.2 से देखा जा सकता है कि मुंबई क्षेत्र में बकाया मांग का हिस्सा सबसे अधिक, जो कि कुल बकाया मांग का 32 प्रतिशत था। इस क्रम में इसके बाद दिल्ली क्षेत्र (20 प्रतिशत), अंतर्राष्ट्रीय कराधान (7 प्रतिशत) सर्किल/वार्ड जिसमें एनआरआई और विदेशी कंपनियों के निर्धारित आते हैं तथा गुजरात क्षेत्र (7 प्रतिशत) का स्थान है।


4.1.5 प्रत्यक्ष कर की बकाया मांग बनाम अप्रत्यक्ष कर की बकाया मांग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह और अप्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में संग्रहित राशि लगभग समान है। लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष करों की बकाया मांग की तुलना कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह से और अप्रत्यक्ष करों की बकाया मांग की तुलना कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह से की। प्रत्यक्ष करों की संचित बकाया मांग की तुलना में वर्ष-वार प्रत्यक्ष कर संग्रह और वर्ष-वार अप्रत्यक्ष कर की संचित बकाया मांग की तुलना में वर्ष-वार अप्रत्यक्ष कर संग्रह नीचे चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है।



स्रोत: कर संग्रह के लिए आयकर विभाग का समय श्रृंखला डेटा; बकाया मांग के लिए भारत सरकार का प्राप्त बजट

प्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में प्रत्यक्ष करों की संचित बकाया मांग का वर्षवार प्रतिशत और अप्रत्यक्ष कर संग्रह की तुलना में अप्रत्यक्ष करों की संचित बकाया मांग का वर्षवार प्रतिशत नीचे चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है:



स्रोत: कर संग्रह के लिए आयकर विभाग का समय श्रृंखला डेटा; बकाया मांग के लिए भारत सरकार का प्राप्त बजट

उपरोक्त चार्ट 4.3 और चार्ट 4.4 से देखा जा सकता है कि प्रत्येक वित्त वर्ष (2016-17 से 2020-21) में प्रत्यक्ष करों की संचित बकाया मांग का प्रतिशत उस वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह (86 प्रतिशत से 152 प्रतिशत) से प्रत्येक वित्त वर्ष (2016-17 से 2020-21) में अप्रत्यक्ष करों की संचित बकाया मांग की तुलना वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह के मुकाबले (16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) अधिक थी।


4.2 लेखापरीक्षा नमूने के अंतर्गत आने वाले मामलों की रूपरेखा

लेखापरीक्षा ने राशि-वार, निर्धारण-वार, निर्धारिती -वार स्थिति, आयु-वार बकाया मांग आदि के संबंध में नमूना मामलों का विश्लेषण किया। परिणाम आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

4.2.1 बकाया मांग की राशिवार रूप रेखा

लेखापरीक्षा ने 279 निर्धारण इकाइयों और 74 टीआरओ इकाइयों में नमूने के रूप में 18,870 मामलों का चयन किया (इस प्रतिवेदन के 'पैरा 3.4 - लेखापरीक्षा नमूना' का संदर्भ लें)। पूरे भारत में बकाया मांग राशि (31 मार्च 2020 तक)

की तुलना, नमूना मामलों, शीर्ष 160 उच्च-मूल्य वाले नमूना निर्धारिती, शीर्ष 10 नमूना कॉर्पोरेट निर्धारितियों, व्यक्तियों आदि के संबंध में बकाया मांगों के साथ निम्नलिखित चार्ट 4.5 में दर्शाई गई है।



स्रोत : ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा


उपरोक्त चार्ट 4.5 से देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा में कुल बकाया मांग का 47 प्रतिशत कवर किया गया, जिसमें बकाया मांग के 30 प्रतिशत के साथ शीर्ष 160 निर्धारिती शामिल थे; कुल बकाया मांग का 28 प्रतिशत; ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की बकाया मांग वाले; तथा शीर्ष 10 निर्धारिती गैर कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट दोनों की बकाया मांग वाले हैं।

4.2.2 लेखापरीक्षा नमूने का निर्धारण प्रकारवार रूपरेखा

नमूना मामलों के संबंध में बकाया मांग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि संक्षिप्त प्रसंस्करण, संवीक्षा निर्धारण, निर्धारण में संशोधन, निर्धारण में सुधार, जुर्माना लगाने, ब्याज लगाने आदि के परिणामस्वरूप मांगें उठाई गईं। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित चार्ट 4.6 में दिखाए गए हैं:

चार्ट 4.6: निर्धारण प्रकारवार बकाया मांग – मार्च 2020 में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मामलों की संख्या दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)



स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

* अन्य लोग ब्याज, अन्य प्रत्यक्ष कर आदि के मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।


उपरोक्त चार्ट 4.6 से देखा जा सकता है कि संवीक्षा निर्धारण में नमूना मामलों का 49.4 प्रतिशत शामिल था, जिसमें नमूना बकाया मांग का 53.3 प्रतिशत शामिल था, और अपील मामलों में नमूना मामलों का 2.9 प्रतिशत शामिल था, जिसमें कुल बकाया मांग का 18.4 प्रतिशत शामिल था।

4.2.3 लेखापरीक्षा नमूने की निर्धारिती की स्थिति-वार रूपरेखा

लेखापरीक्षा ने उन निर्धारितियों के प्रकार के संबंध में नमूना मामलों का विश्लेषण किया जिनके विरुद्ध मांगें उठाई गई थीं। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित चार्ट 4.7 में दिखाए गए हैं:

चार्ट 4.7: करदाता की स्थिति के अनुसार बकाया मांग
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मामलों की संख्या दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)




* अन्य में एचयूएफ, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और सरकार शामिल हैं

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

उपरोक्त चार्ट 4.7 से देखा जा सकता है कि नमूना मामलों में कॉर्पोरेट निर्धारिती की संख्या सबसे अधिक 56.9 प्रतिशत थी, जिसमें नमूना बकाया मांग का 50.5 प्रतिशत शामिल था, इसके बाद व्यक्तियों की संख्या 29.7 प्रतिशत थी, जिसमें कुल बकाया मांग का 41.37 प्रतिशत शामिल था।

4.2.4 क्षेत्रवार नमूना मामले

नमूना मामलों के क्षेत्रवार और राशिवार वितरण को देखने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के परिणाम नीचे चार्ट 4.8 में दर्शाए गए हैं:



स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

उपरोक्त चार्ट 4.8 से देखा जा सकता है कि बकाया मांग के सबसे अधिक मामले जो कि 3,198 है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्र (16.9 प्रतिशत) में थे, उसके बाद दिल्ली क्षेत्र में 3,008 (15.9 प्रतिशत) और मुंबई क्षेत्र में 2,218 (11.8 प्रतिशत) का स्थान था। बकाया मांग के मामले में, बकाया मांग की सबसे अधिक राशि मुंबई क्षेत्र में जो कि ₹ 3,34,331 करोड़ है, (44.1 प्रतिशत)

में थी, उसके बाद दिल्ली क्षेत्र ₹ 1,51,185 करोड़ (19.9 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्र ₹ 59,366 करोड़ (7.8 प्रतिशत) का स्थान था।

4.2.5 नमूना मामलों के लिए बकाया मांग का आयु-वार विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों के संबंध में आयु-वार बकाया मांग का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण को करने के लिए, लेखापरीक्षा ने उन मांगों पर विचार किया, जो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 तक बकाया थी। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम नीचे तालिका 4.3 में दिए गए हैं :

तालिका 4.3: बकाया मांग का आयु-वार विश्लेषण										
										(₹ करोड़ में)
अवधि	31 मार्च 2018 तक		31 मार्च 2019 तक		31 मार्च 2020 तक		मार्च 2018 और मार्च 2020 से वृद्धि		मार्च 2018 और मार्च 2020 से प्रतिशत वृद्धि	
	मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि
एक वर्ष से कम	1,642	1,11,418.6	2,695	1,39,513.1	5,925	2,33,874.8	4,283	1,22,456.2	260.8	109.9
1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम	4,899	94,995.1	5,835	1,95,397.2	6,899	3,10,297.4	2,000	2,15,302.3	40.8	226.7
5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम	2,556	1,57,371.6	2,992	87,496.6	4,207	97,909.5	1,651	-59,462.1	64.6	-37.8
10 वर्ष से अधिक	765	19,384.2	1,035	1,00,275.9	1,451	1,14,475.8	686	95,091.5	89.7	490.6
कुल	9,862	3,83,169.5	12,557	5,22,682.8	18,482*	7,56,557.5	8,620	3,73,387.9	87.4	97.5

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा
 *लेखापरीक्षा ने नमूना लिए गए 18,870 मामलों में से 18,482 मामलों का विश्लेषण किया, क्योंकि शेष 388 मामलों के लिए उठाई गई मांग की तारीख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपरोक्त तालिका 4.3 से देखा जा सकता है कि मार्च 2018 से मार्च 2020 तक बकाया मांग की राशि में 97.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसमें शामिल मामलों की संख्या में 87.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान, बकाया मांग की राशि के संदर्भ में, सबसे अधिक वृद्धि (490.6 प्रतिशत) '10 वर्षों से अधिक' से संबंधित मांग की श्रेणी में थी, जबकि, बकाया मांग के मामलों की संख्या के संदर्भ में, सबसे अधिक वृद्धि (260.8 प्रतिशत) 'एक वर्ष तक' संबंधित

मांग की श्रेणी में थी। 5 साल या उससे अधिक और 10 साल से कम समय से लंबित मांग की श्रेणी में, मामलों की संख्या में वृद्धि हुई (64.6 प्रतिशत) भले ही बकाया मांग की राशि में कमी आई (37.8 प्रतिशत)।

4.2.6 बकाया मांग का आयु-वार और निर्धारिती प्रकार-वार विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों के संबंध में आयु-वार और निर्धारिती प्रकार-वार बकाया मांग का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण को करने के लिए, लेखापरीक्षा ने उन मांगों पर विचार किया, जो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 तक बकाया थी। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम नीचे तालिका 4.4 में दिए गए हैं:

तालिका 4.4: आयु-वार और निर्धारिती के प्रकार के अनुसार बकाया मांग										
निर्धारिती का प्रकार	मार्च 2018 तक		मार्च 2019 तक		मार्च 2020 तक		मार्च 2018 से मार्च 2020 तक वृद्धि		मार्च 2018 और मार्च 2020 से प्रतिशत वृद्धि	
	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)
व्यक्ति	3,140	2,35,963.8	3,911	2,76,936.3	5,491	3,13,575.4	2,351	77,611.6	74.9	32.9
कंपनी	5,693	1,35,596.1	7,230	2,23,396.9	10,522	3,81,446.4	4,829	2,45,850.3	84.8	181.3
अटल	357	1,857.3	441	2,359.5	685	6,981.7	328	5,124.4	91.9	275.9
एओपी/बीओआई/न्यास	531	5,264.5	775	12,346.3	1,454	41,857.2	923	36,592.7	173.8	695.1
अन्य*	141	4,487.8	200	7,643.7	330	12,696.8	189	8,209.0	134.0	182.9
कुल	9,862	3,83,169.5	12,557	5,22,682.7	18,482 #	7,56,557.5	8,620	3,73,388.0	87.4	97.4

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा
 * अन्य एचयूएफ, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और सरकार शामिल हैं
 # लेखापरीक्षा ने नमूना लिए गए 18,870 मामलों में से 18,482 मामलों का विश्लेषण किया क्योंकि शेष 388 मामलों के लिए उठाई गई मांग की तारीख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपरोक्त तालिका 4.4 से देखा जा सकता है कि मार्च 2018 से मार्च 2020 तक एओपी/बीओआई/ट्रस्ट की बकाया मांग की राशि में सबसे अधिक वृद्धि 695.1 प्रतिशत रही, जबकि इसमें शामिल मामलों की संख्या में 173.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान, भले ही व्यक्तिगत निर्धारिती के संबंध में मामलों की संख्या में वृद्धि 74.9 प्रतिशत थी, बकाया मांग की राशि में वृद्धि 32.9 प्रतिशत थी, जबकि फर्म और कंपनी के संबंध में मामलों की संख्या में क्रमशः 91.9 प्रतिशत और 84.8 प्रतिशत की वृद्धि के माध्यम से, बकाया मांग की राशि में वृद्धि क्रमशः 275.9 प्रतिशत और 181.3 प्रतिशत थी।

4.2.7 बकाया मांग का राशि एवं आयुवार विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने नमूना मामलों के संबंध में आयु-वार बकाया मांग का विश्लेषण किया और इसे विभिन्न राशि श्रेणियों में विभाजित किया। इस विश्लेषण को करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 तक के बकाया मांग पर विचार किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणाम नीचे तालिका 4.5 में दिए गए हैं:

तालिका 4.5: बकाया मांग की राशि एवं आयु-वार विश्लेषण								
वर्ग	मार्च 2018 तक		मार्च 2019 तक		मार्च 2020 तक		मार्च 2018 से मार्च 2020 तक प्रतिशत में वृद्धि	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि
₹ 1 लाख से कम	3,044	4.7	3,500	5.4	4,310	6.6	41.6	42.3
₹ 1 लाख से अधिक तथा ₹ 10 लाख से कम	739	26.0	889	31.7	1,155	42.1	56.3	62.2
₹ 10 लाख और उससे अधिक तथा ₹ 1 करोड़ से कम	543	215.8	706	290.6	1,028	413.9	89.3	91.8
₹ 1 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 10 करोड़ से कम	2,456	8,010.1	3,353	10,823.1	5,424	17,101.9	120.8	113.5
₹ 10 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 25 करोड़ से कम	1,839	28,560.2	2,394	37,225.1	3,698	57,473.7	101.1	101.2
₹ 25 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 100 करोड़ से कम	939	41,686.5	1,259	56,584.7	2,076	94,418.2	121.1	126.5
₹ 100 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 500 करोड़ से कम	235	48,020.6	345	70,880.3	605	1,25,858.8	157.4	162.1
₹ 500 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 1,000 करोड़ से कम	39	27,138.6	49	34,610.0	96	68,100.4	146.2	150.9
₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 5,000 करोड़ से कम	16	38,327.8	46	83,993.5	69	1,26,917.2	331.3	231.1
₹ 5,000 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 10,000 करोड़ से कम	5	37,833.9	6	44,092.8	11	82,079.3	120.0	116.9
₹ 10,000 करोड़ और उससे अधिक	7	1,53,345.4	10	1,84,145.4	10	1,84,145.4	42.9	20.1
कुल	9,862	3,83,169.6	12,557	5,22,682.7	18,482	7,56,557.5	87.4	97.4

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल से चयनित इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा
 * लेखापरीक्षा ने नमूना लिए गए 18,870 मामलों में से 18,482 मामलों का विश्लेषण किया क्योंकि शेष 388 मामलों के लिए उठाई गई मांग की तारीख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपरोक्त तालिका 4.5 से देखा जा सकता है कि नमूना मामलों में से बकाया मांग के सबसे अधिक मामले उस श्रेणी में आते हैं जहां बकाया मांग '₹ 1 करोड़

और उससे अधिक तथा ₹ 10 करोड़ से कम' (29.3 प्रतिशत) थी, उसके बाद श्रेणी '₹ 1 लाख से कम' (23.3 प्रतिशत), उसके बाद श्रेणी '₹ 10 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 25 करोड़ से कम' (20.0 प्रतिशत), उसके बाद श्रेणी '₹ 25 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 100 करोड़ से कम' (11.2 प्रतिशत) थी। इसके अलावा, बकाया मांग की राशि के संदर्भ में, सबसे अधिक राशि '₹ 10,000 करोड़ और उससे अधिक' श्रेणी में थी, उसके बाद '₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 5,000 करोड़ से कम' श्रेणी थी, उसके बाद '₹ 100 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 500 करोड़ से कम' श्रेणी थी।

मार्च 2018 से मार्च 2020 तक नमूना मामलों में से मामलों की संख्या और बकाया मांग में सबसे अधिक वृद्धि '₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 5,000 करोड़ से कम' श्रेणी में देखी गई, इसके बाद श्रेणी '₹ 100 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 500 करोड़ से कम', उसके बाद श्रेणी '₹ 500 करोड़ और उससे अधिक तथा ₹ 1,000 करोड़ से कम' का स्थान रहा।

अनुशंसा 1:

उच्च जोखिम बनाम कम जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए डेटा का वर्गीकरण आवश्यक है। आयकर विभाग उच्च जोखिम वाले निर्धारिती की पहचान करने और उन्हें अलग करने के लिए ई-फाइलिंग/आईटीबीए से डेटा निकालने के लिए एक प्रणाली विकसित कर सकता है/प्रावधान सक्षम कर सकता है, जिससे निर्धारण अधिकारी/टीआरओ संग्रह प्रक्रिया में सतत प्रयास करने में सक्षम हो सकें।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (मई 2023) कि डोजियर प्रतिवेदन के माध्यम से मांग मामलों की अलग से निगरानी की जा रही है। डोजियर के लिए बकाया मांग की संशोधित सीमा प्रस्तुत की गई है और कहा गया है कि एक तंत्र मौजूद है, और पीआर डीजीआईटी (एडमिन एंड टीपीएस) के तहत वसूली निदेशालय उच्च मूल्य की मांग वाली डोजियर प्रतिवेदन की निगरानी और विश्लेषण करता है।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि डोजियर नियमित रूप से तैयार किए जा रहे हैं तथा बकाया मांग को कम करने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 5 बकाया मांग के उच्च राशि वाले मामलों का विश्लेषण

5.1 विहंगावलोकन

इस अध्याय में, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के 17 क्षेत्रों⁴³ में चयनित 279 निर्धारण इकाइयों में निर्धारण किए जा रहे 160 उच्च-बकाया मांग वाले निर्धारितीयों के 1,279 निर्धारण अभिलेखों के संबंध में बकाया मांग से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। इन 160 निर्धारितीयों को आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत ई-फाइलिंग डेटा से पांच से पंद्रह निर्धारितीय जिनकी बकाया मांग उस क्षेत्र में उच्चतम थी, को फ़िल्टर करने के बाद चयनित किया गया था। इन निर्धारितीयों के मामले में ₹ 4,84,052 करोड़ की मांग बकाया थी, जो 31 मार्च 2020 तक पूरे भारत में ₹ 16,18,954 करोड़ की कुल बकाया मांग का 29.94 प्रतिशत था। इन निर्धारितीयों, जिनके विरुद्ध बड़ी मात्रा में मांग लंबित थी, के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को इस अध्याय में अनुशंसा के साथ शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा ने आई.टी.डी. की प्रक्रियाओं के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है, जैसे प्रतिवेदन में गलतियाँ और बेमेल डेटा। क्योंकि विभिन्न प्रणालियों (ई-फाइलिंग पोर्टल, आईटीबीए/सीएपी-1 के बीच डेटा बेमेल होने एवं डोजियर प्रतिवेदन में निसंगतियां होने की वजह से बकाया मांगों के प्रतिवेदन में त्रुटियां पाई गई थी। इन अशुद्धियों के कारण मांग वसूली के अनुवर्ती कार्यों में कठिनाई हो सकती है और बकाया मांगों का गलत अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की सीबीडीटी की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उचित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान न करने के परिणामस्वरूप निर्धारितीयों के विरुद्ध गलत माँगें जारी की गईं, जिससे संभावित रूप से करदाता को उत्पीड़न सहन करना पड़ा और गलत बकाया माँगें सामने आईं।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारण को रद्द करने के बाद सिस्टम ने प्रभावी रूप से मांगों को निरस्त नहीं किया, जिसके

⁴³ पुणे और नागपुर सहित 19 क्षेत्र हैं, परंतु इन्हें कोविड-19 के कारण लेखापरीक्षा के लिए नहीं चुना गया था, क्योंकि लेखापरीक्षा कवरेज उन स्थानों पर स्थित इकाइयों तक ही सीमित थी जहां लेखापरीक्षा कार्यालय स्थित थे।

कारण गैर-मौजूद मांगों को बकाया आंकड़ों में शामिल किया गया। अद्यतन करने की यह कमी मांग की वर्तमान स्थिति को भी सटीक रूप से नहीं दर्शाती है। इसके अलावा, कस्टोडियन को भेजे गए मांग के प्रतिवेदन में त्रुटियां एवं ई-फाइलिंग सिस्टम बनाम आईटीबी के आंकड़ों में विसंगतियां ने वसूली के प्रयासों में बाधा डाली और बकाया मांगों में कमी के लिए सटीक लक्ष्य निर्धारित करना मुश्किल बना दिया। सिस्टम ने मांग को निरस्त करने की प्रक्रिया को नहीं समझा जब अपीलीय प्राधिकरण ने निर्धारण को रद्द कर दिया और नए सिरे से निर्धारण का आदेश दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने संपत्ति की अनंतिम कुर्की के बाद भी मांग वसूलने के लिए समय पर प्रभावी कदम नहीं उठाए। इसके अलावा, संपत्ति को कुर्क करने और उसका निपटान करने में अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करने में देरी के कारण भी मांग की वसूली नहीं हो पाई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि देनदारों, बैंक खातों/बैंक जमाओं आदि सहित परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त करने के संबंध में सीबीडीटी के निर्देश संख्या 1937, दिनांक 25 मार्च 1996 का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बकाया मांग का संचय हुआ और कर की शीघ्र वसूली के लिए उपरोक्त निर्देश का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कस्टोडियन को दी गई आंकड़ों की प्रतिवेदन और ई-फाइलिंग सिस्टम तथा आईटीबीए में दर्शाई गई बकाया मांग बेमेल थी, जिसके कारण मांगों की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई में कठिनाई हो सकती है तथा बकाया मांगों का गलत अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि बकाया मांग गलत है, तो बकाया मांग में कमी का लक्ष्य तय करना सीबीडीटी के लिए मुश्किल होगा तथा तय किया गया लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए आयकर विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में सुधार करना होगा, अपनी प्रणालियों को अद्यतन और समन्वित करना होगा, शिकायतों का शीघ्र समाधान करना होगा, निर्देशों और विनियमों का पालन करना होगा तथा मांग संग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी लानी होगी।

5.2 निर्धारिती के उच्च बकाया मांग वाले मामलों की प्रोफाइल और श्रेणी

हमने 279 निर्धारण इकाइयों का चयन किया, जिनमें 12,73,180 निर्धारिती से संबंधित ₹ 8,49,930 करोड़ की बकाया मांग शामिल थी। इन बकाया मांगों में से, ₹ 4,84,052.49 करोड़ की बकाया मांग वाले 160 निर्धारिती को इस एसएससीए में विस्तृत जांच के लिए चुना गया, जो कि उक्त चयनित इकाइयों में कुल बकाया मांगों का 58.59 प्रतिशत है। इन उच्च बकाया मांग वाले निर्धारिती का श्रेणी-वार विवरण नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1: 31 मार्च 2020 तक बकाया मांग वाले श्रेणीवार 160 निर्धारिती			
(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	श्रेणी	निर्धारिती की संख्या	बकाया मांग
1	कंपनी	101	1,85,338.24
2	व्यक्ति	31	2,83,601.56
3	एओपी/बीओआई/ट्रस्ट/एलए/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	21	14,802.27
4	फर्म	7	310.42
	कुल योग	160	4,84,052.49
स्रोत: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर विभाग का ई-फाइलिंग डेटा			

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 5.1 से स्पष्ट है, हालांकि, गैर-कॉर्पोरेट⁴⁴ निर्धारिती (59) की संख्या कॉर्पोरेट निर्धारिती से कम थी, फिर भी वे इन मांगों का 61.7 प्रतिशत हिस्सा थे, जबकि कॉर्पोरेट निर्धारिती (101) की संख्या इन बकाया मांगों का केवल 38.3 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 59 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती में से 31 व्यक्ति थे, जो ₹ 4,84,052.49 करोड़ की कुल बकाया मांग का 58.6 प्रतिशत थे। शीर्ष 10 कॉर्पोरेट निर्धारिती और गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती का विवरण क्रमशः तालिका 5.2 और 5.3 में नीचे दिया गया है:

5.2.1 शीर्ष 10 कॉर्पोरेट निर्धारिती का विवरण

उपरोक्त 101 कॉर्पोरेट निर्धारिती में से शीर्ष 10 कॉर्पोरेट निर्धारिती का विवरण नीचे दिया गया है:

⁴⁴ गैर-कॉर्पोरेट में व्यक्ति, फर्म और एओपी/बीओआई/ट्रस्ट/एलए/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं

तालिका 5.2: 31 मार्च 2020 तक शीर्ष 10 कॉर्पोरेट निर्धारिती			
			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का नाम	मार्च 2020 तक बकाया मांग
1	दिल्ली	मेसर्स एन1 लिमिटेड	23,837.90
2	दिल्ली	मेसर्स एस1 लिमिटेड	23,473.44
3	दिल्ली	मेसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड	14,423.50
4	पश्चिम बंगाल	मेसर्स आई1 लिमिटेड	8,030.40
5	तमिलनाडु	मेसर्स टी1 लिमिटेड	6,774.86
6	दिल्ली	मेसर्स एम1 लिमिटेड	6,641.40
7	कर्नाटक	मेसर्स आई2 प्राइवेट लिमिटेड	6,188.72
8	दिल्ली	मेसर्स एन2 लिमिटेड	4,892.17
9	मुंबई	मेसर्स जी1 लिमिटेड	4,820.69
10	दिल्ली	मेसर्स एस2 प्राइवेट लिमिटेड	4,389.52
		कुल	1,03,472.60
स्रोत : आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल का डेटा			

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 5.2 से स्पष्ट है, 101 कॉर्पोरेट निर्धारिती में से केवल शीर्ष 10 पर ₹ 1,03,472.60 करोड़ की बकाया मांग थी, जो इन कॉर्पोरेट निर्धारिती से संबंधित ₹ 1,85,338.24 करोड़ की बकाया मांग का 55.8 प्रतिशत है। इसके अलावा, बकाया मांग के मामले में इन शीर्ष 10 कॉर्पोरेट निर्धारिती में से छह निर्धारिती दिल्ली क्षेत्र के हैं, जिनकी बकाया मांग ₹ 77,657.93 करोड़ है।

5.2.2 शीर्ष 10 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती का विवरण

इसके अलावा, उपरोक्त 59 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती में से शीर्ष 10 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती का विवरण नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3: 31 मार्च 2020 तक शीर्ष 10 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती				
क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का नाम	श्रेणी	मार्च 2020 तक बकाया मांग (₹ करोड़ में)
1	मुंबई	एच2	व्यक्ति	1,37,563.50
2	मुंबई	सी3	व्यक्ति	82,959.40
3	मुंबई	एच3	व्यक्ति	28,791.38

तालिका 5.3: 31 मार्च 2020 तक शीर्ष 10 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती				
क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का नाम	श्रेणी	मार्च 2020 तक बकाया मांग (₹ करोड़ में)
4	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	एल1	व्यक्ति	7,572.70
5	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	एस3 लिमिटेड	एओपी	5,982.23
6	मुंबई	ए2	व्यक्ति	3,470.48
7	गुजरात	सी4	व्यक्ति	3,074.33
8	मुंबई	एम2	व्यक्ति	2,818.17
9	बेंगलुरु	पी1	व्यक्ति	2,810.36
10	गुजरात	एस4	एओपी	2,772.55
		कुल		2,77,815.10

स्रोत: आयकर विभाग का ई-फाइलिंग डेटा

उपरोक्त तालिका 5.3 से देखा जा सकता है कि 59 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती में से शीर्ष 10 निर्धारिती की बकाया मांग ₹ 2,77,815.10 करोड़ थी, जो इन गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती से संबंधित ₹ 2,98,714.25 करोड़ की बकाया मांग का 92 प्रतिशत थी। इसके अलावा, शीर्ष 10 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती में से पांच निर्धारिती मुंबई क्षेत्र के थे, जिनकी बकाया मांग ₹ 2,55,602.93 करोड़ थी। इसके अलावा, शीर्ष दो गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती की बकाया मांग ने इन शीर्ष 10 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारिती की बकाया मांग का 79.4 प्रतिशत थे।

5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने 157 (160 में से चयनित) निर्धारिती से संबंधित निर्धारण रिकार्डों की जांच की, जिनमें तीन निर्धारिती से संबंधित रिकार्ड यथा एम1 लिमिटेड (1994-95 से 2015-16 तक 08 मामले), वी1 लिमिटेड (02 मामले- 2010-11 और 2011-12) और एच1 लिमिटेड (01 मामला- 2011-12) तथा जिनका 11 निर्धारण वर्षों के लिए बकाया मांग ₹ 11,064.31 करोड़ थी, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। आयकर विभाग ने बताया कि ऐसे गैर-प्रस्तुतीकरण के कारणों में आयकर विभाग के पुनर्गठन के कारण पिछली इकाई से भौतिक फाइलों का हस्तांतरण न होना और परिसर में आग लगने जैसी घटना शामिल थीं, जिसमें कई अभिलेख नष्ट हो गए थे।

लेखापरीक्षा में कई मुद्दे पाए गए, जैसे बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन, ई-फाइलिंग पोर्टल, आईटीबीए और सीएपी-1 में उपलब्ध आंकड़ों का बेमेल होना, संपत्तियों को कुर्क करने में देरी और उनके निपटान में खामियां, एओ और टीआरओ के बीच समन्वय की कमी, डोजियर प्रतिवेदनों में विसंगतियां आदि। ऐसे 27 मामलों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.3.1 काफी समय बीत जाने के बाद भी शिकायत का समाधान नहीं होना

निर्धारिती : पी1

प्रभार: पीसीआईटी-1, बंगलुरु

एक व्यक्ति पी1, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, (डीआरडीओ) बंगलुरु, का एक वेतनभोगी कर्मचारी, के मामले में, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से देखा कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1988-89 से 2006-07 के लिए मार्च 2008 से दिसंबर 2008 तक की अवधि के दौरान और क्रमशः निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2012-13 के लिए जून 2009 और अप्रैल 2015 के दौरान निर्धारिती के खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 143(1), 154 और 271 (1) (सी) सहित विभिन्न धाराओं के तहत कुल ₹ 2,810.36 करोड़ की 40 मांगें जारी की। मांग का मिलान दिसंबर 2021 तक आईटीबीए पोर्टल के मांग विश्लेषण स्क्रीन से भी किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आयकर विभाग ने ₹ 2,810.36 करोड़ की इस बकाया मांग को 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत किया था।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से देखा कि निर्धारिती ने अपने पैन के खिलाफ गलत मांग से संबंधित अभ्यावेदन देते हुए शिकायत याचिकाएं लगाई थीं। यह देखा गया कि हालांकि इस मामले की जांच विभिन्न प्राधिकारियों जैसे डीसीआईटी, सर्कल-1(1)(1), बंगलुरु; सेंट्रल सर्कल, मुंबई; सीपीसी (आईटीआर) बंगलुरु; सीपीसी (टीडीएस) गाजियाबाद; डीजी (आईटी) सिस्टम और सीबीडीटी द्वारा की गई थी, लेकिन वे गलत मांगों का कारण नहीं ढूंढ सके। नतीजतन, यह मुद्दा आज (नवंबर 2023) तक अनसुलझा रहा है। लेखापरीक्षा एक ऐसे निर्धारिती को जो डीआरडीओ का कर्मचारी था, के विरुद्ध इतनी बड़ी मांग जारी करने के कारणों का पता नहीं लगा सका। हालांकि, लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से देखा कि सेंट्रल

सर्कल, मुंबई ने इस पैन के खिलाफ मांग की प्रविष्टि की थी। लेखापरीक्षा ने आईटीबीए की मांग विश्लेषण और पुनर्प्राप्ति स्थित रिपोर्ट (दिसंबर 2021) से आगे नोट किया कि अपलोड की गई मांग इस पैन से संबंधित नहीं थी; यह गलत मांग कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण निर्धारिती के नाम पर की गई थी। यह मांग डीसीआईटी, सेंट्रल सर्किल 2, मुंबई द्वारा मैनुअल रूप से अपलोड की गई थी, तथा सीपीसी पोर्टल पर मैनुअल रूप से बकाया मांग अपलोड करते समय पैन में कुछ त्रुटि दिखाई दी।

इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा तीन साल से अधिक समय पहले शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उत्पीड़न और गलत बकाया मांग जारी हुई। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशंसा 2:

सीबीडीटी अपने निर्धारिती चार्टर में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण सुनिश्चित कर सकता है और जहां भी आवश्यक हो, समय पर कार्रवाई नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय करने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है।

अपने जवाब में मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि ज़्यादातर शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। इसके अलावा, विभाग द्वारा किए गए इन-हाउस अध्ययनों से पता चला है कि 30 दिनों के बाद भी अनसुलझी रह जाने वाली ज़्यादातर गलतियाँ निर्धारिती की ओर से थीं, जैसे चालान में गलतियाँ, नियोक्ता द्वारा टीडीएस दाखिल न करना, वसीयत की कॉपी या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना जहाँ कानूनी उत्तराधिकारी को जोड़ा जाना है, आदि। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निरंतर विकास के कारण तकनीकी मुद्दों के कारण भी देरी हो रही है। हालाँकि, विभाग शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। फेसलेस निर्धारण और फेसलेस अपील विभाग द्वारा बेहतर और अधिक पारदर्शी निर्धारिती सेवाओं और बेहतर शिकायत निवारण तंत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेप हैं।

मंत्रालय का जवाब केवल विभाग की शिकायत निवारण प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि निर्धारिती को अपनी शिकायतों के निवारण में आने वाली समस्याओं पर। आयकर विभाग मौजूदा तंत्र की निगरानी की समीक्षा कर सकता है और उसे मजबूत कर सकता है।

5.3.2 राज्य संचालित पेय निगमों के संबंध में बकाया मांग पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे

कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों में भारत निर्मित विदेशी शराब के वितरण/बेचने का काम थोक/खुदरा इस कार्य के लिए विशेष रूप से बनाए गए पेय नियमों के माध्यम से करती हैं। संबंधित राज्य सरकारें केवल इन्हीं राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे पेय निगमों को अपने राज्यों में वितरण/बेचने के लिए लाइसेंस देती हैं। लाभ-हानि खाते में अधिशेष का खुलासा करने और उस पर आयकर का भुगतान करने से बचने के लिए, इन पेय निगमों के मुनाफे को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क आदि जैसे विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाकर बचा लिया गया है। ये निगम आयकर उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार को भुगतान किए गए शुल्क को व्यय के रूप में दिखाते हैं।

हालांकि, अधिनियम की धारा 40 (ए)(आईआईबी)⁴⁵ के अनुसार, "रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा प्रभार या किसी अन्य शुल्क या प्रभार के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो विशेष रूप से राज्य सरकार के उपक्रम पर लगाई जाती है या जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे विनियोजित की जाती है, उसे व्यावसायिक आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी"।

इसलिए, आयकर विभाग ने व्यवसाय आय की गणना करते समय राज्य सरकार द्वारा संचालित पेय निगमों द्वारा राज्य सरकारों को विशेषाधिकार शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि के भुगतान की अनुमति नहीं दी है और तदनुसार कर लगाया है, जैसा कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित निम्नलिखित दो मामलों में विस्तृत रूप से बताया गया है।

- (i) टी1 लिमिटेड
- (ii) ए1 लिमिटेड

⁴⁵ वित्त अधिनियम 2013 द्वारा अधिरोपित जो 01/04/2014 से लागू है

5.3.2.1	निर्धारिती:	मेसर्स टी1 लिमिटेड
	प्रभार:	पीसीआईटी चेन्नई-3

टी1 लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत मई 1983 में शामिल किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है।

टी1 लिमिटेड कंपनी के मामले में 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयकर विभाग ने दिसंबर 2012 से दिसंबर 2019 तक की अवधि के दौरान छह निर्धारण वर्षों 2003-04, 2006-07, 2012-13, 2014-15, 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्धारिती के खिलाफ धारा 143 (3), 154, 220 (2) और 254 के तहत कुल ₹ 6,774.86 करोड़ की छह मांगें जारी की थीं। इन छह निर्धारण अभिलेखों की जांच करने पर, यह देखा गया कि उपरोक्त मांग में से, ₹ 6,752.96 करोड़ की मांग केवल निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित थी। लेखापरीक्षा ने विशिष्ट मुद्दों पर भी ध्यान दिया यथा (i) उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन में देरी के कारण मांग को रद्द नहीं किया जाना, (ii) डोजियर प्रतिवेदन में मांगों की गलत प्रतिवेदन, (iii) मांग पर आईटीएटी के स्थगन को हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, और (iv) निर्धारिती की बकाया मांग से संबंधित अन्य मुद्दे। इन मुद्दों पर आगे के पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

डीसीआईटी, कॉरपोरेट सर्किल-3(1), चेन्नई ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत ₹ 14,632.03 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अधिनियम की धारा 40(ए)(आईआईबी) के तहत ₹ 14,574.74 करोड़ की कटौती के निर्धारिती के दावे को अस्वीकार कर दिया और उसे निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ दिया। दिसंबर 2019 में ₹ 6,761.82 करोड़ की मांग की गई थी।

दिसंबर 2019 में निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 40(ए)(आईआईबी) के तहत अस्वीकृति के संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। माननीय न्यायालय ने निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए जेएओ को वापस भेज दिया, जो लंबित था (मार्च 2024)।

मार्च 2020 में निर्धारिती ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिनियम की धारा 40(ए)(आईआईबी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने धारा 40(ए)(आईआईबी) की वैधता तय किए बिना उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया (मार्च 2020), जिसमें कहा गया कि वह उस पड़ाव पर इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और निर्धारिती, पीड़ित पक्षों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अंततः अवसर आने पर कानून के अनुसार उचित मंच से संपर्क कर सकता है। निर्धारिती ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सितंबर 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा (नवंबर 2020) कि माननीय उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 40(ए)(iiबी) की वैधता को चुनौती देने के संबंध में मुद्दे पर 'गुण-दोष' के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था और उसने रिट याचिकाओं पर 'गुण-दोष' के आधार पर निर्णय न करके और अधिनियम की धारा 40(ए)(iiबी) की वैधता को चुनौती देने पर निर्णय न करके संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द (नवंबर 2020) कर दिया और अधिनियम की धारा 40(ए)(iiबी) की वैधता को चुनौती देने के संबंध में रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए मामले को माननीय उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 फरवरी 2020 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जांच निर्धारण में अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईआईबी) के तहत किए गए ₹ 14,574.74 करोड़ की अस्वीकृति को खारिज कर दिया गया। इसलिए, उपरोक्त अस्वीकृति से संबंधित ₹ 6,761.82 करोड़ की मांग को आयकर विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए था। जबकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही को डोजियर प्रतिवेदन और आईटीबीए पोर्टल में ₹ 6,752.96 करोड़ की बकाया मांग को शामिल करना जारी रहा। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 31 मार्च 2020 तक निर्धारिती को ₹ 6,752.96 करोड़ की बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

i. डोजियर प्रतिवेदन में मांगों की गलत प्रतिवेदन:

(क) बकाया मांग की जानकारी का अद्यतन न किया जाना (नि.व. 2014-15)

एओ ने दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के तहत ₹ 39.82 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 4.95 करोड़ की मांग की। फरवरी 2017 में धारा 154 के तहत निर्धारण को सुधारा गया और मांग को घटाकर ₹ 4.15 करोड़ कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संवीक्षा निर्धारण के खिलाफ निर्धारिती की अपील पर, सीआईटी (अपील) ने राहत दी और तदनुसार, दिसंबर 2019 में 'शून्य' आय का निर्धारण करते हुए प्रभावी आदेश (ओजीई) पारित किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 3.52 करोड़ की गैर-मौजूद मांग वर्ष 2019-20 (मार्च 2020) की चौथी तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन में भी दर्शाई गई थी।

(ख) आईटीबीए पोर्टल और ई-फाइलिंग पोर्टल में उपलब्ध आंकड़ों का मिलान न होना (नि.व. 2006-07)

एओ ने दिसंबर 2008 में धारा 143(3) के तहत ₹ 2.35 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 0.22 करोड़ की वापसी निर्धारित की। इसके बाद दिसंबर 2011 में धारा 147 के तहत मामले का पुनर्मूल्यांकन ₹ 203.14 करोड़ की आय पर किया गया और और ₹ 114.23 करोड़ कर की मांग की गई। लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेख से पाया कि निर्धारिती ने आईटीएटी के समक्ष अपील की थी और माननीय आईटीएटी ने निर्धारिती को राहत दी थी। 24 दिसंबर 2012 को मैनुअल रूप से प्रभावी आदेश पारित किया गया और ₹ 14.85 करोड़ की वापसी निर्धारित की गई। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर ₹ 14.85 करोड़ की उपरोक्त वापसी बकाया मांग के रूप में दिखाई गयी थी। वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन से यह भी पता चला कि उपरोक्त वापसी को गलत तरीके से "सीपीसी-एफएएस" में मांग के रूप में दर्शाया गया था, हालाँकि मैनुअल ऑर्डर को आईटीबीए-मैनुअल ऑर्डर

अपलोड कार्यक्षमता के माध्यम से अपलोड किया गया था। इस प्रकार, आईटीबीए और ई-फाइलिंग पोर्टल के बीच सामंजस्य न होने के कारण ₹ 14.85 करोड़ की गैर-मौजूद मांग की गलत प्रतिवेदन हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

ii. मांग पर आईटीएटी की रोक हटाने के लिए की गई कार्रवाई (निर्धारण वर्ष 2012-13)

मार्च 2015 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 4,199.24 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,849.76 करोड़ कर की मांग की। लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेख से देखा कि माननीय आईटीएटी, चेन्नई ने निर्धारिती को राहत दी थी और तदनुसार, प्रभावी आदेश पारित किया गया था, जिससे अगस्त 2017 में मांग कम होकर ₹ 3.85 करोड़ हो गई। लेखापरीक्षा ने तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2019) की डोजियर प्रतिवेदन से देखा कि उपरोक्त मांग को "स्थगन द्वारा कवर की गई मांग" के तहत वर्गीकृत किया गया था, और आईटीएटी ने 18 सितंबर 2018 तक स्थगन प्रदान किया था। चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2020) की डोजियर प्रतिवेदन से यह भी देखा गया कि अतिरिक्त सीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल 3(1), चेन्नई ने डीसीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल 3(1), चेन्नई को मामले को आगे बढ़ाने और माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए स्थगन की स्थिति का पता लगाने का निर्देश दिया था। अभिलेख में कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं थी। आयकर विभाग ने स्थगन हटाने के लिए की गई कार्रवाई और बाद की अवधि के लिए डोजियर प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि आयकर विभाग ने मांग पर रोक हटाने के लिए कोई कार्रवाई की थी या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.2.2 निर्धारिती: मेसर्स ए1 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी-1, हैदराबाद

मेसर्स ए1 लिमिटेड 2015 में गठित एक राज्य सरकार की कंपनी है। यह एक सार्वजनिक, गैर-सूचीबद्ध कंपनी है जिसे भारत में निर्मित विदेशी शराब

(आईएमएफएल)/ विदेशी शराब (एफएल) में थोक व्यापार का कार्य सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से पाया कि आयकर विभाग ने मार्च 2009 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 और 2014-15 के लिए धारा 143(1), 143(3), 220 (2) और 254 के तहत निर्धारिती के विरुद्ध कुल ₹ 1,595.73 करोड़ की सात मांगें जारी की थीं।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 और 2014-15 के लिए जानकारी के साथ निर्धारिती के अभिलेखों की मांग की, जिसके विरुद्ध निर्धारण वर्ष 2008-09 और निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

एओ ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत ₹ 1,260.59 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण पूरा करते हुए, ₹ 1,236.79 करोड़ की राशि के विशेषाधिकार शुल्क के कारण कटौती के निर्धारिती के दावे को अस्वीकार कर दिया और उसे निर्धारिती की कुल आय में वापस जोड़ दिया और में ₹ 313.17 करोड़ कर की मांग की। आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने मार्च 2020 में सीआईटी (ए)-हैदराबाद-1 के समक्ष अपील दायर की।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि भले ही अभिलेख में मांग पर रोक लगाने का कोई साक्ष्य नहीं था, फिर भी आयकर विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग से वसूली शुरू न करने के कारणों की जानकारी मांगी। डीसीआईटी सर्किल-1(1), हैदराबाद ने कहा (नवंबर 2021) कि 2020 और 2021 के दौरान कोविड की स्थिति और इकाइयों के विलय तथा कर्मचारियों के विस्थापन के कारण मांग का अनुवर्तन नहीं किया जा सका। आयकर विभाग ने आगे कहा कि निर्धारिती को तुरंत करों का भुगतान करने के लिए एक पत्र जारी किया गया था और उसके अनुसार वसूली की जाएगी। आगे की कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

आईटीबीए में डेटा का अद्यतन न होना

इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2007-08 के संबंध में, जनवरी 2009 में धारा 143(1) के तहत मामले पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें ₹ 0.15 करोड़ कर की मांग की गई थी। इसके बाद, दिसंबर 2011 में धारा 143(3) के साथ धारा 147 के तहत निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने ₹ 578.03 करोड़ कर की मांग की। फिर भी, मांग विश्लेषण प्रतिवेदन (अक्टूबर 2021) में धारा 143(1) के तहत जारी की गई केवल ₹ 0.15 करोड़ की मांग दर्शाई गई। धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत संशोधित आदेश को अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 577.88 करोड़ की मांग की कम रिपोर्टिंग हुई।

आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2021) और कहा कि मांग को आईटीबीए में अपलोड कर दिया गया है और कर के भुगतान के लिए निर्धारिती को एक पत्र जारी किया गया है। हालाँकि, मांग के संग्रह की स्थिति का इंतजार है (मार्च 2024)।

जब कोई निर्धारण रद्द कर दिया जाता है, तो एओ नए निर्धारण की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। जब तक कोई नई मांग नहीं उठाई जाती, तब तक रद्द किए गए निर्धारण के संबंध में मांग अस्तित्व में नहीं होती। लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया मांग में एक गैर-मौजूद मांग शामिल थी। जब अपीलीय प्राधिकारी ने निर्धारण रद्द कर दिया था और नए सिरे से निर्धारण का आदेश दिया था, तो सिस्टम ने मांग को रद्द करने की प्रक्रिया को कैप्चर नहीं किया। आयकर विभाग के सिस्टम में विवरणों का अद्यतन न होना मांग की वर्तमान/वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है।

अनुशंसा 3:

सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि रद्द कर दिये गए निर्धारण का विवरण आईटीबीए रिकवरी सिस्टम मॉड्यूल में अद्यतन किया जाए, ताकि मांग की वर्तमान और वास्तविक स्थिति को दर्शाया जा सके और बढ़ी हुई, गैर-मौजूद मांगों को दर्शाने से बचा जा सके।

5.3.3 निर्धारिती: एच3 और ए2
प्रभार: पीसीआईटी 2- सेंट्रल, मुंबई

एच3⁴⁶, एक प्रमुख भारतीय स्टॉकब्रोकर, कथित तौर पर स्टॉक हेरफेर में शामिल थे।

एच3 और ए2, दो व्यक्तियों के मामले में: लेखापरीक्षा ने ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा (31 मार्च 2020 तक) से देखा कि आयकर विभाग ने मार्च 2007 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान निर्धारण वर्ष 1987-88 से 2003-04, 2006-07 से 2011-12, 2013-14 से 2015-16 और 2017-18 से 2019-20 के लिए निर्धारिती के खिलाफ धारा 143(1), 143(3) और 263 के तहत कुल ₹ 32,261.24 करोड़ की 53 मांगें जारी कीं। जबकि, आईटीबीए के मांग विश्लेषण और पुनर्प्राप्ति विवरण के अनुसार आयकर विभाग ने समान निर्धारण वर्ष के लिए समान अवधि के दौरान निर्धारिती के खिलाफ कुल ₹ 32,882.56 करोड़ की 56 मांगें जारी की थीं।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 1987-88 से 2003-04, 2006-07 से 2011-12, 2013-14 से 2015-16 और 2017-18 से 2019-20 के लिए निर्धारिती की जानकारी के साथ के अभिलेख मांगा, जिसके विरुद्ध एच3 से संबंधित निर्धारण वर्ष 1988-89 से 2003-04, 2006-07 से 2009-10 और 2018-19 के अभिलेख, जिनमें धारा 143(1), 143(1ए) और 143(3) के 22 मामले शामिल थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। ए2 के संबंध में, निर्धारण वर्ष 1987-88 से 2003-04, 2008-09 से 2011-12, 2013-14 से 2017-18 के अभिलेख, जिनमें 143(1), 143(1ए), 143(3), 220(2) और 250 के 29 मामले शामिल थे, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

आईटीबीए के मांग विश्लेषण और वसूली विवरण से लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 तक एच3 और ए2 से निम्नलिखित मांगें बकाया थीं:

⁴⁶ बॉम्बे हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में हुए ₹ 10,000 करोड़ (यूएस\$1.3 बिलियन) के वित्तीय घोटाले में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया। ए2 एच3 के भाई हैं।

तालिका 5.4: मार्च 2020 तक बकाया मांगें			
निर्धारिती का नाम	लंबित मांगों की कुल संख्या	संबंधित निर्धारण वर्ष	कुल बकाया मांग (₹ करोड़ में)
एच3	25	1988-89 से 2003-04, 2006-07 से 2009-10, 2018-19	29,407.76
ए2	31	1987-88 से 2003-04, 2008-09 से 2011-12, 2013-14 से 2015-16, 2017-18 से 2019-20	3,474.80

स्रोत: आयकर विभाग का आईटीबीए पोर्टल

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि इन मामलों के संबंध में कोई डोजियर प्रतिवेदन तैयार नहीं की गई थी, तथा कर वसूली अधिकारी को मांग की सूचना भी नहीं दी गई थी। लेखापरीक्षा ने कई अन्य मुद्दे भी देखे, जैसे आयकर विभाग द्वारा वास्तविक बकाया मांग पर पहुंचने में असमर्थता, इसके अलावा अपील प्रभाव देने में देरी, ई-फाइलिंग डेटा का अद्यतन न होना तथा अभिरक्षक को अद्यतन मांग की सूचना न देना, जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है:

1. एच3 के मामले में वसूली प्रक्रिया

अभिलेखों की जांच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती विशेष न्यायालय (टीओआरटीएस)⁴⁷ अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अंतर्गत अभिरक्षक द्वारा अधिसूचित एक अधिसूचित पक्ष था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिरक्षक ने अधिसूचित पक्षों से संबंधित सभी संपत्तियां (चल और अचल) कुर्क कर ली थीं। कुर्कियों और वसूली के बाद, देनदारियों का निर्वहन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के राजस्व/करों को प्राथमिकता दी गई। इस प्रकार, निर्धारिती और उसके समूह से वसूली की जाने वाली कोई भी मांग विशेष न्यायालय के माध्यम से की जानी थी। इसके अलावा, यह देखा गया कि कुल ₹ 3,286.08 करोड़ की राशि वसूल की गई और विभिन्न मामलों में उठाई

⁴⁷ प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण (टीओआरटीएस)। सभी प्रभावित पक्षों के धन और परिसंपत्तियों की कुर्की, संवितरण और वसूली से संबंधित मामलों से निपटने के लिए टीओआरटीएस अधिनियम 1992 के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। टीओआरटीएस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, विशेष न्यायालय, आदेश द्वारा, कुर्की के तहत संपत्तियों के निपटान के लिए संरक्षक को निर्देश दे सकता है और देनदारियों, अर्थात् सभी राजस्व, कर, उपकर, और संरक्षक द्वारा किसी भी बैंक आदि को अधिसूचित व्यक्ति से देय सभी राशि का भुगतान या पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाएगा।

गई मांगों की मूल राशि के विरुद्ध समायोजित की गई, और अंतिम भुगतान 2011 में प्राप्त हुआ।

2. आईटीएटी द्वारा निपटाए गए मुद्दे पर पीसीआईटी द्वारा धारा 263 के तहत मांग उठाना

अभिलेखों की जांच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए, न्यायाधिकरण ने निर्धारिती, जे¹⁴⁸ के पक्ष में एक आदेश पारित किया (जनवरी 2019)। आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई में अपील दायर की और इसे 18 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच, निर्धारण संशोधित किया गया (जुलाई 2019), और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के आधार पर जे1 को ₹ 472.58 करोड़ का वापसी जारी किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीसीआईटी, सेंट्रल सर्किल 2, मुंबई ने धारा 263 के तहत आदेश जारी किए (जनवरी 2020), जो आईटीएटी (जनवरी 2019) के आदेश के खिलाफ था। इस आदेश को प्रभावी किया गया (मार्च 2020), जिसमें कुल आय ₹ 2,237.55 करोड़ निर्धारित की गई, और निर्धारिती के खिलाफ ₹ 6,357.12 करोड़ के कर की मांग की गई। इसके बाद, निर्धारिती ने फिर से आईटीएटी मुंबई में अपील दायर की, जिसे मार्च 2021 में आईटीएटी मुंबई द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आगे का विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीसीआईटी द्वारा धारा 263 के तहत पारित आदेश, एक ऐसे मुद्दे पर जिसे पहले ही आईटीएटी द्वारा 14 जनवरी 2019 के आदेश के माध्यम से सुलझा लिया गया था, त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है और इसके परिणामस्वरूप मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि संशोधन के लिए लंबित उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप नवंबर 2021 तक बकाया मांग ₹ 6,357.12 करोड़ ज्यादा बताया गया।

⁴⁸ एच3 के कानूनी उत्तराधिकारी

एच3 के संबंध में निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए 16 नवंबर 2021 तक मांग विश्लेषण और वसूली की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित मांगें लंबित थीं, जैसा कि नीचे तालिका 5.5 में दिखाया गया है:

तालिका 5.5: नवंबर 2021 तक निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए लंबित मांगें		
अनुभाग	निर्धारण की तिथि	बकाया मांग (₹ करोड़ में)
143(1)	21 मार्च 2007	6,100.37
143(3)	31 मार्च 2010	7,442.52
263	11 मार्च 2020	6,357.12
स्रोत: आयकर विभाग का आईटीबीए पोर्टल		

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 143(3) और 143(1) के तहत निर्धारण वर्ष 1992-93 से संबंधित मांगों से संबंधित अभिलेख मांगे, जो आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार, पूर्ण अभिलेखों के अभाव में निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए धारा 143(3) और 143(1) के तहत उठाई गई मांगों का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं हो पाया।

3. अभिरक्षक को बताए गए आंकड़ों में विसंगति, ई-फाइलिंग सिस्टम में बकाया मांग, आईटीबीए के अनुसार बकाया मांग

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग द्वारा संरक्षक को भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1988-89 से 2013-14 के लिए ₹ 13,868.77 करोड़ (जिसमें कर, ब्याज, जुर्माना और धारा 220(2) के तहत ब्याज शामिल है) की मांग जनवरी 2021 तक लंबित थी, जबकि ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, एच3 के संबंध में निर्धारण वर्ष 1988-89 से 2018-19 के लिए ₹ 28,791.38 करोड़ की मांग 31 मार्च 2020 तक बकाया दिखाई गई थी। आईटीबीए के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक बकाया मांग ₹ 29,407.76 करोड़ थी। निर्धारण वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 8** में दिए गए हैं।

कुल मांगों का ब्यौरा, जैसे आयकर विभाग द्वारा जारी की गई कुल मांगें, वर्षवार मांग वसूली के लिए लंबित तथा वर्तमान स्थिति और अभिरक्षक द्वारा आयकर विभाग को जारी की गई राशि का ब्यौरा मांगे जाने पर, यह सूचित किया गया कि उक्त जानकारी आयकर विभाग से प्राप्त की जा सकती है, जो अभिलेख रखता है। अभिरक्षक ने आगे बताया कि चूंकि निर्धारिती (एच3 और

समूह) की सही और अद्यतन बकाया राशि आयकर विभाग से विशेष न्यायालय में लंबित थी, इसलिए निर्धारिती की देयता की सीमा की जांच विशेष न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त तीनों स्रोतों में बकाया मांग की राशियों में बेमेल का समाधान नहीं किया गया है (नवंबर 2021)। लेखापरीक्षा निर्धारिती के मामले में बकाया मांग के संबंध में अभिरक्षक को बताए गए और ई-फाइलिंग पोर्टल तथा आईटीबीए पोर्टल पर दिखाए गए आंकड़ों में अंतर के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि आयकर विभाग ने धारा 263 के तहत एक मांग उठाई थी, जिसका निपटारा पहले ही आईटीएटी द्वारा किया जा चुका था। इसके अलावा, अभिरक्षक को दिए गए आंकड़ों और ई-फाइलिंग सिस्टम और आईटीएटी में बकाया दिखाई गई मांग में अंतर था, जिससे मांगों की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई में कठिनाई हो सकती है और बकाया मांगों का गलत अनुमान भी लग सकता है। इसके अलावा, यदि बकाया मांग का आंकड़ा गलत है, तो बकाया मांग में कमी के लिए लक्ष्य तय करना सीबीडीटी के लिए मुश्किल होगा और इस तरह तय किया गया लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशांसा 4:

सीबीडीटी

(i) नकदी संग्रहण और बकाया मांग में कमी के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना सुनिश्चित करें क्योंकि केंद्रीय कार्य योजनाओं के अनुसार बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का एक समान प्रतिशत निर्धारित करना यथार्थवादी या व्यावहारिक नहीं लगता है।

(ii) वर्षों से न्यायालयों में लंबित विवादित उच्च बकाया मांग के मामलों का हल निकालने और निपटाने के लिए समय-समय पर फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करे।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (जून 2023) कि बकाया मांग में कमी के लक्ष्य उचित विचार-विमर्श के बाद एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर तय किए जाते हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधान सीसीआईटी के पद से नीचे के

अधिकारी नहीं करते हैं। ये लक्ष्य विभिन्न कारकों जैसे आयु और मांग की राशि, अपीलों में लंबित स्थिति आदि को ध्यान में रखने के बाद तय किए जाते हैं, जो बकाया मांग में कमी और वसूली को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में तैयार किए गए फॉर्मूले पर काम किया जाता है, जो सभी प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों पर लागू होता है। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड महामारी के कारण करों की वसूली के उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसमें महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, तमिलनाडु, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों ने वर्ष 2017-18 में बकाया मांग में कमी के लिए या तो लक्ष्य हासिल कर लिया है या लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19 क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। 2018-19 में, कई क्षेत्रों की उपलब्धि लक्ष्य से बहुत दूर थी। जबकि कुछ क्षेत्रों में, लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि बहुत अधिक थी, जो दर्शाता है कि बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का एक समान लक्ष्य निर्धारित करते समय, इसमें शामिल जोखिम वाले कारकों का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया था। 2022-23 की केंद्रीय कार्य योजना से यह पता चला है कि बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का एक समान लक्ष्य जारी रखा गया है।

5.3.4 निर्धारिती: श्री एच2, सी3 एवं के1

प्रभार: पीसीआईटी सेंट्रल 1, मुंबई

06 जनवरी 2007 को एच2 और उनके सहयोगियों के संबंध में तलाशी कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि एच2⁴⁹ नामक व्यक्ति के पास एक विदेशी संपत्ति थी, जो बैंक बैलेंस और फंड/धन के रूप में 740.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 976 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में थी, जो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के खातों में पड़ी थी और जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता था। निर्धारिती ने अपनी आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया। इसके बाद, निर्धारिती का मामला अधिनियम की धारा 147 के तहत फिर से खोला गया।

⁴⁹ एच2 एक भारतीय व्यवसायी हैं, जिन पर संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच की गई थी (2007)। इनके स्विस बैंक खाते में 8 बिलियन डॉलर जमा हैं। उन्होंने कथित तौर पर कोलकाता के व्यवसायी के1, दिल्ली के व्यवसायी पी4 और के1 की पत्नी सी3 की मदद से स्विस बैंक खातों में अरबों डॉलर जमा किए थे, जो एच2 के व्यवसाय से जुड़े थे।

31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने निर्धारिती, एच2 और सहयोगी निर्धारिती के खिलाफ मार्च 2008 से दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2016-17 के लिए विभिन्न धाराओं अर्थात् 143(1), 143(3), 144, 147, 148, 220(2), 254 और 271(1)(सी) के तहत कुल ₹ 2,22,729.84 करोड़ की 92 मांगें जारी की थीं, जो लंबित थीं, जिनका विवरण नीचे तालिका 5.6 में दिया गया है:

तालिका 5.6: मार्च 2020 तक एच2 और सहयोगी निर्धारिती की बकाया मांगें (₹ करोड़ में)			
निर्धारिती का नाम	लंबित मांगों की कुल संख्या	संबंधित निर्धारण वर्ष	कुल मांग उठाई गई और बकाया
एच2	34	1999-2000 से 2016-17	1,37,563.48
सी3	31	2001-02, 2002-03, 2004-05 से 2010-11 और 2013-14	82,959.40
के1	27	2000-01 से 2008-09, 2010-11 और 2012-13	2,206.96
कुल	92		2,22,729.84
स्रोत- मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग डेटा			

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2016-17 के लिए उपरोक्त निर्धारिती की जानकारी अभिलेखों के साथ मांगी, जिसके विरुद्ध निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए सी3 से संबंधित धारा 143(3) और 271(1)(सी) के तहत उठाई गई मांगों (₹ 0.11 करोड़) से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

एच2 एवं सहयोगी निर्धारिती

निर्धारण वर्ष: 1999-2000 से 2016-17

लेखापरीक्षा ने एच2 और सहयोगी निर्धारिती के 90 मामलों की जांच की, जो कि निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2016-17 से संबंधित थे, जिसमें 31 मार्च 2020 तक ₹ 2.23 लाख करोड़ की कुल बकाया मांग शामिल थी। आयकर विभाग ने 2007 में निर्धारिती और उसके सहयोगियों के परिसरों में निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08 की ब्लॉक अवधि के लिए विदेशी बैंक खाते में अघोषित आय,

जमा या हस्तांतरण निर्देश, अस्पष्टीकृत व्यय, ऋण आदि की तलाशी और जब्ती की थी।

एच2

एच2 ने दावा किया कि वह रेस के घोड़ों के मालिक हैं और उनका रखरखाव करते हैं। निर्धारिती पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। निर्धारिती के मामले में आयकर विभाग द्वारा जनवरी 2007 में तलाशी ली गई थी।

एक व्यक्ति एच2 के मामले में विभाग ने निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक के लिए निर्धारण पूरा किया और ₹ 50,329.08 करोड़ की मांग की (दिसंबर 2008)। निर्धारिती ने आईटीएटी, मुंबई के समक्ष अपील दायर की, जिसने अपने आदेश में विभाग द्वारा जारी की गई मांग को खारिज कर दिया (2017)। नए सिरे से निर्धारण पूरा करने के बाद, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,06,565.55 करोड़ कर की नई मांग की (दिसंबर 2017)।

1. कुर्क की गई संपत्ति से बकाया मांग की वसूली न होना

निर्धारण और जारी किए गए अन्य आदेशों और टीआरओ से संबंधित अभिलेख की जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 281 बी के तहत निर्धारिती के 32 घोड़ों को अनंतिम रूप से कुर्क किया (2007)। इनमें से, जून 2010 तक, सात घोड़े दौड़ में थे, 15 घोड़े दौड़ से सेवानिवृत्त हो गए थे, और 10 घोड़ों की मृत्यु हो गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि टीआरओ ने जून 2010 में चार घोड़ों को कुर्क किया, जो कि अनंतिम कुर्की के तीन साल बीत जाने के बाद था। आयकर विभाग ने ₹ 19.97 लाख मूल्य की कलाई घड़ियां भी जब्त कीं (सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार)। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि निर्धारिती ने मध्यवर्ती अवधि के दौरान पशुधन के हिस्से का निपटान किया था या नहीं। इसके अलावा लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने ₹ 1,06,565.55 करोड़ की कुल ब्लॉक अवधि की मांग का एक हिस्सा वसूलने के लिए घोड़ों की नीलामी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने मांग की पूर्ति के लिए संपत्ति (घोड़ों) की नीलामी न करने के कारणों की

जानकारी मांगी। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा किसी अन्य संपत्ति की कुर्की के बारे में अभिलेख में कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

टीआरओ सेंटरल I, मुंबई ने कहा (दिसंबर 2021) कि संपत्ति को 2007 में निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 281बी के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, और टीआरओ द्वारा कुर्की 2010 में तीन साल बीत जाने के बाद की गई थी, जिसके दौरान घोड़े बेचे गए होंगे या मर गए होंगे। उन घोड़ों की नीलामी के मुद्दे पर जवाब में कुछ नहीं कहा गया, जिन्हें जून 2010 में कुर्क किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

2. धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज न लगाया जाना

डीसीआईटी, सेंटरल सर्किल 1(2), मुंबई ने निर्धारिती के संबंध में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के लिए धारा 147/153ए के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (दिसंबर 2017) ₹ 1,13,540.48 करोड़ के कर की मांग की। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयकर विभाग ने 07 जून 1991 के सीबीडीटी के निर्देश के अनुसार प्रत्येक निर्धारण वर्ष के अंत में निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के लिए धारा 220(2) के तहत ₹ 43,951.99 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज न लगाने के कारणों की मांग की। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (मार्च 2024)

3. धारा 234बी के तहत ब्याज कि अधिक उगाही

एओ ने दिसंबर 2008 और दिसंबर 2017 के बीच धारा 143(3) के साथ धारा 147/153ए के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2002-03 के लिए निर्धारिती के निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए धारा 234बी के तहत कुल ₹ 13,643.27 करोड़ का ब्याज लगाया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के लिए गणना पत्रों की जांच की, जिसमें पता चला कि आयकर विभाग ने धारा 234बी के तहत ₹ 55,732.05 करोड़ का ब्याज लगाया, जबकि सही उद्ग्रहणीय ब्याज ₹ 51,927.28 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप

₹ 3,804.76 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज लगाया गया, जिसके कारण बकाया मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

4. डोजियर प्रतिवेदन की अनुचित निगरानी और तैयारी

सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन की जांच और ई-फाइलिंग पोर्टल में बकाया मांगों के साथ निर्धारण अभिलेख के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण आदेशों और अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने वाले आदेशों में सुधार/संशोधन के कारण बकाया मांग में कमी/वृद्धि हुई थी, लेकिन इन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डोजियर प्रतिवेदन में ₹ 28,362.88 करोड़ की मांग कम दिखाई गई। इसके अलावा, दिसंबर 2020, मार्च 2021 और जुलाई 2021 को समाप्त तिमाही अवधियों के लिए डोजियर प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त डोजियर प्रतिवेदन के अभाव में, लेखापरीक्षा बकाया मांग की सत्यता का पता नहीं लगा सकी। इसके अलावा, डोजियर में बकाया मांग के आंकड़ों के गलत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप हितधारकों को कर बकाया का गलत चित्रण हुआ जिससे मांगों की वसूली में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

सीएजी की वर्ष 2011 की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 23 में भी यह दर्शाया गया था कि एच2 के अकेले पर कुल बकाया मांग का 43 प्रति शत मांग बकाया थी।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

सी3

एक निर्धारिती, सी3 के मामले में, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से देखा कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 से 2010-11 और 2013-14 के लिए धारा 143(1ए), 143(3), 220 (2), 254 और 271(1)(सी) के तहत कुल ₹ 82,959.41 करोड़ की 31 मांगें जारी की थीं।

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन से देखा कि इस मामले में, सभी वर्षों के लिए मांग को आयकर विभाग द्वारा अपर्याप्त परिसंपत्तियों के कारण 'वसूल करना कठिन' मांग के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

प्रधान आयकर आयुक्त, सेंट्रल-1, मुंबई के क्षेत्राधिकार में ई-फाइलिंग पोर्टल पर धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए सी3 के खिलाफ ₹ 0.20 करोड़ की मांग बकाया दिखाई गई थी। निर्धारण अभिलेख की जांच से पता चला कि निर्धारिती ने आईटीएटी, मुंबई में अपील दायर की थी, जिसने सितंबर 2016 में निर्धारिती के पक्ष में आदेश जारी किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने अपील आदेश को प्रभावी नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच साल बीत जाने के बाद भी, ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ-साथ डोजियर प्रतिवेदन में भी मांग को बकाया दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप मांग ₹ 0.20 करोड़ अधिक बताई गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

के1

के1 पुणे के व्यवसायी एच2 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी थे। के1 को प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 में गिरफ्तार किया था क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने एच2 को मनी लॉन्ड्रिंग और विदेश में बैंक खाते खोलने में मदद की थी।

31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा को पता चला कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2008-09, 2010-11 और 2012-13 के लिए धारा 143(3), 148, 220(2), 254 और 271(1)(सी) के अंतर्गत कुल ₹ 2,206.97 करोड़ की 27 मांगे जारी की थीं।

इसके अलावा, 30 सितंबर 2021 तक आईटीबीए पोर्टल (डोजियर प्रतिवेदन) से लेखापरीक्षा ने देखा कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2008-09, 2010-11 से 2012-13 के लिए निर्धारिती के खिलाफ कुल ₹ 2,503.78 करोड़ की 27 मांगें जारी की थीं।

निर्धारण अभिलेखों की जांच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने जनवरी 2007 में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था; ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08 का निर्धारण दिसंबर 2008 में पूरा हुआ था, और ₹ 593.68 करोड़ कर की मांग की गई थी। जोड़ के मुख्य मुद्दे हस्तांतरण निर्देशों के माध्यम से अघोषित विदेशी बैंक खाते में जमा राशि, अस्पष्टीकृत व्यय, ऋण आदि थे। इस मामले में, सभी वर्षों के लिए मांग को आयकर विभाग द्वारा अपर्याप्त परिसंपत्तियों के कारण 'वसूली अयोग्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

निर्धारिती ने आईटीएटी, मुंबई में अपील दायर की और ट्रिब्यूनल ने अप्रैल 2016 के आदेश के अनुसार सीआइटी (ए) के आदेश को रद्द कर दिया। इस मामले में, आईटीएटी मुंबई के निर्देशानुसार, आयकर विभाग द्वारा दिसंबर 2017 में निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लिए नए निर्धारण आदेश पारित किए गए। धारा 254 के तहत नए निर्धारण में, आयकर विभाग ने दिसंबर 2017 में ₹ 1,409.74 करोड़ कर की मांग की थी।

यह मामला टीआरओ, कोलकाता को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने निर्धारिती के संयुक्त स्वामित्व वाली दो अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। हालांकि, टीआरओ कोलकाता ने के2 से पुष्टि के बाद कहा कि ये संपत्तियां निर्धारिती की नहीं हैं। आयकर विभाग ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, कोलकाता में एक लॉकर जब्त किया था, जो दोनों निर्धारिती के संयुक्त स्वामित्व में था। फिर भी, कोई वसूली नहीं हुई।

निर्धारिती की अगस्त 2015 में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी, सी3, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, सभी लंबित मामलों को संभाल रही हैं। मामले की अंतिम स्थिति के विवरण की प्रतीक्षा है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आयकर विभाग ने संपत्ति की अनंतिम कुर्की के बाद भी मांग वसूलने के लिए समय पर प्रभावी कदम नहीं उठाए। इसके अलावा, संपत्ति की कुर्की और निपटान में अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करने में देरी के कारण भी मांग की वसूली नहीं हो पाई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशंसा 5:

सीबीडीटी कुर्क की गई परिसंपत्ति की प्रकृति और बकाया मांग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर सकता है जहां अधिनियम की धारा 281बी के प्रावधानों को लागू किया गया था।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि (मई 2023) सीबीडीटी ने इस संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। प्रावधान का विधायी उद्देश्य यह है कि उपयुक्त मामलों में निर्दिष्ट समय के लिए परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करके, निर्धारिती को कर मांग के अंतिम संग्रह को विफल करने से रोका जाता है। चूंकि प्रावधानों में ही विस्तृत जांच और संतुलन निहित हैं, इसलिए एओ की कार्रवाई पर कोई और प्रतिबंध विधायी उद्देश्य को विफल कर सकता है।

मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का उद्देश्य एओ की कार्रवाई को प्रतिबंधित करना नहीं था; बल्कि एओ द्वारा अनंतिम कुर्की और टीआरओ द्वारा नियमित कुर्की के बीच देखा गया समय अंतराल था। परिणामस्वरूप, जब नियमित कुर्की के लिए कार्यवाही शुरू की गई तो संपत्ति उपलब्ध नहीं पाई गई।

5.3.5 निर्धारिती: मेसर्स सी2 लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी 1 कोलकाता

सी2 लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे जून 1995 में निगमित किया गया था। यह कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत एक गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत है।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से देखा कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2013-14 और 2017-18 से संबंधित कुल ₹ 742.13 करोड़ की 11 मांगें जारी की थीं और इन लंबित मांगों में से ₹ 653.10 करोड़ की मांग केवल निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित थी। जबकि, 15 नवंबर 2021 तक आईटीबीए पोर्टल के अनुसार, समान निर्धारण वर्षों के लिए मांग ₹ 806.62 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए अभिलेख मांगे, जिसके विरुद्ध निर्धारण वर्षों 2012-13 और 2013-14 (दो मामले) के लिए तीन मांग के मामलों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए के अनुसार बकाया मांग का निर्धारण वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका 5.7 में दिया गया है:

तालिका 5.7: ई-फाइलिंग और आईटीबीए बकाया मांग					
निर्धारण वर्ष	अनुभाग	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग के अनुसार डेटा		नवंबर 2021 तक आईटीबीए के अनुसार डेटा	
		मांग की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया (₹ करोड़ में)	मांग की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया (₹ करोड़ में)
2008-09	154	22/02/2017	2.76	22/02/2017	2.73
2008-09	115डब्ल्यूई ⁵⁰	11/10/2010	0.07	11/10/2010	0.07
2009-10	115डब्ल्यूई	17/03/2011	0.01	17/03/2011	0.01
2009-10	143(3)	23/12/2011	0.01	23/12/2011	0.01
2010-11	143(3)	26/06/2012	0.00	26/06/2012	0.00
2011-12	144	26/12/2018	13.33	26/12/2018	13.33
2011-12	271(1)(सी) (जुर्माना)	26/06/2019	3.64	26/06/2019	3.64
2012-13	144	24/12/2019	25.89	24/12/2019	25.89
2013-14	271(1)(सी)	28/02/2019	22.10	28/02/2019	22.10
2013-14	154	17/06/2019	21.22	17/06/2019	21.22
2017-18	144	28/12/2019	653.10	28/12/2019	653.10
-	-	-	-	03/11/2021	64.52
कुल			742.13		806.62

स्रोत- आयकर विभाग का ई-फाइलिंग और आईटीबीए का पोर्टल

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, निर्धारिती के खिलाफ बकाया मांगों 2010 से लंबित हैं और कुल ₹ 0.09 करोड़ की मांगें दस साल से अधिक समय से लंबित थीं। इनमें से ₹ 0.08 करोड़ की मांग अनुषंगी लाभ कर (धारा 115डब्ल्यूई) से संबंधित थी, जिसे वित्त अधिनियम 2009 में निर्धारण वर्ष 2010-11 से समाप्त कर दिया गया था।

मांग की स्थिति: निर्धारिती ने एनसीएलटी, कोलकाता शाखा के समक्ष दिवालियापन याचिका दायर की, जिसमें एनसीएलटी ने 07 नवंबर 2017 के आदेश के अनुसार सी2 लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और कंपनी के लेनदारों को 05 दिसंबर 2017 तक अपने

⁵⁰ अनुषंगी लाभों की वापसी का प्रक्रिया और निर्धारण।

दावों का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा। अभिलेख में कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं पाई गई।

हालांकि, दिसंबर 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने ₹ 806.62 करोड़ की कुल बकाया मांग (निर्धारण वर्ष 2020-21 की मांग सहित) के विरुद्ध एनसीएलटी के समक्ष ₹ 292.59 करोड़ का दावा दायर किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारिती कंपनी परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत थी, भले ही आयकर विभाग ने डोजियर प्रतिवेदन में ₹ 742.10 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित मांग को छोड़कर) की पूरी मांग को संग्रहणीय के रूप में वर्गीकृत किया था। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सका कि एनसीएलटी अधिसूचना के परिणामस्वरूप कोई मांग वसूल की गई थी या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.6	निर्धारिती:	मेसर्स आर1
	प्रभार:	पीसीआईटी (छूट) जयपुर

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत निर्धारिती, राजस्थान राज्य सरकार को शुल्क के आधार पर पाठ्यपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं आदि की छपाई, प्रकाशन, वितरण और बिक्री में लगा हुआ है। सरकार पुस्तकें निःशुल्क वितरित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 10(23सी)(iii)एबी⁵¹ के तहत आयकर से छूट की मांग कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न स्रोतों जैसे ई-फाइलिंग पोर्टल मार्च 2020 तक, भौतिक अभिलेखों से दिसम्बर 2019 एवं आईटीबीए से अक्टूबर 2021 तक, निर्धारण वर्ष 2012-13, 2015-16 से 2018-19 से संबंधित चार मामलों में बकाया मांगों के आंकड़े की जांच की।

⁵¹ इस धारा के अनुसार, किसी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना करते समय, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था की आय, जो केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए है, न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए, तथा जो पूर्णतः या अधिकांशतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है, कुल आय का भाग नहीं होगी।

निर्धारण वर्ष 2012-13, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए, डीसीआईटी (छूट) सर्किल जयपुर ने दिसंबर 2019 में धारा 147 के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा कर लिया था, जिसमें एओ ने अधिनियम की धारा 10(23सी)(iiiएबी) के तहत छूट के निर्धारिती के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि "केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए मौजूद संस्थान ही छूट के लिए पात्र हैं और आर1 केवल धारा 10(23सी)(iiiएबी) के तहत निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए काम नहीं कर रहा था। चूंकि बोर्ड पुस्तकों की आपूर्ति के लिए सरकार से कीमत वसूल रहा है, इसलिए इसे बोर्ड और सरकार के बीच व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधि माना जा सकता है। इसके अलावा, यह न तो एक शैक्षणिक संस्थान था और न ही पूरी तरह या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तपोषित था; इस तरह, निर्धारिती अधिनियम की धारा 10(23सी)(iiiएबी) के तहत छूट का दावा करने का हकदार नहीं था।" दिसंबर 2019 में निर्धारिती को एओपी मान कर निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती ने अपील दायर की जो सीआईटी (ए)-3, जयपुर के समक्ष लंबित है।

आईटीबीए, ई-फाइलिंग पोर्टल और भौतिक अभिलेखों के बीच विसंगति

लेखापरीक्षा में आईटीबीए और ई-फाइलिंग पोर्टल तथा भौतिक अभिलेखों के बीच बकाया मांग की राशि में विसंगतियां पाई गईं, जो नीचे दी गई हैं:

तालिका 5.8: बकाया मांग की स्थिति			
(₹ करोड़ में)			
निर्धारण वर्ष	ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांग (मार्च 2020 तक)	आईटीबीए के अनुसार बकाया मांग (अक्टूबर 2021 तक)	भौतिक अभिलेख के अनुसार बकाया मांग (दिसंबर 2019 तक)
2012-13	40.31	शून्य	40.40
2015-16	43.19	34.55	43.19
2016-17	17.31	13.85	17.31
2017-18	17.55	5.74	28.69
2018-19	-	25.36	-
कुल	118.36	79.59	129.59

स्रोत: ई-फाइलिंग, आईटीबीए पोर्टल और आयकर विभाग के भौतिक अभिलेख

लेखापरीक्षा ने ई-फाइलिंग पोर्टल, आईटीबीए पोर्टल और भौतिक अभिलेखों में दर्शाई गई बकाया मांग में भिन्नता/विसंगतियां देखीं। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित

किए जाने पर, एसीआईटी (छूट) सर्किल, जयपुर ने बताया (जनवरी 2022) कि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए, कुछ तकनीकी समस्या के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोई मांग नहीं दिखाई गई और इस मामले को उनके 'सिस्टम अधिकारियों' के समक्ष उठाया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए, आयकर विभाग ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले बकाया के रूप में दिखाए गए आंकड़े जनवरी 2022 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर दिखाई नहीं दिए।

एसीआईटी (छूट) सर्किल, जयपुर ने कहा (दिसंबर 2021) कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आदेश 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसमें ₹ 28.69 करोड़ कर की मांग की गई थी, जिसमें से, आईटीबीए सिस्टम के ओएलटीएएस मॉड्यूल के अनुसार, निर्धारिती ने 14 दिसंबर 2021 तक ₹ 5.59 करोड़ का भुगतान किया था और बकाया मांग केवल ₹ 23.10 करोड़ थी।

आयकर विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए बकाया मांग भौतिक अभिलेख के अनुसार ₹ 40.40 करोड़ थी और ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार ₹ 40.31 करोड़ थी, जबकि आईटीबीए पोर्टल पर कोई मांग नहीं दिखाई गई थी। मांग विश्लेषण और वसूली स्थिति प्रतिवेदन में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए मांग नहीं दिखाई गई। आयकर विभाग को बकाया मांगों की सही प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के लिए इन पोर्टलों में डेटा में विसंगतियों को मिलान करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के संबंध में, निर्धारिती ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील (दिसंबर 2019) दायर की थी, जिसका परिणाम प्रतीक्षित था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.7 निर्धारिती: मेसर्स के3 प्राइवेट लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी 2 हैदराबाद

निर्धारिती कंपनी अनुबंध कार्यों के निष्पादन में लगी हुई है। 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा ने पाया कि सात मामलों में कुल ₹ 278.44 करोड़ की बकाया मांगें वसूली के लिए लंबित थीं। ई-फाइलिंग

पोर्टल और आईटीबीए के अनुसार बकाया मांग का विवरण निम्नलिखित प्रवृत्ति को दर्शाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.9 में दिखाया गया है:

तालिका 5.9: बकाया मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		आईटीबीए के अनुसार अक्टूबर 2021 तक मांग वसूली की स्थिति का डेटा	
		मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया	मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया
2010-11	154	04/04/2014	5.69	04/04/2014	5.69
2010-11	144	28/12/2017	5.79	28/12/2017	5.78
2011-12	147	26/12/2018	18.68	26/12/2018	18.14
2011-12	271(1)(सी) (जुर्माना)	27/06/2019	6.45	27/06/2019	6.45
2012-13	147/154	30/12/2019	213.06	02/08/2021	200.78
2013-14	144	29/03/2016	14.65	29/03/2016	14.65
2017-18	144	31/12/2019	14.12	31/12/2019	14.12
कुल			278.44		265.61
स्रोत- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल					

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए मांग एवं वसूली विवरण के बीच उल्लेखनीय अंतर थे, और लेखापरीक्षा इसके कारणों को सत्यापित नहीं कर सकी।

वित्त वर्ष 2020-21 की सितंबर 2020 को समाप्त दूसरी तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने अपना परिचालन बंद कर दिया था और वसूली के लिए कोई संपत्ति नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई अंतिम आयकर रिटर्न, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए थी।

लेखापरीक्षा ने आईटीबीए में डेटा को अद्यतन न करने, संपत्तियों की कुर्की में देरी और इस मामले में सीईआरएसएआई को कुर्क की गई संपत्तियों की अधिसूचना न देने से संबंधित कुछ मुद्दों को देखा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

i. आईटीबीए में डेटा का अद्यतन न होना

निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, निर्धारिती ने अक्टूबर 2010 में आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें ₹ 4.31 करोड़ की आय घोषित की गई। मूल निर्धारण मार्च 2013 में धारा 143(3) के तहत ₹ 16.32 करोड़ की कर योग्य आय के साथ पूरा किया गया था, और ₹ 5.76 करोड़ कर की मांग जारी की गई थी। इसके बाद, धारा 254 के साथ धारा 144 के तहत निर्धारण को संशोधित किया गया (दिसंबर 2017) और ₹ 5.79 करोड़ कर की मांग की गई।

नवंबर 2021 तक आईटीबीए में 'मांग वसूली स्थिति' के साथ-साथ ई-फाइलिंग पोर्टल से लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मांगें, यानी अप्रैल 2014 में धारा 154 के तहत उठाए गए ₹ 5.69 करोड़ और दिसंबर 2017 में धारा 144 के तहत उठाए गए ₹ 5.79 करोड़ लंबित थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेख से देखा कि दिसंबर 2017 में धारा 144 के तहत उठाए गए केवल ₹ 5.79 करोड़ की नवीनतम मांग वास्तव में निर्धारिती से संग्रह के लिए लंबित थी। धारा 154 के तहत उठाई गई मांग को बाद के आदेश में शामिल कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.69 करोड़ की मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। एसीआईटी, सर्कल 2(1), हैदराबाद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (दिसंबर 2021)। हालांकि, की गई उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, निर्धारिती ने जनवरी 2012 में आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें ₹ 22.87 करोड़ की आय घोषित की गई। निर्धारण दिसंबर 2018 में धारा 147 के साथ धारा 144 के तहत एडीआईटी (जांच) यूनिट 2(4), कोलकाता और आइटीओ 10(2), कोलकाता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जोड़कर पूरा किया गया, जो कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों के साथ ₹ 19.41 करोड़ के उप-अनुबंध लेनदेन के कारण हुआ था। आय का निर्धारण ₹ 43.23 करोड़ किया गया था, और ₹ 18.68 करोड़ कर की मांग की गई थी। निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आईटीबीए के मांग विश्लेषण विवरण की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मांग ₹ 18.68 करोड़ के बजाय ₹ 18.14 करोड़ बताई गई थी जिसके परिणामस्वरूप मांग की ₹ 0.54 करोड़ की कर की कम

रिपोर्टिंग हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (दिसंबर 2021)। हालाँकि, की गई कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2024)। इसके अलावा, धारा 144 के तहत निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 33.32 करोड़ की आय पर किया गया था, और ₹ 14.70 करोड़ कर की मांग उठाई गई थी। इसके बाद, अक्टूबर 2017 में सीआईटी (अपील) हैदराबाद के आदेश को प्रभावी करने वाला एक आदेश पारित किया गया था, और ₹ 6.75 करोड़ की संशोधित मांग उठाई गई थी। नवंबर 2021 की मांग विश्लेषण प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 6.75 करोड़ की संशोधित मांग के बजाय ₹ 14.65 करोड़ की मांग अभी भी दर्शाई गई थी। संशोधित मांग को अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 7.95 करोड़ की मांग की गलत प्रतिवेदन हुई और साथ ही संबंधित टीआरओ को मांग की गलत राशि भी बताई गई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (दिसंबर 2021) को स्वीकार कर लिया और आईटीबीए पोर्टल में मांग को अद्यतन कर दिया। हालाँकि, ई-फाइलिंग पोर्टल में किए गए अद्यतनीकरण का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

ii. संपत्ति की कुर्की में देरी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टीआरओ-सेंट्रल, हैदराबाद ने निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 से संबंधित ₹ 206.04 करोड़ की कुल बकाया मांग के लिए जुलाई 2015 में कर वसूली प्रमाणपत्र (टीआरसी) जारी किया। निर्धारिती से चल और अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा गया (जून 2017)। कंपनी के निदेशकों/ साझेदारों को धारा 179⁵² के तहत आदेश जारी किया गया (दिसंबर 2017), और प्रत्युत्तर में, जवाब प्राप्त हुआ कि उनके बैंक खातों में कोई शेष राशि उपलब्ध नहीं थी। टीआरओ-सेंट्रल, हैदराबाद ने अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए उप-पंजीयक को संबोधित किया (मार्च 2018) और फरवरी 2016 में बैंक खातों की जब्ती के लिए बैंकों को धारा 226(3) के तहत नोटिस जारी किया। इसके अलावा पीसीआईटी-2, हैदराबाद ने डीसीआईटी-2 हैदराबाद को निर्देश दिया कि वह टीआरओ के साथ समन्वय करके ऋण के लिए दी गई समपार्श्विक जानकारी

⁵² आयकर अधिनियम की धारा 179 में यह प्रावधान है कि यदि किसी निजी कंपनी की किसी पिछले वर्ष की आय के संबंध में कर देयताओं की वसूली नहीं की जा सकती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो संबंधित पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निजी कंपनी का निदेशक था, कर देयताओं के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होगा।

और निदेशक के नवीनतम पते के लिए सीआईबीआईएल अधिकारियों को लिखें। जैसा कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन से देखा गया है, एओ ने दर्ज किया था कि "देनदारों को कुर्क किया गया था और जवाब मिले थे कि निर्धारिती कंपनी को कोई शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाना था"। इस प्रकार, टीआरसी तैयार करने और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बीच लंबे अंतराल के कारण, निर्धारिती ने अपनी संपत्ति या अपनी संपत्ति के हिस्से का निपटान कर दिया होगा, जो अंततः कर मांग की वसूली को प्रभावित कर सकता है। मांग की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

iii. कुर्की सीएआरएसएआई के साथ पंजीकृत नहीं किया गया

एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 26सी की उपधारा 2 में प्रावधान है कि पंजीकृत प्रतिभूति हित को किसी अन्य प्राधिकरण/व्यक्ति द्वारा बिक्री, पट्टे या कुर्की जैसे किसी भी रूप में ऐसी संपत्ति पर सृजित किसी भी बाद के प्रतिभूति हित पर प्राथमिकता प्राप्त होगी। सितंबर 2017 में डीआईटी (वसूली) ने सभी प्रधान आयकर आयुक्तों को एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 में प्रासंगिक संशोधन आमंत्रित करते हुए सूचित किया था, जिसमें कहा गया था कि "आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी भी कुर्की आदेश के बारे में सीईआरएसएआई को सूचित करना क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि न केवल कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य बरकरार रहे, बल्कि कुर्क की गई संपत्ति पर आयकर विभाग का अधिकार भी सर्वोच्च बना रहे। क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे अन्य ऋणदाताओं द्वारा पहले से ही कुर्क की गई संपत्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सीईआरएसएआई से संपर्क करें, ताकि न केवल उनसे वसूली हो सके, बल्कि कर चूककर्ताओं की छिपी हुई और अघोषित संपत्तियों का भी पता लगाया जा सके।"

लेखापरीक्षा ने पाया कि इस मामले में, टीआरओ-सेंट्रल हैदराबाद ने धारा 226(3) के तहत बैंकों को बैंक खातों की कुर्की के लिए नोटिस जारी किया (फरवरी 2016) और अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए उप-पंजीयक को संबोधित किया (मार्च 2018)। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त कुर्की के बारे में

सीईआरएसएआई को सूचित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुर्की का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.8 निर्धारिती : मेसर्स डी1 लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी चेन्नई

मेसर्स एस16 लिमिटेड की स्थापना (1992) चेन्नई में हुई थी, जिसने बाद में (1997) अपना नाम बदलकर मेसर्स डी1 लिमिटेड कर लिया। डी2 कंपनी के मुख्य प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक थे। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2000-01 के दौरान शेयर बाजार में हेराफेरी की। विभिन्न अनियमितताओं के कारण, निर्धारिती कंपनी को बीएसई/एनएसई से हटा दिया गया और सेबी द्वारा पूंजी बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा से पाया कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 1995-96, 1996-97, 2000-01 से 2003-04 के लिए अप्रैल 2001 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान निर्धारिती के विरुद्ध धारा 143(3), 148, 154, 271 (1) (सी) और 271ई के तहत कुल ₹ 1,128.61 करोड़ की 10 मांगें जारी थीं। आईटीबीए पोर्टल के अनुसार भी 4 अक्टूबर 2021 तक, उपरोक्त निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारिती के लिए ₹ 1,128.61 करोड़ की मांग की गई थी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 1995-96, 1996-97, 2000-01 से 2003-04 के लिए निर्धारिती की जानकारी अभिलेखों के साथ मांगी, जिसके विरुद्ध निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए दो मांग के मामलों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

निर्धारिती कंपनी 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम थी जो सॉफ्टवेयर के उत्पादन और निर्यात में लगी हुई थी। निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए, निर्धारण आरंभ में धारा 143(3) के तहत जांच के बाद पूरा किया गया था। इसके बाद, निर्धारण को मार्च 2002 और दिसंबर 2004 में धारा 147 और 263 के तहत क्रमशः, दो बार संशोधित किया गया और अंत में, ₹ 6.55 करोड़ की मांग जारी की गई। इस मांग में से, ₹ 4.08 करोड़ को निर्धारण वर्ष 2001-02 प्रतिदाय

से समायोजित किया गया था। धारा 220(2) के तहत ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 2.50 करोड़ की शेष मांग के लिए मामला सितंबर 2005 में टीआरओ को भेज दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीआरओ ने निर्धारिती और प्रधान अधिकारी, डी2 को नोटिस दिया था (जनवरी 2006)।

निर्धारण वर्ष 2000-01 के लिए, निर्धारिती ने नवंबर 2007 में अपनी आयकर विवरणी दाखिल की, जिसमें कारोबार से ₹ 11.41 करोड़ का लाभ दर्शाया गया और अधिनियम की धारा 10बी⁵³ के अंतर्गत संपूर्ण आय पर छूट का दावा किया गया। इस बीच, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने निर्धारिती कंपनी पर छापा मारा (जनवरी 2004) और कंपनी के एमडी को गिरफ्तार कर लिया। कंपनी परिसमापन में है। इसके बाद, दिसंबर 2007 में धारा 147 के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें धारा 10बी के दावे को अस्वीकार कर दिया गया और ₹ 8.69 करोड़ की मांग की गई। इसके बाद धारा 263 के तहत जारी आदेश (मार्च 2010) के अनुसार, मूल्यांकन को रद्द कर दिया गया था और धारा 263 के साथ धारा 144 के तहत दिसंबर 2010 में एक नया निर्धारण पूरा किया गया था, जिसके द्वारा कंपनी के सॉफ्टवेयर और ब्याज प्राप्तियों पर मूल्य हास के अतिरिक्त दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद कर योग्य आय ₹ 67.09 करोड़ पर निर्धारित हुई और ब्याज सहित ₹ 62.55 करोड़ कर की मांग की गई।

इसी तरह, 2001-02 और 2002-03 के लिए निर्धारण पूरा किया गया और आयकर विभाग ने 2001-02 के लिए ₹ 733.05 करोड़ के कर, ₹ 292.66 करोड़ का जुर्माना और निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए ₹ 0.025 लाख के संपत्ति कर के लिए मांग नोटिस जारी किए। सभी मांग नोटिस जेल अधिकारियों के माध्यम से कंपनी के प्रधान अधिकारी को जारी किए गए, लेकिन प्रधान अधिकारी ने उन्हें प्राप्त नहीं किया।

निर्धारण वर्ष 2000-01 और 2003-04 से संबंधित मामले को धारा 220(2) के तहत ₹ 1.25 करोड़ के ब्याज की गणना के बाद टीआरओ को भेजा गया

⁵³ किसी 100 प्रतिशत निर्यातनमुख उपक्रम से करदाता द्वारा प्राप्त लाभ और अभिलाभ को करदाता की कुल आय से अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन बहिष्कृत करना।

(मार्च 2011)। अप्रैल 2011 में, टीआरओ ने ₹ 63.81 करोड़ के कर बकाया के लिए निर्धारिती और प्रधान अधिकारी को संबोधित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण वर्ष 1995-96 और 1996-97 के संबंध में मामला आईटीएटी चेन्नई के समक्ष लंबित था। निर्धारण वर्ष 2001-02 और 2002-03 के संबंध में यह भी पाया गया कि आईटीएटी चेन्नई ने धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए एओ के आदेशों पर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी (जुलाई 2005), जहां मूल रूप से क्रमशः ₹ 733.05 करोड़ (मार्च 2013) की कर मांग और उसके बाद ₹ 291.92 करोड़ (सितंबर 2013) का जुर्माना लगाया गया था। लेखापरीक्षा ने ऋणग्रस्त संपत्तियों की कुर्की, एओ और टीआरओ के बीच समन्वय की कमी और गलत डोजियर प्रतिवेदन देखी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) पहले से ही बंधक अचल संपत्ति की कुर्की

चेन्नई कमिश्नरी के कर वसूली अधिकारी 1 द्वारा रखे गए अभिलेख की जांच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने आईडीबीआई/एसएसएफ (तनावग्रस्त संपत्ति स्थिरीकरण निधि) से ऋण प्राप्त किया था और कंपनी को दी गई वित्तीय सहायता के लिए प्रथम प्रभार के आधार पर मेहसाणा, गुजरात में एक प्लॉट और कार्यशील पूंजी सहायता के लिए इंडसइंड बैंक को द्वितीय प्रभार के आधार पर गिरवी रखा था। तदनुसार, आयकर विभाग ने संपत्ति पर प्रभार सृजित करने के लिए टीआरओ, मेहसाणा को संबोधित किया था, जिसके आधार पर टीआरओ, मेहसाणा ने संपत्ति को कुर्क कर लिया था। टीआरओ के संज्ञान में यह भी आया कि आईडीबीआई/एसएसएफ ने निर्धारिती के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण II, चेन्नई में ओए संख्या 303/2002 के तहत मुकदमा दायर किया था। टीआरओ, चेन्नई ने 26 सितंबर 2011 को ओए संख्या 303/2002 के तहत खुद को याचिका में शामिल करने के लिए एक याचिका दायर की और ₹ 63.81 करोड़ के दावे के निपटान का अनुरोध किया। तथापि, आईडीबीआई/एसएसएफ के पत्र से यह पाया गया है कि अचल संपत्ति एसएसएफ द्वारा कुर्क नहीं की गई थी (मार्च 2012), तथा आईडीबीआई/एसएसएफ के पक्ष में ₹ 108.82 करोड़ का ऋण वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जिसका निष्पादन लंबित था।

(ii) ए.ओ. और टी.आर.ओ. के बीच समन्वय का अभाव

कर मांग के बकाया का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए, एओ और टीआरओ के बीच समन्वय आवश्यक है। टीआरओ को उन सभी मामलों में निर्धारिती के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने का विशेष अधिकार है, जहां मांग एक वर्ष से अधिक पुरानी है। इसलिए, एक वर्ष से अधिक समय से बकाया मांग से जुड़े सभी मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एओ द्वारा टीआरओ को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, टीआरओ को समय-समय पर किए गए निपटान के बारे में एओ को सूचित करना भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने ए.ओ. और टी.आर.ओ. द्वारा बनाए गए डोजियर में बकाया मांगों में अंतर पाया, जैसा कि नीचे तालिका 5.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.10: एओ और टीआरओ अभिलेख के बीच विसंगतियां					
निर्धारण वर्ष	डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार - कॉर. सर्किल 1(1)		डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार - टीआरओ-1 (2014)		₹ में अंतर
	कर / जुर्माना	राशि ₹ में	कर / जुर्माना	राशि ₹ में	
1996-97	कर	2,23,35,614	कर एवं ब्याज	2,71,08,038	46,72,424
2000-01	जुर्माना	5,53,47,600	जुर्माना	0	5,53,47,600
2003-04	जुर्माना	31,85,53,752	जुर्माना	45,000	31,85,08,752
स्रोत: जुलाई 2022 तक की डोजियर प्रतिवेदन					

लेखापरीक्षा मांग में भिन्नता के कारणों का पता नहीं लगा सकी क्योंकि डीसीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल-1(1) (मार्च 2024) से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(III) निर्धारण अभिलेख और डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार डेटा के बीच बकाया मांग के आंकड़ों में विसंगतियाँ

निर्धारण वर्ष 2001-02 के लिए, निर्धारण अभिलेख के अनुसार धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माने के संबंध में बकाया मांग ₹ 291.92 करोड़ थी। जबकि, जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार, ₹ 292.67 करोड़ की बकाया राशि दिखाई गई, जिससे ₹ 0.75 करोड़ का अंतर रह गया, जिसके लिए मिलान की आवश्यकता थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.9 निर्धारिती: मेसर्स टी2 लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी-2, हैदराबाद

मेसर्स टी2 लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 7 नवंबर 1997 को हैदराबाद में निगमित किया गया था।

31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा को पता चला कि आयकर विभाग ने मार्च 2011 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2009-10 से 2012-13 के लिए धारा 143(1ए), 143(3), 144, 154, 115 डब्ल्यूई और 115 डब्ल्यूई(3) के तहत निर्धारिती के खिलाफ ₹ 388.74 करोड़ की आठ मांगें जारी की थीं।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10 और 2012-13 के लिए निर्धारिती की जानकारी के साथ अभिलेखों की मांग की, जिसके विरुद्ध निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित अभिलेख, जिसमें धारा 115डब्ल्यूई(3) के अंतर्गत मांग की गई थी, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

तालिका 5.11: बकाया मांग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		नवंबर 2021 तक आईटीबीए की मांग वसूली स्थिति के अनुसार डेटा	
		मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया	मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया
2006-07	143(3)	22/03/2013	0.98	22/03/2013	0.98
2006-07	115डब्ल्यूई(3)	22/03/2013	0.02	22/03/2013	0.02
2007-08	143(3)	25/03/2013	4.72	25/03/2013	4.72
2009-10	1431ए	05/03/2011	0.75	05/03/2011	0.75
2009-10	115डब्ल्यूई	05/03/2011	0.01	05/03/2011	0.01
2010-11	143(3)	30/03/2013	87.99	30/03/2013	87.99
2011-12	154	03/08/2016	293.01	03/08/2016	293.01
2012-13	144	28/11/2019	1.26	28/11/2019	1.26
कुल			388.74		388.74

स्रोत: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल

इसके अलावा, 23 नवंबर 2021 को आईटीबीए पोर्टल से लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10 से 2012-13 के लिए निर्धारिती के खिलाफ कुल ₹ 388.72 करोड़ की आठ मांगें जारी की थीं। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वित्त अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 से समाप्त किए गए अनुषंगी लाभ कर (धारा 115डब्ल्यूई) से संबंधित ₹ 0.03 करोड़ की मांगें 2013 से वसूली के लिए लंबित थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2021 तक आईटीबीए पोर्टल के अनुसार बकाया मांग की राशि मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांग से मेल खाती है, जो दर्शाता है कि अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज आईटीबीए पोर्टल पर बकाया मांग में शामिल नहीं था।

लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2020-21 की 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन से पाया कि निर्धारिती का पता नहीं चल पाया (दिए गए पते पर कोई कंपनी मौजूद नहीं है)। हालांकि, निर्धारिती के बैंक खाते और अचल संपत्तियां कुर्क कर ली गईं और फरवरी 2016 में निदेशक को बकाया राशि चुकाने के आदेश जारी किए गए। यह भी पता चला कि सीबीआई ने निर्धारिती कंपनी के एमडी को गिरफ्तार किया था। यूनियन बैंक ने कुर्क की गई संपत्ति पर ग्रहणाधिकार का दावा किया, जिसे बैंक ने नीलाम कर दिया और संपत्ति की कुर्की के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की। यह भी पाया गया कि आयकर विभाग ने अभी तक उच्च न्यायालय में जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। सीसीआईटी ने निदेशकों की संपत्तियों का पता लगाने के लिए सीबीआई को एक नया पत्र लिखने का निर्देश दिया। वर्तमान में, सभी मांगों को आयकर विभाग द्वारा "वसूली करने में कठिन मांगों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईटीबीए डेटा अद्यतन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

आईटीबीए में डेटा का अद्यतन न होना

दिसंबर 2011 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारण पूरा किया गया, और धारा 143(1) के तहत उठाई गई ₹ 0.75 करोड़ की मांग को ध्यान में रखते हुए ₹ 10.59 करोड़ की निवल मांग उठाई गई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 143(1) के तहत उठाई गई ₹ 0.75 करोड़ की मांग अभी भी मांग विश्लेषण प्रतिवेदन में दिखाई गई थी, और धारा 143(3) के तहत आदेश के संबंध में कोई मांग नहीं दिखाई गई थी। धारा 143(3) के तहत संशोधित आदेश को अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.84 करोड़ की मांग कम बताई गई।

एसीआईटी, सर्किल 2(1), हैदराबाद ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2021) और कहा कि एएसटी⁵⁴ में पारित धारा 143(3) के तहत आदेश आईटीबीए में अपलोड नहीं किया गया था। इसके अलावा, मामले को सुलझाने के लिए इसे आईटीबीए हेल्पडेस्क को भेजा गया (दिसंबर 2021)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.10 निर्धारिती: मेसर्स पी2 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी-2, हैदराबाद

मेसर्स पी2 लिमिटेड हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है और कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन और संबंधित सेवा उद्योग का हिस्सा है।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा से पाया कि आयकर विभाग ने अगस्त 2012 से मई 2019 की अवधि के दौरान निर्धारण वर्ष 2002-03, 2004-05, 2006-07 और 2008-09 से 2013-14 के लिए धारा 143(3), 154, 220 (2) और 115 डब्लूई (3) के तहत कुल ₹ 275.64 करोड़ की 11 मांगें निर्धारिती कंपनी के विरुद्ध जारी की थीं। आईटीबीए की मांग वसूली स्थिति के अनुसार, समान निर्धारण वर्ष के लिए मांग ₹ 275.10 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने इन निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती की जानकारी के साथ-साथ अभिलेखों की मांग की। निर्धारण वर्ष 2002-03, 2004-05 और 2008-09 के लिए धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांगों का विवरण और आईटीबीए की मांग वसूली की स्थिति नीचे तालिका 5.12 में दी गई है:

⁵⁴ आईटीबीए से पहले आयकर विभाग में निर्धारण कार्य, जैसे रिटर्न प्रोसेसिंग, नियमित निर्धारण, अपील और सुधार आदि के लिए निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) का उपयोग किया जाता था।

तालिका 5.12: बकाया मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		अक्तूबर 2021 तक आईटीबीए की 'मांग वसूली स्थिति' के अनुसार डेटा	
		मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया	मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया
2002-03	220(2)	15/08/2012	0.0067	15/08/2012	0.0067
2004-05	220(2)	15/08/2012	0.0085	15/08/2012	0.0085
2006-07	154	23/07/2014	1.38	23/07/2014	1.38
2008-09	154	11/04/2017	9.89	11/04/2017	9.89
2008-09	220(2)	26/03/2014	0.0013	26/03/2014	0.0013
2009-10	143(3)	31/01/2014	150.83	31/01/2014	150.58
2009-10	115डब्ल्यूई(3)	31/01/2014	0.25	31/01/2014	0.25
2010-11	154	29/03/2017	11.33	29/03/2017	11.21
2011-12	143(3)	30/04/2015	42.39	30/04/2015	42.21
2012-13	154	20/05/2019	15.41	20/05/2019	15.41
2013-14	143(3)	03/10/2017	44.16	03/10/2017	44.16
कुल			275.65		275.10
स्रोत- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल					

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, जनवरी 2014 में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत जारी की गई ₹ 150.83 करोड़ की मांग सबसे अधिक थी, जो निर्धारण वर्ष 2002-03 और निर्धारण वर्ष 2013-14 के बीच जारी की गई कुल मांग का 54.7 प्रतिशत थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2002-03 और 2004-05 के लिए धारा 220(2) के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित कुल ₹ 1.5 लाख की मांगें 2012 से लंबित हैं। यह भी देखा जा सकता है कि निर्धारण वर्ष 2010-11 से वित्त अधिनियम 2009 द्वारा समाप्त किए गए अनुषंगी लाभ कर (धारा 115डब्ल्यूई) से संबंधित मांग 2014 से वसूली के लिए लंबित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ ने टीआरओ को सूचित करते समय कर बकाया के विवरण में मांग को शामिल नहीं किया, जिसकी नीचे विस्तार से चर्चा की गई है:

ए.ओ. और टी.आर.ओ. के बीच समन्वय का अभाव

डीसीआईटी सर्किल 5(1), हैदराबाद ने अप्रैल 2015 में धारा 144 के साथ धारा 92सीए के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 10ए⁵⁵ के तहत ₹ 10.80 करोड़ की कटौती, ₹ 5.62 करोड़ का मूल्यहास अस्वीकार करने और अधिनियम की धारा 92 सीए (3)⁵⁶ के तहत ₹ 58.13 करोड़ की वृद्धि करने के बाद ₹ 90.98 करोड़ की आय का निर्धारण किया और ₹ 42.39 करोड़ कर की मांग की गई। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कर बकाया मांग का विवरण टीआरओ को संप्रेषित करते समय एओ ने उक्त मांग को शामिल नहीं किया था। टीआरओ को इसी मांग की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप उक्त मांग की समय पर वसूली नहीं हो पाई, जिससे सरकारी खजाने के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए निर्धारिती की डोजियर प्रतिवेदन और डीसीआईटी सर्किल-16(2), हैदराबाद द्वारा जून 2017 के एक पत्र से पाया कि यह मामला टीआरओ को स्थानांतरित कर दिया गया था (जून 2017)। हालांकि, निर्धारिती का पता न लगने के कारण मांग की वसूली नहीं की जा सकी। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। सभी मांगों को 'वसूली अयोग्य मांगों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मांगों की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

⁵⁵ मुक्त व्यापार क्षेत्र में नव स्थापित उपक्रमों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है। उपक्रम द्वारा वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ और लाभ के लिए कटौती की अनुमति पिछले वर्ष से प्रासंगिक 10 लगातार निर्धारण वर्षों के लिए दी जाती है जिसमें उपक्रम ने ऐसी वस्तुओं या चीजों का निर्माण या उत्पादन शुरू किया था।

⁵⁶ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में अनुमानित मूल्य निर्धारित करने के लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी से परामर्श लें।

5.3.11	निर्धारिती:	मेसर्स एन3 लिमिटेड
	प्रभार:	पीसीआईटी गुवाहाटी

असम के गोलाघाट जिले के मोरांगी में स्थित मेसर्स एन3 लिमिटेड 1999 में खोली गई और यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और असम सरकार के खनिज और पेट्रोलियम मंत्रालय, असम ऑयल के संयुक्त स्वामित्व में है।

लेखापरीक्षा ने ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों और 31 मार्च 2020 तक मांग वसूली की स्थिति से यह जाना कि निर्धारण वर्ष 2009-10, 2015-16 और 2017-18 से संबंधित कुल ₹ 125.78 करोड़ की तीन मांगें वसूली के लिए लंबित थीं।

लेखापरीक्षा ने ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए में मांग को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाने, कम मांग और गलत प्रतिवेदन से संबंधित कुछ मुद्दे देखे, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए में मांग का बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाना

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, धारा 143(3) के तहत ₹ 125.35 करोड़ की मांग मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर बकाया दिखाई गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने इस मांग के विरुद्ध जनवरी 2020 और मार्च 2020 में क्रमशः ₹ 0.17 करोड़ और ₹ 108.73 करोड़ की राशि का भुगतान किया, तथा ₹ 16.45 करोड़ की शेष राशि वसूली के लिए लंबित थी। इसके अलावा, यह मांग नवंबर 2021 तक आईटीएटी सिस्टम में भी बकाया थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि, दिसंबर 2021 में पारित धारा 154 के तहत सुधार के आदेश के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती के विरुद्ध कोई मांग बकाया नहीं थी, और धन वापसी का भी प्रस्ताव किया गया था।

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, जनवरी 2011 में धारा 115डब्ल्यूई (1) के अंतर्गत अनुषंगी लाभ कर रिटर्न संसाधित किया गया था, जिसमें ₹ 2.66 करोड़ का कुल अनुषंगी लाभ निर्धारित किया गया था और ₹ 0.43 करोड़ कर की मांग की गई थी, जिसे ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीएटी पोर्टल दोनों पर लंबित दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त मांग की गणना निर्धारिती के

₹ 0.57 करोड़ के भुगतान पर विचार करने के बाद की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने आईटीबीए में ओएलटीएएस भुगतान विवरण से देखा कि निर्धारिती ने जून 2008 से सितंबर 2009 की अवधि के दौरान ₹ 0.57 करोड़ के बजाय ₹ 0.91 करोड़ का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.34 करोड़ की अतिरिक्त कर की मांग की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.12 निर्धारिती:	ए3
प्रभार:	पीसीआईटी गुवाहाटी

ए3⁵⁷, जो कि एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी) है, कि स्थापना एक स्थायी अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों के साथ श्रम बल के कल्याण को बनाए रखने के लिए की गई है।

31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा से लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने दिसंबर 2019 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 143(3) के तहत निर्धारिती के खिलाफ ₹ 79.24 करोड़ की मांग की थी। आईटीबीए पोर्टल और डोजियर प्रतिवेदन में इस निर्धारिती की बकाया मांगों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा डोजियर प्रतिवेदन और आईटीबीए पोर्टल में बताई गई बकाया मांग को सत्यापित नहीं कर सका। लेखापरीक्षा यह भी पता नहीं लगा सका कि इस मामले में डोजियर प्रतिवेदन तैयार की गई थी या नहीं।

आयकर कार्यालय वार्ड 1(2), गुवाहाटी ने दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत ₹ 160.31 करोड़ की आय पर नि.व. 2017-18 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए जमा किए गए उपकर निधि और विभिन्न बैंकों में जमा किए गए ऐसे निधियों से अर्जित एफडी ब्याज को शामिल करते हुए, निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 10(46)⁵⁸ के तहत छूट

⁵⁷ अधिसूचना संख्या 131/2021 दिनांक 10 नवंबर 2021 केवल ए3 से संबंधित है और यह वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 पर लागू होगी।

⁵⁸ सामान्य जनता के लाभ के लिए केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी निकाय या प्राधिकरण या सीबीडीटी या ट्रस्ट या आयोग को होने वाली कोई निर्दिष्ट आय कुल आय का हिस्सा नहीं होगी।

प्राप्त करने के लिए आवेदन की वैधानिक फाइलिंग का पालन न करने के कारण जोड़ दिया और इसके खिलाफ ₹ 79.24 करोड़ की मांग उठाई।

लेखापरीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया कि मामला गुवाहाटी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तथा ऐसी मांग के संग्रह पर रोक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। हालांकि, सीबीडीटी ने 10 नवंबर 2021 की अधिसूचना 131/2021 के माध्यम से निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक आयकर से छूट अधिसूचित की थी।

लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि आयकर विभाग ने उक्त निर्धारण वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल न करने के लिए निर्धारिती के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की थी या नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.13 निर्धारिती : मेसर्स एस1 लिमिटेड।

प्रभार: पीसीआईटी- सेंट्रल 1, दिल्ली

मेसर्स एस1 लिमिटेड एक सार्वजनिक रूप से निगमित कंपनी है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कोलकाता के साथ पंजीकृत है। यह स्वामित्व या पट्टे पर दी गई संपत्ति, प्रसारण और टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण आदि के साथ रियल एस्टेट गतिविधियों में शामिल है।

लेखापरीक्षा ने ई-फाइलिंग पोर्टल से निर्धारण वर्ष 1999-2000, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2008-09, 2015-16 और 2017-18 के लिए निर्धारिती के 10 निर्धारण अभिलेखों की पहचान की, जिनमें ₹ 23,473.43 करोड़ की कुल सकल बकाया मांग शामिल थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.13 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 5.13: निर्धारिती के संबंध में लंबित मांगें				
				(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	धारा के अंतर्गत निर्धारिती	आदेश की तिथि	ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार मांग	भौतिक अभिलेख के अनुसार मांग
1999-00	220(2) (ब्याज)	22/01/2020	0.001	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए
2001-02	153सी/143(3)	05/02/2019	2,364.12	2,366.84
	271(1)(सी) (जुर्माना)	30/03/2007	0.22	
2002-03	153सी/143(3)	16/04/2019	2,999.77	2,992.21
2003-04	153सी/143(3)	03/07/2019	-	4,336.38
2004-05	153सी/143(3)	20/09/2019	9,915.86	9,890.85
2007-08	153सी/143(3)	09/12/2019	-	4,771.79
2008-09	143(3)	06/03/2020	7,389.75	7,389.75
2015-16	143(3)	19/03/2019	1.03	-
2015-16	154 आरडब्ल्यूएस 250 आरडब्ल्यूएस143(3)	16/03/2018	-	शून्य
2017-18	143(3)	18/12/2019	802.68	802.68
कुल			23,473.43	32,549.47
स्रोत- ई-फाइलिंग पोर्टल और आयकर विभाग के भौतिक अभिलेख				

डीसीआईटी, सेंट्रल सर्किल 1, दिल्ली द्वारा लेखापरीक्षा हेतु निर्धारण वर्ष 1999-2000 से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, ई-फाइलिंग पोर्टल और भौतिक अभिलेख के बीच उल्लेखनीय अंतर थे, और लेखापरीक्षा इसके कारणों को सत्यापित नहीं कर सकी।

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2004-05, 2007-08 से 2008-09, 2015-16 और 2017-18 के निर्धारण में प्रमुख वृद्धि वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्र (ओएफसीडी) की अस्वीकृत राशि, ओएफसीडी के कारण भुगतान किए गए ब्याज, समझौते की शर्त के उल्लंघन के लिए भुगतान किए गए मुआवजे, गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, छूट प्राप्त आय के विरुद्ध किए गए व्यय के कारण हुई थी।

अगस्त/सितंबर 2006 में अहमदाबाद में आर2 ग्रुप की कंपनियों के परिसरों पर की गई तलाशी और जब्ती के अनुसरण में, डीसीआईटी, सेंट्रल सर्कल 1, दिल्ली ने फरवरी से दिसंबर 2019 तक धारा 153सी और 153ए के साथ धारा 143(3) के तहत नि.व. 2001-02 से 2004-05 एवं 2007-08 के लिए निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया। इन पांच निर्धारण वर्षों के लिए कुल मांग को संशोधित कर ₹ 24,358.07 करोड़ कर दिया गया, जो वसूली के लिए लंबित था। इन मांगों को वसूलने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (मार्च 2024)। निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए, 22 और 23 नवंबर 2014 को निर्धारिती के परिसरों पर तलाशी और जब्ती की गई थी। एओ ने उपरोक्त तलाशी के आधार पर 21/11/2016 को धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा करते हुए, ₹ 3367.73 करोड़ की राशि के अतिरिक्त के कारण ₹ 2,217.60 करोड़ की आय निर्धारित की और ₹ 902.09 करोड़ की कर की मांग की। निर्धारिती ने एओ के आदेश के खिलाफ अपील की (दिसंबर 2016), जिसे सीआईटी (ए) द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई (जनवरी 2018)। निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) द्वारा बरकरार रखे गए वृद्धि के खिलाफ दूसरी अपील (फरवरी 2018) की थी। सीआईटी(ए) के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा भी आईटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर (अप्रैल 2018) की गई थी। आईटीएटी के समक्ष दायर अपीलों के नतीजे की प्रतीक्षा थी।

इस बीच, डीसीआईटी, सेंट्रल सर्किल 1 ने धारा 154 (मार्च 2019) के तहत सुधार आदेश पारित किया। पिछले निर्धारण वर्ष के घाटे को समायोजित करने पर विचार करने के बाद, निर्धारिती को ब्याज सहित ₹ 1.03 करोड़ वापस कर दिए गए। हालाँकि, ₹ 1.03 करोड़ का उपरोक्त प्रतिदाय ई-फाइलिंग पोर्टल पर गलत तरीके से बकाया मांग के रूप में प्रतिवेदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने कुछ अन्य मुद्दे भी देखे जैसे धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज के लिए नोटिस जारी न करना, डोजियर प्रतिवेदन तैयार न करना और टीडीएस दावे की क्रेडिट न देना, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

1. निर्धारण वर्ष के अंत में धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज हेतु नोटिस जारी न करना

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 220(2) के तहत प्रत्येक निर्धारण वर्ष के अंत में ब्याज नहीं लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप छह निर्धारण वर्षों (2002-03 से 2004-05, 2007-08 से 2008-09 और 2017-18) के लिए बकाया मांग को कम करके दिखाया गया, जो कुल मिलाकर ₹ 5,058.78 करोड़ थी।

2. डोजियर प्रतिवेदन तैयार न करना

सीबीडीटी के निर्देशों (सितंबर 2015) के अनुसार, एओ को बकाया मांग के मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए एक डोजियर प्रतिवेदन तैयार करनी थी।

निर्धारिती से संबंधित डोजियर प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार, लेखापरीक्षा वसूली प्रक्रिया और बकाया मांग की प्रभावी निगरानी की पुष्टि नहीं कर सका।

3. टीडीएस दावे की अनुमती न देना

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती को निर्धारण वर्ष के दौरान टीडीएस/टीसीएस दावों की क्रेडिट नहीं दी गई थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.14: टीडीएस दावे का बेमेल होना					
					(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	धारा के तहत किया गया निर्धारण	मूल निर्धारण आदेश की तिथि	निर्धारिती द्वारा दावा किया गया टीडीएस/टीसीएस	आयकर विभाग द्वारा अनुमत टीडीएस/टीसीएस	अंतर
2001-02	153सी/143(3)	02/05/2019	3.42	0	3.42
2003-04	153सी आरडब्ल्यूएस 143(3)	07/03/2019	9.04	0	9.04
2004-05	153सी	20/09/2019	21.20	0	21.20
2007-08	153सी/143(3)	12/09/2019	17.63	0	17.63
2008-09	143(3)	03/06/2020	39.41	37.95	1.46
	कुल		90.70	37.95	52.75

स्रोत: आयकर विभाग के भौतिक अभिलेख

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, निर्धारिती ने उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए ₹ 90.70 करोड़ का टीडीएस/टीसीएस का दावा किया; हालाँकि, आयकर

विभाग ने केवल ₹ 37.95 करोड़ की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.75 करोड़ का अंतर हुआ। बेमेल टीडीएस का मिलान न करने से बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन हो सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.14 निर्धारिती: मेसर्स सी5 लिमिटेड।
प्रभार: पीसीआईटी रांची

मेसर्स सी5 लिमिटेड मेसर्स सी6 लिमिटेड की सहायक है, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। मेसर्स सी5 लिमिटेड की स्थापना 1956 में मेसर्स एन7 लिमिटेड के रूप में की गई थी और अक्टूबर 2007 से यह श्रेणी-1 लघु रत्न कंपनी है। यह कोयला खान प्राधिकरण, केंद्रीय प्रभाग की राष्ट्रीयकृत कोयला खदानों का प्रबंधन करती है।

लेखापरीक्षा ने ई-फाइलिंग पोर्टल से निर्धारण वर्ष 2007-08, 2014-15 से 2016-17 और 2018-19 के लिए निर्धारिती के सात निर्धारण अभिलेखों की पहचान की, जिनमें कुल ₹ 283.13 करोड़ की बकाया मांग शामिल थी।

जैसा कि ई-फाइलिंग डेटा और आईटीबीए की 'मांग वसूली' से देखा गया है, बकाया मांग की राशि, संबंधित निर्धारण वर्ष, धाराएं जिनके अंतर्गत मांगें उठाई गईं, का विवरण नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है:

तालिका 5.15: बकाया मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		नवंबर 2021 में आईटीबीए की 'मांग वसूली स्थिति' के अनुसार डेटा	
		मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया	मांग उठाने की तिथि	मांग उठाई गई और बकाया
2007-08	220(2) (ब्याज)	14/03/2019	1.47	14/03/2019	1.47
2014-15	उपलब्ध नहीं है	16/10/2015	0.00	16/10/2015	0.00
2015-16	220(2) (ब्याज)	27/03/2019	0.19	27/03/2019	0.19
2015-16	263	-	-	20/04/2021	1822.03
2016-17	154	14/01/2020	54.27	14/01/2020	54.27
2016-17	154	14/01/2020	85.13	14/01/2020	85.13
2018-19	143(3)	16/03/2020	142.06	16/03/2020	142.06
कुल			283.13		2,105.16

स्रोत: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2019 में निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2015-16 से संबंधित धारा 220(2) के तहत कुल ₹ 1.66 करोड़ का ब्याज लगाया गया था और लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2021) तक वसूली अभी भी लंबित था। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2015-16 के मामले में ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए सिस्टम के बीच बकाया मांग की राशि में उल्लेखनीय अंतर थे और लेखापरीक्षा इसके कारणों को सत्यापित नहीं कर सका क्योंकि ई-फाइलिंग पोर्टल से आंकड़े मार्च 2020 तक लिए गए थे जबकि धारा 263 के तहत की गई ₹ 1822.03 करोड़ की मांग 20 अप्रैल 2021 में जारी की गई थी और इसे आईटीबीए के मांग वसूली स्थिति में नवम्बर 2021 में दिखाया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा प्रस्तुत किए गए अभिलेख से यह भी पता नहीं लगा सका कि क्या एओ ने निर्धारिती से उपरोक्त ब्याज वसूलने का कोई प्रयास किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारिती ने नवंबर 2016 में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया था जिसमें कुल आय ₹ 3,585.45 करोड़ घोषित की गई थी। धारा 143 (3) के तहत निर्धारण मार्च 2018 में पूरा हुआ, जिसमें ₹ 306.31 करोड़ की वृद्धि के बाद ₹ 3,891.76 करोड़ की आय निर्धारित की गई, और ₹ 96.53 करोड़ कर की निवल मांग उठाई गई। निर्धारिती ने एओ द्वारा किए गए परिवर्धन के खिलाफ अपील की, और सीआईटी (ए) ने निर्धारिती को ₹ 231.97 करोड़ की राहत दी (मार्च 2019) और ₹ 100.78 करोड़ अतिरिक्त आय में जोड़ दिया। मार्च 2019 में ₹ 3,760.57 करोड़ की आय पर सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करने वाला एक आदेश पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.20 करोड़ की निवल मांग हुई। इसके बाद, जनवरी 2020 में धारा 154 के तहत एक सुधार आदेश पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग शून्य हो गई।

हालांकि, आईटीबीए और ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 मार्च 2020 तक 'मांग और वसूली स्थिति प्रतिवेदन' (नवंबर 2021) के अनुसार, ₹ 85.14 करोड़ और ₹ 54.27 करोड़ की दो मांगों को लंबित वसूली के रूप में दिखाया गया था। इससे ₹ 139.41 करोड़ की बकाया मांग की अधिक प्रतिवेदन का पता चला।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.15	निर्धारिती:	एल1
	प्रभार:	पीसीआईटी 1, हैदराबाद

एल1 नामक व्यक्ति का सर्किल 6(1) हैदराबाद में निर्धारण किया गया था। निर्धारण अभिलेख की जांच से पता चला कि भारी धनराशि प्राप्त करने की प्रत्याशा में, निर्धारिती ने आय घोषणा योजना 2016 के तहत ₹ 9,800 करोड़ की आय घोषित की थी। निर्धारिती ने कर्नाटक के बेलगाम के एस5 से ₹ 10,000 करोड़ की राशि प्राप्त करने की प्रत्याशा में घोषणा की थी। निर्धारिती ने 'राइस पुलिंग डिवाइस'⁵⁹ में ₹ 38 लाख का निवेश किया था। बदले में, उसने अपने हिस्से के रूप में उक्त ₹ 10,000 करोड़ प्राप्त करने की प्रत्याशा की। बाद में उसने स्वीकार किया कि इस लेनदेन में उसके साथ धोखा हुआ और उसे पैसे नहीं मिले। दिसंबर 2016 में निर्धारिती के परिसर में तलाशी अभियान भी चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान कोई नकदी या कोई अघोषित संपत्ति नहीं मिली।

ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए की 31 मार्च 2020 तक की 'मांग वसूली स्थिति' के अनुसार निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 से संबंधित निर्धारिती के सात निर्धारण अभिलेख की पहचान की, जिनकी कुल मांग ₹ 7,572.70 करोड़ थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है:

तालिका 5.16: बकाया मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		आईटीबीए की 'मांग वसूली स्थिति' के अनुसार डेटा	
		मांग उठाने की तिथि	बकाया मांग	मांग उठाने की तिथि	बकाया मांग
2011-12	153ए	23/08/2019	0.0049	23/08/2019	0.0049
2012-13	153ए	23/08/2019	0.18	23/08/2019	0.18
2013-14	153ए	23/08/2019	0.21	23/08/2019	0.21
2014-15	153ए	23/08/2019	1.05	23/08/2019	1.05

⁵⁹ कई समाचार पत्रों की रिपोर्टों में चावल उखाड़ने को एक घोटाला बताया गया है: (<https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/rice-pulling-scam-bigger-than-what-meets-the-eye/article29913142.ece>)

तालिका 5.16: बकाया मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		आईटीबीए की 'मांग वसूली स्थिति' के अनुसार डेटा	
		मांग उठाने की तिथि	बकाया मांग	मांग उठाने की तिथि	बकाया मांग
2015-16	153ए	23/08/2019	0.36	23/08/2019	0.36
2016-17	153ए	23/08/2019	0.11	23/08/2019	0.11
2017-18	143(3)	23/08/2019	7,570.79	23/08/2019	7,570.79
कुल			7,572.70		7,572.20

स्रोत- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, धारा 143(3) और 153ए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2011-12 से निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कुल ₹ 7,572.70 करोड़ की मांग की गई, जिसमें सबसे अधिक ₹ 7,570.79 करोड़ की मांग अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित थी।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 7,570.79 करोड़ पर पूरा किया गया, यद्यपि निर्धारिती की तलाशी अभियान के दौरान कोई नकदी या कोई अघोषित संपत्ति नहीं मिली।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि निर्धारिती की मृत्यु 24 फरवरी 2017 को हो गई थी, इसलिए उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने सितंबर 2019 में सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की। अपील का परिणाम और वसूली की स्थिति लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मामला वसूली के लिए दिसंबर 2019 में टीआरओ को स्थानांतरित कर दिया गया था। कुर्की के लिए लगभग दस चल और अचल संपत्तियों की पहचान की गई थी। हालांकि, सभी पहले से ही निर्माण उद्देश्यों के लिए 2016 में निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए सुरक्षा के रूप में मेसर्स एल2 लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई थीं। लेखापरीक्षा ने मांग विश्लेषण विवरण से आगे पाया कि सभी लंबित मांगों को 'वसूली अयोग्य मांगों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.16 निर्धारिती: मेसर्स डी3 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी 1, हैदराबाद

निर्धारिती एक निजी कंपनी है जो मुद्रण और प्रकाशन संबंधी कार्य करती है। डी7 हैदराबाद, तेलंगाना में मेसर्स डी3 लिमिटेड द्वारा प्रकाशित एक भारतीय अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है।

ई-फाइलिंग पोर्टल से, लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के 09 निर्धारण अभिलेखों को देखा, जो कि निर्धारण वर्ष 2008-09, 2010-11 से 2013-14, 2015-16 से 2018-19 से संबंधित हैं, जहाँ 31 मार्च 2020 तक कुल बकाया मांग ₹ 3,043.43 करोड़ दर्शाई गई थी, जबकि आईटीबीए की मांग वसूली स्थिति के अनुसार, समान निर्धारण वर्ष के लिए कुल बकाया मांग ₹ 3,044.05 करोड़ थी। जिसका विवरण नीचे तालिका 5.17 में दिया गया है:

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2008-09, 2011-12 और 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

तालिका 5.17: ई-फाइलिंग और आईटीबीए के अनुसार मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		अक्टूबर 2021 तक आईटीबीए के अनुसार डेटा	
		मांग की तिथि	बकाया मांग	मांग की तिथि	बकाया मांग
2008-09	220(2) (ब्याज)	06/08/2019	0.29	08/06/2019	0.29
2010-11	154	24/04/2018	1,239.15	24/04/2018	1,239.15
2011-12	250	06/01/2017	1,421.65	01/06/2017	1,421.35
2012-13	143(1(ए))	26/03/2014	6.51	26/03/2014	6.51
2012-13	143(3)	08/06/2016	202.09	08/06/2016	202.09
2013-14	143(3)	24/11/2016	171.54	24/11/2016	171.54
2015-16	154	23/10/2017	0.0058	23/10/2017	0.0058
2016-17	143(3)	29/12/2018	1.22	29/12/2018	1.22
2016-17	143(3)	लागू नहीं	लागू नहीं	29/12/2018	0.91
2017-18	143(3)	21/12/2019	0.98	21/12/2019	0.98
2018-19	143(3)	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	18/04/2021	0.00
कुल			3,043.43		3,044.05

स्रोत- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि आईटीबीए के अनुसार धारा 143(1)(ए), 143(3), 154, 220(2), 250, 254 और 153ए के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09, 2010-11 से 2013-14, 2015-16 से 2018-19 के लिए कुल ₹ 3,044.05 करोड़ कर की मांग की गई; तथा अधिनियम की धारा 250 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित ₹ 1421.65 करोड़ की मांग सबसे अधिक रही। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये वृद्धि अस्पष्टीकृत नकद जमा और बेहिसाब बिक्री आय के कारण की गई थी।

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2021-22 को समाप्त तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन से यह भी नोट किया कि निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, अपील आईटीएटी के समक्ष लंबित थी, और निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लिए, ₹ 1623.44 करोड़ की मांग की वसूली पर आईटीएटी द्वारा रोक लगा दी गई थी।

मांगों की वर्तमान स्थिति

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2021-22 को समाप्त तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन से पाया कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद ने 03 जून 2019 के अपने आदेश के माध्यम से परिसमापन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी। आयकर विभाग ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ माननीय एनसीएलएटी नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की क्योंकि एनसीएलटी ने आयकर विभाग के दावे को स्वीकार नहीं किया। एनसीएलएटी ने अपील दायर करने में देरी के कारण आयकर विभाग की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद, आयकर विभाग ने एनसीएलटी के समक्ष सुधार आवेदन दायर किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मांग विश्लेषण विवरण के अनुसार, सभी मांगों को 'वसूल करना कठिन' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए, एओ ने दिसंबर 2015 में ₹ 3,301.17 करोड़ के लिए कर वसूली प्रमाणपत्र तैयार किया और वसूली के लिए मामला टीआरओ को स्थानांतरित कर दिया। टीआरओ ने दिसंबर 2015 में आईटीसीपी-1 तैयार किया और निर्धारित को जारी कर दिया। टीआरओ ने एओ से दिसंबर 2015 में डिफॉल्टर से संबंधित चल और अचल संपत्तियों और विविध लेनदारों की सूची का विवरण मांगा, जिसका जवाब एओ ने डेढ़ साल बाद मई 2017 में दिया, जिसमें कहा गया कि निर्धारण वर्ष 2008-09 से कोई

तरल संपत्ति/अपर्याप्त संपत्ति नहीं है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टीआरओ ने जून 2017 में कंपनी की अचल संपत्तियों और प्राप्तियों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रधान अधिकारी को समन जारी किया था। टीआरओ ने जून 2017 में संपत्तियों के लिए नवीनतम बाजार/पंजीकृत मूल्य और अधिभार विवरण प्रदान करने के लिए उप-पंजीयक को भी संबोधित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती की चल और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी की कमी के कारण लेखापरीक्षा तिथि तक बकाया मांग की वसूली नहीं हो पाई। यह भी पाया गया कि बकाया कर की शीघ्र वसूली के लिए निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती की चल और अचल संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के संबंध में एओ ने सीबीडीटी के निर्देशों⁶⁰ का पालन नहीं किया।

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 143(3) के तहत एक ही निर्धारण आदेश के लिए दो अलग-अलग मांगें (यानी, ₹ 1.22 करोड़ और ₹ 0.91 करोड़) आईटीबीए पोर्टल द्वारा तैयार 29 अक्टूबर 2021 की मांग विश्लेषण और वसूली स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार लंबित दिखाई गई थीं। लेखापरीक्षा आईटीबीए पोर्टल में एक ही धारा के तहत एक ही डीआईएन और मांग की तारीख के साथ दो अलग-अलग मांगों के दिखाई पड़ने के कारणों का पता नहीं लगा सकी।

यह दर्शाता है कि देनदारों, बैंक खातों/बैंक जमाओं आदि सहित परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त करने के संबंध में सीबीडीटी के निर्देश संख्या 1937, दिनांक 25 मार्च 1996 का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बकाया मांग का संचय हुआ और कर देयताओं की शीघ्र वसूली के लिए उपरोक्त निर्देश का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.17 निर्धारिती: एस3 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी 1, हैदराबाद

एस3 लिमिटेड⁶¹ को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (2002 का 39), 2002 और इसके अंतर्गत बनाए गए बहुराज्य ऋण सहकारी सोसाइटी नियम,

⁶⁰ सीबीडीटी निर्देश संख्या 1937 दिनांक 25 मार्च 1996

⁶¹ <http://s3.in/about.html>

2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 2014 में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ई-फाइलिंग पोर्टल से, लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के चार निर्धारण अभिलेख की पहचान की जो कि निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 से संबंधित हैं तथा जिनमें 31 मार्च 2020 तक कुल बकाया मांग ₹ 5,982.24 करोड़ है। आईटीबीए पोर्टल के अनुसार, उपरोक्त निर्धारण वर्षों के लिए बकाया मांग ₹ 7804.22 करोड़ थी। बकाया मांग का विवरण नीचे तालिका 5.18 में दिया गया है:

तालिका 5.18: मांग की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण वर्ष	धारा के तहत उठाई गई मांग	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार डेटा		अक्टूबर 2021 तक आईटीबीए के अनुसार डेटा	
		मांग की तिथि	बकाया मांग	मांग की तिथि	बकाया मांग
2016-17	143(3)	31/12/2018	1,351.55	31/12/2018	1,351.55
2016-17	271बी (जुर्माना)	26/06/2019	0.02	उपलब्ध नहीं है	0.02
2017-18	143(3)	31/12/2019	4,630.61	31/12/2019	4,630.61
2018-19	143(1ए)	22/10/2019	0.06	--	--
	143(3)	-	-	24/09/2021	1,822.04
कुल			5,982.24		7,804.22

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, सबसे अधिक मांग ₹ 4,630.61 करोड़ की थी, जो कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्य वृद्धि निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान सदस्यों से जुटाई गई अस्पष्टीकृत शेयर पूंजी और अस्पष्टीकृत व्यय के कारण हुई थी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए भौतिक अभिलेखों और ई-फाइलिंग पोर्टल/आईटीबीए के वसूली विवरण/डोजियर प्रतिवेदन के बीच बकाया मांग की प्रतिवेदन में विसंगतियां देखीं। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 2817.93 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी, और दिसंबर 2018 में निर्धारिती को

₹ 1355.57 करोड़ की निवल मांग जारी की गई थी। हालांकि, आईटीबीए की मांग वसूली स्थिति और डोजियर प्रतिवेदन में ई-फाइलिंग पोर्टल पर यह ₹ 1351.57 करोड़ के रूप में परिलक्षित हुआ था, जो सिस्टम में बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन का संकेत था।

(i) मांगों की वर्तमान स्थिति:

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन से पाया कि निर्धारिती ने जनवरी 2019 में निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए सीआईटी (ए) के समक्ष अपील की थी, और दोनों लंबित थे। इस बीच, पीसीसीआईटी एपी और तेलंगाना ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ एक करोड़ के भुगतान की मांग पर रोक लगा दी।

अक्टूबर 2019 में मामला वसूली के लिए टीआरओ को स्थानांतरित कर दिया गया। नवंबर 2019 में टीआरओ ने आईटीसीपी-1 तैयार कर निर्धारिती को भेज दिया।

मांग विश्लेषण विवरण के अनुसार, आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए मांगों को 'वसूली के लिए कठिन' श्रेणी में रखा है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए, पीसीआईटी ने दिखाया कि मांग बनी रही। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, मांग को 'कठिन वसूली' कहा गया क्योंकि वसूली के लिए कोई संपत्ति नहीं थी या अपर्याप्त संपत्ति थी। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, एओ ने उन बैंक खातों को जब्त कर लिया जिनमें कोई शेष राशि नहीं थी।

(ii) व्यावसायिक आय की गलत गणना

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें अस्पष्टीकृत नकद ऋण के लिए ₹ 3988.81 करोड़ और अस्पष्टीकृत व्यय के लिए ₹ 357.86 करोड़ जोड़ने के बाद ₹ 4704.59 करोड़ की आय निर्धारित की गई। लाभ और हानि खाते में दिखाए गए ₹ 357.91 करोड़ की ब्याज आय को भी कर के दायरे में लाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि ₹ 357.91 करोड़ की कुल प्राप्ति पर पहले ही कर लगाया जा चुका था, इसलिए ₹ 357.86 करोड़ के व्यय की अस्वीकृति

के परिणामस्वरूप ₹ 357.86 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण हुआ और परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 367.68 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई।

आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और सितंबर 2022 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की। इस प्रकार, सुधार आदेश के बाद निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 4630.61 करोड़ की बकाया मांग घटकर ₹ 4262.94 करोड़ रह गई।

वसूली का विवरण और मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.18 निर्धारिती: एन1 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी - 4, नई दिल्ली

एन1 लिमिटेड⁶² को मेसर्स आई3 लिमिटेड द्वारा एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के रूप में बढ़ावा दिया गया है, जिसका उद्देश्य निर्माण, स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण (बीओओटी) आधार पर डीएनडी फ्लाइवे का विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। एन1 लिमिटेड एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, जिसे 1996 में उत्तर प्रदेश, भारत में शामिल किया गया था और यह केवल भारत में ही काम करती है।

ई-फाइलिंग पोर्टल से, लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15, 2016-17 और 2017-18 से संबंधित 23 मामलों का उल्लेख किया। 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर ₹ 23,837.90 करोड़ की कुल मांग बकाया थी।

आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 और 2017-18 से संबंधित 20 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत किए, जिनकी कुल मांग ₹ 23,441.86 करोड़ थी। हालांकि, 2016-17 के लिए ₹ 349.81 करोड़ की बकाया मांग से संबंधित दो मामलों के अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा, अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने के लिए परिणामी कार्रवाई, आईटीबीए के अनुसार मांग की स्थिति और डोजियर प्रतिवेदन भी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई।

⁶² <https://ntbcl.com/company-info.php>

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 250 के तहत अपील आदेश से देखा कि निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए निर्धारण अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) और धारा 143(3) के तहत पूरा किया गया था।

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए निर्धारण और दंड कार्यवाही के विरुद्ध आयकर आयुक्त (ए) के समक्ष अपील दायर की। निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए अपील मामलों का निपटारा मार्च 2018 और सितंबर 2018 में किया गया तथा परिवर्धन को आयकर आयुक्त (ए) द्वारा बरकरार रखा गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014, 2015 और 2016 में पूर्ण किए गए मूल निर्धारण आदेश/पुनर्निर्धारण आदेशों के अनुसार जारी की गई मांगें और जो की मार्च 2018 में सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखी गई, दिसंबर 2023 की आईटीबीए मांग और वसूली योग्यता स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार 'वसूली के लिए कठिन मांगें' थीं। आदेशों, डोजियर प्रतिवेदनों और अन्य विवरणों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा नियंत्रण तंत्रों जैसे डोजियर प्रतिवेदनों का रखरखाव, मामले को टीआरओ को स्थानांतरित करना, अपील दायर करने से पहले निर्धारिती द्वारा मांग की न्यूनतम राशि का भुगतान, मांग के संग्रह पर दी गई कोई रोक आदि की प्रभावशीलता को सत्यापित नहीं कर सका।

निर्धारिती की वर्तमान स्थिति: दिसंबर 2023 की आईटीबीए मांग और वसूली स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 और निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए बीआईएफआर/एनसीएलटी के समक्ष स्वीकार की गई मांगें ₹ 16,704.40 करोड़ थीं और इन मांगों को 'वसूली के लिए कठिन' मांगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.19 निर्धारिती:	मेसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड
प्रभार:	पीसीआईटी-अंतर्राष्ट्रीय कराधान

मेसर्स सी1 प्राइवेट लिमिटेड एक विदेशी कंपनी है जिसे स्कॉटलैंड में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में जून 2006 में निगमित किया गया था। मेसर्स सी1

प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स सी7 लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी को निगमित किया (अगस्त 2006 में) जिसने सी7 में साधारण शेयर प्राप्त करने के बदले में कई विदेशी और भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी सी7 को हस्तांतरित कर दी।

21 अगस्त 2006 को, सी1 प्राइवेट लिमिटेड ने एक भारतीय सहायक कंपनी, मेसर्स सी8 लिमिटेड को शामिल किया। 15 सितंबर 2006 को, सी1 प्राइवेट लिमिटेड ने सी7 लिमिटेड और सी8 लिमिटेड, यानी अपनी दोनों सहायक कंपनियों के साथ एक सदस्यता और शेयर खरीद समझौता किया। इस समझौते के अनुसार, सी8 लिमिटेड को सी7 लिमिटेड की 21.85 प्रतिशत शेयर पूंजी का अधिग्रहण करना है। सी7 लिमिटेड के उक्त शेयरों का पूरा मूल्य भारत में स्थित परिसंपत्तियों से प्राप्त होता है, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित पूंजीगत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण होता है और अधिनियम की धारा 9(1)(i)⁶³में निर्धारित शर्तों को लागू करता है। जिससे सी1 प्राइवेट लिमिटेड के हार्थों में पूंजीगत लाभ कर योग्य हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार निर्धारिती के विरुद्ध कुल ₹ 14,423.50 करोड़ की मांग बकाया है, जो कि निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2018-19 के तीन मामलों से संबंधित है। हालाँकि, आईटीबीए पोर्टल के अनुसार बकाया मांग का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। ई-फाइलिंग पोर्टल और भौतिक अभिलेखों के अनुसार बकाया मांग का विवरण नीचे तालिका 5.19 में दिया गया है:

⁶³ आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, भारत में किसी भी व्यावसायिक संबंध के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी संपत्ति के माध्यम से या उससे, या भारत में किसी परिसंपत्ति या आय के स्रोत के माध्यम से या उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय या भारत में स्थित किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से, भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाएगी।

तालिका 5.19: बकाया मांग की स्थिति				
(₹ करोड़ में)				
निर्धारण वर्ष	धारा के अंतर्गत निर्धारण	मांग की तिथि	मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांग	भौतिक अभिलेखों के अनुसार मांग
2007-08	143(3) आरडब्ल्यूएस 148 आरडब्ल्यूएस 144सी(13)	25/01/2016	4,111.47	29,102.51
2007-08	254	31/03/2017	उपलब्ध नहीं है	11,681.99
2007-08	271(1)(सी) (जुर्माना)	29/09/2017	10,247.36	10,247.36
2018-19	143(1ए)	11/02/2019	64.65	उपलब्ध नहीं है
2018-19	143(3)	20/09/2021	उपलब्ध नहीं है	75.93
2018-19	154	23/10/2021	उपलब्ध नहीं है	-92.87
कुल			14,423.48	51,014.92
स्रोत- ई-फाइलिंग पोर्टल और आयकर विभाग के भौतिक अभिलेख				

निर्धारण वर्ष 2007-08 के संबंध में, निर्धारिती ने कोई आय रिटर्न दाखिल नहीं की। निर्धारण धारा 143(3) धारा 148 के साथ पढ़ें धारा 144सी (13) के साथ पढ़ें के तहत जनवरी 2016 में पूरा हुआ, जिसमें निर्धारिती के हाथों में शेयरों के हस्तांतरण से उत्पन्न अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के लिए ₹24,503.50 करोड़ की राशि जोड़ने के बाद कुल आय ₹ 24,503.50 करोड़ निर्धारित की गई। आयकर विभाग ने धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 29,102.51 करोड़ कर की मांग की।

सी1 प्राइवेट लिमिटेड ने आईटीएटी में अपील की, जिसमें कहा गया कि धारा 234ए और 234बी के तहत लगाया गया ब्याज उनके मामले में लागू नहीं होता। आईटीएटी ने धारा 234ए और 234बी के तहत लगाए गए ब्याज को माफ करके निर्धारिती के पक्ष में मामले को आंशिक रूप से अनुमति दी (मार्च 2017), और अपील प्रभाव आदेश (मार्च 2017) में कुल मांग ₹ 11,681.99 करोड़ आंकी गई, जिसमें 14 महीनों के लिए धारा 220(2) के तहत ₹ 1,434.63 करोड़ का ब्याज शामिल है।

इस बीच, मार्च 2015 में मेसर्स सी9 लिमिटेड ने भी भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संधि पर भरोसा करके अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण⁶⁴ में कार्यवाही शुरू की।

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, ₹ 341.95 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए, सितंबर 2021 में संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारण में ₹ 143.70 करोड़ का टीडीएस अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.93 करोड़ कर की मांग हुई। आयकर विभाग ने (अक्टूबर 2021) अधिनियम की धारा 154 के तहत एक सुधार आदेश पारित किया था, जिसमें ₹ 143.70 करोड़ का टीडीएस स्वीकृत करने के बाद ₹ 75.93 करोड़ की मूल कर की मांग को रद्द कर दिया गया था, जिसे मूल निर्धारण में अस्वीकृत कर दिया गया था और ₹ 92.87 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी जो निर्धारिती को वापसी योग्य थी। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 92.87 करोड़ की वापसी का भुगतान/समायोजन अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अधिसूचित 'कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2021' के माध्यम से पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधानों को इन विशिष्ट शर्तों के साथ वापस ले लिया है कि कंपनियां वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत शुरू की गई मध्यस्थता, सुलह या मध्यस्थता को वापस ले लेंगी या वापस लेने का वचन देंगी, कंपनियों को किसी भी उपाय या किसी दावे की मांग करने या आगे बढ़ाने के अधिकार को भी छोड़ना होगा, उन करों को वापस करते समय कोई ब्याज देय नहीं होगा जो कंपनी ने पहले विरोध के तहत भुगतान किया होगा।

इसके अनुसरण में, इस संशोधन को प्रभावी करने वाला आदेश पीसीआईटी, अंतर्राष्ट्रीय कराधान-1, नई दिल्ली द्वारा फरवरी 2022 में दिया गया, जिसमें निर्धारिती को देय प्रतिदाय की अनुमति दी गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

⁶⁴ आईटीएटी की आदेश सं. ITA No./1669/2016, तिथि 09 मार्च 2017

5.3.20	निर्धारिती:	मेसर्स आई2 प्राइवेट लिमिटेड
	प्रभार:	पीसीआईटी-2, बंगलुरु

कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण, व्यापार, पट्टा और वित्तपोषण, कंप्यूटर उपकरणों का रखरखाव तथा आईटी-सक्षम सेवाएं प्रदान करती है।

समेकित ₹ 6,188.72 करोड़ की दस मांगें (निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2007-08, 2009-10 से 2012-13, 2014-15, 2016-17 और 2017-18) निर्धारिती के खिलाफ लंबित थीं। ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार विवरण और लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित भौतिक अभिलेख नीचे तालिका 5.20 में दिखाए गए हैं:

तालिका 5.20: बकाया मांग की स्थिति				
				(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मांग की तिथि	31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांग	भौतिक अभिलेख के अनुसार मांग
2005-06	143(3)	26/12/2008	-	230.53
2005-06	220(2) (ब्याज)	19/11/2019	166.24	उपलब्ध नहीं है
2006-07	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी(13) और 254	18/10/2010	71.38	335.08
2007-08	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी	15/02/2011	208.47	371.16
2009-10	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी	05/02/2018	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2009-10	154	15/06/2018	1,626.95	1,626.95
2010-11	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी आरडब्ल्यूएस 92सीडी	08/01/2018	उपलब्ध नहीं है	130.05
2010-11	154	15/06/2018	442.15	677.74
2011-12	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी आरडब्ल्यूएस 92सीडी	08/01/2018	196.36	43.09
2011-12	154	15/06/2018	उपलब्ध नहीं है	245.35

तालिका 5.20: बकाया मांग की स्थिति				
(₹ करोड़ में)				
निर्धारण वर्ष	निर्धारण विवरण	मांग की तिथि	31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांग	भौतिक अभिलेख के अनुसार मांग
2012-13	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी आरडब्ल्यूएस 92सीडी	08/01/2018	425.67	671.81
2012-13	154	15/06/2018	उपलब्ध नहीं है	652.03
2014-15	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी(13)	28/03/2019	722.13	943.33
2014-15	154	14/05/2019	उपलब्ध नहीं है	985.81
2016-17	143(1)	28/03/2018	47.96	47.96
2017-18	143(1)	28/03/2019	2,281.40	2,281.40
कुल			6,188.71	9,242.29

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए ₹ 173.68 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित करते हुए एक सुधार आदेश पारित किया गया था (जनवरी 2020), और उक्त प्रतिदाय को निर्धारण वर्ष 2014-15 के कर बकाए के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। हालाँकि, इसे निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में अद्यतन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारिती के विरुद्ध ₹ 71.38 करोड़ की मांग बकाया दिखाई गई थी।

निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए, निर्धारिती ने आपसी सहमति प्रक्रिया (एमएपी)⁶⁵ के माध्यम से निपटान को प्राथमिकता दी। एमएपी कार्यवाही पूरी होने के बाद निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 371.15 करोड़ की मूल मांग को घटाकर (फरवरी 2018) ₹ 209.44 करोड़ कर दिया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ई-फाइलिंग पोर्टल में ₹ 208.47 करोड़ की राशि लंबित दिखाई गई थी। लेखापरीक्षा प्रस्तुत अभिलेखों से सहमत मांग⁶⁶ को वसूलने के

⁶⁵ डीटीए के अंतर्गत निर्धारिती के लिए एक वैकल्पिक कर विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध है, जो दोहरे कराधान या डीटीए के अनुरूप न होने वाले कराधान को जन्म देने वाले विवादों को हल करने के लिए है।

⁶⁶ ₹ 116.60 करोड़ का टी.पी. समायोजन किया गया तथा करदाता को मांग का 30 प्रतिशत (₹ 34.98 करोड़) चुकाना होगा।

लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी। निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, एमएपी पूरा नहीं किया गया था, और ₹ 445.14 करोड़ की बैंक गारंटी एकत्र करने के बाद मांग संग्रह को स्थगित रखा गया था।

निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2018-19 के संबंध में, निर्धारिती ने फरवरी 2013 और जून 2015 में सीबीडीटी के साथ अधिनियम की धारा 92सीसी और 92सीडी के अंतर्गत अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता किया, जिसमें घोषित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का अनुमानित मूल्य निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 और 2014-15 के लिए ₹ 2,560.97 करोड़⁶⁷ की लंबित मांगों हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मुद्दों के अलावा अन्य परिवर्धन से संबंधित थीं। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2012-13 से संबंधित मांगों पर माननीय आईटीएटी, बंगलुरु द्वारा फरवरी 2020 तक रोक लगा दी गई थी। उसके बाद बकाया राशि वसूलने के लिए की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए, सीपीसी, बंगलुरु द्वारा ₹ 47.96 करोड़ और ₹ 2,281.40 करोड़ की मांग का निर्धारण सरसरी तौर पर किया गया, क्योंकि निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 35.59 करोड़ के टीडीएस को अस्वीकार कर दिया गया था और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मार्च 2019 में संपूर्ण पूर्वभुगतान करों (टीडीएस - ₹ 599.32 करोड़, एटी- ₹ 1171.65 करोड़ और एसएटी - ₹ 17.42 करोड़) को अस्वीकार कर दिया गया था।

आईटीबीए की मांग विश्लेषण और वसूली स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार, 03/11/2021 को धारा 154 के तहत पारित सुधार आदेश के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2017-18 की मांग ₹ 2,281.40 करोड़ से घटाकर 766.67 करोड़ कर दी गई थी। मांग विश्लेषण और वसूली स्थिति प्रतिवेदन के अनुसार, ₹ 208.47 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2007-08) की मांग को छोड़कर सभी मांगों को 'संग्रहणीय' के रूप में प्रतिवेदन किया गया था, जिसे 'वसूली करना कठिन' के रूप में प्रतिवेदन किया गया था। हालाँकि, ये मांगें संग्रह के लिए लंबित थीं (मार्च 2023)।

⁶⁷ 15/06/2018 को सुधार आदेश पारित करने के बाद ₹ 677.75 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2010-11), ₹ 245.36 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2011-12), ₹ 652.04 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2012-13) और ₹ 985.82 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2014-15)

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.21	निर्धारिती:	ए4
	प्रभार:	पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद

निर्धारिती शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश और व्यापार में शामिल था। ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक निर्धारिती के खिलाफ निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2016-17 से संबंधित 11 मामलों में कुल ₹ 2445.27 करोड़ की मांग बकाया थी। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2016-17 के लिए निर्धारिती के सभी 11 चयनित मामलों की जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण में अस्पष्टीकृत नकद ऋण और अस्पष्टीकृत व्यय पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 69 के तहत परिवर्धन किए गए थे और कुल ₹ 2,445.27 करोड़ कर की मांग की गई थी।

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के ₹ 1,788.40 करोड़ की बकाया मांग को धारा 154 के तहत सुधारा गया और इसे संशोधित कर ₹ 2,328.14 करोड़ कर दिया गया था। हालांकि, संशोधित मांग को टीआरओ को अग्रेषित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप टीआरओ को ₹ 539.74 करोड़ की मांग की कम प्रतिवेदन हुई। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, आयकर विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई की और मई 2021 में टीआरसी में मांग को अद्यतन किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की मांगों के लिए अपील दायर की और यह सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है।

इसके अलावा, जुलाई 2017 में धारा 154 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 117.11 करोड़ की मांग उठाई गई थी। इसके बाद, मार्च 2018 में धारा 250 के तहत आदेश पारित करने के बाद ₹ 118.19 करोड़ की संशोधित मांग उठाई गई थी। हालांकि, बकाया मांग रजिस्टर और डोजियर प्रतिवेदन में नवीनतम मांग को अद्यतन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मांगें अगस्त 2016 से लंबित थीं। डीसीआईटी, सेंट्रल सर्कल 1(2) अहमदाबाद द्वारा राशि वसूलने के लिए की गई कार्रवाई के विवरण पता नहीं चल सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)

5.3.22 निर्धारिती: ए5
प्रभार: पीसीआईटी (केंद्रीय), अहमदाबाद

निर्धारिती शेयरों और प्रतिभूतियों के निवेश और व्यापार में शामिल था।

31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा को पता चला कि निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2015-16 और 2017-18 से संबंधित ₹ 2,485.45 करोड़ की नौ मांगें निर्धारिती के विरुद्ध लंबित थीं।

आईटीबीए पोर्टल के अनुसार मांगों का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 के लिए धारा 153(ए) के साथ धारा 143(3) के तहत अंतिम रूप दिया गया। बैंक में अस्पष्टीकृत क्रेडिट प्रविष्टियों, क्रेडिट प्रविष्टियों पर अस्पष्टीकृत कमीशन आदि के कारण कुल आय में परिवर्धन की गई और कुल ₹ 2,485.45 करोड़ कर की मांग की गई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 की मांगों के खिलाफ अपील दायर की और यह सीआईटी (अपील) के समक्ष लंबित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के लिए बकाया ₹ 2,184.68 करोड़ की मांग को मई 2019 में धारा 154 के तहत सुधारा गया और इसे संशोधित करके ₹ 2,367.72 करोड़ कर दिया गया। संशोधित मांग को टीआरओ को अग्रेषित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप टीआरओ को ₹ 183.04 करोड़ की मांग की कम प्रतिवेदन हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, आयकर विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई की और मई 2021 में टीआरसी में मांग को अद्यतन किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मांगें मई 2019 से लंबित थीं। डीसीआईटी सेंटरल सर्कल 1(2), अहमदाबाद द्वारा राशि वसूलने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण पता नहीं चल सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.23 निर्धारिती: एस4
प्रभार: पीसीआईटी 1, अहमदाबाद

निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ है। 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती के खिलाफ लंबित कुल मांग ₹ 2,772.55 करोड़ थी, जो कि निर्धारण वर्ष 2007-08 और 2009-10 से 2016-17 तक के नौ मामलों में थी।

निर्धारण वर्ष 2007-08 से संबंधित अभिलेख तथा आईटीबीए पोर्टल के अनुसार मांग का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने भौतिक अभिलेखों से पाया कि अघोषित आय, प्राप्ति, निधि, बैंक बैलेंस, व्यय, बेनामी निवेश आदि के कारण कुल आय में परिवर्धन करने के बाद निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2016-17 के लिए धारा 250/154 और 147 के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया था और कुल ₹ 3,122.34 करोड़ कर की मांग की गई थी। जुलाई 2017 में मांग नोटिस जारी किए गए थे। जबकि, ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक कुल ₹ 2,772.55 करोड़ की मांग बकाया थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 349.79 करोड़ की बकाया मांग में अंतर था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा बकाया मांग में अंतर के कारणों का पता नहीं लगा सकी क्योंकि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.24 निर्धारिती: डी4
प्रभार: पीसीआईटी छूट, चंडीगढ़

निर्धारिती सिरसा में पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका छूट सर्किल 1 चंडीगढ़ के अंतर्गत निर्धारण किया गया है।

लेखापरीक्षा में 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के सात मामलों में कुल ₹ 410.09 करोड़ की मांगें बकाया थीं। आईटीबीए पोर्टल के अनुसार, वही मांगें बकाया दिखाई गईं।

लेखापरीक्षा ने सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली डोजियर प्रतिवेदन से देखा कि अगस्त 2019/दिसंबर 2019 में सभी निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारिती को आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत धर्मार्थ गतिविधियों को आगे बढ़ाने के बजाय वाणिज्यिक गतिविधियों को करते हुए पाया गया था। निर्धारिती की गतिविधि को सामान्य व्यवसाय मानते हुए धारा 11 के तहत छूट से इनकार कर दिया गया था। निर्धारिती ने सितंबर 2019/जनवरी 2020 में सीआईटी (ए) के समक्ष इन निर्धारणों के खिलाफ अपील की और अपील के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही थी। डोजियर प्रतिवेदन में बकाया मांग को 'अवास्तविक और वसूली अयोग्य मांग' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जैसा कि डोजियर प्रतिवेदन से देखा जा सकता है, उपरोक्त मांग को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया (अगस्त 2017) कि निर्धारिती की संपत्तियों को बैंक खाता सहित बेचा, स्थानांतरित, अलग या भारग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को खातों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे। बताया गया कि कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि, डोजियर प्रतिवेदन में उनका विवरण/निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया।

इसके अलावा, वसूली प्रक्रिया में एओ द्वारा की गई कार्रवाई और मामले की वर्तमान स्थिति की प्रतीक्षा है (मार्च 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.25	निर्धारिती:	सी4
	प्रभार:	पीसीआईटी 1, अहमदाबाद

निर्धारिती चेक भुनाने में संलिप्त था। धारा 133ए के तहत मेसर्स एस6 लिमिटेड के परिसर में सर्वेक्षण किया गया, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण निर्धारिती के पास था।

31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा से लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 के लिए निर्धारिती के विरुद्ध

₹ 3,074.32 करोड़ की सात मांगें जारी की थीं। इसके अलावा, 16 नवंबर 2021 तक आईटीबीए पोर्टल से लेखापरीक्षा ने पाया कि इन निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती के विरुद्ध कुल ₹ 3074.33 करोड़ की मांगें लंबित थीं।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के अभिलेखों सहित सूचना मांगी। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आईटीएटी अपील से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.3.26	निर्धारिती:	एम2 और ए6
	प्रभार:	पीसीआईटी सेंट्रल-4, मुंबई

ये निर्धारिती एम3 समूह के सहयोगियों से संबंधित हैं। 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के आंकड़ों से लेखापरीक्षा ने पाया कि एम2 के संबंध में, आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2012-13 के लिए ₹ 2,818.17 करोड़ की 11 मांगें जारी की थीं और ए6 के संबंध में, निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2011-12 के लिए ₹ 2,042.92 करोड़ की 10 मांगें जारी की थीं।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2012-13 तक के लिए निर्धारिती के अभिलेखों सहित सूचना मांगी। सभी अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

यद्यपि ई-फाइलिंग पोर्टल में इन दोनों निर्धारिती के संबंध में कुल ₹ 4,861.09 करोड़ की मांग दर्शाई गई थी, परन्तु निर्धारण अभिलेख के अनुसार वास्तविक मांग केवल ₹ 2,170.60 करोड़ थी (एम2 के मामले में ₹ 1,377.70 करोड़ और ए6 के मामले में ₹ 792.90 करोड़)।

दोनों निर्धारिती की डोजियर प्रतिवेदन में आयकर विभाग ने मांग को "शुद्ध वसूली योग्य मांग" के रूप में वर्गीकृत किया था। दोनों निर्धारिती से संबंधित मामले मार्च 2012 में टीआरओ को हस्तांतरित कर दिए गए थे।

एम2 के मामले में आयकर विभाग ने अचल संपत्ति, यानी मार्च 2012 में एक दुकान और फरवरी 2013 में शेयर जब्त किए थे। सुरक्षात्मक मांग (एम2 के

मामले में ₹ 1,341.31 करोड़ और ए6 के मामले में ₹ 764.37 करोड़) (डोजियर प्रतिवेदन के अनुसार) होने के कारण आयकर विभाग द्वारा कोई वसूली नहीं की गई है। ए6 के मामले में आयकर विभाग द्वारा किसी भी संपत्ति को जब्त करने या मांग को वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा, सीएपी-1 विवरण तैयार करते समय बकाया मांग की सही स्थिति को दर्शाने के लिए, अंतरों को सुलझाने के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अध्याय 6 अनुपालन संबंधी मुद्दे

6.1 परिचय

बकाया मांगों का सही निर्धारण, नियत तिथि के भीतर निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करना तथा अधिनियम, नियमों और सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करना बकाया मांग को कम करने की दिशा में आवश्यक घटक हैं। बकाया मांग की वसूली के संबंध में निर्धारण अधिकारी के कार्यों में निर्धारिती के बैंक खातों की जब्ती, निर्धारिती द्वारा प्राप्त होने वाले वेतन और अन्य देय राशियों की जब्ती, डोजियर प्रतिवेदन का रखरखाव और वसूली न किए जा सकने वाले मामलों को टीआरओ को हस्तांतरित करना ताकि चल और अचल संपत्तियों की कुर्की/निपटान की जा सके, शामिल है। निर्धारण अधिकारी और कर वसूली अधिकारी के कार्य आपस में जुड़े हुए हैं और उन्हें बकाया मांग को कम करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है।

यह अध्याय एओ और टीआरओ के अभिलेखों की जांच करते समय पाए गए अनुपालन मुद्दों से संबंधित है। पाई गई त्रुटियां निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं (i) डोजियर प्रतिवेदन के रखरखाव में विसंगतियां; (ii) गलत मांगें जारी करना; (iii) अपील के बाद परिणामी आदेश जारी करने में अत्यधिक देरी; (iv) टीआरओ द्वारा टीआरसी की निपटान में देरी; (v) संपत्तियों की कुर्की न करना, आदि।

लेखापरीक्षा ने डोजियर प्रतिवेदन में विसंगतियां देखीं, जिससे पता चला कि एओ ने डोजियर प्रतिवेदन तैयार करते समय अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, जबकि डोजियर प्रतिवेदन निगरानी अधिकारियों के लिए बकाया मांगों के विश्लेषण और नीतियों के निर्माण तथा संग्रह/वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करती हैं। साथ ही, कुछ मामलों में डोजियर प्रतिवेदन तैयार नहीं की गई थी।

पहले से भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट न देने और अपील आदेशों को प्रभावी करने में गलतियों के कारण निर्धारिती के खिलाफ अतिरिक्त मांगों की गईं। इसके बढ़ी हुई मांग की प्रतिवेदन करने के अलावा निर्धारिती को उत्पीड़न और परेशानी भी हुई। इसके अलावा, एओ द्वारा अपील आदेशों को प्रभावी करने में देरी के परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपील आदेशों को प्रभावी करने में देरी के परिणामस्वरूप, अपीलीय अधिकारियों/न्यायिक मंचों द्वारा मांग निरस्त किए जाने के बाद भी, अभिलेखों में मांगों को बकाया के रूप में प्रदर्शित किया गया। जिन मामलों में प्रतिदाय जारी करने में देरी हुई, उनमें आयकर विभाग को धारा 244ए के तहत ब्याज जारी करना पड़ा, जो अन्यथा टाला जा सकता था। इसके अलावा, विभिन्न अपील प्रभावी आदेश या तो निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित नहीं किए गए या अधिक देरी से पारित किए गए जो कि 11 वर्ष तक थी।

एओ मांग पर रोक लगाने से संबंधित सीबीडीटी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बकाया मांगों का ढेर लग गया। इसके अलावा, ऐसे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने किशतों के भुगतान में चूक के ऐसे मामले देखे, जहां निर्धारिती को बकाया मांग का 15 या 20 प्रतिशत किशतों में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित आदेश पारित होने के बाद निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करने में 16 दिनों से लेकर 48 दिनों तक की देरी हुई। इसके अलावा, कुछ मामलों में, मांग या तो जारी नहीं की गई या गलत राशि की मांग जारी की गई।

कुछ मामलों में यह देखा गया कि आयकर विभाग ने या तो आधिकारिक परिसमापक या संरक्षक के समक्ष मांग की राशि प्रस्तुत नहीं की या गलत राशि का दावा प्रस्तुत किया।

टीआरओ टीआरसी के निपटान के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, जबकि कुछ मामलों में, जेएओ से टीआरओ को हस्तांतरित मामलों की संख्या 150 टीआरसी के वार्षिक कमी के लक्ष्य से कम थी। टीआरओ निर्धारिती के स्वामित्व वाली संपत्ति को जब्त करने के लिए अपने पास निहित विशेष शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहे। टीआरओ द्वारा अपेक्षित रजिस्ट्रों का रखरखाव और अद्यतन नहीं किया गया। सभी क्षेत्रों में टीआरओ का आंतरिक लेखा-परीक्षण नियमित आधार पर नहीं किया गया, जो कि सीबीडीटी द्वारा जुलाई 2017 में जारी निर्देश के अनुरूप नहीं था।

आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियां थीं, जो कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित वैधानिक रजिस्ट्रों का टीआरओ द्वारा रखरखाव न करने/अद्यतन न करने से स्पष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप बकाया मांग की वसूली में बाधा उत्पन्न हुई। इसके अलावा, टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के सीबीडीटी के निर्देश का भी प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा ने जेएओ द्वारा टीआरओ को मामलों के हस्तांतरण में देरी के उदाहरण देखे क्योंकि आयकर विभाग द्वारा टीआरसी तैयार करने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। इस तरह की देरी से बकाया मांग की वसूली की प्रक्रिया धीमी हो गई। इन सभी मुद्दों पर आगे के पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है।

इस लेखापरीक्षा के दौरान, 270 चयनित निर्धारण इकाइयों में 10,896 नमूना मामलों की नमूना जांच की गई ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या निर्धारण अधिकारी आयकर अधिनियम, नियमों और सीबीडीटी के परिपत्रों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

6.2 निर्धारण अधिकारी द्वारा डोजियर प्रतिवेदन तैयार करना

निर्धारण अधिकारियों को प्रत्यक्ष करों के निर्धारण और मांगों के संग्रह के संबंध में शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की गई हैं⁶⁸।

एओ को निर्धारित मौद्रिक सीमाओं को पूरा करने वाले प्रत्येक चूककर्ता निर्धारिती के संबंध में हर तिमाही में एक डोजियर प्रतिवेदन तैयार करनी होती है⁶⁹; इसका उद्देश्य नामित अधिकारियों द्वारा बकाया मांग के मामलों की प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रीय कार्य योजना के अनुसार, एओ को सीपीसी-

⁶⁸ इनमें शामिल हैं (i) आय और/या कर का निर्धारण ; (ii) करदाता को मांग नोटिस जारी करना; (iii) बकाया मांगों का संग्रह और वसूली; (iv) अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित मांगों की नियमित निगरानी; (v) यदि देय तिथि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो दंडात्मक प्रावधानों को लागू करना; (vi) अधिनियम की धारा 221 और 226 के अंतर्गत सभी दंड और वसूली कार्यवाही को पूरा करना सुनिश्चित करना; (vii) चूककर्ता की परिसंपत्तियों के विवरण के साथ टीआरओ को सूचना भेजना और बकाया के विवरण के साथ फॉर्म 57 तैयार करना; और (viii) डोजियर रिपोर्ट तैयार करना।

⁶⁹ डोजियर रिपोर्ट, करदाता की बकाया मांग की राशि, उसकी प्रकृति, वसूली न करने के कारणों, यदि कोई हो तो स्थगन दिए जाने के संबंध में सूचना, तथा कर अधिकारी और कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) द्वारा उसकी वसूली के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

एफएएस में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डोजियर प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक है⁷⁰।

मौद्रिक सीमाएँ नीचे तालिका 6.1 में दर्शाई गई हैं

तालिका 6.1: निगरानी प्राधिकारी और डोजियर प्रतिवेदन की मौद्रिक सीमाएँ ⁷¹	
निगरानी प्राधिकरण	मौद्रिक सीमा
रेंज हेड	₹ 30 लाख तक
पी सीआईटी	₹ 30 लाख से अधिक से ₹ 3 करोड़ तक
सीसीआईटी	₹ 3 करोड़ से अधिक से ₹ 15 करोड़ तक
पी सीसीआईटी	₹ 15 करोड़ से अधिक से ₹ 25 करोड़ तक
प्रधान महानिदेशक (प्रशासन)	₹ 25 करोड़ से अधिक के सभी डोजियर डीजीआईटी (प्रशासन) द्वारा एडीजी (वसूली) की सहायता से तैयार किए जाएंगे।
सदस्य (राजस्व), सीबीडीटी	प्रधान महानिदेशक (प्रशासन) को अतिरिक्त महानिदेशक (वसूली) की सहायता से सदस्य (राजस्व) के निर्देश पर विशिष्ट अत्यधिक मांग वाले मामलों की निगरानी करनी होगी।

इसके बाद नवंबर 2022 में, सीबीडीटी ने⁷² विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निगरानी की जाने वाली बकाया मांगों पर डोजियर की सीमा को संशोधित किया।

एओ और टीआरओ को सीसीआईटी/पीसीआईटी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है तथा की गई कार्रवाई के परिणामों को आगामी प्रतिवेदन में प्रस्तुत करना होता है।

6.2.1 डोजियर प्रतिवेदन का रखरखाव न करना

ई-फाइलिंग पोर्टल से 12,73,527 निर्धारिती से संबंधित 279 नमूना निर्धारण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 42,258 निर्धारिती ऐसे थे जिनसे बकाया मांग ₹ 30.00 लाख से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने 5,321 निर्धारितियों की नमूना जांच की और पाया कि केवल 603 (11.33 प्रतिशत) निर्धारितियों के मामले में ही डोजियर तैयार किए गए

⁷⁰ यह डेटा के प्रसंस्करण, मांग की गणना, प्रतिदाय के लिए सभी फ्रंट एंड सिस्टम यानी सीपीसी-आईटीआर पोर्टल, आईटीबीए पोर्टल, ओलटास पोर्टल, एएसटी पोर्टल के साथ संपर्क करता है और डेटा को आवश्यक फ्रंट एंड सिस्टम को भेजता है।

⁷¹ विभिन्न आयकर प्राधिकरणों के लिए मौद्रिक सीमाओं का पुनः निर्धारण (दिनांक 16 सितम्बर 2015 का निर्देश संख्या 10/2015)

⁷² विभिन्न आयकर प्राधिकरणों के लिए मौद्रिक सीमाओं को संशोधित किया गया है (सीबीडीटी निर्देश संख्या 1/2022 दिनांक 3 नवंबर 2022)।

थे। 87 निर्धारितियों (1.64 प्रतिशत) के मामले में डोजियर तैयार नहीं किए गए थे; शेष 4,631 निर्धारिती (87 प्रतिशत) के मामले में डोजियर तैयार करने से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए, जिनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें बकाया मांग काफी अधिक है, जैसा कि अध्याय 5 में चर्चा की गई है।

5,321 निर्धारिती के संबंध में डोजियर प्रतिवेदन के रखरखाव की क्षेत्रवार स्थिति, जिनकी बकाया मांग ₹ 30 लाख से अधिक है तथा जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई, नीचे तालिका 6.2 में विस्तृत विवरण दिया गया है:

तालिका 6.2: डोजियर के रखरखाव का क्षेत्रवार विवरण									
									(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	क्षेत्र	डोजियर तैयार नहीं किया गया		डोजियर तैयार किया गया		विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया		कुल	
		निर्धारिती आँ की संख्या	राशि	निर्धारिती की संख्या	राशि	निर्धारिती आँ की संख्या	राशि	निर्धारिती आँ की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	-	-	7	157.99	502	33,294.49	509	33,452.48
2	बैंगलुरु	-	-	21	414.41	493	45,897.66	514	46,312.08
3	भुवनेश्वर	-	-	2	39.74	122	1,347.97	124	1,387.71
4	बिहार और झारखंड	-	-	80	517.99	131	1,169.47	211	1,687.46
5	दिल्ली	-	-	8	32.15	742	20,552.31	750	20,584.46
6	गुजरात	-	-	83	3,064.08	375	14,767.82	458	17,831.90
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	13	48.64	-	-	96	4,607.31	109	4,655.96
8	केरल	-	-	-	-	75	443.47	75	443.47
9	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	-	-	20	48.97	20	48.97
10	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	25	299.8	5	23.84	153	1,349.56	183	1,673.20
11	मुंबई	17	42	121	21,918.93	509	28,430.62	647	50,391.56
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	-	-	63	442.09	12	29.71	75	471.8
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	-	-	40	791.34	196	5,009.95	236	5,801.29
14	राजस्थान	32	61.13	87	902.61	102	846.33	221	1,810.07
15	तमिलनाडु	-	-	46	1,100.85	215	3,953.23	261	5,054.08
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	-	-	21	3,800.09	18	170.31	39	3,970.39
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	-	-	19	398.29	870	17,648.50	889	18,046.79
	कुल	87	451.57	603	33,604.40	4,631	1,79,567.70	5321	2,13,623.67

स्रोत: विभाग के उत्तर और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका 6.2 से देखा जा सकता है, अधिकांश मामलों (4,631) में आयकर विभाग ने डोजियर के रखरखाव का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। ₹ 1,79,567.70 करोड़ की बकाया मांग से जुड़े 4,631 मामलों के संबंध में सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा डोजियर प्रतिवेदन तैयार करने की स्थिति का पता नहीं लगा सकी।

डोजियर प्रतिवेदन का रखरखाव न किए जाने से उच्च अधिकारियों द्वारा कर चूककर्ताओं की उचित निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है और वसूली कार्यवाही की गति भी बाधित होती है। डोजियर प्रतिवेदन के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि आयकर विभाग किस तरह से नामित अधिकारियों द्वारा बकाया मांग के मामलों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित कर रहा है। यह मुद्दा जून/जुलाई 2021 में आयकर विभाग के समक्ष उठाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.2.2 डोजियर के रखरखाव में पाई गई विसंगतियां

जिन 603 निर्धारिती के डोजियर तैयार किए गए थे, उनमें से 31 निर्धारिती (57 मामलों) के मामले में लेखापरीक्षा में विसंगतियां पाई गईं, जिनमें डोजियर में दर्ज मांग की राशि और भौतिक अभिलेख के अनुसार वास्तविक बकाया मांग के बीच कुल ₹ 32,524.08 करोड़ का अंतर शामिल था। इस तरह की विसंगति का कारण डोजियर में गलत राशि दर्ज करना, सुधार/संशोधन के कारण कर मांग में होने वाले बदलावों को दर्ज करने में विफलता, गैर-मौजूद मांगों को दर्ज करना आदि हो सकता है। डोजियर प्रतिवेदन में विसंगतियों का क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका 6.3 में दिया गया है:

तालिका 6.3: डोजियर प्रतिवेदन में पाई गई विसंगतियां			
(₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	क्षेत्र	मामलों की संख्या	कुल बकाया मांग कम/ अधिक बताई गई
1	दिल्ली	3	35.27
2	गुजरात	1	1.08
3	बैंगलुरु	2	14.67
4	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1	77.35
5	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	1	3.04

तालिका 6.3: डोजियर प्रतिवेदन में पाई गई विसंगतियां			
(₹ करोड़ में)			
क्रम सं.	क्षेत्र	मामलों की संख्या	कुल बकाया मांग कम/ अधिक बताई गई
6	मुंबई	15	29,699.14
7	राजस्थान	7	294.40
8	तमिलनाडु	27	2,399.13
	कुल	57	32524.08

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र में सबसे अधिक मामले (27) हैं, जिनमें ₹ 2,399.13 करोड़ की विसंगति है, जबकि बकाया मांग की राशि के अनुसार मुंबई क्षेत्र में सबसे अधिक ₹ 29,699.14 करोड़ की विसंगति है, जिसमें 15 मामले शामिल हैं। मुंबई क्षेत्र के एक निर्धारिती (एच2) के सात निर्धारण वर्षों में अकेले ₹ 28,362.88 करोड़ की विसंगति देखी गई।

उदाहरणात्मक मामले:

नीचे तीन अन्य उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 6.1

- (i) निर्धारिती: मेसर्स आई4 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी-4, चेन्नई

नवंबर 2016 में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न ₹ 480.17 करोड़ के घाटे पर दाखिल किया गया था। धारा 143(3) के तहत निर्धारण दिसंबर 2018 में पूरा हुआ, जिसमें ₹ 2,730.84 करोड़ की आय और उस पर ₹ 1,165.41 करोड़ का कर निर्धारित किया गया, जिसमें खराब ऋणों के लिए प्रावधानों, वसूल किए गए खराब ऋणों आदि के कारण अस्वीकृतियां की गईं।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, आयकर की मूल रिटर्न अक्टूबर 2017 में ₹ 659.45 करोड़ के नुकसान पर दाखिल की गई थी, और उसके बाद, मार्च 2019 में संशोधित रिटर्न दाखिल किया गया जिसमें ₹ 9.80 करोड़ का नुकसान घोषित किया गया। धारा 36(1)(vii), 14ए के साथ नियम 8डी आदि के तहत प्रमुख अस्वीकृतियां करने के बाद, धारा 143(3) के तहत निर्धारण

दिसंबर 2019 में पूरा हुआ, जिसमें ₹3,193.31 करोड़ की आय और उस पर ₹931.72 करोड़ का कर निर्धारित किया गया।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2020 तक निर्धारिती के खिलाफ बकाया मांगें क्रमशः 2016-17 और 2017-18 के संबंध में ₹115.82 करोड़ और ₹931.72 करोड़ थीं। कुल बकाया मांग ₹1,047.54 करोड़ थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2019) की डोजियर प्रतिवेदन में तिमाही के अंत में निवल मांग ₹1,121.78 करोड़ बताई गई थी और अगली तिमाही के लिए डोजियर में शुरुआती शेष राशि ₹249.67 करोड़ बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹872.11 करोड़ का अंतर आया। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन में ₹175.43 करोड़ की बकाया मांग का संकेत दिया गया था, जबकि ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार नवंबर 2020 तक बकाया मांग ₹1,047.54 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ई-फाइलिंग पोर्टल और डोजियर प्रतिवेदन के बीच ₹872.11 करोड़ का अंतर था।

डोजियर में बकाया मांगों को दर्ज करने में त्रुटियां/गलतियां और ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार बकाया मांग की राशि में विसंगतियों को मई 2021 में डीसीआईटी नॉन-कॉर्पोरेट सर्कल-8 के संज्ञान में लाया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (मार्च 2024)

(ii) निर्धारिती: वी2
प्रभार: पीसीआईटी-1, बंगलुरु

निर्धारिती ने अक्टूबर 2017 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें ₹14.78 करोड़ का घाटा बताया गया। दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें धारा 68 के तहत ₹11.84 करोड़ की वृद्धि की गई। इस वृद्धि के आधार पर धारा 115बीबीई के तहत ₹11.92 करोड़ कर की मांग की गई।

वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन से यह पाया गया कि डीसीआईटी, सर्किल 1(1)(1), बंगलुरु ने धारा 281बी के तहत

मल्लेश्वरम, बेंगलुरु में निर्धारिती की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से (मार्च 2020) कुर्क किया था और मामले को नियमित कुर्की के लिए टीआरओ को भेजने का प्रस्ताव था। हालांकि, उसी डोजियर प्रतिवेदन में डीसीआईटी, सर्किल 1(1)(1) ने टिप्पणी की थी कि निर्धारिती के पास कोई संपत्ति नहीं है; और मांग को 'वसूली करना मुश्किल' के रूप में वर्गीकृत किया। डोजियर प्रतिवेदन में त्रुटि के कारण न केवल मांग की श्रेणी का गलत वर्गीकरण होगा, बल्कि बकाया मांग की वसूली के लिए निगरानी और कार्रवाई करने में भी कठिनाई होगी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मई 2023)।

(iii) निर्धारिती: मेसर्स एम4 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी-4, चेन्नई

सितंबर 2008 में निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए रिटर्न दाखिल किया गया था, जिसमें ₹ 17.58 करोड़ का घाटा बताया गया था। धारा 143(3) के तहत निर्धारण दिसंबर 2011 में ₹ 22.84 करोड़ के घाटे पर पूरा हुआ। इसके बाद, दिसंबर 2014 में धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 52.25 करोड़ की आय और उस पर ₹ 20.70 करोड़ का कर निर्धारित किया गया।

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, आयकर रिटर्न सितंबर 2009 में ₹ 11.80 करोड़ के नुकसान पर दाखिल किया गया था। मार्च 2013 में धारा 92CA के साथ धारा 143(3) के तहत 'शून्य' आय पर निर्धारण पूरा किया गया था। इसके बाद, दिसंबर 2014 में धारा 147 के तहत मामले का पुनर्निर्धारण किया गया और निर्धारित आय को संशोधित कर ₹ 79.01 करोड़ कर दिया गया और ₹ 49.29 करोड़ की मांग की गई।

निर्धारिती ने चेन्नई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए पारित पुनर्निर्धारण के आदेशों को चुनौती दी गई। यह सूचित किए जाने पर (अगस्त 2015) कि चेन्नई उच्च न्यायालय ने निर्धारिती की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है, संबंधित एओ ने निर्धारिती को इसकी जानकारी दी (अगस्त 2015) और कर

का भुगतान करने के लिए कहा। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) की डोजियर प्रतिवेदन में, निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2009-10 से संबंधित क्रमशः ₹ 20.87 करोड़ और ₹ 42.29 करोड़ की मांगों को “स्थगन द्वारा कवर की गई मांग” के रूप में प्रतिवेदन किया गया था। अगस्त 2015 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारिती की रिट याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद भी एओ ने बकाया मांग की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए, डोजियर (₹ 42.29 करोड़) में बताए गए और डिमांड नोटिस (₹ 49.29 करोड़) में दर्शाए गए मांग में ₹ 7 करोड़ का अंतर था। इस मुद्दे को आयकर विभाग (जनवरी 2021) के समक्ष उठाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (मार्च 2024)

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डोजियर रिपोर्टें निगरानी प्राधिकारियों के लिए बकाया मांगों के विश्लेषण, नीतियों के निर्माण तथा संग्रहण/वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, तथापि कई मामलों में एओ द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

अनुशंसा 6:

सीबीडीटी निर्दिष्ट सीमा से अधिक की बकाया मांगों के सभी मामलों के लिए डोजियर तैयार करना सुनिश्चित करे तथा दिनांक 16/09/2015 के अपने निर्देश संख्या 10/2015 के अनुपालन की निगरानी करे।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (मई 2023) कि डोजियर मामलों की सीमा के अनुसार विभिन्न स्तरों पर डोजियर मामलों की निगरानी करने के लिए एक तंत्र पहले से ही मौजूद है। सीबीडीटी प्रधान महानिदेशक (प्रशासन और टीपीएस)/एडीजी टीपीएस-II/अतिरिक्त सीआईटी (वसूली) के माध्यम से सीबीडीटी निर्देश 10/2015 के अनुपालन की निगरानी कर रहा है। यह आईटीबीए एल्गोरिदम के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रत्येक तिमाही में एओ को डोजियर मामले शुरू करने और मांग की वसूली के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ इसकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है।

मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि कई मामलों में डोजियर तैयार नहीं पाए गए। मंत्रालय अपने स्वयं के निर्देशों को दोहराने और उन निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने पर विचार कर सकता है, खासकर, जहां कुर्की के लिए अचल संपत्तियों की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता है। डोजियर का रखरखाव न करने के परिणामस्वरूप नामित अधिकारियों द्वारा बकाया मांग की निगरानी नहीं की जा सकती है और इससे जल्दी वसूली की संभावना प्रभावित हो सकती है।

6.2.3 अत्यधिक मांग जारी करना

लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहां आयकर विभाग ने कर मांग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था, जिसका कारण या तो निर्धारण आदेश में पूर्व में भुगतान किए गए करों का पूरा क्रेडिट नहीं दिया जाना था या अपील आदेशों को लागू करने में देरी थी। आयकर विभाग द्वारा धारा 234ए, 234बी या 234सी आदि के तहत ब्याज के अनुचित मांग के मामले भी थे। अंततः आयकर विभाग ने या तो एकत्र की गई अतिरिक्त मांग को वापस कर दिया था या धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ वापस करने वाली थी, जिससे राजस्व की परिहार्य हानि हुई और निर्धारिती को कठिनाई हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 16 क्षेत्रों में नमूना जांच किए गए 10,818 मामलों में से 345 मामलों में आयकर विभाग ने ₹ 2,549.77 करोड़ की अतिरिक्त मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप आयकर विभाग के साथ-साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर बकाया मांग की बढ़ी हुई राशि की सूचना दी गई, और उन निर्धारिती को कठिनाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पहले ही कर का भुगतान कर दिया था।

लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अतिरिक्त मांग उठाने के मामलों का क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका 6.4 में दिया गया है:

तालिका 6.4: जारी किया गया अतिरिक्त मांग - क्षेत्रवार विश्लेषण				
क्रम सं.	क्षेत्र	जांच किये गये मामलों की संख्या	पाई गई गलतियों की संख्या	कुल अतिरिक्त राशि की मांग (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	960	14	560.61
2	बिहार और झारखंड	437	41	260.10
3	गुजरात	1,404	63	203.91
4	बेंगलुरु	1,038	12	109.63
5	केरल	155	5	68.58
6	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	501	9	0.84
7	मुंबई	1,410	29	778.89
8	दिल्ली	740	42	44.31
9	उत्तर पूर्व क्षेत्र	220	7	15.81
10	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	510	12	109.59
11	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	377	6	3.65
12	राजस्थान	575	79	78.97
13	तमिलनाडु	671	8	265.63
14	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	99	1	1.99
15	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1,288	10	42.34
16	भुवनेश्वर	433	07	4.92
	कुल	10,818	345	2,549.77

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि राजस्थान क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मामले (79) हैं, उसके बाद गुजरात में 63 मामले हैं। जबकि मुंबई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अतिरिक्त राशि की मांग हुई (₹ 778.89 करोड़) जिसमें 29 मामले शामिल हैं।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 345 मामलों में से 253 मामलों में निर्धारित के विरुद्ध अतिरिक्त मांगें उत्पन्न करने के लिए ब्याज का गलत/ अतिरिक्त मांग जिम्मेदार था। मांगें जारी करते समय सुधार और संशोधनों के सत्यापन न किए जाने के कारण ₹ 579.91 करोड़ से अधिक राशि की अतिरिक्त

बकाया मांग जारी की गई। अतिरिक्त मांगों का श्रेणीवार विवरण नीचे तालिका 6.5 में दिया गया है:

तालिका 6.5: अतिरिक्त मांग का श्रेणीवार विश्लेषण			
क्रम सं.	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	निर्धारित आय की गलत राशि लेना	19	180.76
2	अपील आदेश के प्रभावी होने में विसंगतियां या देरी	20	284.53
3	विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ब्याज का अत्यधिक अधिरोपण	253	604.62
4	सुधार/संशोधन आदेशों का सत्यापन किए बिना मांग उठाना	14	579.91
5	अन्य मुद्दे जैसे गलत कर दर, गणना आदि।	39	899.95
	कुल	345	2,549.77

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ओवर प्रतिवेदन के अधिकतम मामले गलत कर दर अपनाने, कर की गलत गणना करने, विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज का अधिक उद्ग्रहण आदि के कारण हुए हैं।

नीचे चार उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 6.2	
(i)	निर्धारिती: मेसर्स एन4 लिमिटेड प्रभार: पीसीआईटी-3, अहमदाबाद
<p>निर्धारिती ने सितंबर 2008 में निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जिसमें आय शून्य घोषित की गई। मई 2010 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें कुल आय ₹ 285.00 करोड़ और उस पर ₹ 98.58 करोड़ का कर निर्धारित किया गया, जिसमें बिक्री कर के दावे की अस्वीकृति और अमूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के अतिरिक्त दावे को वापस लेने के कारण प्रमुख वृद्धि की गई।</p> <p>नवंबर 2018 में अपील आदेश को प्रभावी करने के बाद मांग को घटाकर 'शून्य' कर दिया गया। विवरणों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि निर्धारिती ने चालान के माध्यम से ₹ 4.51 लाख का भुगतान किया था और निर्धारण</p>	

वर्ष 2002-03 के लिए देय ₹ 12.01 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारण वर्ष 2008-09 की मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया था (अक्टूबर 2020)। चूंकि, अपील आदेश को प्रभावी करने के बाद, कोई कर मांग बकाया नहीं थी, इसलिए एओ द्वारा ₹ 12.06 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया जाना आवश्यक था। परंतु, ई-फाइलिंग पोर्टल पर ₹ 98.58 करोड़ की पुरानी/मौलिक मांग नवम्बर 2020 में बकाया दिखाई गई। जब कि लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती के सुधार हेतु दिये गए आवेदन के अनुसार निर्धारिती पर ₹ 41.29 करोड़ की मांग बकया थी जिसके लिए निर्धारिती ने 03 नवम्बर 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी धारा 154 के अंतर्गत सुधार करने हेतु। लेखापरीक्षा उपरोक्त मांग को बकाया दिखाने के आधार का पता नहीं लगा सकी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

(ii) निर्धारिती: मेसर्स एच4
प्रभार: पीसीआईटी चंडीगढ़

निर्धारिती ने सितंबर 2014 में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया जिसमें आय शून्य घोषित की गई। धारा 143(3) के तहत निर्धारण दिसंबर 2016 में पूरा हुआ जिसमें ₹ 317.26 करोड़ की आय और उस पर ₹ 130.39 करोड़ का कर निर्धारित किया गया। यह वृद्धि इसलिए की गई क्योंकि ट्रस्ट के निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार संचित आय का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बाद, धारा 154 के तहत मांग को बढ़ाकर ₹ 155.38 करोड़ कर दिया गया (जनवरी 2018)। जनवरी 2020 में सीआईटी(ए) द्वारा निर्धारिती की अपील खारिज किए जाने के बाद, एओ ने निर्धारिती को पहले से चुकाए गए कर के समायोजन के बाद ₹ 73.64 करोड़ की बकाया मांग का भुगतान करने का निर्देश दिया। निर्धारिती ने फरवरी 2020 में चालान के माध्यम से ₹ 73.64 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर नवंबर 2020 तक ₹ 35.11 करोड़ की मांग बकाया दिखाई गई थी। इसे जून 2021 में आयकर विभाग के संज्ञान में लाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (मार्च 2024)

(iii) निर्धारिती: डी5
प्रभार: पीसीआईटी-1, बंगलुरु

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया (अक्टूबर 2005) जिसमें ₹ 39.98 करोड़ की आय थी। मार्च 2013 में धारा 153ए के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 131.01 करोड़ की आय और उस पर ₹ 47.85 करोड़ का कर निर्धारित किया गया। एओ द्वारा किए गए जोड़ के खिलाफ निर्धारिती की अपील को सीआईटी (ए) ने फरवरी 2015 में खारिज कर दिया। इसके बाद, आईटीएटी ने एओ द्वारा किए गए जोड़ को हटा दिया (अप्रैल 2018)। आईटीएटी के आदेशों को प्रभावी करने वाला आदेश जून 2018 में पारित किया गया, जिसमें ₹ 20.36 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया गया। हालांकि, सितंबर 2019 में धारा 220(2) (कर मांग के भुगतान में देरी के लिए लगाया गया) के तहत ब्याज के रूप में ₹ 18.08 करोड़ की नई मांग की गई थी। आयकर विभाग द्वारा आगे अपील दायर करने के संबंध में निर्धारण फ़ोल्डर में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था; और लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 18.08 करोड़ का ब्याज लगाना बिना किसी आधार के था। यह जून 2021 में निर्धारण अधिकारी को सूचित किया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मई 2023)।

(iv) निर्धारिती: मेसर्स एन5 प्राइवेट लिमिटेड
प्रभार: प्रधान सीआईटी सेंट्रल-4, मुंबई

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया (अक्टूबर 2005), जिसमें ₹ 3.45 लाख का व्यवसायिक घाटा और ₹ 4.12 करोड़ का दीर्घकालीन पूंजीगत घाटा घोषित किया गया। धारा 143(3) के तहत निर्धारण दिसंबर 2007 में पूरा हुआ, जिसमें ₹ 35.40 करोड़ की आय निर्धारित की गई, (संचयी मोचनीय वरीयता शेयरों के आवंटन के लिए प्रीमियम के साथ शेयर आवेदन राशि को धारा 69ए के तहत अस्पष्टीकृत धन माना गया), और उस पर ₹ 17.31 करोड़ का कर लगाया गया। इसके अलावा, ₹ 3.45 लाख के व्यवसायिक घाटे को सट्टा घाटा माना गया, और इसे आगे ले जाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, निर्धारिती द्वारा नुकसान के गलत दावे और कर से

बचने के लिए मार्च 2010 में धारा 271(1) (सी) के तहत ₹ 12.95 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। निर्धारिती ने निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, लेकिन दोनों अपीलीय प्राधिकरणों सीआईटी (ए) और आईटीएटी ने ₹ 35.40 करोड़ की वृद्धि को बरकरार रखा। इसके बाद, आयकर विभाग ने मामले को फिर से खोला और दिसंबर 2011 में धारा 144/147 के तहत निर्धारण पूरा किया गया, और ₹ 0.63 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान को अल्पावधि पूंजीगत लाभ के विरुद्ध सेट ऑफ करने की अनुमति न देने के बाद आय का निर्धारण ₹ 36.03 करोड़ किया गया। निर्धारिती ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की, जिसे मार्च 2013 में खारिज कर दिया गया।

सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ, निर्धारिती ने आईटीएटी में अपील दायर की। आईटीएटी, मुंबई 'जी' बेंच ने अगस्त 2017 में एक निर्णय दिया, जिसमें पूंजीगत लाभ के साथ पूंजीगत हानि को समायोजित करने की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 254 के तहत पारित एक आदेश (जुलाई 2018) द्वारा {धारा 143 (3) के तहत किए गए निर्धारण के खिलाफ आईटीएटी के आदेशों को प्रभावी करने के लिए}, आयकर विभाग ने निर्धारिती को ₹ 35.40 करोड़ की राहत दी, हालांकि आईटीएटी के 5 अक्टूबर 2011 (धारा 143 (3) आदेश के खिलाफ) और 23 अगस्त 2017 (धारा 147 आदेश के खिलाफ) के आदेशों ने निर्धारिती को इस तरह की वृद्धि के खिलाफ कोई राहत नहीं दी।

05 अक्टूबर 2011 {धारा 143(3) आदेश के विरुद्ध} और 23 अगस्त 2017 (धारा 147 आदेश के विरुद्ध) दोनों आईटीएटी आदेशों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अपीलीय प्राधिकरण ने ₹ 35.40 करोड़ जोड़ने पर निर्धारिती को कोई राहत नहीं दी थी; इस प्रकार, ₹ 17.31 करोड़ की मांग अभी भी बकाया थी। निर्धारिती के विरुद्ध ₹ 12.95 करोड़ का जुर्माना भी बकाया था। इस प्रकार, आईटीएटी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए ITD द्वारा पारित आदेश में एक स्पष्ट गलती ने ₹ 17.31 करोड़ की कर मांग को रद्द कर दिया और साथ ही उसी राशि से बकाया मांग को कम करके दिखाया। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जून 2021), पीसीआईटी, सेंट्रल-4, मुंबई ने कहा (जून 2022) कि आईटीएटी ने 05 अक्टूबर 2011 को आईटीए संख्या

1716/एमयूएम/2009 पर आदेश के माध्यम से निर्धारिती को ₹ 35.40 करोड़ जोड़ने के संबंध में कोई राहत नहीं दी। हालांकि, सत्यापन पर पाया गया कि बाद की तारीख को निर्धारिती द्वारा आईटीएटी के समक्ष एक विविध आवेदन (एमए) दायर किया गया था; और एमए आदेश के परिणामस्वरूप, आईटीएटी ने एक आदेश पारित किया (सितंबर 2017) और आईटीएटी द्वारा राहत प्रदान की गई।

हालांकि, ₹ 12.95 करोड़ के जुर्माने से संबंधित मांग अभी भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर बकाया दिखाई जा रही थी जबकि यह निर्धारण में की गई उसी वृद्धि से संबन्धित है जिसे आयकर विभाग ने खत्म कर दिया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

इस प्रकार निर्धारिती द्वारा पहले से भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट न देने में एओ द्वारा उचित सावधानी न बरतने और अपील आदेशों को प्रभावी करने में की गई गलतियों के परिणामस्वरूप निर्धारिती के खिलाफ अतिरिक्त मांगें बढ़ गई हैं। इस तरह से, बढ़ी हुई मांग की प्रतिवेदन करने से निर्धारिती को परेशानी और उत्पीड़न भी होती है। इसके अलावा,⁷³ माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (अगस्त 2022) द्वारा अवैध आयकर मांग बनाने के लिए आयकर विभाग पर ₹ 50 लाख का जुर्माना लगाने के फैसले के मद्देनजर, आयकर विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है कि निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय एओ गलत मांग जारी करने से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें।

6.2.4 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने में अत्यधिक विलंब

आयकर अधिनियम की धारा 153(5) में प्रावधान है कि नए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन से संबंधित न होने वाले अपील आदेशों को एओ द्वारा उस माह के अंत से तीन माह की अवधि के भीतर प्रभावी किया जाएगा जिसमें आदेश प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान निर्धारण वर्ष 2000-01 से 2017-18 से संबंधित 727 अपील संशोधन आदेशों की जाँच की।

⁷³ एसआर कोल्ड स्टोरेज बनाम भारत संघ और तीन अन्य (इलाहाबाद उच्च न्यायालय), निर्णय की तिथि 11 अगस्त 2022, अपील संख्या: रिट टैक्स संख्या 723/2022

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीआईटी (ए)/आईटीएटी से संबंधित 79 मामलों में, एओ ने 4 से 2,725 दिनों की देरी से अपील प्रभावी आदेश पारित किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 173 मामलों में, लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2021) तक अपील आदेशों को प्रभावी करने के आदेश एओ द्वारा पारित नहीं किए गए थे। देरी (3 महीने की सीमा से परे) 90 से 4,230 दिनों तक थी। मामलों की संख्या का क्षेत्र-वार विवरण नीचे तालिका 6.6 में दिया गया है:

तालिका 6.6: अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने में देरी - क्षेत्रवार									
									(₹ करोड़ में)
सं.	क्षेत्र	सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करने में देरी		आईटीएटी के आदेश को प्रभावी करने में देरी		ऐसे मामलों की संख्या जहां अपील प्रभाव आदेश पारित नहीं हुआ	कुल मामलों की संख्या	कुल मांग (₹ करोड़ में)	विलंब की सीमा (दिनों में)
		मामलों की संख्या	परिणामी आदेश के अनुसार मांग	मामलों की संख्या	परिणामी आदेश के अनुसार मांग				
1	मुंबई	13	3,766.15	6	31.59	20	39	3,797.74	26-4230
2	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	20	493.84	-	-	108	128	493.84	5-4139
3	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	5	298.50	2	7.23	-	7	305.74	53-1298
4	तमिलनाडु	7	151.94	6	56.26	3	16	208.20	15-596
5	बैंगलुरु	12	104.12	-	-	19	31	104.12	11-3347
6	दिल्ली	6	96.78	2	0.21	-	8	97.00	4-2280
7	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	-	-	-	-	3	3	-	335-1186
8	भुवनेश्वर	-	-	-	-	4	4	-	335-1308
9	बिहार और झारखंड	-	-	-	-	3	3	-	365-365
10	गुजरात	-	-	-	-	5	5	-	425-1431
11	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	-	-	-	-	4	4	-	1066-1066
12	राजस्थान	-	-	-	-	4	4	-	517-3653
	कुल	63	4,911.34	16	95.29	173	252	5,006.63	

स्रोत: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान एफएओ द्वारा एकत्रित आंकड़े।
केरल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तराखंड, पुणे और नागपुर के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी गई

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, कुल 252 मामलों में से 173 मामलों में आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा की तारीख (जुलाई 2021) तक अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को लागू नहीं किया। इन 173 मामलों में से 108 मामले

केवल पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्र से संबंधित थे। इसके अलावा, मुंबई और पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्र में क्रमशः 4,230 दिन और 4,139 दिन तक की देरी हुई।

लेखापरीक्षा ने अपील आदेशों को प्रभावी करने में देरी का आयु-वार विश्लेषण किया, और परिणाम नीचे तालिका 6.7 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 6.7: प्रभावी आदेश देने में देरी/प्रभावी आदेश पारित न होने का आयु-वार विश्लेषण		
विलंब की अवधि	मामलों की संख्या	प्रतिशत में मामले
एक वर्ष से कम	71	28.17
1 से 3 वर्ष तक	93	36.90
3 से 5 वर्ष तक	67	26.59
5 वर्ष से अधिक	21	8.33
कुल	252	100.00

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 181 मामलों में देरी एक वर्ष से अधिक थी; और 21 मामलों में देरी पांच वर्ष से भी अधिक थी। लेखापरीक्षा विभिन्न पोर्टलों पर बताई जा रही बकाया मांग की सत्यता का पता नहीं लगा सकी, ऐसे मामलों में, जहां लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अपील आदेशों का प्रभाव नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, 63 मामलों के संबंध में ₹ 17,839.74 करोड़ की मूल बकाया मांग को सीआईटी (ए) द्वारा घटाकर ₹ 4,911.34 करोड़ कर दिया गया था। परिणामी आदेशों को प्रभावी करने में देरी के परिणामस्वरूप आईटीबीए और ई-फाइलिंग पोर्टल में ₹ 12,928.40 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्रदर्शित हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

नीचे तीन उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 6.3

(i) निर्धारिती: आर3

प्रभार: पीसीआईटी-गवालियर

28 मार्च 2008 को धारा 132 के अंतर्गत किए गए तलाशी अभियान के आधार पर, अक्टूबर 2009 में निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। दिसंबर 2009 में अधिनियम की धारा 144/153ए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें अस्पष्ट स्रोतों से बैंक खाते में जमा की गई राशि की वजह से आय में वृद्धि करने के बाद क्रमशः ₹ 17.67 करोड़, ₹ 31.50 करोड़, ₹ 23.99 करोड़ और ₹ 39.56 करोड़ की आय निर्धारित की गई। निर्धारण वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए कर मांग क्रमशः ₹ 10.08 करोड़, ₹ 17.06 करोड़, ₹ 12.02 करोड़ और ₹ 18.24 करोड़ थी। निर्धारिती ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील की थी, और सीआईटी(ए) ने एओ द्वारा किए गए आय में वृद्धि को हटा दिया। सीआईटी(ए) का आदेश एओ को फरवरी 2018 में प्राप्त हुआ था; फिर भी, दिसंबर 2020 तक इसे प्रभावी नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ई-फाइलिंग पोर्टल पर ₹ 57.40 करोड़ की अतिरिक्त मांग दर्शाई गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। (मार्च 2024)

(ii) निर्धारिती : ए7

प्रभार: पीसीआईटी 1, पटना

मार्च 2018 में निर्धारिती द्वारा ₹ 2.30 करोड़ की आय पर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया था। धारा 143(3) के तहत निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा हुआ, जिसमें ₹ 26.59 करोड़ की वृद्धि के बाद ₹ 28.89 करोड़ की आय निर्धारित की गई और ₹ 24.69 करोड़ की कर की मांग की गई। निर्धारिती ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील की और सीआईटी (ए) द्वारा पारित आदेश में सभी प्रमुख वृद्धि को हटा दिया गया। फिर भी, सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, 27 जनवरी 2021 तक आईटीबीए की 'मांग और वसूली स्थिति

प्रतिवेदन' में ₹ 23.51 करोड़ की मांग को गलत तरीके से बकाया दिखाया जाता रहा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मई 2023)।

(iii) निर्धारिती: मेसर्स एम5 लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी-7, नई दिल्ली

निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए दाखिल संशोधित रिटर्न में, निर्धारिती ने मार्च 2011 में ₹ 54.08 करोड़ के टीडीएस क्रेडिट का दावा किया। दिसंबर 2011 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने ₹ 54.08 करोड़ की टीडीएस की पूरी राशि की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 11.18 करोड़ का ब्याज लगाया गया।

धारा 234बी के तहत लगाया गया ब्याज सितंबर 2013 में सीआईटी (ए) द्वारा हटा दिया गया था। अक्टूबर 2013 में निर्धारण इकाई में अपील का आदेश प्राप्त हुआ; परन्तु, एओ ने मई 2015 में धारा 250 के तहत सीआईटी (ए) के आदेश को प्रभावी करते हुए आदेश पारित किया, यानी 16 महीने की देरी के बाद। इसके परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत ₹ 0.28 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। मामले की सूचना आयकर विभाग को दी गई (जुलाई 2021)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

इस प्रकार, एओ द्वारा अपील आदेशों को प्रभावी करने में देरी के परिणामस्वरूप धारा 244 ए के तहत ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ और बकाया मांग के आंकड़े का गलत चित्रण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ऐसी मांग की निगरानी में संसाधनों की बर्बादी हुई।

अनुशंसा 7:

सीबीडीटी यह सुनिश्चित करे कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने में आयकर अधिनियम की धारा 153 के तहत निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए और उसके पालन की निगरानी की जाए। सीबीडीटी उन मामलों

में कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है जहां बिना किसी औचित्य के अत्यधिक देरी हुई है।

मंत्रालय ने कहा (जून 2023) कि धारा 153(5) के तहत निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाने से संबंधित एक विशिष्ट प्रमुख परिणाम क्षेत्र को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम कार्य योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, अधिनियम की धारा 153(5) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा जेएओ के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी की जाएगी।

लेखापरीक्षा इस संबंध में हुई प्रगति की प्रतीक्षा करेगा।

6.2.5 अपील दायर करने पर अपेक्षित भुगतान की वसूली न किया जाना

सीबीडीटी के निर्देशों⁷⁴ में यह निर्धारित किया गया था कि एओ विवादित मांग के 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत, जो भी लागू हो, के भुगतान पर प्रथम अपील के निपटारे तक मांग पर स्थगन प्रदान करेगा।

नमूना जांचे गए 10,896 मामलों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि 3,403 मामलों में निर्धारिती ने अपील की थी। 4,140 मामलों में अपील नहीं की गई। शेष 3,353 मामलों के संबंध में कोई विवरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था।

अपील में दाखिल 3,403 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 382 मामलों में निर्धारिती ने मांग का 15 प्रतिशत / 20 प्रतिशत निर्धारित राशि का भुगतान किया था और 1328 मामलों में निर्धारिती ने न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया था, जो कुल ₹ 5,920.86 करोड़ थी (जैसा कि नीचे तालिका 6.8 में विस्तृत है) और आयकर विभाग ने वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। शेष 1,693 मामलों के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। श्रेणीवार विवरण नीचे तालिका 6.8 में दिखाए गए हैं:

⁷⁴ सीबीडीटी निर्देश संख्या एफ.सं.404/72/93-आईटीसीसी दिनांक 29 फरवरी 2016 और एफ.सं.404/72/93-आईटीसीसी दिनांक 31 जुलाई 2017

तालिका 6.8: 31 मार्च 2020 तक अपेक्षित भुगतान का गैर-संग्रह - श्रेणीवार (₹ करोड़ में)			
स्थिति/श्रेणी	मामलों की संख्या	मांग उठाई गई	न्यूनतम अपेक्षित भुगतान नहीं किया गया
कंपनी	773	13,399.35	2,009.90
व्यक्ति	332	22,708.97	3,406.35
एओपी/ट्रस्ट/बीओआई	141	2,431.13	364.67
एचयूएफ	8	28.6	4.29
अटल	44	260.14	39.02
स्थानीय प्राधिकारी	12	317.16	47.57
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति	17	321.09	48.16
सरकार	1	6.02	0.9
कुल	1,328	39,472.46	5,920.86

ऐसे तीन मामले नीचे दिये गये हैं:

बॉक्स 6.4

(i) निर्धारिती: एस7

प्रभार: पीसीआईटी 3, चेन्नई

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। दिसंबर 2018 में धारा 144/147 के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 67.35 करोड़ की आय और उस पर ₹ 58.65 करोड़ के निवल कर की मांग निर्धारित की गई। निर्धारिती ने उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील (25 जून 2019) दायर की। हालांकि, बकाया मांग के 15 प्रतिशत के भुगतान के संबंध में अभिलेख पर कोई विवरण नहीं मिला। डोजियर प्रतिवेदन (वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी और तीसरी तिमाही) से भी यह सत्यापित किया गया कि कोई वसूली नहीं की गई थी और ₹ 58.65 करोड़ की मांग अभी भी बकाया थी। लेखापरीक्षा विवादित मांग के निर्धारित प्रतिशत को इकट्ठा करने के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगा सकी (जून 2021)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

(ii) निर्धारिती: मेसर्स एस8 प्राइवेट लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी सेंट्रल, पटना

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (अक्टूबर 2017) दाखिल किया गया था, जिसमें 'शून्य' आय स्वीकार की गई थी। दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत ₹ 5.21 करोड़ का निर्धारण पूरा किया गया और उस पर ₹ 5.36 करोड़ के कर की मांग की गई। चूंकि निर्धारिती ने निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील की थी, इसलिए उसे बकाया मांग का 20 प्रतिशत जमा करना आवश्यक था। फिर भी, निर्धारिती ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर करने के समय (जनवरी 2020) केवल ₹ 0.27 करोड़ (यानी मांग का पांच प्रतिशत) जमा किया। आयकर विभाग ने मांग पर स्थगन दे दिया (फरवरी 2020), जबकि निर्धारित राशि का ₹ 0.80 करोड़ (₹ 5.36 करोड़ का 20 प्रतिशत, यानी ₹ 1.07 करोड़ घटा ₹ 0.27 करोड़) कम भुगतान हुआ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मई 2023)।

(iii) निर्धारिती: वी3

प्रभार: पीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), राजस्थान

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया (दिसंबर 2017), जिसमें उसने ₹ 0.04 करोड़ की आय स्वीकार की। धारा 69ए के तहत अस्पष्टीकृत नकद जमा के लिए ₹ 3.42 करोड़ जोड़ने के बाद दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया और ₹ 3.64 करोड़ कर की मांग की गई। एओ ने इस शर्त पर मांग पर रोक लगाने की अनुमति दी कि बकाया मांग का 20 प्रतिशत निर्धारिती द्वारा दस बराबर किस्तों में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, आदेश के अनुसार, निर्धारिती द्वारा राजस्व के हितों की रक्षा के लिए एक उपयुक्त सुरक्षा (बैंक गारंटी आदि) भी पेश की जानी थी। यह देखा गया कि निर्धारिती ने न तो कोई सुरक्षा (बैंक गारंटी) पेश की और न ही कोई किस्त का भुगतान किया; इसके बावजूद एओ ने मांग का 20 प्रतिशत वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, एसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान, जयपुर) ने कहा (मार्च 2021) कि चूंकि निर्धारिती किस्तों के माध्यम से मांग का 20 प्रतिशत भुगतान करने में विफल रहा है, इसलिए निर्धारिती को दिया गया स्थगन स्वतः ही हटा दिया गया है, तथा आवश्यक वसूली कार्यवाही शुरू की जाएगी। आयकर

विभाग द्वारा की गई आगे की कार्रवाई का विवरण तथा मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ मांग पर स्थगन के सीबीडीटी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बकाया मांग का ढेर लग गया है। इसके अलावा, आयकर विभाग में ऐसे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

अनुशंसा 8:

विवादित मांग पर स्थगन के लिए विवादित कर की न्यूनतम निर्धारित राशि के संग्रह के लिए सीबीडीटी के निर्देश को बकाया मांग को कम करने के लिए लागू किया जा सकता है। सीबीडीटी बिना किसी औचित्य के गैर-अनुपालन के लिए कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (मई 2023) कि बकाया मांग की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में दिशा-निर्देशों वाले निर्देश पहले से ही लागू थे, जिसमें मांग पर रोक लगाने की प्रक्रिया भी शामिल थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि एओ/टीआरओ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बकाया मांग के संग्रह का कार्य करते हैं और उनके कार्यों की उच्च अधिकारियों द्वारा उचित निगरानी की जाती है।

मंत्रालय सीबीडीटी के निर्देशों का पालन करने की बात दोहरा सकता है, क्योंकि मांग का 15/20 प्रतिशत संग्रह करने से बकाया मांग में काफी कमी आएगी।

6.2.6 डिमांड नोटिस जारी करने में देरी/ गलतियां

आयकर अधिनियम की धारा 156 में यह निर्धारित किया गया है कि जब अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज, जुर्माना, दंड या कोई अन्य राशि देय होती है, तो एओ निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती को मांग की नोटिस देगा, जिसमें देय राशि निर्दिष्ट की जाएगी। जहां कोई राशि आयकर विभाग द्वारा प्रारंभिक निर्धारण (प्रसंस्करण) में निर्धारित की जाती है, धारा 143(1) के तहत जारी की गई सूचना को मांग का नोटिस माना जाएगा। इस प्रकार उठाई गई मांग निर्धारिती को नोटिस प्राप्त होने की

तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर देय होती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है⁷⁵ कि दूसरे अनुसूची के तहत वसूली के लिए कदम उठाने से पहले अधिनियम की धारा 156 के तहत निर्धारिती को मांग के नोटिस की सेवा अनिवार्य है; और मांग के नोटिस की गैर-सेवा वसूली के लिए बाद की कार्यवाही की वैधता के मूल में जाती है। मांग के नोटिस की सेवा करने में विफलता के मामले में या जहां निर्धारिती द्वारा मांग नोटिस प्राप्त नहीं होता है, न्यायालयों ने वसूली की कार्यवाही को अमान्य माना है।

6.2.6.1 डिमांड नोटिस जारी करने में देरी

लेखापरीक्षा ने नमूना-जांच किए गए निम्नलिखित मामलों में मांग नोटिस जारी करने में विलम्ब देखा:

तालिका 6.9: आयकर अधिनियम की धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस जारी करने में देरी								
								(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी क्षेत्र	निर्धारण इकाई	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	नोटिस के अनुसार मांगी गई राशि	निर्धारण/संशोधन आदेश की तिथि	धारा 156 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की तिथि	दिनों की संख्या में देरी
1	केरल	सेंट्रल सर्किल 1	मेसर्स एम6 लिमिटेड	2011-12	12.81	04/02/2020	26/02/2020	22
2	केरल	सेंट्रल सर्किल 1	मेसर्स एम6 लिमिटेड	2012-13	47.87	04/02/2020	26/02/2020	22
3	केरल	सेंट्रल सर्किल 1	मेसर्स एम6 लिमिटेड	2014-15	70.56	04/02/2020	26/02/2020	22
4	केरल	सेंट्रल सर्किल 1	वी4	2013-14	15.14	06/02/2019	26/03/019	48
5	केरल	सेंट्रल सर्किल 1	एस9	2012-13	0.34	24/02/2016	11/03/2016	16
6	केरल	सेंट्रल सर्किल 1	एस9	2011-12	0.21	24/02/2016	11/03/2016	16
7	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	सर्किल 1(1) रायपुर	आर4	2011-12	0.001	20/05/2019	22/06/2019	33
8	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	सर्किल 1(1) रायपुर	आर4	2011-12	0.0005	20/05/2019	22/06/2019	33
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	वार्ड 3(1) रायपुर	ए8	2011-12	0.05	20/10/2018	09/11/2018	20
10	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	वार्ड 3(1) रायपुर	डी6	2011-12	0.01	23/10/2018	09/11/2018	17

⁷⁵ श्री मोहन वाही बनाम आयकर आयुक्त (2001) - 240 आईटीआर 799 (एससी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निर्धारण/संशोधन आदेश पारित होने के बाद डिमांड नोटिस 16 दिनों से लेकर 48 दिनों तक की देरी से जारी किए गए थे। धारा 156 के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी करने में देरी से अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज के रूप में राजस्व की हानि हो सकती है और कर मांग की वसूली में भी देरी हो सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.2.6.2 मांग नोटिस जारी न करना/मांगों की गलत प्रतिवेदन

पीसीआईटी, बेंगलुरु मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 937.21 करोड़ की निवल मांग वाले चार मामलों में, धारा 156 के तहत मांग के नोटिस या तो जारी नहीं किए गए या कम राशि के लिए जारी किए गए, जबकि दो अन्य मामलों (एक पीसीआईटी, बेंगलुरु और दूसरा पीसीआईटी, चंडीगढ़) में, मांग नोटिस में उल्लिखित राशि वास्तविक मांग से ₹0.96 करोड़ अधिक थी। विवरण नीचे तालिका 6.10 में दिए गए हैं।

तालिका 6.10: मांग नोटिस जारी न करना / मांगों की गलत प्रतिवेदन							
(₹ करोड़ में)							
क्र. सं.	एओ प्रकार	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	आदेश की तिथि	निर्धारण आदेश के अनुसार निवल मांग	जारी नोटिस के अनुसार मांग	अंतर
1	सर्कल 2(1)(1), बेंगलुरु	मेसर्स एस10 लिमिटेड	2017-18	30/12/2019	933.16	जारी नहीं किया	933.16
2	सर्कल 2(1)(1), बेंगलुरु	मेसर्स ई1 प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	19/03/2020	2.12	जारी नहीं किया	2.12
3	वार्ड 4(1)(1), बेंगलुरु	मेसर्स एल3 लिमिटेड	2007-08	13/09/2017	1.50	0	1.50
4	वार्ड 4(3)(1), बेंगलुरु	सी10 बी1	2012-13	27/12/2019	11.36	11.77	(-)0.41
5	सर्कल 7(1)(1), बेंगलुरु	मेसर्स यू1 प्राइवेट लिमिटेड	2014-15	26/12/2017	32.92	32.49	0.43
6	एसीआईटी/ डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल-2 चंडीगढ़	मेसर्स जे2 प्राइवेट लिमिटेड.	2014-15	30/12/2019	3.56	4.11	(-)0.55

चूंकि निर्धारिती को धारा 156 के तहत जारी नोटिस में दर्शाई गई कर राशि का भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए नोटिस में किसी भी गलती के

परिणामस्वरूप कर का संग्रह न होना, कम कर का संग्रह होना या निर्धारिती को परेशान होना पड़ सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.2.6.3 निर्धारिती को गलत पैन दर्शाते हुए डिमांड नोटिस जारी करना

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक मामले में, डिमांग नोटिस उस निर्धारिती के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जारी किया गया था जिसके लिए मांग की गई थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

बॉक्स 6.5

निर्धारिती: मेसर्स एस11 लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी सेंट्रल-4, मुंबई

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया (मार्च 2013) जिसमें ₹90.42 करोड़ की आय घोषित की गई; तथा रिटर्न की गई आय को स्वीकार करते हुए फरवरी 2014 में निर्धारण पूरा किया गया। इसके बाद, एक सर्वेक्षण किया गया तथा मार्च 2015 में धारा 143(3)/153सी के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹86.72 करोड़ की आय निर्धारित की गई तथा उस पर ₹6.88 करोड़ के कर की मांग की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि धारा 156 के तहत ₹6.88 करोड़ के लिए डिमांग नोटिस में निर्धारिती को किसी अन्य निर्धारिती, मेसर्स एस12 प्राइवेट लिमिटेड का पैन उद्धृत किया गया था, जिसकी मांग निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए शून्य थी। चूंकि विभाग के लिए पैन ही एकमात्र वैध स्रोत है जिसके द्वारा मांग को आगे बढ़ाया और निगरानी की जा सकती है, इसलिए गलत पैन उद्धृत करने के परिणामस्वरूप गलत मांग उत्पन्न हुई जिसके कारण अंततः मांग की वसूली नहीं हो सकी।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई 2023 को धारा 154 के तहत आदेश जारी कर सही पैन पर नया डिमांड नोटिस जारी कर त्रुटि को सुधार लिया।

6.2.7 आधिकारिक परिसमापक/संरक्षक को प्रस्तुत गलत दावे

परिसमापनाधीन कंपनी के मामले में, अधिनियम की धारा 178 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी ऐसी जांच करने या ऐसी सूचना मांगने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर परिसमापक को वह राशि अधिसूचित करेगा, जो निर्धारण अधिकारी की राय में, कंपनी द्वारा उस समय देय या उसके बाद देय होने वाले किसी कर के लिए पर्याप्त होगी।

इस प्रावधान के अनुसार, जब भी कोई कंपनी, जिस पर बकाया कर की मांग लंबित है, परिसमापन के लिए जाती है, तो आयकर विभाग को कंपनी के संबंध में बकाया कर की मांग का दावा उस प्राधिकरण को भेजना होता है, जो परिसमापन प्रक्रिया को संभाल रहा है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक निर्धारिती, एच3 (दो निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 128.29 करोड़ की मांग), जिनकी परिसंपत्तियां एक विशेष न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक के संरक्षण में थीं, के संबंध में आयकर विभाग द्वारा संरक्षक को बकाया मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी; जबकि परिसमापन के तहत तीन निर्धारिती अर्थात् मेसर्स सी2 लिमिटेड, मेसर्स पी3 लिमिटेड और मेसर्स एस13 लिमिटेड (जैसा कि नीचे तालिका 6.11 में दिखाया गया है) के लिए ₹ 1,480.07 करोड़ की कुल मांग बकाया थी। परंतु, आधिकारिक परिसमापक को अधिसूचित राशि केवल ₹ 911.94 करोड़ थी। लेखापरीक्षा परिसमापन प्राधिकारी को ₹ 696.42 करोड़ की मांग की गैर-प्रतिवेदन/कम प्रतिवेदन के कारणों का पता नहीं लगा सकी, जैसा कि नीचे तालिका 6.11 में विस्तृत है:

तालिका 6.11: परिसमापन प्राधिकारी/संरक्षक को कम/प्रतिवेदन नहीं किए गए दावे					
(₹ करोड़ में)					
निर्धारण इकाई/पीसीआईटी/क्षेत्र	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	बकाया मांग	प्रतिवेदन की गई राशि	कम/गैर प्रतिवेदन की गई राशि
सर्किल 1(1) पीसीआईटी -1 कोलकाता	मेसर्स सी2 लिमिटेड	2008-09 (2), 2009-10 (2), 2010-11, 2011-12(2), 2012-13, 2013-14(2) और 2017-18 (11 मामले)	742.13	292.59	449.54
सीसी-2.2 पीसीआईटी- सेंट्रल 1 कोलकाता	मेसर्स पी3 लिमिटेड	2006-07, 2007-08, 2009-10, 2012-13 और 2017-18 (05 मामले)	143.82	28.81	115.01
सीसी-1(1) पीसीआईटी 1 चेन्नई	मेसर्स एस13 लिमिटेड	2013-14, 2015-16 से 2017-18 (04 मामले)	594.12	590.54	3.58
सेंट्रल सर्कल 4(1), पीसीआईटी सेंट्रल 2 मुंबई	एच3	1990-1991, 2018-19 (02 मामले)	128.29	0	128.29

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 6.6

निर्धारिती: मेसर्स पी3 लिमिटेड

प्रभार: पीसीआईटी सेंट्रल-1, कोलकाता

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। हालांकि, दिसंबर 2019 में धारा 144/147 के तहत निर्धारण पूरा हो गया, जिसमें ₹ 33.49 करोड़ की आय और उस पर ₹ 30.42 करोड़ की कर मांग निर्धारित की गई।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया गया (अगस्त 2017) जिसमें ₹ 65.01 करोड़ की आय घोषित की गई। दिसंबर 2019 में धारा 144/143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 344.27 करोड़ की आय निर्धारित की गई और उस पर ₹ 307.07 करोड़ की कर मांग की गई। अगस्त 2021 में धारा 154 के तहत निर्धारण को संशोधित किया गया और आय ₹ 147.47 करोड़ निर्धारित की गई और उस पर ₹ 113.38 करोड़ के कर की मांग की गई।

इसके अलावा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), कोलकाता ने कंपनी के परिसमापन की अनुमति दी (सितंबर 2019)। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि नवंबर 2019 में परिसमापक के समक्ष कंपनी के खिलाफ बकाया मांग का दावा प्रस्तुत करते समय आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में ₹ 113.38 करोड़ की बकाया कर मांग के बजाय केवल ₹ 28.81 करोड़ का दावा किया। इसके अलावा, आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10 और निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित ₹ 30.44 करोड़ की कुल बकाया मांग के विरुद्ध कोई राशि का दावा नहीं किया। आधिकारिक परिसमापक के समक्ष बकाया मांग का गलत दावा कर बकाया की वसूली को प्रभावित करेगा। आधिकारिक परिसमापक को बकाया मांग अधिसूचित करने में विसंगतियों के बारे में आयकर विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2021)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.2.8 किशतों में वसूली

अधिनियम की धारा 220(3) निर्धारण अधिकारियों को किशतों में मांग वसूलने का अधिकार देती है और इसके लिए संबंधित प्रक्रिया कार्यालय प्रक्रिया (समेकित) 2019 के मैनुअल के पैरा 4 में बताई गई है। निर्धारिती को किशतों में कर मांग का भुगतान करने की अनुमति देते समय, निर्धारण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई किशत कि राशि कुल बकाया के अनुरूप हो और किशत की राशि बहुत कम न हो। ऐसे मामलों में, जहाँ किशतों के भुगतान में चूक होती है, लंबित शेष राशि वसूलने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए।

बेंगलुरु क्षेत्र में, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार मामलों में, निर्धारिती ने ₹33.50 करोड़ की किस्त का भुगतान करने में चूक की, जैसा कि नीचे तालिका 6.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.12: किशतों में मांगों की वसूली में पाई गई विसंगतियां						
(₹ करोड़ में)						
एओ प्रभार/पीसीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	निर्धारण वर्ष	धारा के तहत किया गया निर्धारण	आदेश की तिथि	बकाया मांग	किशत के भुगतान में चूक
सर्कल 3(1)(1), बेंगलुरु, पीसीआईटी III बेंगलुरु	मेसर्स आई5 प्राइवेट लिमिटेड	2016-17	143(3) आरडब्ल्यूएस 144सी	29/01/2010	38.34	6.07
सर्कल 7(1)(1), पीसीआईटी II बेंगलुरु	मेसर्स यू2 लिमिटेड	2010-11	271(1)(सी)	29/03/2019	62.77	24.00
सर्कल 6(1)(1), पीसीआईटी I बेंगलुरु	मेसर्स एस14 लिमिटेड	2017-18	154	20/03/2020	10.16	2.03
सर्कल 3(1)(1), पीसीआईटी III बेंगलुरु	ए9	2017-18	143(3)	15/12/2019	2.06	1.40
कुल						33.50

लेखापरीक्षा को किशतों की अदाईगी में हुई चूक की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.3 कर वसूली अधिकारी का कार्य

कर वसूली अधिकारी (टीआरओ)⁷⁶ बकाया मांग की निगरानी और वसूली में शामिल सबसे महत्वपूर्ण कार्य संभालता है। वर्तमान में, प्रत्येक आयुक्तालय में एक टीआरओ को निर्धारण प्रभार के साथ तैनात किया जाता है जो कि आयकर विभाग के पुनर्गठन से पहले की अवधि के समान है। चूककर्ता के मामले में, जैसे ही अधिनियम की धारा 221(1) के तहत तैयार किये गए मांग के विवरण को प्रमाणित किया जाता है, टीआरओ को अधिकार मिल जाता है, चाहे वह

⁷⁶ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(44) के अनुसार, "कर वसूली अधिकारी" (टीआरओ) का तात्पर्य किसी भी आयकर अधिकारी से है, जिसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त द्वारा लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा टीआरओ की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है और ऐसी शक्ति और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है, जो अधिनियम के तहत एक आकलन अधिकारी (जिसे आगे एओ के रूप में संदर्भित किया जाता है) को प्रदान किए जाते हैं या सौंपे जाते हैं और जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

एओ से प्रस्ताव के साथ हो या उसके बिना। जब भी कोई निर्धारिती चूक करता है या कर का भुगतान करने में चूक करने वाला माना जाता है, तो टीआरओ को कर वसूली प्रमाणपत्र (टीआरसी) तैयार करना होता है। जेएओ को बकाया राशि की विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण तैयार करना आवश्यक है और उसे टीआरओ को अग्रेषित करना होता है ताकि वह टीआरसी तैयार कर सके।

निर्धारण और संग्रहण कार्य को पृथक करना विजन 2020 के फोकस बिंदुओं में से एक है, तथा केन्द्रीय कार्य योजनाएं ऐसे विजन को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं।

प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1** में टीआरओ की शक्तियों और कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

बकाया मांगों के संग्रह में टीआरओ के प्रभावी कामकाज का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा जांच के लिए चयनित क्षेत्राधिकार निर्धारण इकाइयों से संबंधित 74 टीआरओ (**परिशिष्ट 5**) का चयन किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

6.3.1 टीआरसी की निपटान⁷⁷

केंद्रीय कार्य योजना 2016-17 के अनुसार, टीआरओ द्वारा कर वसूली प्रमाणपत्रों (टीआरसी) के प्रगतिशील निपटान की निगरानी की जानी चाहिए और सीबीडीटी द्वारा स्थिति की समीक्षा के लिए तिमाही आधार पर उपलब्धियों का अनुमान लगाया जाना चाहिए। दो साल से अधिक समय से लंबित टीआरसी को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। सीबीडीटी ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपनी केंद्रीय कार्य योजना में प्रत्येक टीआरओ द्वारा आगे लाए गए बकाया टीआरसी के 20 प्रतिशत या 150 टीआरसी के निपटान का लक्ष्य तय किया है। टीआरसी से संबंधित जानकारी 74 टीआरओ से मांगी गई थी, परंतु, सिर्फ 30 टीआरओ ने जवाब दिया। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान इन 30 टीआरओ द्वारा निपटाए गए टीआरसी का विवरण नीचे तालिका 6.13 में दिखाया गया है:

⁷⁷ जब भी कोई करदाता कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूककर्ता माना जाता है, तो टीआरओ द्वारा निर्धारित फॉर्म संख्या 57 में उसके हस्ताक्षर के तहत तैयार किया गया विवरण।

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

तालिका 6.13: तीन वर्ष की अवधि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए टीआरसी का विवरण														
वर्ष	प्रारंभिक जमा		टीआरओ द्वारा जारी		अन्य टीआरओ से प्राप्त		निपटान किया गया		अन्य टीआरओ में हस्तांतरित		बड़े खाते में डाला गया		अंतिम शेष	
	1		2		3		4		5		6		(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	
	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	टीआरसी की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
2017-18	9,671	4,52,561	1157	1,17,354	71	4,808	2,194	56,616	199	1,23,639	1,214	10,879	7,292	3,83,588
2018-19	10,240	4,06,698	884	74,361	115	5,646	1,457	81,071	87	17,767	402	15,473	9,293	3,72,392
2019-20	10,052	6,75,826	905	2,08,135	996	42,676	1,819	53,144	78	13,149	319	10,914	9,737	8,49,431

स्रोत: टीआरओ द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, 30 टीआरओ से संबंधित ₹ 8,49,431 करोड़ की बकाया मांग वाले 9,737 टीआरसी 2019-20 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निपटान के लिए लंबित थे। कुल निकाले गए टीआरसी, निपटाए गए और इन टीआरओ की लंबितता का विवरण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 9** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 टीआरओ में से, वर्ष 2017-18 में केवल आठ टीआरओ, वर्ष 2018-19 में सात टीआरओ और 2019-20 में चार टीआरओ ने टीआरसी के निपटान का अपना लक्ष्य हासिल किए (**परिशिष्ट 9**)। अभिलेख से लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि 41 मामलों में, टीआरओ ने लाए गए बकाया टीआरसी के लिए निर्धारित प्रतिशत से कम अर्थात् 20 प्रतिशत का निपटान किया, जबकि 21 मामलों में, टीआरओ ने वर्ष के दौरान एक भी टीआरसी का निपटान नहीं किया।

मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

टीआरओ टीआरसी के निपटान के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर सके, जब कि कुछ मामलों में, जेएओ से टीआरओ को हस्तांतरित मामलों की संख्या 150 टीआरसी के निपटान वार्षिक के लक्ष्य से कम थी। चूंकि, लक्ष्य तय करने का आधार अभिलेख में उपलब्ध नहीं था, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि टीआरसी की अलग-अलग संख्या वाले सभी क्षेत्रों के लिए एक समान लक्ष्य कैसे तय किया गया।

अनुशंसा 9 :

सीबीडीटी की तीव्र निकासी सुनिश्चित करने और वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए उपयुक्त निर्देश और अनुवर्ती प्रक्रिया जारी कर सकता है। सीबीडीटी उन मामलों में कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है जहां बिना किसी औचित्य के अत्यधिक देरी देखी गई हो।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कर वसूली अधिकारी मैनुअल 2007 का हवाला देते हुए कहा (मई 2023) कि कर वसूली प्रमाणपत्र (टीआरसी) तैयार करने/अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सभी निर्देश, दिशानिर्देश और प्रारूप कर वसूली अधिकारी के मैनुअल 2007 में दिए गए हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्थापित प्रक्रियाओं/प्रणालियों पर केंद्रित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टीआरसी को मंजूरी देने में प्रतिवेदन, निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी। मंत्रालय मौजूदा प्रणालियों की प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकता है और टीआरओ के स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने निर्देशों को दोहरा सकता है।

6.3.2 टीआरओ द्वारा सर्वेक्षण

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीबीडीटी की वार्षिक केंद्रीय कार्य योजनाओं में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक टीआरओ उपयुक्त मामलों में मांग की वसूली के लिए एक वर्ष में कम से कम 10 सर्वेक्षण आयोजित करेगा। मांग की वसूली के लिए ऐसे सर्वेक्षण अधिमानतः प्रत्येक तिमाही में आयोजित किए जाने चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं छोड़े जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान प्रत्येक टीआरओ द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की संख्या और सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप प्राप्त राशि का विवरण मांगा।

चयनित 74 टीआरओ में से 52 टीआरओ से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 22 टीआरओ ने 660 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विपरीत 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल 202 सर्वेक्षण किए और कुल ₹ 62.41 करोड़ की कर राशि वसूल की। इसके

अलावा, 22 टीआरओ में से चार टीआरओ ने उक्त निर्धारण वर्षों में से एक में अपना लक्ष्य हासिल किया जबकि एक टीआरओ ने दो निर्धारण वर्षों में लक्ष्य हासिल किया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि शेष 17 टीआरओ किसी भी निर्धारण वर्ष में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सके, जैसा कि **परिशिष्ट 10** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

आयकर विभाग से आंशिक प्रतिक्रिया या अपेक्षित सूचना की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा, उपलब्धि के सापेक्ष लक्ष्य की पर्याप्तता का विश्लेषण नहीं कर सका।

6.3.3 टीआरओ द्वारा डिमांड नोटिस जारी न करना/सूचना न देना

अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार, जब कोई टीआरसी तैयार किया जाता है, तो टीआरओ द्वारा डिफॉल्टर को⁷⁸ आईटीसीपी⁷⁹-1 में एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उसे टीआरसी में निर्दिष्ट राशि का भुगतान ऐसे नोटिस की सेवा के पंद्रह दिनों के भीतर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें यह सूचित किया जाएगा कि राशि की वसूली के लिए आयकर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक टीआरसी के लिए मांग नोटिस (आईटीसीपी-1) की प्रति संबंधित निर्धारण अधिकारियों को सूचना के लिए भेजी जानी चाहिए⁸⁰।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत दो क्षेत्रों से संबंधित 44 टीआरसी के सत्यापन पर, यह पाया गया कि 24 टीआरसी के संबंध में, टीआरओ ने निर्धारिती को मांग नोटिस जारी नहीं किया और निर्धारण अधिकारी को सूचना नहीं दी। क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका 6.14 में दिए गए हैं:

⁷⁸ टीआरओ मैनुअल 2014 के अध्याय IV का पैरा सी.1

⁷⁹ फॉर्म आईटीसीपी-1 वह विवरण है जिसके माध्यम से टीआरसी तैयार होने के बाद, चूकर्ता करदाता को वास्तविक मांग की जानकारी दी जाती है।

⁸⁰ टीआरओ मैनुअल 2014 के अध्याय II का पैरा 2(iii)

तालिका 6.14: टीआरओ द्वारा निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को मांग नोटिस जारी न करना				
क्र. सं.	क्षेत्र	टीआरओ चार्ज	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)
1	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	टीआरओ ग्वालियर	18	383.66
		टीआरओ रायपुर	5	35.16
2	बैंगलुरु	टीआरओ-2	1	106.72

स्रोत: क्षेत्रिय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा दिये गए अभिलेखों की जाँच के आधार पर

दो मामले, एक आईटीसीपी-1 जारी न किये जाने तथा दूसरा अधिक मांग के साथ जारी किये गए मामले नीचे दर्शाये गए हैं:

बॉक्स 6.7

- (i) **निर्धारिती:** मेसर्स बी2 प्राइवेट लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी-1, ग्वालियर

निर्धारिती ने सितंबर 2013 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसमें ₹ 1.49 करोड़ की आय घोषित की गई। मार्च 2016 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 404.53 करोड़ की आय और उस पर ₹ 177.83 करोड़ कर की मांग निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने ₹ 0.08 करोड़ का भुगतान किया था; इस प्रकार, ₹ 177.75 करोड़ की निवल मांग अभी भी बकाया थी (मार्च 2023)।

निर्धारण अधिकारी ने टीआरओ को सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि ₹ 177.75 करोड़ की मांग वसूल की जानी है। कर वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद टीआरओ ने फॉर्म आईटीसीपी-1 में मांग की सूचना जारी नहीं की। उक्त फॉर्म जारी न करना मैनुअल में टीआरओ के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने का संकेत देता है। आईटीसीपी-1 फॉर्म में मांग जारी न करने का कारण भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

(ii) निर्धारिती: वी2
प्रभार: पीसीआईटी-2, बंगलुरु

निर्धारण अधिकारी ने फॉर्म 57 में टीआरसी तैयार किया, जिसमें निर्धारिती के लिए निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2017-18 तक ₹ 21.78 करोड़ की बकाया मांग दर्शाई गई और नवंबर 2020 में इसे टीआरओ को भेज दिया। टीआरओ ने ₹ 21.78 करोड़ के बजाय ₹ 63.68 करोड़ (नवंबर 2020) की मांग के लिए आईटीसीपी 1 का नोटिस जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप टीआरओ द्वारा ₹ 41.90 करोड़ की अतिरिक्त मांग जारी की गई। ई-फाइलिंग पोर्टल और आईटीबीए के अनुसार, 30 नवंबर 2020 तक ₹ 28.78 करोड़ की राशि लंबित थी। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.3.4 ब्याज की उगाही न करना कम करना

अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 5 में यह प्रावधान है कि प्रमाण पत्र से संबंधित कर या जुर्माना या अन्य राशि पर देय ब्याज अधिनियम की धारा 220 की उपधारा (2) के अनुसार वसूल किया जाएगा।

दो क्षेत्रों में लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध और सत्यापित 31 टीआरसी में से, यह देखा गया कि 22 मामलों में आयकर विभाग ने अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 5 के अंतर्गत या तो ब्याज नहीं लगाया या कम ब्याज लगाया।

क्षेत्रवार मामलों की संख्या, जहां धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज नहीं लगाया गया/कम लगाया गया तथा मांग बकाया है, नीचे तालिका 6.15 में दर्शाई गई है:

तालिका 6.15: धारा 12 के अंतर्गत ब्याज 220(2) नहीं/कम लगाया गया				
क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों की संख्या	बकाया मांग (₹ करोड़ में)	ब्याज राशि नहीं / कम लगाई गई (₹ करोड़ में)
1	तमिलनाडु	10	333.46	109.39
2	पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	12	55.31	25.40
	कुल	22	388.77	134.79

इस प्रकार, टीआरओ द्वारा ब्याज नहीं लगाने/ कम लगाने के परिणामस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.3.5 संपत्ति की कुर्की न करना

टीआरओ को अधिनियम की धारा 222, 226 और 227 के तहत मांगों की वसूली के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं। उन्हें संपत्तियों की कुर्की, बैंक खातों की जब्ती और चूककर्ता की गिरफ्तारी के माध्यम से बकाया मांग वसूलने का अधिकार है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुंबई क्षेत्र में चूक के 34 मामलों में कोई संपत्ति कुर्क नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि तमिलनाडु क्षेत्र में, पीसीआईटी-3, चेन्नई ने एक मामले में संपत्ति कुर्क की, लेकिन राशि वसूलने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की गई। बेंगलुरु क्षेत्र में, पीसीआईटी-2, बेंगलुरु में, एक मामले में, आयकर विभाग अनंतिम कुर्की को नियमित कुर्की में बदलने में विफल रहा। 45 मामलों के संबंध में कुल बकाया मांग ₹ 1,38,724.61 करोड़ थी, जैसा कि नीचे तालिका 6.16 में दिखाया गया है:

तालिका 6.16: संपत्ति की कुर्की न करना					
क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईटी	टीआरओ	मामलों की संख्या	बकाया मांग राशि (₹ करोड़ में)
1	मुंबई	प्रधान सीआईटी (केंद्रीय)-1, मुंबई	टीआरओ-सेंट्रल, मुंबई	34	1,37,563.48
2	बेंगलुरु	पीसीआईटी-1	टीआरओ-1, बेंगलुरु	1	1.95
3	बेंगलुरु	पीसीआईटी-2	टीआरओ-2, बेंगलुरु	1	11.92
4	तमिलनाडु	पीसीआईटी-3	टीआरओ-3, चेन्नई	8	1,129.91
5	तमिलनाडु	पीसीआईटी-4	टीआरओ-4, चेन्नई	1	17.34
	कुल			45	1,38,724.61

मुंबई क्षेत्र के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 34 मामलों के संबंध में कुल ₹ 1,37,563.48 करोड़ की मांग एच2 से संबंधित थी, परंतु, इन मामलों में संपत्ति की कुर्की नहीं की गई थी। इस प्रतिवेदन के अध्याय-5 के पैरा 5.3.4 में पूरा विवरण दिया गया है।

नीचे दो मामले दर्शाये गये हैं:

बॉक्स 6.8

- (i) निर्धारिती: मेसर्स एन6 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी-4, चेन्नई

निर्धारण अधिकारी ने फॉर्म 57 में एक टीआरसी तैयार किया और मामले को फरवरी 2017 में टीआरओ-4 में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए ₹ 38.42 करोड़ की बकाया मांग थी। फॉर्म 57 में कुर्की के सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि टीआरसी तैयार करने के समय, निर्धारिती के पास कुल ₹ 3,065.72 करोड़ की संपत्ति थी। परंतु, टीआरओ ने फरवरी 2017 से संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की और दिसंबर 2018 में निर्धारिती परिसमापन में चला गया। अभिलेख पर कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह जून 2021 में आयकर विभाग को सूचित किया गया था। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

- (ii) निर्धारिती: वी2
प्रभार: पीसीआईटी-2, बंगलुरु

निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2009-10 से 2017-18 से संबंधित ₹ 21.78 करोड़ की बकाया मांग पर फॉर्म 57 में टीआरसी तैयार की और टीआरओ को इसकी सूचना दी (नवंबर 2020)। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही की डोजियर प्रतिवेदन से, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने (वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान) धारा 281बी के अंतर्गत मल्लेश्वरम, बंगलुरु में निर्धारिती की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। अनंतिम कुर्की के बारे में जानकारी (डोजियर में) टीआरओ को सूचित की जानी थी; पर, ऐसा नहीं किया गया था। इस बीच, अनंतिम कुर्की की अवधि छह महीने के बाद स्वतः समाप्त हो गई। टीआरओ ने निर्धारिती के कब्जे में संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

इसके अलावा, सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए डोजियर प्रतिवेदन से यह पता चला कि टीआरओ ने टिप्पणी की है कि वसूली की कार्रवाई शुरू

नहीं की जा सकती क्योंकि इस मामले में कोई चल और अचल संपत्ति की पहचान नहीं की जा सकी। बकाया मांग का भुगतान करने के लिए चूककर्ता को मेल के माध्यम से अनुस्मारक जारी किए जा रहे हैं। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

इस प्रकार, ऐसे कई उदाहरण थे जब टीआरओ ने अधिनियम द्वारा उन्हें दी गई विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, हालांकि राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक था। टीआरओ द्वारा बकाया मांग की वसूली हेतु चूककर्ता की परिसंपत्तियों की कुर्की नहीं किये जाने का मामला सीएजी की वर्ष 2011 की निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 23 में भी दर्शाया गया है।

6.3.6 रजिस्ट्रों का गैर/अनियमित रखरखाव

कर वसूली अधिकारी के मैनुअल 2014 के अध्याय 2 के पैरा 3 में बकाया कर पर नियंत्रण, उनके निपटान और विभिन्न पर्यवेक्षी प्राधिकरणों द्वारा बकाया मामलों के निपटान की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए टीआरओ कार्यालय द्वारा 13 रजिस्ट्रों⁸¹ के बनाए जाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने 74 टीआरओ से निर्धारित रजिस्ट्रों के रखरखाव के बारे में जानकारी मांगी। इनमें से केवल 31 टीआरओ ने रजिस्टर-वार विवरण देते हुए जवाब दिया (*परिशिष्ट 11*)। इन 31 टीआरओ में से 12 टीआरओ ने निर्धारित रजिस्ट्रों का रखरखाव और अद्यतनीकरण किया जबकि सात टीआरओ ने रजिस्टर बना तो रखे हैं लेकिन अद्यतनीकरण विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। शेष 12 टीआरओ में रजिस्टर आंशिक रूप से बनाए गए थे।

इसके अलावा, 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही प्रगति प्रतिवेदन की तुलना पीसीआईटी, सेंट्रल, अहमदाबाद प्रभार में टीआरओ द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों के रजिस्टर से करते समय, लेखापरीक्षा ने चूक करने वाले निर्धारिती की संख्या और इन निर्धारिती के खिलाफ कुर्क की गई

⁸¹ प्रमाणपत्रों के लिए आवक रजिस्टर, रोकड़ बही, कुर्क और बेची गई चल और अचल संपत्ति का रजिस्टर, निष्पादन रजिस्टर, प्रमाणित मांग की दैनिक कटौती/संग्रह का रजिस्टर, स्थगन रजिस्टर, किस्त रजिस्टर, अंतिम रूप से निपटाए गए प्रमाणपत्रों के लिए निपटान रजिस्टर, बंद प्रमाणपत्र रजिस्टर, अभिरक्षा रजिस्टर, दैनिक डायरी, परिसमापन में कंपनियों बीआईएफआर और बीमार कंपनियों के मामले में वसूली का रजिस्टर, टीआरओ का नियंत्रण रजिस्टर

अचल संपत्तियों के संबंध में विसंगति पाई। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कुर्क की गई संपत्ति के मूल्य के लिए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं थी।

टीआरओ द्वारा उपर्युक्त वैधानिक रजिस्ट्रों का गैर-रखरखाव/आंशिक रूप से रखरखाव करने के परिणामस्वरूप मामले की अपर्याप्त निगरानी होगी जो अंततः मांगों की वसूली को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, आयकर विभाग से प्रतिक्रिया के अभाव में, लेखापरीक्षा सरकारी बकाया की समय पर वसूली की निगरानी के लिए आयकर विभाग में उपलब्ध वैकल्पिक तंत्र का विवरण नहीं जान सकी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशंसा 10:

चूंकि निर्धारित रजिस्टर बकाया मांगों की वसूली और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी निर्धारित रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जाए और टीआरओ द्वारा समय-समय पर उन्हें अद्यतन किया जाए तथा गैर-अनुपालन मामलों में कार्रवाई करने पर विचार किया जाए।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2023) कि कुर्क और बेची गई चल और अचल संपत्ति का रजिस्टर, निष्पादन रजिस्टर, प्रमाणित मांग में दैनिक कटौती/संग्रह का रजिस्टर, स्थगन रजिस्टर, किस्त रजिस्टर, अंतिम रूप से निपटाए गए प्रमाणपत्रों के लिए निपटान रजिस्टर, बंद प्रमाणपत्र रजिस्टर, अभिरक्षा रजिस्टर, दैनिक डायरी और परिसमापन में कंपनियों, बीआईएफआर और बीमार कंपनियों आदि के मामले में वसूली का रजिस्टर सहित विभिन्न रजिस्ट्रों के रखरखाव की प्रक्रिया और निर्देश कर वसूली अधिकारी की मैनुअल 2007 में दिए गए हैं। टीआरओ के काम की निगरानी और निरीक्षण करने के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है।

यद्यपि टीआरओ के कार्य की निगरानी और निरीक्षण के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद है, लेकिन लेखापरीक्षा जांच में निर्धारित रजिस्ट्रों के गैर-रखरखाव/ गैर-अद्यतन के बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। समय पर बकाया मांगों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय अपने निर्देशों को दोहरा सकता है और उनके अनुपालन की निगरानी कर सकता है।

6.3.7 अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव

एसएआरएफएईएसआई⁸² अधिनियम की धारा 26बी (4) के अंतर्गत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के प्रत्येक प्राधिकरण या अधिकारी जिन्हें कर वसूली का या अन्य सरकारी बकाया राशि वसूल करने के लिए और किसी चूककर्ता की किसी भी संपत्ति की कुर्की के लिए कोई आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन्हें केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई⁸³) के पास उनके द्वारा जारी किसी भी आदेश या संपत्ति की कुर्की को पंजीकृत कराया जाना है।

इसके अलावा, बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया (सितंबर 2017)⁸⁴ कि वे आयकर अधिनियम के तहत की गई किसी भी कुर्की के बारे में आदेश जारी करते ही सीईआरएसएआई को सूचित करें ताकि न केवल कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य बरकरार रहे बल्कि कुर्क की गई संपत्ति पर आयकर विभाग का अधिकार भी शीर्ष पर बना रहे।

इसके अलावा, एओ को डोजियर प्रतिवेदन⁸⁵ में सीईआरएसएआई से जुड़ी सभी संपत्तियों की अधिसूचना के बारे में जानकारी दर्ज करना आवश्यक है।

तमिलनाडु क्षेत्र के प्रधान सीसीआईटी में, 592 सैंपल मामलों के लिए, एओ ने यह जानकारी नहीं दी कि कितने मामले टीआरओ को हस्तांतरित किए गए थे। टीआरओ ने सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत कुर्की के मामलों पर भी जानकारी/डेटा उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए, लेखापरीक्षा से यह पता नहीं लग सका कि संपत्ति की कुर्की के मामले सीईआरएसएआई के साथ पंजीकृत किए जा रहे थे या नहीं।

प्रधान सीसीआईटी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, "चल एवं अचल संपत्ति कुर्क एवं बेची गई" के रजिस्टर की जांच से पता चला कि पांच मामलों में, टीआरओ कार्यालय द्वारा चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं। परंतु, सीईआरएसएआई या अन्य पंजीकरण प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण की स्थिति अभिलेख में नहीं पाई गई।

⁸² वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002

⁸³ प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री

⁸⁴ बोर्ड के आयकर निदेशालय (वसूली एवं टीडीएस) के निर्देश, दिनांक 06 सितम्बर 2017 के पत्र के अनुसार

⁸⁵ डोजियर रिपोर्ट का कॉलम क्रमांक 12 सी(i)

प्रधान सीसीआईटी, मुंबई क्षेत्र में, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि मेसर्स जी2 लिमिटेड और एम6 के मामले में, टीआरओ, ठाणे ने मार्च 2019 में संपत्तियां कुर्क कीं, लेकिन अभिलेख पर इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला कि यह सीईआरएसएआई को अधिसूचित किया गया अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा ने सी.ई.आर.एस.ए.आई., नई दिल्ली (मुख्यालय) से भी आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों के पंजीकरण के संबंध में जानकारी मांगी। सी.ई.आर.एस.ए.आई. ने बताया (फरवरी 2022) कि आयकर अधिकारियों द्वारा फरवरी 2022 तक सी.ई.आर.एस.ए.आई. के पास कोई कुर्की आदेश दायर नहीं किया गया था।

सीईआरएसएआई के साथ संपत्तियों की कुर्की का पंजीकरण, अन्य लेनदारों पर आयकर विभाग के दावे को बरकरार रखने के लिए वसूली तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। डीआईटी (वसूली और टीडीएस) के निर्देशों के बावजूद सीईआरएसएआई के साथ कुर्की का पंजीकरण न करना, आयकर विभाग में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा गैर-अनुपालन को दर्शाता है। इस तरह के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पहले से ही गिरवी रखी गई संपत्तियों के लिए कुर्की के आदेश जारी किए जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः कुर्की का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

6.4 ए.ओ. और टी.आर.ओ. के बीच समन्वय का अभाव

कर वसूली तंत्र में एओ द्वारा टीआरओ को बकाया मांगों की सूचना देना, टीआरसी का आहरण करना और अंत में टीआरसी का निपटान करना शामिल है। बकाया कर मांग की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए एओ और टीआरओ के बीच अत्यधिक समन्वय होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर मांग के बकाया मामलों को टीआरओ को संदर्भित करने के बाद, एओ के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह मूल मांग में किए गए किसी भी बाद के संशोधन, कटौती आदि के बारे में टीआरओ को सूचित करे। इसी तरह, टीआरओ को भी समय-समय पर किए गए निपटानों के बारे में एओ को सूचित करना चाहिए।

एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मांग को टीआरओ को भेजा जाता है, यदि निर्धारण अधिकारी को लगता है कि इसकी वसूली के लिए बलपूर्वक कार्रवाई की आवश्यकता है। टीआरओ निर्धारिती को बकाया मांग के बारे में सूचित करता है कि वह 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करे, ऐसा न करने पर निर्धारिती को डिफॉल्टर माना जाएगा। टीआरओ को अधिनियम द्वारा निर्धारिती की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और उसका निपटान या गिरफ्तारी और निर्धारिती को जेल में बंद करने जैसे बलपूर्वक उपाय करने का अधिकार है।

6.4.1 जेएओ द्वारा टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए मामले

10,896 मामलों की मूल जांच करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 18,722.94 करोड़ की बकाया मांग वाले 1,218 मामले एक वर्ष से अधिक पुराने थे और इन मामलों पर कोई अपील लंबित नहीं थी। इन मामलों को टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किया गया था। हालांकि, सभी क्षेत्रों में आयकर विभाग द्वारा टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए मामलों की वास्तविक संख्या का विवरण लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था। प्रत्येक प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र में टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए 1,218 मामलों का आयु-वार विश्लेषण नीचे दी गई तालिका 6.17 में दिया गया है।

तालिका 6.17: टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए मामलों का विवरण											
											(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्रों	3 वर्ष और उससे कम		3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच		5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच		10 वर्ष से अधिक		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	बेंगलुरु	6	53.54	4	22.66	2	1.82	1	0.07	13	78.09
2	भुवनेश्वर	32	231.96	52	469.33	38	370.36	14	0.15	136	1,071.81
3	बिहार और झारखंड	10	15.85	2	0.18	9	68.73	7	0.18	28	84.94
4	गुजरात	142	7,830.17	100	1,423.44	49	393.94	11	116.79	302	9,764.34
5	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	19	69.18	7	9.73	15	25.73	0	0.00	41	104.64
6	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	48	165.70	16	31.48	28	15.15	4	1.67	96	214.01
7	मुंबई	76	2,122.47	41	183.39	52	328.50	11	1.95	180	2,636.32
8	उत्तर पूर्व क्षेत्र	7	7.08	2	0.20	24	11.77	8	1.55	41	20.61
9	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	35	247.39	43	442.27	33	150.45	2	1.33	113	841.44

तालिका 6.17: टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए मामलों का विवरण											
(₹ करोड़ में)											
क्र. सं.	क्षेत्रों	3 वर्ष और उससे कम		3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच		5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच		10 वर्ष से अधिक		कुल	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
10	राजस्थान	28	104.96	15	15.26	33	83.04	2	0.03	78	203.29
11	तमिलनाडु	7	693.59	8	784.72	13	488.48	0	0.00	28	1,966.78
12	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	5	3.45	1	0.00	2	0.01	0	0.00	8	3.45
13	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	56	532.25	22	160.86	71	1,038.29	5	1.81	154	1,733.21
	कुल	471	12,077.59	313	3,543.53	369	2,976.27	65	125.55	1,218	18,722.94

स्रोत: आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत भौतिक अभिलेख
 # दिल्ली, केरल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कोई मामला नहीं देखा गया।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹125.55 करोड़ की कुल बकाया मांग वाले 65 मामले जो 10 वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन मांगों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, 13 प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों में से, प्रधान सीसीआईटी गुजरात क्षेत्र में सबसे अधिक मामले (302) थे, उसके बाद प्रधान सीसीआईटी मुंबई (180) थे, जिन्हें वसूली के लिए टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा अभिलेख से यह पता नहीं लगा सका कि क्षेत्राधिकार वाले एओ ने इन मामलों में वसूली के लिए सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया था और इन मामलों को टीआरओ को हस्तांतरित नहीं करने के कारण क्या थे, जो कि मांग की वसूली की क्षीण संभावना के साथ टीआरओ और जेएओ के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

6.4.2 एओ द्वारा टीआरओ को बकाया मांग की अधिक/कम प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए 10,896 मामलों में से 238 मामलों में एओ ने संबंधित टीआरओ को अपील प्रभाव/सुधार आदेशों की जानकारी नहीं दी थी। इसकी वजह से ₹2,555.39 करोड़ की बकाया मांग की अधिक प्रतिवेदन और ₹1,321.59 करोड़ की कम प्रतिवेदन का विवरण नीचे तालिका 6.18 में दिया गया है:

तालिका 6.18: एओ द्वारा टीआरओ को मांग की अधिक/कम प्रतिवेदन					
(₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र	मामलों की संख्या	ए.ओ. द्वारा प्रतिवेदन की गई राशि से अधिक	मामलों की संख्या	ए.ओ. द्वारा प्रतिवेदन की गई राशि कम
1	गुजरात	-	-	15	729.64
2	कर्नाटक	-	-	3	112.93
3	केरल	20	228.68	8	30.04
4	मुंबई	1	2.00	12	12.35
5	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	0	0	4	17.44
6	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	-	-	1	3.64
7	तमिलनाडु और पुडुचेरी	2	19.95	-	-
8	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	150	2,304.76	21	415.55
	कुल	173	2,555.39	64	1,321.59

नीचे दो मामले दर्शाये गये हैं:

बॉक्स 6.9

(i) निर्धारिती: वी5

प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई

टीआरओ-1, चेन्नई द्वारा रखे गए अभिलेखों से, लेखापरीक्षा ने पाया कि ए ओ [(आई टी ओ, कॉर्पोरेट वार्ड 2(4), चेन्नई)] ने मामले को टी आर ओ-1, चेन्नई को हस्तांतरित कर दिया (जून 2019), जिसमें निर्धारण वर्ष 2005-06 से संबंधित ₹ 16.19 करोड़ की मांग की सूचना दी गई। हालाँकि, निर्धारिती के पक्ष में स्वीकृत सी आई टी (अपील) आदेश (सितंबर 2020) के आधार पर, मांग घटकर ₹ 0.03 लाख हो गई और ए ओ द्वारा अपील प्रभाव आदेश जारी किया गया (नवंबर 2020), लेकिन टी आर ओ को इसकी सूचना नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप टी आर ओ अभिलेख में ₹ 16.16 करोड़ की बढ़ी हुई मांग की सूचना दी गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

(ii) निर्धारिती: मेसर्स एस15 लिमिटेड
प्रभार: पीसीआईटी, सेंट्रल 4, मुंबई

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए एओ द्वारा तैयार की गई डोजियर प्रतिवेदन में, निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित ₹ 11.24 करोड़ की मांग को निर्धारिती के लिए बकाया के रूप में दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 के लिए टीआरओ के एडीसीआर में, उसी निर्धारिती और उसी निर्धारण वर्ष के लिए बकाया कर मांग के रूप में ₹ 9.73 करोड़ की राशि दिखाई गई थी। इस प्रकार, टीआरओ और एओ के बीच संचार की अनुपस्थिति के कारण, दो अधिकारियों द्वारा अभिलेख में प्रदर्शित बकाया मांग की राशि अलग-अलग थी, जिसे मिलान और वसूली के लिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, पीसीआईटी, सेंट्रल-4, मुंबई ने बताया (जून 2022) कि निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए धारा 143(3) के साथ धारा 250 के तहत पारित अंतिम आदेश (फरवरी 2019) के अनुसार, निर्धारित मांग ₹ 11.95 करोड़ थी, और कुछ राशि के भुगतान के बाद, आज तक बकाया मांग ₹ 11.24 करोड़ थी। निर्धारण अधिकारी के डेटा के साथ टीआरओ डेटा का बेमेल होना लिपिकीय त्रुटि के कारण है। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और त्रुटि को सुधारा।

6.5 टीआरओ अभिलेख का हस्तांतरण न करना

जयपुर क्षेत्र में लेखापरीक्षा ने पाया कि एक निर्धारिती, आर5, जिस पर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 16.46 करोड़ की बकाया मांग थी, को डीसीआईटी, सर्किल-4, जयपुर से डीसीआईटी, अंतर्राष्ट्रीय सर्किल, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया (दिसंबर 2019)। हालांकि निर्धारिती को एक एओ से दूसरे एओ में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन सर्किल-4 के तत्कालीन टीआरओ से अंतर्राष्ट्रीय कराधान सर्किल, जयपुर के टीआरओ को वसूली फाइलों का हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया गया था। सूचित किए जाने पर (फरवरी 2021), टीआरओ-2, जयपुर ने बताया (जून 2021) कि टीआरओ और संबंधित वसूली फ़ोल्डर को अंतर्राष्ट्रीय सर्किल के टीआरओ को भेजने के प्रयास किए जा रहे थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)

6.6 टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा

निर्धारण के बाद संग्रह प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने और कर बकाया की वसूली की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 2011-12 के निस्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 23 (प्रत्यक्ष कर) में सिफारिश की थी कि हर साल आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा लेखापरीक्षा के लिए एक न्यूनतम संख्या में टीआरओ को कवर किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को सीएजी की 2016 की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर) में दोहराया गया था। लेखापरीक्षा सिफारिशों के अनुपालन में, सीबीडीटी ने (जुलाई 2017) प्रधान सीसीआईटी को एक टीआरओ की दूसरे टीआरओ द्वारा लेखापरीक्षा की प्रणाली स्थापित करने और उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा अनुसरण करने का निर्देश⁸⁶ दिया था; जैसा कि अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में होता है।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग से वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में नियोजित और कवर की गई टीआरओ इकाइयों की संख्या और जारी किये और निपटाए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या के संबंध में जानकारी मांगी।

सीआईटी (लेखापरीक्षा)-I, चेन्नई (जुलाई 2021) के कार्यालय में आईटीओ (मुख्यालय) द्वारा कहा गया कि सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आठ सैंपल टीआरओ के लिए एक टीआरओ यूनिट का दूसरे टीआरओ द्वारा 'चेन लेखापरीक्षा' किया गया था और आठ टीआरओ में से किसी में भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। प्रधान सीसीआईटी, नई दिल्ली में, लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्वालियर और रायपुर सहित दिल्ली के सभी 11 प्रधान सीआईटी में, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए टीआरओ की लेखापरीक्षा आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा नहीं की गयी थी। प्रधान सीसीआईटी, गुजरात क्षेत्र में, चार टीआरओ ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। एक

⁸⁶ सीबीडीटी निर्देश संख्या 6/2017 दिनांक 21 जुलाई 2017

टीआरओ के द्वारा विवरण प्रतीक्षारत है (मार्च 2024)⁸⁷। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान क्षेत्र में दो टीआरओ⁸⁸ ने बताया कि इस अवधि के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, जबकि शेष दो टीआरओ⁸⁹ के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

सभी क्षेत्रों में टीआरओ का आंतरिक लेखा-परीक्षण नियमित अभ्यास के रूप में नहीं किया जा रहा था, जिससे पता चलता है कि इस संबंध में जुलाई 2017 में जारी सीबीडीटी के निर्देश का आयकर विभाग द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशंसा 11:

टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के संबंध में सीबीडीटी के निर्देशों को दोहराया जाना चाहिए तथा समयबद्ध तरीके से उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

⁸⁷ टीआरओ – 3, अहमदाबाद

⁸⁸ टीआरओ-2 जयपुर और टीआरओ सेंट्रल जयपुर

⁸⁹ टीआरओ-1 जयपुर एवं टीआरओ छूट जयपुर

अध्याय 7 प्रतिवेदन प्रणाली का विश्लेषण और बकाया मांग का संचय

बकाया मांग में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारण को यथार्थवादी तरीके से करने के लिए बकाया मांग की सटीक प्रतिवेदन आवश्यक है। इस लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य यह पता लगाना था कि बकाया मांग को सही तरीके से तैयार किया गया है या नहीं और हितधारकों को इसकी प्रतिवेदन दी गई है या नहीं और बकाया मांग की भारी मात्रा के कारणों का पता लगाना और इसकी मात्रा में साल दर साल वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करना था।

लेखापरीक्षा ने प्रतिवेदन प्रणाली में कमियाँ, उचित कार्रवाई करने में अपर्याप्तता देखी जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में भारी मात्रा में बकाया मांग एकत्रित हो गई। इस अध्याय में ई-फाइलिंग पोर्टल, आईटीबीए, केंद्रीय कार्य योजना आदि जैसे विभिन्न प्रतिवेदन प्रणालियों/उपकरणों में बकाया मांग की प्रतिवेदन और बकाया मांग को कम करने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) वार्षिक केंद्रीय कार्य योजनाओं के माध्यम से बकाया मांग को कम करने और नकदी संग्रह बढ़ाने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है। 2017-18 से, सीबीडीटी ने बकाया मांग को सालाना 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, लेखापरीक्षा में सीएपी स्टेटमेंट और ई-फाइलिंग पोर्टल के बीच डेटा में विसंगतियां सामने आईं, जिसमें दोहराव, टीडीएस मिलान में विसंगतियाँ और कुछ बकाया मांगों को शामिल न करना शामिल है। सीएपी स्टेटमेंट में विस्तृत डेटा का अभाव है, जिससे सत्यापन में बाधा आयी।

सीएपी डेटा तैयार करने में स्वचालित प्रक्रिया और मैनुअल समायोजन दोनों शामिल हैं। सीएपी-I, सीएपी-II विवरणों की लेखापरीक्षा जांच और लेखापरीक्षा की तारीख तक लंबित वसूली के लिए बकाया मांगों से संबंधित ई-फाइलिंग पोर्टल के डेटा में विसंगतियां सामने आईं, जैसे प्रतिवेदन में दोहराव, टीडीएस मिलान में विसंगति और संक्षिप्त निर्धारण की बकाया मांग को शामिल न करना इत्यादि। आईटीबीए पोर्टल के माध्यम से एओ को उपलब्ध डेटा निर्धारिती -वार है, जबकि सीएपी विवरण केवल समेकित मांग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें निर्धारिती-वार विस्तृत विवरण नहीं दर्शाया गया है। सीएपी-I विवरण के लिए विस्तृत डेटा के बिना, सीएपी-I विवरण के स्रोतों को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

सीएपी-I विवरण में मामलों की संख्या का अभाव है, जिससे बकाया मांग में अंतर की गणना करना कठिन हो जाता है। विभिन्न आयकर विभाग डेटा स्रोतों में प्रतिरूप

प्रविष्टियों के कारण बकाया मांगों की गलत प्रतिवेदन देखी गई। बकाया मांग पर ब्याज न लगाने के कारण बकाया मांग की कम रिपोर्टिंग की गई। चूंकि आयकर विभाग सीएपी-1 विवरण में मांग की विभिन्न श्रेणियों के लिए विस्तृत डेटा का विवरण नहीं रख रहा है 'वार्षिक सूचना प्रणाली' में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विवरण की मैपिंग नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप 'पता न लगने वाले निर्धारिती ' श्रेणी के तहत निर्धारिती की पहचान नहीं हो पाई।

सीबीडीटी के लक्ष्यों के बावजूद, बकाया मांगों में सालाना वृद्धि हुई है, तथा नई अप्रदत्त मांगें जमा हो रही हैं। लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारणों का विश्लेषण किए बिना, नियमित तरीके से हर साल लक्ष्य का एक ही प्रतिशत तय करना, बकाया मांगों में कमी सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं रहा है। अनिवार्य पैन-आधार लिंकेज के बावजूद "पता न लगने वाले निर्धारिती " के विरुद्ध बकाया मांग में वृद्धि हुई है। बकाया मांग के आंकड़ों में सुरक्षात्मक मांगों को शामिल करने से संख्या गलत तरीके से बढ़ जाती है। टीडीएस मिलान में विसंगतियां और वसूली न की जा सकने वाली मांगों की पहचान करने की अप्रभावी प्रक्रियाएं देखी गईं। लेखापरीक्षा ने पाया कि वसूली न की जा सकने वाली मांगों की पहचान करने और उनका निपटान करने के लिए आयकर विभाग की कार्यालय प्रक्रिया (समेकित) 2019 की नियमावली में निर्धारित बड़े खाते में डालने की प्रक्रियाओं का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया। सीपीसी-आईटीआर, बंगलुरु द्वारा किए गए संक्षिप्त निर्धारण के परिणामस्वरूप वसूली के लिए एओ पोर्टल में मांगें प्रदर्शित होती हैं। संक्षिप्त निर्धारण से मांगों के लिए वसूली के प्रयास अपर्याप्त थे, जबकि संक्षिप्त और संविक्षा निर्धारण के बीच वसूली प्रक्रियाओं में समानताएं हैं।

निष्कर्ष के तौर पर, यांत्रिक रूप से लक्ष्य निर्धारित करने, निर्धारित लक्ष्यों की कम प्राप्ति, अपीलों में बंद मांगों, निर्धारिती का पता न लग पाना, टीडीएस/पूर्वदत्त करों का बेमेल होना, आयकर विभाग की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में दिए गए बड़े खाते में डालने की प्रणाली पर विचार न करना, निर्विवाद मांग की वसूली न करना और संक्षिप्त निर्धारण के तहत उठाई गई मांगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई न करने के कारण मांग की बकाया राशि में साल दर साल वृद्धि होती रही है।

कोई प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं

'प्रत्यक्ष कर मांग के बकाया की वसूली' (2011 के प्रतिवेदन संख्या 23) विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं:

- क) “आयकर विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा बनाए गए डेटा को समेट कर बकाया मांग का एक मजबूत और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना” और
- ख) सीएपी-1 विवरण में संशोधन करके “बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कुल बकाया मांग के साथ मामलों की संख्या के सहसंबंध को सुगम बनाया जाना”।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने सिफारिशों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की है। रिपोर्टिंग प्रणाली में कमियों पर आगे के पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है।

7.1 सीएपी-1 विवरण के माध्यम से बकाया मांग की प्रतिवेदन

सीएपी-1 और सीएपी-11 विवरण⁹⁰ दो प्राथमिक एमआईएस प्रतिवेदन हैं, जो क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों द्वारा मासिक आधार पर तैयार की जाती हैं और पीसीआईटी/प्रधान सीसीआईटी/सीबीडीटी स्तर पर समेकित की जाती हैं, जो बकाया मांग और संग्रह के आंकड़े दर्शाती हैं।

आयकर विभाग द्वारा तैयार सीएपी-1 और सीएपी-11 विवरणों का प्रारूप **परिशिष्ट 12ए** और **12बी** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन विवरणों के प्रारूप में विस्तृत (निर्धारित -वार) डेटा नहीं है।

7.1.1 सीएपी-1 कथन में विसंगतियां

सभी क्षेत्रों में सीएपी-1 कथनों में विसंगतियां देखी गई हैं। इनमें से एक क्षेत्र (प्रधान सीसीआईटी, दिल्ली) के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष के अंत में बकाया मांग का समापन शेष अगले वर्ष के आरंभिक शेष से मेल नहीं खाता था। मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएपी-1 विवरण के अनुसार कुल मांग लंबित संग्रह ₹2,41,741.90 करोड़ था; जबकि, 01 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष ₹1,91,362.69 करोड़ दिखाया गया था।

⁹⁰ सीएपी-1 संग्रह की मासिक प्रगति और बकाया मांग के संतुलन के बारे में एक विवरण है। यह बकाया मांग को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है (i) वसूली में कठिनई वाली मांग, जिसे आगे 19 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और (ii) संग्रहणीय मांग।

सीएपी-11 विवरण में संसाधित रिटर्न की संख्या, पूर्ण किए गए संवीक्षा आकलन की संख्या, अपील प्रभाव, दंड कार्यवाही, प्रतिदाय, बकाया मांग को बढ़े खाते में डालना आदि का विवरण दिया गया है।

इसके अलावा, सीएपी-1 विवरण के आंकड़ों में अंकगणितीय अशुद्धियाँ थीं। उदाहरण के लिए, मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, 1 अप्रैल 2019 तक मांग ₹ 1,91,362.69 करोड़ थी। वर्ष के दौरान उठाई गई मांग ₹ 1,42,306.90 थी और प्रीपेड करों के माध्यम से कमी ₹ 120.14 करोड़ थी। इस प्रकार, ₹ 3,33,549.45 करोड़ के सही आंकड़े (1,91,362.69 + 1,42,306.90 - 120.14) के विपरीत, वर्ष के अंत में ₹ 3,49,811.09 करोड़ का मांग अंतिम शेष दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,261.64 करोड़ की अधिक प्रतिवेदन हुई।

केंद्रीय कार्य योजना 2019-20 के अनुसार, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र के लिए, सीबीडीटी ने बकाया मांग के ₹ 18,513.00 करोड़ के नकद संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि, मार्च 2020 के लिए उसी क्षेत्र के सीएपी-1 विवरण (क्रम सं.13) में, नकद संग्रह का लक्ष्य ₹ 30,226.21 करोड़ दर्शाया गया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरणों को समेकित करके सीबीडीटी द्वारा प्राप्त समग्र बकाया मांग विवरण विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए, बकाया मांग में कमी, अपील में लंबित मामलों में कमी आदि के लिए विभिन्न वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने से वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

7.1.2 सीएपी-1 विवरण का स्रोत

लेखापरीक्षा ने 16 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों⁹¹ से सीएपी-1 विवरण तैयार करने के लिए स्रोत तथा सीएपी-1 विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों के लिए विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुवाहाटी ने बताया कि सीएपी-1 विवरण के लिए आंकड़ा प्रणाली में अपलोड किए गए पिछले बकाया मांग और संग्रह रजिस्टर, आयकर विभाग और आईटीबीए प्रणाली के माध्यम से उठाई गई मांगों से लिया जाता है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान ने बताया कि सीएपी-1

⁹¹ अंतर्राष्ट्रीय कराधान, पुणे और नागपुर क्षेत्र को छोड़कर।

विवरण के लिए डेटा एओ द्वारा सिस्टम/आई-टैक्सनेट⁹² में मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है और संबंधित उच्च प्राधिकारियों द्वारा संकलित किया जाता है। शेष 14 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों से उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के निर्धारण अधिकारियों ने सामान्य तौर पर कहा है कि सीएपी-1 विवरण तैयार करने के लिए आईटीबीए मॉड्यूल से कोई डेटा आवश्यक नहीं है, लेकिन डीसीआईटी, सर्किल 1(1), कोलकाता ने कहा है कि सीएपी-1 प्रतिवेदन के लिए आईटीबीए-रिकवरी मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है, जो दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग पद्धतियां अपनाई जा रही हैं।

आईटीओ, वार्ड 4(1)(1), बंगलुरु और एसीआईटी सर्किल 1(1), कोलकाता ने सीपीसी-आईटीआर पोर्टल और सीएपी-1 विवरण के अनुसार मांग की राशि में अंतर का कारण बताने के लिए अपने जवाब में कहा कि संक्षिप्त निर्धारण के कारण उठाई गई मांग को सीएपी-1 प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है और आईटीओ, वार्ड 4(1)(1) ने यह भी कहा है कि धारा 220(2) के तहत ब्याज को सीएपी-1 विवरण में शामिल नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि क्या यह कथन सभी क्षेत्रों में सभी निर्धारण इकाइयों के लिए सही है। सीएपी-1 प्रतिवेदन में संक्षिप्त निर्धारण के कारण बकाया मांग को शामिल न करना यह दर्शाता है कि बकाया मांग के एक हिस्से की निगरानी सीएपी-1 रिपोर्टों के माध्यम से नहीं की जा रही है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारण अधिकारी उन निर्धारिती की सूची (विस्तृत डेटा) नहीं बना रहे हैं जिनके विरुद्ध सीएपी-1 विवरणों के माध्यम से कुल बकाया मांग की प्रतिवेदन की जा रही है।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएपी-1 विवरण के लिए डेटा एकत्र करने के स्रोत में कोई एकरूपता नहीं थी और इसलिए सीएपी-1 विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता संदिग्ध बनी हुई है। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि डेटा एकत्र करने और सीएपी-1 विवरण तैयार करने के लिए सीबीडीटी द्वारा एओ स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट

⁹² आई-टैक्सनेट मॉड्यूल का उपयोग मूलतः पूर्ववर्ती आईटीडी/बीसीपी अनुप्रयोगों के भाग के रूप में सीएपी-1 एवं ॥ रिपोर्टों के लिए किया जाता था।

दिशा-निर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं या नहीं, क्योंकि प्रारूप के गैर-मानकीकरण के कारण ऐसी विसंगतियां हो सकती हैं।

सीएपी-1 और II डेटा स्वचालित प्रक्रिया और मैनुअल समायोजन का संयोजन है, और सीएपी-1 विवरण के लिए विस्तृत डेटा और सीएपी-1 विवरण के स्रोतों के अभाव में, डेटा की सटीकता के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने का लेखापरीक्षा का प्रयास सीमित था। सीएपी-1 विवरण में बकाया मांग की राशि के बारे में डेटा शामिल है, लेकिन मामलों की संख्या को प्रतिवेदित नहीं की गई है।

आयकर विभाग ने "कर मांग के बकाया की वसूली" विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2011 की प्रतिवेदन सं. 23) के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की, जिसमें विसंगतियों की सूचना दी गई थी, जबकि आयकर विभाग मैनुअल प्रक्रिया में कार्यरत था। 2011 की पीए प्रतिवेदन सं. 23 में सीएपी-1 विवरण को संशोधित करने के लिए शामिल सीएजी की सिफारिश "बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कुल बकाया मांग के साथ मामलों की संख्या के सहसंबंध को सुविधाजनक बनाने के लिए" संबोधित नहीं की गई है।

अनुशंसा 12:

सीबीडीटी कर सकता है

- (i) प्रत्येक निर्धारण इकाई स्तर पर सीएपी-1 विवरण के लिए सटीक, विस्तृत डेटा बनाए रखने के लिए प्रणाली प्रक्रिया की समीक्षा और उसे सुव्यवस्थित करना, ताकि मांगों की वसूली के बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए सभी पीसीएसआईटी, प्रधान सीसीएसआईटी स्तर पर सीएपी-1 और सीएपी-II विवरणों से निर्धारित -वार विवरण निकालने में सुविधा हो।
- (ii) सभी क्षेत्रों और डेटा स्रोतों में समान रूप से इन विवरणों को तैयार करने के लिए निर्देश जारी करने/दोहराने पर विचार करना;
- (iii) इसके अलावा, एमआईएस प्रतिवेदन तैयार करने में विसंगति से बचने के लिए प्रशिक्षण पर भी विचार किया जा सकता है।

मई 2023 में मंत्रालय ने कहा कि सीएपी-1 और II आई-टेक्सनेट में तैयार की गई सांख्यिकीय प्रतिवेदन हैं। इन्हें जेएओ द्वारा मैन्युअल रूप से भरा जाता है। इसलिए, विस्तृत डेटा जेएओ से आता है जो प्रतिवेदन शुरू करते हैं और इसे प्रधान सी सी आई टी तक पदानुक्रम में संकलित किया जाता है। संकलित सीएपी विवरण डी आई टी (ओ एंड एम) सेवाओं को दिखाई देते हैं जिन्हें इसका विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। यह भी कहा गया कि सीएपी-1 और II एक स्टैंडअलोन मॉड्यूल है और एओ डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम निदेशालय कई रिपोर्टें (सीएपी-1 और II सहित) को एक एकीकृत ऑनलाइन और आई टी सक्षम प्रणाली में विलय करके इनसाइट पोर्टल/आईटीबीए पर ई-एमआईएस विकसित करने की प्रक्रिया में है।

विस्तृत डेटा का रखरखाव प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए मौलिक है। इसका रखरखाव न किए जाने से बकाया मांग में कमी लाने के प्रयास अप्रभावी हो जाते हैं। चूंकि क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान सीएपी-1 के लिए विस्तृत आंकड़े और बकाया मांग रजिस्टर (एडीआर) उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए लेखापरीक्षा समेकित सीएपी-1 प्रतिवेदन की पूर्णता और प्रामाणिकता या एमआईएस रिपोर्टों में विस्तृत आंकड़ों के अभाव में आयकर विभाग में मौजूदा निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता को सत्यापित नहीं कर सकी।

7.2 गलत प्रतिवेदन

ई-फाइलिंग पोर्टल से एकत्र आंकड़ों और 270 नमूना निर्धारण इकाइयों में किए गए मामलों की विस्तृत जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन के मामले पाए, जिनकी आगे के पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है। 10896 नमूना मामले की जांच करने पर लेखापरीक्षा ने 747 गलतियाँ पाई जिनकी मांगे पैरा 7.2.1 एवं 7.2.2 में चर्चा की गई है।

7.2.1 बकाया मांगों की गलत प्रतिवेदन

नमूना जांच हेतु लिए गए 10,896 मामलों के निर्धारण अभिलेखों के सत्यापन करने पर, लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई गलतियों में से 27 मामले (कुल ₹ 7,885.96 करोड़) अपीलीय अधिकारियों द्वारा मांग को खारिज करने, घटाने या बढ़ाने के बाद एओ द्वारा अपील आदेशों को प्रभावी करने में विफलता से

संबंधित थे। परिणामस्वरूप, ई-फाइलिंग/आईटीबीए पोर्टल में मांग को अद्यतित नहीं किया गया। क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका 7.1 में दिए गए हैं:

तालिका 7.1: बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन (क्षेत्रवार)						
(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या	अल्प प्रतिवेदन		अति प्रतिवेदन	
			मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1	-	-	1	0.95
2	बेंगलुरु	1	1	1.37	-	-
3	बिहार और झारखंड	7	-	-	7	73.42
4	मुंबई	4	-	-	4	7,150.67
5	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	2	-	-	2	60.01
6	तमिलनाडु	12	-	-	12	599.54
	कुल	27	1	1.37	26	7,884.59

स्रोत: आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत निर्धारण अभिलेख नोट: शेष 11 क्षेत्रों में ऐसी कोई गलती नहीं देखी गई।

7.2.2 ई-फाइलिंग पोर्टल/आईटीबीए में बकाया मांग का अद्यतन न किया जाना

भौतिक अभिलेखों के अनुसार मांग, अर्थात् धारा 156 के तहत जारी किए गए निर्धारण आदेश और मांग की सूचना की तुलना मार्च 2020 तक आईटीबीए/ई-फाइलिंग पोर्टल में बकाया मांग से की गई। इस तरह के सत्यापन से पता चला कि निर्धारण आदेश/संशोधन/जुर्माना/प्रभावी आदेश पारित करने या संशोधित मांग के लिए नोटिस जारी किये जाने के बावजूद मूल मांग सिस्टम (आईटीबीए/ई-फाइलिंग) में प्रदर्शित होती रही। 17 क्षेत्रों से संबंधित 720 मामलों (अधिक और अल्प मूल्यांकन) के संबंध में बकाया मांग में इस तरह के अंतर कुल मिलाकर ₹ 67,383.33 करोड़ थे, जैसा कि नीचे तालिका 7.2 में विस्तृत है:

तालिका 7.2: ई-फाइलिंग पोर्टल/आईटीबीए पोर्टल और निर्धारण अभिलेख के बीच बकाया मांग में अंतर (क्षेत्रवार)							
(₹ करोड़ में)							
क्र. सं.	क्षेत्र	कुल नमूना जांच किए गए मामले	विसंगतियों वाले मामलों की संख्या	अल्प रिपोर्टिंग से संबंधित मामले		अति रिपोर्टिंग से संबंधित मामले	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	960	38	15	1,595.73	23	230.19
2	बेंगलुरु	1,038	35	4	34.14	31	2,883.45
3	भुवनेश्वर	433	6	4	65.77	2	0.02
4	बिहार और झारखंड	437	56	15	36.06	41	221.5
5	दिल्ली	740	23	-	-	23	1,372.17
6	गुजरात	1,404	3	1	1.06	2	172.14
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	377	39	25	84.67	14	1,394.51
8	केरल	155	67	60	69.23	7	230.31
9	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	99	24	24	8.16	-	-
10	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	501	11	-	-	11	140.30
11	मुंबई	1,410	249	90	34,404.25	159	23,485.58
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	220	10	-	-	10	64.86
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	510	55	38	160.54	17	134.73
14	राजस्थान	575	3	1	0.82	2	66.91
15	तमिलनाडु	671	59	40	43.17	19	253.61
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	78	26	21	8.88	5	16.29
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1,288	16	2	1.90	14	202.38
	कुल	10,896	720	340	36,514.38	380	30,868.95

स्रोत: आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत निर्धारण अभिलेख। पुणे और नागपुर क्षेत्रों के लिए लेखापरीक्षा नहीं की गई।

उपरोक्त तालिका 7.1 और 7.2 से यह देखा गया है कि अपीलीय आदेशों का प्रभाव न देने और आईटीबीए/ई-फाइलिंग पोर्टलों में मांग की राशि को अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप 747 मामलों में ₹ 75,269.29 करोड़ की बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन (या तो अधिक या कम प्रतिवेदन) हुई है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

7.2.3 सी.पी.सी. पोर्टल और सी.ए.पी. । विवरण के बीच मांग में अंतर

डीआईटी (ओएंडएम) सेवाओं द्वारा मार्च 2016 तक मांग के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चला कि सभी प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों के

सीएपी-1 विवरण में बताई गई बकाया मांग की मात्रा में सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु से प्राप्त आंकड़ों की तुलना में उल्लेखनीय भिन्नता है। डीआईटी (ओएंडएम) ने प्रत्येक प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र के सीएपी-1 विवरण में दिखाई देने वाली मांगों को ई-पोर्टल डेटाबेस के साथ मिलान करने की आवश्यकता पर जोर दिया (अक्टूबर 2016) गया है।

सभी एओ को सीपीसी पर मांग अपलोड करने और सुधार के लिए जारी सीबीडीटी दिशानिर्देशों/निर्देशों⁹³ का पालन करने की सलाह दी गई।

सीबीडीटी ने 2018-19 और 2019-20 की अपनी केंद्रीय कार्य योजनाओं में क्रमशः 31 अगस्त 2018 और 31 अगस्त 2019 तक बकाया मांग का समाधान करने पर जोर दिया है।

लेखापरीक्षा ने सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों/पीसीआईटी और चयनित 270 निर्धारण इकाइयों के एओ द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा, ताकि सीबीडीटी के निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की जा सके और ऐसे अंतरों के कारणों का विश्लेषण किया जा सके। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों/पीसीआईटी से जवाब प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि आयकर विभाग अक्टूबर 2016 में डीआईटी (ओ एंड एम) सेवाओं द्वारा पहचानी गई बकाया मांगों की प्रतिवेदन में विसंगति को दूर करने में किस हद तक सफल रहा है।

सी.ए.पी.आई. विवरण में लंबित मांगों के विस्तृत विवरण साझा न किए जाने/उपलब्ध न होने तथा आयकर विभाग से प्रतिक्रिया न मिलने के कारण लेखापरीक्षा सी.पी.सी. पोर्टल पर बकाया मांग और सी.ए.पी.1 विवरण के बीच अंतर की मात्रा की गणना नहीं कर सकी। तथापि, लेखापरीक्षा ने कुछ एओ से प्राप्त उत्तरों से पाया कि विसंगति संक्षिप्त निर्धारण के संबंध में बकाया मांग, या सीएपी-1 प्रतिवेदन में धारा 220(2) के अंतर्गत देय ब्याज को शामिल न करने के कारण थी।

⁹³ एएसटी निर्देश संख्या 82 निर्देश दिनांक 13 अगस्त 2010, सीबीडीटी निर्देश संख्या 4/2014 दिनांक 07 अप्रैल 2014 और सीबीडीटी परिपत्र संख्या 8/2015 दिनांक 14 मई 2015

अनुशंसा 13:

सीबीडीटी सही बकाया मांगों की वसूली को सक्षम करने और वास्तविक बकाया मांग में कमी की निगरानी करने के लिए प्राथमिकता पर रिपोर्टिंग में एकरूपता और शुद्धता को सक्षम करने के लिए सीपीसी-आईटीआर पोर्टल पर सीएपी-1 विवरण के साथ परिलक्षित बकाया मांग का प्रभावी समाधान सुनिश्चित कर सकता है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2023) कि सीएपी-1 और II प्रतिवेदन आई-टैक्सनेट पर तैयार की गई सांख्यिकीय प्रतिवेदन हैं। इन्हें जेएओस द्वारा मैनुअल रूप से भरा जाता है, इसलिए विस्तृत डेटा जेएओस से आता है जो प्रतिवेदन शुरू करते हैं और इसे प्रधान सीसीआईटी तक पदानुक्रम में संकलित किया जाता है, जहां से इसे संकलित किया जाता है। संकलित सीएपी डीओएमएस में दिखाई देता है जिसे इसके विश्लेषण का काम सौंपा गया है।

सीएपी-1 और सीएपी-II स्टैंडअलोन मॉड्यूल हैं, और डेटा अपलोड करने के लिए एओ जिम्मेदार होता है। एओ के पास निर्धारिती -वार विस्तृत डेटा होता है। सीएपी-1 और II एओ द्वारा अपलोड किए गए डेटा से तैयार किए जाते हैं और हर पर्यवेक्षी स्तर पर संकलित किए जाते हैं। सिस्टम निदेशालय कई रिपोर्टों (सीएपी-1 और II सहित) को एक एकीकृत ऑनलाइन और आईटी-सक्षम प्रणाली में विलय करके इनसाइट पोर्टल/आईटीबीए पर ई-एमआईएस विकसित करने की प्रक्रिया में है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि वर्ष 2016 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित "आंकड़ों में विसंगति" शीर्षक से किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि सीएपी-1 एवं सी.पी.सी. पोर्टल में दिखाए गए बकाया मांग की राशि में अंतर होने का मुख्य कारण, मैनुअली जारी किये गए निर्धारण आदेश, जुर्माना का आदेश एवं अपील प्रभाव आदेशों का सिस्टम में अपलोड नहीं किया जाना, बिना पैन के मांग, सीएपी-1 में मांग को कम दर्शाना आदि था। आगे कहा गया कि ई-निर्धारण, फेसलेस निर्धारण, फेसलेस अपील को उपयोग में लाये जाने और ज्यादातर कार्य आईटीबीए पर किए जाने के साथ, उपरोक्त मुद्दों का समाधान हो जाएगा।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर तर्कसंगत नहीं है। भले ही आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन) ने 2016 में अपने तुलनात्मक अध्ययन में विसंगति के कारणों की पहचान की थी, लेकिन सीएपी-1 विवरण के अनुसार मांग के आंकड़ों में अंतर और सीपीसी पोर्टल के बीच सामंजस्य आठ साल बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा सका है, जिसके लिए मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर सख्त अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, विवरणों में विसंगतियों से बचने के लिए एमआईएस प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक समान विधि/निर्देश की आवश्यकता है।

7.2.4 डेटा प्रतिरूप

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार 279 नमूना निर्धारण इकाइयों के संबंध में बकाया मांग की जाँच की। कुल 21,58,443 मामलों में से, 279 नमूना निर्धारण इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने 7,341 प्रतिरूप मामलों को देखा, अर्थात्, एक ही निर्धारिती के लिए एक ही निर्धारण वर्ष के लिए एक ही धारा के तहत एक ही दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन)⁹⁴ के साथ दो या अधिक बार मांग जारी की गई। 7,341 मामलों में प्रतिरूपता के परिणामस्वरूप ₹ 15,652.51 करोड़ की बकाया मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सीएपी-1 विवरण में 'प्रतिरूप प्रविष्टियाँ के कारण लंबित सुधार' शीर्षक के तहत प्रतिरूप प्रविष्टियाँ प्रतिवेदित की गई हैं। मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार चयनित इकाइयों के लिए प्रतिरूप मांगों का क्षेत्रवार विवरण और संबंधित क्षेत्रों (सभी निर्धारण इकाइयों पर विचार करते हुए) के लिए सीएपी-1 विवरण के अनुसार प्रतिरूप प्रविष्टियाँ तालिका 7.3 में नीचे दी गई हैं।

⁹⁴ आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक नोटिस, आदेश, पत्र या किसी पत्राचार के संबंध में आवंटित एक अद्वितीय, कंप्यूटर जनित 20 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक कोड, जिसके बिना ऐसे नोटिस, आदेश, पत्र या किसी पत्राचार को अवैध माना जाएगा या कभी जारी नहीं किया गया माना जाएगा।

तालिका 7.3: ई-फाइलिंग पोर्टल और सीएपी-1 विवरण के अनुसार प्रतिरूप मामलों का क्षेत्रवार डेटा (₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	क्षेत्र	ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार			सीएपी-1 विवरण के अनुसार राशि (संपूर्ण प्र. सीसीआईटी क्षेत्र के लिए)
		चयनित इकाइयों की संख्या	प्रतिरूप मामलों की संख्या	राशि	
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	29	556	1,648.97	442.28
2	बैंगलुरु	21	1150	2,118.71	1,380.53
3	भुवनेश्वर	10	145	43.37	46.18
4	बिहार और झारखंड	15	804	159.48	26.35
5	दिल्ली	23	830	6,446.01	456.58
6	गुजरात	23	409	1,241.94	2,203.49
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	21	52	126.93	486.82
8	केरल	9	104	42.61	186.78
9	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	4	164	18.45	52.5
10	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	9	439	126.02	281.87
11	मुंबई	27	528	858.48	5,638.03
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	5	239	69.98	5.31
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	8	31	77.14	60.87
14	राजस्थान	14	405	170.49	1.96
15	तमिलनाडु	28	579	1,330.46	833.34
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	3	193	42.09	3.47
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	30	713	1,131.38	2,109.93
कुल		279	7,341	15,652.51	14,216.29
स्रोत: सीएपी-1 विवरण और ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा					

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सीएपी-1 विवरण के अनुसार आंकड़े, जो क्षेत्रों के अंतर्गत सभी निर्धारण इकाइयों से संबंधित थे, ई-फाइलिंग पोर्टल जो चयनित निर्धारण इकाइयों से संबंधित थे, के आंकड़ों से कम थे। यह विसंगति आयकर विभाग के एमआईएस कथनों में शामिल आंकड़ों की अविश्वसनीयता की पुष्टि करती है।

संपूर्ण 19 क्षेत्रों के संबंध में मार्च 2018/2019/2020/2021 और 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बकाया मांगों के प्रतिरूप मामलों का विवरण नीचे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.4: सीएपी-1 विवरण के अनुसार बकाया मांग का प्रतिरूप (क्षेत्रवार)						
(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	क्षेत्र	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए बकाया मांग का प्रतिरूप				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	217.56	269.05	442.28	1,616.17	2,345.85
2	बैंगलुरु	985.35	655.78	1,380.53	1,139.72	1,968.02
3	भुवनेश्वर	3.1	22	46.18	22.43	39.66
4	बिहार और झारखंड	26.97	30.05	26.35	3.14	3.17
5	दिल्ली	406.45	6,908.50	456.58	265.66	867.14
6	गुजरात	151.69	1,458.70	2,203.49	3,590.89	2,932.72
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	253.46	793.31	486.82	309.76	829.62
8	केरल	63.23	136.82	186.78	120.37	419.32
9	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	82.53	54.53	52.5	47.22	47.32
10	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	11.65	24.11	281.87	289.63	128.29
11	मुंबई	1,519.18	3,059.43	5,638.03	3,367.69	7,324.10
12	नागपुर	1.63	43.29	8.77	8.77	7.29
13	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	2.76	2.13	5.31	6.55	1.6
14	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र*	10.32	23.64	60.87	लागू नहीं	लागू नहीं
15	पुणे	240.53	298.82	861.33	580.73	1,582.46
16	राजस्थान	0.46	1.34	1.96	2.22	9.32
17	तमिलनाडु	807.96	598.63	833.34	609.44	537.65
18	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	4.07	4.27	3.47	3.09	3.27
19	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	54.66	749.48	2,109.93	1,648.66	1,557.10
कुल		4,843.46	15,133.88	15,086.65	13,632.14	20,603.90
स्रोत: मार्च 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का क्रम संख्या 9(पी)						
*उत्तर पश्चिम क्षेत्र सीएपी-1 का 2021 और 2022 का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।						

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि आयकर विभाग ने प्रतिरूप प्रविष्टियों की त्रुटि को सुधारने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, जैसा कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रतिरूप प्रविष्टियों के मौद्रिक मूल्य में 325 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीडीटी ने वर्ष 2021-22 के लिए अपनी केंद्रीय कार्य योजना में, कार्रवाई के लिए प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप

में प्रतिरूप मामलों की पहचान की थी और सिस्टम, एएसटी/टीएमएस⁹⁵ या मैन्युअल मांग से सभी मांगों जहां भी शेष था, को पैन-वार और वर्ष-वार जांचने का लक्ष्य तय किया था और सभी प्रधान सीसीआईटी को 31 अगस्त 2021 तक सभी प्रतिरूप प्रविष्टियों को हटाने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग द्वारा अंतरिम कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुपालन में सभी प्रधान आयकर आयुक्तों से कार्रवाई की प्रतिवेदन मांगी; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)। इस प्रकार, लेखापरीक्षा आयकर विभाग द्वारा प्रतिरूप मामलों को सुलझाने और हटाने के लिए किए गए प्रयासों का पता नहीं लगा सकी। प्रतिरूप प्रविष्टियाँ अभी भी मौजूद हैं, और हर साल नए प्रतिरूप मामले भी जोड़े जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग के विभिन्न डेटा स्रोतों में प्रतिरूप मांगों की संख्या और मात्रा में अंतर था, जिसके परिणामस्वरूप बकाया मांग की गलत प्रतिवेदन हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरूप प्रविष्टियों के घटित होने का कारण प्रणालीगत समस्या है।

वर्ष 2021-22 के लिए सीबीडीटी द्वारा अपनी अंतरिम केंद्रीय कार्य योजना में आंकड़ों के मिलान और प्रतिरूप प्रविष्टियों को हटाने के संबंध में जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई के बारे में आयकर विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई।

अनुशंसा 14:

सीबीडीटी निगरानी और सुनिश्चित कर सकता है कि सिस्टम में कोई प्रतिरूप प्रविष्टियाँ न हों और मौजूदा प्रतिरूप प्रविष्टियाँ समयबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएँ। इसके अलावा, प्रतिरूप मांगों की उत्पत्ति के कारणों की पहचान की जा सकती है, और आवश्यक सुधार को प्राथमिकता के आधार पर बारीक स्तर पर किया जा सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जून 2023) कि सीबीडीटी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय कार्य योजना में मांग सत्यापन और निपटान प्रमुख

⁹⁵ निर्धारण सूचना प्रणाली / कर प्रबंधित सेवाएँ

परिणाम क्षेत्र रहे हैं। पर्यवेक्षी अधिकारी इस कार्य क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में की गई कार्रवाई और प्रगति के विवरण की प्रतीक्षा की जाएगी।

7.2.5 धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज न लगाया जाना

आयकर अधिनियम की धारा 220(2) में कर मांग के भुगतान में देरी के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है। तदनुसार, यदि धारा 156 के तहत जारी मांग के नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान तीस दिनों (अप्रैल 1989 से) के भीतर नहीं किया जाता है, तो निर्धारिती को चूक की पूरी अवधि के लिए हर महीने या उसके हिस्से के लिए एक *प्रतिशत की दर से ब्याज देना* होगा। धारा 220(2) के तहत ब्याज उन मामलों में नहीं लगाया जाना चाहिए जहां मांग अपील में लंबित है, और स्थगन दिया गया है।

सीबीडीटी ने मार्च 1988 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (1989 का संख्या 6) के पैरा 2.1.17 में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप निर्देश⁹⁶ (जून 1991) जारी किए कि एओ को प्रत्येक निर्धारण वर्ष के अंत में धारा 220(2) के तहत देय ब्याज की गणना करनी चाहिए, यदि कर आदि की राशि, जिसके संबंध में ऐसा ब्याज देय है, किसी भी ऐसे निर्धारण वर्ष के अंत से पहले पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है और निर्धारण वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करना चाहिए। उक्त निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि धारा 220(2) यह नहीं कहती है कि कर का भुगतान होने तक ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए या वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रक्रिया (समेकित) 2019 के आयकर विभाग नियमावली के अध्याय 24 का पैरा 14 भी सीबीडीटी के निर्देशों को दोहराता है। निर्देशों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पर्यवेक्षी अधिकारियों (अर्थात् सीएसआईटी या डीसीएसआईटी) को इस संबंध में एओ और टीआरओ के काम की अर्ध-वार्षिक

⁹⁶ निर्देश संख्या 1883 दिनांक 07 जून 1991

समीक्षा करनी चाहिए और इस पर अपनी प्रतिवेदन सीसीआईटी या सीआईटी को भेजनी चाहिए।

31 मार्च 2020 तक 270 नमूना निर्धारण इकाइयों⁹⁷ से संबंधित बकाया मांगों की डेटा के लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि एओ ने प्रत्येक निर्धारण वर्ष के अंत में धारा 220(2) के तहत ब्याज नहीं लगाया और ऐसे मामलों सहित कोई भी मांग नोटिस जारी करने में विफल रहे, जहां मांगों कई वर्षों से लंबित थीं। लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार सभी उपयुक्त मामलों (यानी अपील में लंबित मामलों या डिमांड स्थगन के अलावा) के लिए सालाना ब्याज लगाने के बारे में एओ से जानकारी मांगी (मई 2021)। आयकर विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)। इस विषय पर सीएजी की वर्ष 2011 की निष्पादन लेखा परीक्षा संख्या 23 में भी चर्चा की गई थी।

प्रधान आयकर आयुक्तों/प्रधान आयकर उपायुक्तों द्वारा किया गया समीक्षा कार्य, यदि कोई हो, किसी भी सहायक दस्तावेज/विवरण या आयकर विभाग से कोई भी उत्तर के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका। सीएपी-। विवरण के बकाया मांग विवरण से, लेखापरीक्षा ने धारा 220(2) के तहत देय न्यूनतम ब्याज की गणना करने का प्रयास किया। सभी 19 क्षेत्रों के 31 मार्च 2019 के सीएपी-। विवरणों से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 14,593.00 करोड़ की कुल संग्रहणीय मांग (तालिका 7.11) बकाया के रूप में दिखाया गया था। इस कुल संग्रहणीय मांग में, धारा 220(2) के तहत एक वर्ष के लिए ब्याज ₹ 1,751.16 करोड़ (प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत) बनता है।

लेखापरीक्षा ने तालिका 7.5 में उल्लिखित 11 क्षेत्रों में 8,965 मामलों की नमूना जांच की और पाया कि 3,498 मामलों में आयकर विभाग ने धारा 220(2) के तहत ब्याज नहीं लगाया था, जिसकी कुल राशि मार्च 2021 तक ₹ 69,303.34 करोड़ थी, जिसमें ₹ 10,000 से कम ब्याज न लगाने वाले मामले शामिल नहीं हैं। क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका 7.5 में दिए गए हैं:

⁹⁷ कोविड के कारण तमिलनाडु क्षेत्र की नौ इकाइयों का ऑडिट नहीं किया जा सका।

तालिका 7.5: धारा 220(2) के अंतर्गत न लगाया गया ब्याज - क्षेत्रवार विवरण					
					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्र	जांच किये गये मामलों की कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां ब्याज नहीं लगाया गया	बकाया मांग	प्रभार्य ब्याज
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	960	760	8,730.67	3,214.10
2	बेंगलुरु	1,038	4	26.04	3.93
3	दिल्ली	740	432	13,696.47	3,861.61
4	गुजरात	1,404	766	18,071.45	7,020.83
5	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	377	127	3,628.96	1,257.31
6	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	501	232	1,035.32	315.88
7	मुंबई	1,410	11	1,13,540.60	43,952.12
8	राजस्थान	575	118	843.6	239.43
9	तमिलनाडु	671	163	1,927.38	572.19
10	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	78	17	175.28	32. 22
11	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	1,288	868	21,398.66	8,833.72
	कुल	8,965	3,498	1,83,074.42	69,303.34
<p>स्रोत: आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत निर्धारण अभिलेख नोट: ब्याज की गणना 31 मार्च 2021 तक की गई है। अन्य छह क्षेत्रों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी गई</p>					

ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार 31 मार्च 2020 तक बकाया मांग डेटा के विश्लेषण से लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2,12,789 मामलों में (1,60,247 निर्धारिती से संबंधित), आयकर विभाग ने पहले ही धारा 220(2) के तहत ₹ 18,922 करोड़ का ब्याज लगाया था, लेकिन संग्रह लंबित था। इसमें से 1,84,241 मामलों में लगाए गए ब्याज की राशि ₹ 10,000 से कम थी, जो कुल राशि ₹ 24 करोड़ के साथ 86 प्रतिशत मामलों थे। 28,548 मामलों में से शेष 14 प्रतिशत मामलों में ₹ 18,898 करोड़ की ब्याज राशि कुल लगाए गए ब्याज का 99.8 प्रतिशत है। 28,548 मामलों से संबंधित ब्याज का क्षेत्रवार और आयुवार विवरण नीचे तालिका 7.6 में दिया गया है:

तालिका 7.6: आयुवार विश्लेषण - ब्याज लगाया गया लेकिन बकाया है - क्षेत्रवार													
(₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	क्षेत्र	एक वर्ष से कम		1 से 3 वर्ष के बीच		3 से 5 वर्ष के बीच		5 से 10 वर्ष के बीच		10 वर्ष से अधिक		कुल मामले	कुल राशि
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1,449	40.39	1,662	48.36	857	11.81	466	10.1	36	34.94	4,470	145.61
2	बेंगलुरु	1,322	328.29	1,595	59.34	818	24.77	500	6.15	3	0.08	4,238	418.63
3	भुवनेश्वर	297	6.92	285	14.83	145	18.03	45	0.93	-	-	772	40.71
4	बिहार और झारखंड	589	4.01	593	3.67	213	0.79	70	0.41	-	-	1,465	8.88
5	गुजरात	593	11.53	693	14.67	312	3.53	154	7.15	59	6.66	1,811	43.55
6	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	18	0.29	27	2.91	10	0.31	5	1.01	-	-	60	4.52
7	केरल	144	3.57	210	5.64	112	4.17	116	9.4	-	-	582	22.77
8	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	180	0.91	136	0.44	46	0.17	20	0.07	-	-	382	1.59
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	317	3.52	327	2.09	134	0.75	33	0.3	-	-	811	6.67
10	मुंबई	799	127.81	842	47.31	471	8.66	296	17,500.59	2	0.06	2,410	17,684.44
11	नई दिल्ली	904	125.42	797	46.83	505	28.15	258	78.74	-	-	2,464	279.15
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	377	2.92	415	15.18	159	0.82	75	0.43	-	-	1,026	19.35
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	82	0.74	82	10.36	51	1.83	47	1.05	-	-	262	13.98
14	राजस्थान	280	6	222	2.16	118	1.23	39	0.25	-	-	659	9.64
15	तमिलनाडु	1,163	33.68	1,632	50.72	692	14.02	373	8.68	30	13.17	3,890	120.27
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	143	0.78	140	2.98	45	0.53	21	0.17	-	-	349	4.46
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	856	15.5	1,042	26.53	638	11.09	361	21.06	-	-	2,897	74.19
	कुल	9,513	712.29	10,700	354.05	5,326	130.66	2,879	17,646.49	130	54.92	28,548	18,898.42

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा। पुणे और नागपुर क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मामले (4,470) थे, जिनकी बकाया ब्याज ₹ 145.61 करोड़ थी, जबकि मुंबई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बकाया ब्याज ₹ 17,684.44 करोड़ थी, जो कुल ब्याज का 93 प्रतिशत है। इसके अलावा, 70 प्रतिशत मामलों में लगाया गया ब्याज 3 साल से कम पुराना था, जबकि कुल बकाया ब्याज ₹ 18,898.42 करोड़ का 93 प्रतिशत ब्याज जो कि ₹ 17,646.49 करोड़ है, 5 से 10 साल की आयु वर्ग में था।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, 28,548 मामलों का मौद्रिक विश्लेषण, जहां आयकर विभाग द्वारा धारा 220(2) के तहत ब्याज लगाया गया था, लेकिन 31 मार्च 2020 तक बकाया रहा जो नीचे तालिका 7.7 में दिया गया है:

तालिका 7.7: मौद्रिक विश्लेषण - धारा 220(2) के अंतर्गत लगाया गया ब्याज लेकिन बकाया शेष - क्षेत्रवार (₹ करोड़ में)													
क्र. सं.	क्षेत्र	लगाया गया ब्याज										कुल	
		₹ 10,000 से 1 लाख		₹ 1 लाख से 10 लाख तक		₹ 10 लाख से 1 करोड़		₹ 1 करोड़ से 10 करोड़		₹ 10 करोड़ से अधिक			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	3,267	10.20	1,004	29.75	187	47.71	11	27.19	1	30.75	4,470	145.61
2	बैंगलुरु	3,281	9.97	770	22.07	151	45.74	30	57.59	6	283.27	4,238	418.63
3	भुवनेश्वर	651	1.72	105	2.67	12	2.92	3	16.12	1	17.28	772	40.71
4	बिहार और झारखंड	1,311	3.44	146	3.53	8	1.91	-	-	-	-	1,465	8.88
5	गुजरात	1,345	4.33	396	11.39	65	20.77	5	7.07	-	-	1,811	43.55
6	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	36	0.12	15	0.52	8	2.71	1	1.16	-	-	60	4.52
7	केरल	421	1.24	134	3.95	22	6.41	5	11.17	-	-	582	22.77
8	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	359	0.84	22	0.65	1	0.10	-	-	-	-	382	1.59
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	702	1.89	97	2.29	12	2.49	-	-	-	-	811	6.67
10	मुंबई	1,673	5.61	591	17.66	112	29.01	20	72.06	14	17,560.10	2,410	17,684.44
11	दिल्ली	1,550	5.33	709	22.72	166	49.99	33	78.36	6	122.74	2,464	279.15
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	894	2.37	116	3.02	15	2.89	-	-	1	11.07	1,026	19.35
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	205	0.62	50	1.51	5	1.13	2	10.72	-	-	262	13.98
14	राजस्थान	529	1.71	117	2.72	12	3.66	1	1.56	-	-	659	9.64
15	तमिलनाडु	2,871	9.44	848	23.63	154	43.69	17	43.51	-	-	3,890	120.27
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	313	0.86	30	0.70	5	1.36	1	1.55	-	-	349	4.46
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	2,215	7.28	579	16.81	95	23.58	8	26.52	-	-	2,897	74.19
	कुल	21,623	66.96	5,729	165.58	1,030	286.07	137	354.60	29	18,025.21	28,548	18,898.42

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा। पुणे और नागपुर क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

₹ 10 करोड़ और उससे अधिक की श्रेणी में, धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज की कुल राशि ₹ 18,025 करोड़ (29 मामले) थी, जो कुल का 95 प्रतिशत है। इसमें से ₹ 17,560 करोड़ (14 मामले) अकेले मुंबई क्षेत्र से संबंधित थे, और जिनमें ₹ 10,193.28 करोड़ केवल एक निर्धारिती अर्थात् एच2 के 6 निर्धारण वर्षों से संबंधित थे। सबसे अधिक राशि के मामले में मुंबई क्षेत्र के बाद बेंगलुरु (₹ 418.63 करोड़) और दिल्ली (₹ 279.15 करोड़) का स्थान है, जहां धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज लगाया गया, लेकिन वसूला नहीं गया।

आंध्र प्रदेश क्षेत्र के एक एओ ने कहा कि आयकर विभाग में मौजूदा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के अनुसार, धारा 220(2) के तहत ब्याज की गणना प्रत्येक बकाया मांग के लिए निर्धारिती से बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान के बाद प्रणाली द्वारा ही की जाती है। हालांकि, अगर बकाया मांगों की अंतिम भुगतान के बाद आईटीबीए द्वारा ब्याज लगाया जाता है तो इससे विलंब की अवधि के लिए ब्याज लगाने में अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो सकता है। इस प्रकार, आईटीबीए प्रणाली में धारा 220(2) के तहत ब्याज लगाने की प्रक्रिया को सीबीडीटी के मौजूदा निर्देशों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल बकाया कर के अंतिम भुगतान के समय ब्याज लगाना सीबीडीटी के निर्देश का उल्लंघन था। धारा 220(2) के तहत ब्याज न लगाने का भी धारा 221(1)⁹⁸ के तहत जुर्माना न लगाने पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर मांग के भुगतान में देरी के लिए धारा 220(2) के तहत ब्याज न लगाए जाने के परिणामस्वरूप बकाया मांग की कम प्रतिवेदन हुई। सीबीडीटी ने अपने स्वयं के निर्देशों से हटकर बकाया मांग पर वार्षिक ब्याज लगाने के लिए वर्तमान प्रणाली में आवश्यक प्रावधान का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया था।

आयकर अधिकारी 4(1)(1) बेंगलुरु ने कहा कि धारा 220(2) के तहत ब्याज को सीएपी-1 विवरण में दर्शाई गई मांग की राशि में शामिल नहीं किया गया था। अन्य एओ या क्षेत्रों से प्रतिक्रियाओं की कमी के कारण, लेखापरीक्षा यह

⁹⁸ धारा 221 (1): जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह धारा 220 की उपधारा (2) के तहत बकाया राशि और देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त, जुर्माने के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि एओ निर्देशित कर सकता है।

निर्धारित नहीं कर सका कि ब्याज का यह बहिष्करण सभी क्षेत्रों में एक समान था या नहीं।

समय-समय पर ब्याज लगाने संबंधी सीबीडीटी के निर्देश आयकर अधिनियम में किसी भी वैधानिक संशोधन द्वारा समर्थित नहीं हैं। इस विषय पर सीएजी की वर्ष 2011 की निष्पादन लेखा परीक्षा संख्या 23 में भी चर्चा की गई थी।

समय-समय पर ब्याज न लगाए जाने के कारण निर्धारिती को यह जानकारी नहीं हो पाती कि कर का भुगतान न करने के कारण उसे कितनी बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना पड़ रहा है।

7.3 मांग का संचय

वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान लंबित मांग के बकाया की प्रवृत्ति और कुल मांग के प्रतिशत के रूप में बकाया मांग के आंकड़े, अध्याय 3 की तालिका 3.1 में दर्शाए गए हैं, जो दर्शाता है कि राशि के संदर्भ में बकाया मांग साल दर साल बढ़ रही है और 'वसूली करने में कठिन मांग' का प्रतिशत लगभग 98 प्रतिशत (लगभग) है।

सभी क्षेत्रों के समेकित सीएपी-I और सीएपी-II विवरण के आंकड़ों के आधार पर, सीबीडीटी अपनी वार्षिक केंद्रीय कार्य योजनाओं के माध्यम से बकाया मांग में कमी, नकदी संग्रह, टीडीएस विसंगतियों में कमी, विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के पास लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए लक्ष्य तय करता है, जिसका कुल बकाया मांग में कमी पर प्रभाव पड़ता है।

लेखापरीक्षा ने बकाया मांग में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारण के मानदंडों, लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि, बकाया मांग के संचय के लिए कारणात्मक कारकों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के परिणामों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.3.1 केंद्रीय कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य और उपलब्धि

वार्षिक केंद्रीय कार्य योजनाओं⁹⁹ में सीबीडीटी ने दोहराया है कि बकाया मांग में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं और इस आंकड़े को और अधिक प्रबंधनीय स्तर तक कम करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए।

⁹⁹ वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्रीय कार्य योजना दस्तावेज – अध्याय II

तदनुसार, बकाया मांग में कमी का लक्ष्य हर साल समान रूप से उस वर्ष के 01 अप्रैल तक बकाया कुल बकाया मांग के 40 प्रतिशत की दर से तय किया गया है। बकाया मांग में कमी के लिए तय लक्ष्य में नकदी संग्रह¹⁰⁰ का लक्ष्य भी शामिल है, जिसे स्वतंत्र रूप से हासिल किया जाना था। बकाया मांग में कमी के लक्ष्य और नकदी संग्रह के लक्ष्य को प्रधान सीसीआईटी के स्तर पर निर्दिष्ट किया गया है, जिन्हें इन लक्ष्यों को अपने क्षेत्र के संबंधित सीसीआईटी/डीजीआईटी को एक निर्दिष्ट फॉर्मूले (केंद्रीय कार्य योजना में दिए गए) के अनुसार आगे आवंटित करना आवश्यक है। एओ स्तर पर, मांग के बकाया के संबंध में नकदी संग्रह का लक्ष्य फॉर्मूले का उपयोग करके तय किया गया जबकि मौजूदा मांग के लिए यह मांग का 20 प्रतिशत था। लक्ष्यों का आवंटन प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक पूरा किया जाना था तथा निगरानी प्रयोजन के लिए आयकर निदेशालय (वसूली) को सूचित किया जाना था।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के लिए केन्द्रीय कार्ययोजना के अनुसार मांग/नकद संग्रहण के बकाया में कमी हेतु निर्धारित लक्ष्य और उनके विपरीत प्राप्त उपलब्धियां नीचे तालिका 7.8 में दी गई हैं:

तालिका 7.8: बकाया मांग में कमी और नकदी संग्रह का लक्ष्य और उपलब्धि										
										(₹ करोड़ में)
निर्धारण वर्ष	01 अप्रैल तक बकाया मांग	बकाया मांग में कमी का लक्ष्य (कॉलम 2 का 40%)	बकाया मांग में वास्तविक कमी	नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक नकद संग्रह	वर्तमान मांग में अभिवृद्धि	वर्तमान मांग में वास्तविक कमी	वर्तमान मांग का वास्तविक नकद संग्रह	निवल अभिवृद्धि	31 मार्च तक [कॉल.2 + कॉल.10] ¹⁰¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =(7)-(4)-(8)	11
2016-17	9,29,972	3,71,989	1,99,490	53,981	38,944	3,79,548	60,731	36,905	1,19,327	10,49,299
2017-18	10,52,084	4,20,834	3,24,528	71,513	44,633	4,62,412	76,641	52,537	61,243	11,13,327
2018-19	11,22,750	4,49,100	1,98,815	68,885	40,599	4,22,625	91,173	59,660	1,32,637	12,77,644
2019-20	12,77,644	5,11,058	डेटा उपलब्ध नहीं	83,689					डेटा उपलब्ध नहीं #	16,18,954

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना का अध्याय III।
वर्ष 2019-20 के लिए कॉलम 4, 6, 7, 8, 9 और 10 की उपलब्धि के विवरण का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह सीबीडीटी की 2020-21 की अंतरिम कार्य योजना में उपलब्ध नहीं था।

¹⁰⁰ बकाया मांग में कमी के लिए समग्र लक्ष्य में एक अलग लक्ष्य शामिल किया गया है, जिसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

¹⁰¹ सीबीडीटी की केंद्रीय कार्ययोजना में उल्लिखित अनंतिम आंकड़े

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि किसी भी वर्ष में लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि या तो मांग में 40 प्रतिशत की कमी का एक समान लक्ष्य निर्धारित करना अवास्तविक था और इसमें कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया था या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके और साधन अपर्याप्त थे।

उपरोक्त तालिका से यह भी पता चलता है कि बकाया मांग और चालू मांग दोनों के संबंध में नकदी संग्रह के लक्ष्य किसी भी वर्ष में हासिल नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, बकाया मांग के अंतिम शेष में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए केंद्रीय कार्य योजनाएँ अंतरिम योजनाएँ थीं और इनमें बकाया मांग या नकद संग्रह में कमी के लिए कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए भी, पर्याप्त डेटा के अभाव में उपलब्धि का विश्लेषण नहीं किया जा सका। कोविड महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 का पिछली अवधियों के साथ तुलनीय उपलब्धि का विश्लेषण नहीं किया जा सका।

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सभी 19 क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण के आधार पर, मांग में कमी के क्षेत्रवार लक्ष्य और उपलब्धि का विश्लेषण किया गया, जैसा कि नीचे तालिका 7.9 में दिखाया गया है:

तालिका 7.9: बकाया मांग में कमी का लक्ष्य और उपलब्धि (क्षेत्रवार)												
(₹ करोड़ में)												
क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21	2021-22
		बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	वास्तविक कटौती	उपलब्धि (लक्ष्य के % के रूप में)	बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	वास्तविक कटौती	उपलब्धि (लक्ष्य के % के रूप में)	बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	वास्तविक कटौती	उपलब्धि (लक्ष्य के % के रूप में)	वास्तविक कटौती	वास्तविक कटौती
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	11,998	6,480	54.01	11,481	5,786	50.40	12,228	5,075	41.50	10,297	6,117
2	बेंगलुरु	14,332	13,133	91.63	16,341	11,397	69.74	17,813	8,024	45.05	4,993	7,520
3	भुवनेश्वर	1,886	1,861	98.67	2,166	2,015	93.03	2,399	474	19.76	543	977
4	बिहार और झारखंड	3,418	2,068	60.50	3,469	1,350	38.92	3,564	879	24.66	748	712
5	दिल्ली	81,247	48,579	59.79	92,645	85,603	92.40	1,07,405	30,211	28.13	20,267	22,677

तालिका 7.9: बकाया मांग में कमी का लक्ष्य और उपलब्धि (क्षेत्रवार)												
												(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21	2021-22
		बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	वास्तविक कटौती	उपलब्धि (लक्ष्य के % के रूप में)	बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	वास्तविक कटौती	उपलब्धि (लक्ष्य के % के रूप में)	बकाया मांग में कमी का लक्ष्य	वास्तविक कटौती	उपलब्धि (लक्ष्य के % के रूप में)	वास्तविक कटौती	वास्तविक कटौती
6	गुजरात	16,264	9,346	57.46	23,179	10,461	45.13	28,354	9,405	33.17	4,115	6,869
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	49,873	17,437	34.96	54,202	10,551	19.47	53,532	8,099	15.13	7,448	42,645
8	केरल	2,423	1,421	58.65	2,912	2,144	73.63	3,699	1,720	46.50	1,680	979
9	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	8,789	1,513	17.21	10,973	2,619	23.87	11,391	1,643	14.42	742	1,000
10	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	5,773	3,514	60.87	7,205	1,435	19.92	9,963	3,197	32.09	3,452	2,890
11	मुंबई	1,42,122	156,789	110.32	156,124	34,751	22.26	1,81,985	54,661	30.04	16,560	25,692
12	नागपुर	615	463	75.28	610	415	68.03	755	493	65.30	334	221
13	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	463	352	76.03	468	386	82.48	497	344	69.22	289	290
14	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र	8,250	5,333	64.64	9,281	3,843	41.41	12,383	6,101	49.27	ना	ना
15	पुणे	13,214	9,901	74.93	11,311	6,537	57.79	13,973	8,505	60.87	4,994	6,109
16	राजस्थान	2,815	1,900	67.50	2,568	3,120	121.50	2,581	1,301	50.41	737	854
17	तमिलनाडु	16,115	22,277	138.24	10,587	8,885	83.92	11,660	6,864	58.87	3,994	9,914
18	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	9,710	3,543	36.49	3,302	1,169	35.40	4,438	784	17.67	819	1,229
19	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	31,527	18,155	57.59	30,276	6,345	20.96	32,438	4,749	14.64	2,249	4,244
कुल		4,20,834	3,24,065	77.01	4,49,100	1,98,812	44.27	5,11,058	1,52,529	29.85	84,261	1,40,939

लक्ष्य का स्रोत: 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना का अध्याय III
उपलब्धि का स्रोत: क्रम संख्या 6 और 7, कॉलम 4 और 5 अर्थात् संबंधित क्षेत्र के सीएपी-1 में बकाया का आईटी और सीटी।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से 19 क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

1. मुंबई और तमिलनाडु क्षेत्र ने 2017-18 में लक्ष्य हासिल किया और राजस्थान क्षेत्र ने 2018-19 में लक्ष्य हासिल किया।

2. लक्ष्य प्राप्ति में कमी का प्रतिशत वर्ष 2017-18 में 1.33 प्रतिशत (भुवनेश्वर) से 82.79 प्रतिशत (पूर्व उत्तर प्रदेश) तक, वर्ष 2018-19 में 6.97 प्रतिशत (भुवनेश्वर) से 80.53 प्रतिशत (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) तथा वर्ष 2019-20 में 30.78 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र) से 85.58 प्रतिशत (पूर्व उत्तर प्रदेश) तक रहा।
3. तीन क्षेत्रों¹⁰² (2017-18), नौ क्षेत्रों¹⁰³ (2018-19) और 14 क्षेत्रों¹⁰⁴ (2019-20) में लक्ष्य की प्राप्ति में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी रही।
4. लक्ष्यों की समग्र उपलब्धि में कमी (19 क्षेत्रों के लिए) 2017-18 में 23 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 70.15 प्रतिशत हो गई।
5. सीबीडीटी ने 2020-21 और 2021-22 के लिए कोई क्षेत्र-वार लक्ष्य तय नहीं किया।

वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सभी 19 क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण के आधार पर, नकदी संग्रह के क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धि का विश्लेषण नीचे तालिका 7.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.10: बकाया मांग में से नकदी संग्रहण का लक्ष्य एवं उपलब्धि (क्षेत्रवार)												
(₹ करोड़ में)												
क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21	2021-22
		नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक संग्रह	लक्ष्य के % के रूप में उपलब्धि	नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक संग्रह	लक्ष्य के % के रूप में उपलब्धि	नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक संग्रह	लक्ष्य के % के रूप में उपलब्धि	वास्तविक संग्रह	वास्तविक संग्रह
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	2,341	1,645	70.27	1,678	853	50.83	2,488	1,197	48.11	1,431	1,804
2	बैंगलुरु	3,431	6,479	188.84	3,507	6,043	172.31	4,211	2,045	48.56	2,942	3,641
3	भुवनेश्वर	469	362	77.19	769	707	91.94	2,281	259	11.35	376	802
4	बिहार और झारखंड	456	776	170.18	684	420	61.40	679	327	48.16	252	372
5	दिल्ली	16,715	5,134	30.71	11,885	6,502	54.71	18,513	4,194	22.65	4,187	4,388
6	गुजरात	2,379	1,893	79.57	2,718	1,963	72.22	3,081	1,385	44.95	1,767	1,352
7	केरल	702	393	55.98	782	911	116.50	1,005	436	43.38	576	476

¹⁰² अंतर्राष्ट्रीय कराधान, उत्तर प्रदेश पूर्व, उत्तर प्रदेश पश्चिम

¹⁰³ बिहार और झारखंड, गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मुंबई, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

¹⁰⁴ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, बैंगलुरु, भुवनेश्वर, बिहार एवं झारखंड, दिल्ली, गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, केरल, पूर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मुंबई, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम

तालिका 7.10: बकाया मांग में से नकदी संग्रहण का लक्ष्य एवं उपलब्धि (क्षेत्रवार)												
(₹ करोड़ में)												
क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21	2021-22
		नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक संग्रह	लक्ष्य के % के रूप में उपलब्धि	नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक संग्रह	लक्ष्य के % के रूप में उपलब्धि	नकदी संग्रह का लक्ष्य	वास्तविक संग्रह	लक्ष्य के % के रूप में उपलब्धि	वास्तविक संग्रह	वास्तविक संग्रह
8	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	3,701	412	11.13	2,366	431	18.22	1,570	292	18.60	364	480
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	1,045	1,379	131.96	1,421	411	28.92	2,987	1,201	40.21	635	1,206
10	मुंबई	18,923	9,224	48.74	20,906	8,543	40.86	24,684	7,080	28.68	7,993	10,574
11	नागपुर	90	69	76.67	134	90	67.16	81	60	74.07	85	81
12	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	79	91	115.19	91	93	102.20	91	79	86.81	127	113
13	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र	1,543	1,089	70.58	1,563	755	48.30	2,540	1,143	45.00	लागू नहीं	लागू नहीं
14	प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)	7,208	4,311	59.81	11,685	6,045	51.73	8,257	1,199	14.52	2,430	1,955
15	पुणे	1,343	1,643	122.34	1,062	1,790	168.55	1,674	1,153	68.88	1,370	1,624
16	राजस्थान	651	809	124.27	552	862	156.16	575	576	100.17	491	369
17	तमिलनाडु	4,297	4,882	113.61	1,784	2,374	133.07	2,853	3,013	105.61	1,880	3,779
18	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	1,737	2,252	129.65	604	247	40.89	1,317	405	30.75	305	927
19	पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम	4,402	1,642	37.30	4,694	1,560	33.23	4,802	1,100	22.91	1,396	1,930
कुल		71,512	44,485	62.21	68,885	40,600	58.94	83,689	27,144	32.43	28,607	35,873

लक्ष्य का स्रोत: वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना का अध्याय III।
उपलब्धि का स्रोत: क्रम संख्या 6, कॉलम 4 और 5 अर्थात् संबंधित क्षेत्र के सीएपी-1 में आईटी और सीटी का बकाया मांग

उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नलिखित अभ्युक्ति दिये गये हैं:

- वर्ष 2017-18 में 11 क्षेत्रों¹⁰⁵ वर्ष 2018-19 में 13 क्षेत्र¹⁰⁶ तथा वर्ष 2019-20 में 17 क्षेत्र¹⁰⁷ द्वारा नकदी संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।


¹⁰⁵ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश पूर्व, मुंबई, नागपुर, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

¹⁰⁶ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, भुवनेश्वर, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश पूर्व, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मुंबई, नागपुर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, उत्तर प्रदेश पश्चिम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

¹⁰⁷ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बिहार और झारखंड, दिल्ली, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश पूर्व, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मुंबई, नागपुर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, पुणे, उत्तर प्रदेश पश्चिम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम

2. तीनों वर्षों में नकदी संग्रह की उपलब्धि में कमी तीन क्षेत्रों अर्थात् मुंबई, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में 50 प्रतिशत से अधिक रही।
3. अखिल भारतीय स्तर पर समग्र नकदी संग्रह लक्ष्य में कमी वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई, जो 2017-18 में 37.79 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 41.06 प्रतिशत तथा 2019-20 में 67.57 प्रतिशत हो गई।
4. सीबीडीटी ने 2020-21 और 2021-22 के लिए कोई क्षेत्र-वार लक्ष्य तय नहीं किया है।

सीएपी-1 विवरण के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष से 31 मार्च 2022 तक बकाया मांग, सीबीडीटी द्वारा निर्धारित लक्ष्य और बकाया मांग में कमी का विवरण नीचे चार्ट 7.1 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है :



स्रोत: सभी क्षेत्रों से सीएपी विवरण से कुल बकाया मांग और बकाया मांग में कमी। सीबीडीटी की वार्षिक केंद्रीय कार्य योजनाओं से बकाया मांग में कमी का लक्ष्य

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष को छोड़कर कुल बकाया मांग पिछले वर्षों में लगातार बढ़ रही है। यह देखा जा सकता है कि 40 प्रतिशत का लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया गया है।

विश्लेषण के परिणाम

1. सीबीडीटी 2016-17 तक केवल नकद संग्रह के लिए लक्ष्य तय करता रहा था, और बकाया मांग में कमी के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था। 2017-18 से सीबीडीटी ने नकद संग्रह के अलावा बकाया मांग में कमी के लिए लक्ष्य तय करना शुरू कर दिया था। सीबीडीटी द्वारा प्रदान किए गए सीएपी-1 विवरण के अनुसार, मार्च 2021 और मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद संग्रह बकाया मांग के मुकाबले क्रमशः ₹ 32,025 करोड़ (96.69%) और ₹ 38,555 करोड़ (71.15%) था, जबकि चालू मांग के मुकाबले नकद संग्रह क्रमशः ₹ 1,095 करोड़ (3.31%) और ₹ 15,628 करोड़ (28.84%) था।
2. वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए, सीबीडीटी ने सभी क्षेत्रों में बकाया मांग में 40 प्रतिशत की समग्र एकसमान दर से कमी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3. वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बकाया मांग में कमी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 और 2020-21 की उपलब्धियों की प्रतिवेदन सीबीडीटी को नहीं दी गई, क्योंकि इन वर्षों के दौरान कोई पूर्ण केंद्रीय कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।
4. सीबीडीटी ने एक ओर अपने कुल बकाया मांग के 97 से 98 प्रतिशत को "मांग जिसकी वसूली कठिन है" के रूप में वर्गीकृत किया है, और दूसरी ओर अपने वार्षिक केंद्रीय कार्य योजना में बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार, बकाया मांग के बड़े हिस्से को "मांग वसूलना कठिन" के रूप में वर्गीकृत करना और बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का एकसमान लक्ष्य निर्धारित करना अवास्तविक रहा।
5. विजन 2020 दस्तावेज - रणनीतिक योजना 2011-15 में परिकल्पित जोखिम प्रोफाइलिंग पर विचार किए बिना ही लक्ष्य तय किए जा रहे थे। सीबीडीटी द्वारा बकाया मांग में 40 प्रतिशत की कमी का एक समान

लक्ष्य यह दर्शाता है कि लक्ष्य तय करते समय आयु, मौद्रिक, श्रेणी, निर्धारिती प्रोफाइल या अन्य कारकों पर विचार नहीं किया गया।

विश्लेषण से पता चला कि वास्तव में बकाया मांगों में कोई कमी नहीं आई है, जैसा कि सीबीडीटी ने अपने सीएपी में परिकल्पित किया है; बल्कि लक्ष्यों की प्राप्ति न होने और हर साल नई अदत्त मांगों के जुड़ने के कारण साल दर साल इसमें वृद्धि हुई। उपलब्धि में कमी के कारणों का विश्लेषण किए बिना, हर साल एक समान प्रतिशत तय करना, मांगों के बकाया में कमी सुनिश्चित करने में प्रभावी नहीं था।

अनुशांसा 15:

आयकर विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि:-

- (i) बकाया मांग को कम करने के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, जिसमें जोखिम कारकों जैसे आयु, मांग की राशि, निर्धारिती द्वारा परिसंपत्तियों का कब्जा, अपील में लंबित मामलों की स्थिति, निर्धारिती का पता न लग पाना आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बकाया मांग को खत्म करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- (ii) नकदी संग्रह के लक्ष्य तय करने के लिए सीबीडीटी द्वारा अपनाई गई जोखिम-प्रोफाइलिंग तकनीकों का उपयोग उचित परिवर्तनों के साथ बकाया मांगों को कम करने के लक्ष्य तय करने के लिए भी किये जाएं।
- (iii) बकाया मांग में कमी के लक्ष्य क्षेत्रवार/क्षेत्राधिकारवार आधार पर विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद तय किए जाते हैं, जिसमें पिछले प्रदर्शन, निर्धारिती की प्रकृति/प्रकार आदि शामिल हैं। अधिकार क्षेत्र, निर्धारण आदि से संबंधित विशिष्ट कारकों पर विचार किए बिना एक समान लक्ष्य तय करना तर्कसंगत नहीं है।


मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (जून 2023) कि बकाया मांग में कमी के लक्ष्य उचित विचार-विमर्श के बाद और प्रधान सीसीआईटी के पद से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय टास्कफोर्स की सिफारिशों के आधार पर तय किए जाते हैं। ये लक्ष्य विभिन्न कारकों जैसे आयु और मांग की

राशि, अपीलों में लंबित स्थिति आदि को ध्यान में रखने के बाद तय किए जाते हैं, जो कर बकाया में कमी और वसूली को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में तैयार किए गए फॉर्मूले पर काम किया जाता है, जो सभी प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों पर लागू होता है। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में कोविड महामारी के कारण करों की वसूली के उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसमें महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। मंत्रालय ने तमिलनाडु, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों ने वर्ष 2018-19 में बकाया मांग में कमी के लिए या तो लक्ष्य हासिल कर लिया या लक्ष्य के करीब पहुँच गए। इसके अलावा, हो सकता है कि सभी क्षेत्र समान उपलब्धि प्रदर्शित न करें, लेकिन समग्र लक्ष्य अव्यावहारिक या अवास्तविक नहीं लगता।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि या तो बहुत अधिक थी या बहुत कम, जो इस तथ्य का संकेत है कि बकाया मांग में कमी के लिए 40 प्रतिशत का एक समान लक्ष्य निर्धारित करते समय इसमें शामिल जोखिम वाले कारकों का उचित विश्लेषण नहीं किया गया था।

7.3.2 वसूली करने में कठिन मांग

लेखापरीक्षा ने पूरे भारत में बकाया मांग और आयकर विभाग द्वारा इसके वर्गीकरण का विश्लेषण किया ताकि इसकी सत्यता विशेष रूप से, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए 'वसूली करने में कठिन के रूप में वर्गीकृत मांग' का पता लगाया जा सके। वसूली करने में कठिन मांग का प्रवृत्ति विश्लेषण नीचे चार्ट 7.2 में दिखाया गया है:



स्रोत: सभी 19 क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का संक्षिप्त।

* उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (चंडीगढ़) का डाटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि बकाया मांग का 97 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयकर विभाग द्वारा 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीएजी की वर्ष 2011 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 23 में भी यह दर्शाया गया था कि ₹ 1,96,092.07 करोड़ की बकाया मांग में से ₹ 1,65,337.42 करोड़ (84.3 प्रतिशत) को आयकर विभाग ने वसूली योग्य नहीं के रूप में वर्गीकृत किया गया था।


लेखापरीक्षा ने मार्च 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में समाप्त वित्त वर्षों के लिए सभी 19 प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों के सीएपी-1 डेटा से 'बकाया मांग' और 'वसूली करने में कठिन मांग' का विश्लेषण किया। विश्लेषण का विवरण नीचे तालिका 7.11 में दिखाया गया है:

तालिका 7.11: बकाया मांग बनाम वसूली करने में कठिन मांग पर प्रवृत्ति विश्लेषण									
(₹ करोड़ में)									
समाप्त वर्ष के लिए	कुल बकाया मांग			वसूली करने में कठिन मांग			निवल संग्रहणीय मांग		
	डीआईटी (ओ एंड एम)	सीएपी-1	अंतर	डीआईटी (ओ एंड एम)	सीएपी-1	अंतर	डीआईटी (ओ एंड एम)	सीएपी-1	अंतर
मार्च-18	11,14,182	11,13,320	862	10,94,023	10,93,377	646	20,159	19,943	216
मार्च-19	12,34,078	12,34,078	शून्य	12,19,485	12,19,485	शून्य	14,593	14,593	शून्य
मार्च-20	16,18,954	15,28,818	90,136	15,80,220	14,91,276	88,944	38,734	37,542	1,192
मार्च-21	15,11,618	13,87,230	1,24,388	14,85,289	13,63,081	1,22,208	26,473	24,149	2,324
मार्च-22*	--	17,90,159	--	--	17,43,057	--	--	47,102	--

स्रोत: डीआईटी (ओएंडएम) आंकड़े सीएजी के एआर 29/2022 की तालिका 1.21 से अपनाए गए
स्रोत: सभी 19 क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का संक्षिप्त।
* प्रधान सीसीआईटी उत्तर पश्चिम क्षेत्र (चंडीगढ़) का डाटा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त तालिका आयकर निदेशालय (संगठन और प्रबंधन) सेवाएं द्वारा प्रस्तुत बकाया मांग के आंकड़ों और मार्च 2018 और मार्च 2020 को समाप्त वर्षों के संबंध में सभी प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरणों से लिए गए बकाया मांग के समेकित आंकड़ों में भिन्नता को दर्शाती है।

ऐसे वर्गीकरण के लिए सभी कारकों का विवरण **परिशिष्ट 13** में दिया गया है। प्रमुख कारक जिनके कारण बकाया मांग को 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, नीचे चार्ट 7.3 में दिए गए हैं:



स्रोत: सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का संक्षिप्त (2020-21 और 2021-22 के लिए एनडब्ल्यूआर को छोड़कर)
* प्रधान सीसीआईटी उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (चंडीगढ़) का डाटा शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

7.3.3 अपीलों में लंबित मांगें

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग से वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के 31 मार्च तक विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के पास लंबित मांगों का सांख्यिकीय विवरण मांगा। आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया (फरवरी 2024)। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण के लिए सभी 19 प्रधान सीसीआईटी के संबंध में सीएपी-1 विवरण से आवश्यक विवरण निकाले गए (वर्ष 2021 और 2022 के लिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर), जैसा कि नीचे तालिका 7.12 में दिखाया गया है:

तालिका 7.12: अपीलों में बंद मांगों का विवरण					
					(₹ करोड़ में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22*
कुल बकाया मांग	11,13,319.63	12,34,078.22	15,28,817.81	13,87,229.61	17,90,159.39
(सीआईटी(ए)-(ए) के साथ मुकदमेबाजी में बंद राशि	4,08,117.63	6,24,726.98	6,51,225.76	6,91,780.43	7,53,377.63
(आईटीएटी, उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय) के साथ मुकदमेबाजी में बंद राशि - (बी)	2,91,110.46	3,27,824.85	2,93,235.86	3,14,591.54	2,99,212.32
अपील में बंद कुल राशि (ए) + (बी)	6,99,228.09	9,52,551.83	9,44,461.62	10,06,371.97	10,52,589.95
मुकदमेबाजी में बंद की गई राशि का प्रतिशत आयु	62.81	77.19	61.77	72.55	58.80
स्रोत: सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का संक्षिप्त					
* प्रधान सीसीआईटी उत्तर पश्चिम क्षेत्र (चंडीगढ़) का डाटा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।					

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि मुकदमेबाजी में फंसी हुई राशि 59 से 77 प्रतिशत तक है और यह बकाया मांग में कमी के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने का एक प्रमुख कारण है।

अपील के विभिन्न स्तरों पर लंबित कुल राशि का क्षेत्र-वार विवरण **परिशिष्ट 14** में दिया गया है।

सीबीडीटी द्वारा उठाए गए कदम

सीबीडीटी ने मुकदमों की उच्च संख्या के प्रभाव को पहचाना और कई नीतिगत निर्णय¹⁰⁸ लिए हैं, जैसे अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि, विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के पास लंबित मामलों के प्रबंधन को कम करने और मजबूत बनाने के लिए समितियां आदि। अपील मामलों में लंबित मांग को कम करने के लिए, भारत सरकार ने बजट 2020 में विवाद-से-विश्वास योजना की घोषणा की।

विवाद से विश्वास योजना

सरकार ने निर्धारिती और आयकर विभाग के बीच कर विवादों को निपटाने के लिए बजट 2020 में विवाद-से-विश्वास योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत निर्धारिती को 31 मार्च 2020 तक विवादित कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के साथ ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट दी गई। यह योजना निर्धारिती या आयकर विभाग द्वारा दायर सभी अपीलों/याचिकाओं पर लागू थी, जो किसी भी अपीलीय फोरम के समक्ष 31 जनवरी 2020 तक लंबित थीं। संक्षेप में, इसने ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट की पेशकश की, यदि निर्धारिती 31 मार्च 2020 तक विवादित कर राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न अपीलीय मंचों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर-संबंधी मामलों को कम करना था। सरकार ने योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी।

योजना के प्रति निर्धारिती की प्रतिक्रिया जानने के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2021 तक योजना का विकल्प चुनने वाले कुल निर्धारिती की संख्या, कुल वसूली गई राशि, जुर्माना और माफ किए गए ब्याज की राशि आदि के बारे में डेटा मांगा (मई 2021)। प्रधान आयकर आयुक्तों से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में (अगस्त 2021) बताया गया कि इस योजना के तहत ₹99,756 करोड़ के विवादित कर से संबंधित 1.32 लाख से अधिक घोषणाएं दायर की गईं और सरकार को विवाद-से-विश्वास योजना के माध्यम से ₹53,684 करोड़ प्राप्त हुए।

¹⁰⁸ कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 जुलाई 2014 और 05 सितंबर 2016

7.3.4 निर्धारिती का पता न लग पाना

सीबीडीटी ने 'निर्धारिती का पता न लग पाना' या 'वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं' के मामलों की तत्काल समीक्षा करने की परिकल्पना¹⁰⁹ की है, ताकि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करने के लिए उपलब्ध सूचना के सभी रास्ते तलाशने के अलावा यह देखा जा सके कि क्या आगे के प्रयासों से निर्धारिती या परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सकता है।

सीबीडीटी ने अपनी केंद्रीय कार्य योजना 2019-20 में कहा था कि इंटरनेट सर्च और बैंकों से पूछताछ के माध्यम सहित ठोस प्रयासों से निर्धारिती का पता लगाया जा सकता है। 'निर्धारिती का पता न लगने' के मामलों के लिए, केंद्रीय कार्य योजना निर्धारिती से नकद संग्रह के माध्यम से कर मांग की वसूली के लिए प्रति वर्ष एक समान पाँच प्रतिशत का लक्ष्य तय करती है।


2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए सीएपी-1 विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि इस श्रेणी के लिए बकाया मांग 2017-18 में ₹ 85,337.15 करोड़ से दोगुनी से अधिक बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,77,938.44 करोड़ हो गई और 2021-22 में लगभग तीन गुना बढ़कर ₹ 2,26,019.26 करोड़ हो गई।

इस संबंध में, एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, पीसीआईटी, चेन्नई । कमिश्नरी, जिसके पास मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'पता नहीं लगने वाले निर्धारिती' के विरुद्ध ₹ 6,497 करोड़ थे, ने (मई 2022) 2016 में नोटबंदी के परिणामस्वरूप 'ऑपरेशन क्लीन मनी' के मामलों में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया। यह कहा गया कि आयकर विभाग को बैंकों से निर्धारिती की पहचान नहीं मिली। इसके अलावा, जमा करने और आयकर विभाग द्वारा मामलों को फिर से खोलने के बीच एक समय अंतराल था, जिस अवधि के दौरान, निर्धारिती पहले ही परिसर खाली कर चुके थे और उनका पता नहीं लगाया जा सका। कई मामलों में, निर्धारिती बेनामी थे और संपत्ति एवं वास्तविक धन उनसे संबंधित नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली, पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा मुंबई ने पूरे भारत की मांग में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया,

¹⁰⁹ सीबीडीटी की केंद्रीय कार्य योजना 2016-17

जिसे 'मांग की वसूली करना कठिन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सका। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए तीन क्षेत्रों के संबंध में कुल बकाया मांग और निर्धारिती की बकाया मांग का चित्रण नीचे चार्ट 7.4 में दिखाया गया है:



स्रोत: संबंधित क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण के कॉलम 9(बी)।

* उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (चंडीगढ़) का डाटा शामिल नहीं किया गया क्योंकि सीएपी-1 विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

जुलाई 2017 से पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिए जाने के बावजूद, 'पता न लगने वाले निर्धारिती' के विरुद्ध बकाया मांग का आंकड़ा 2019-20 में दोगुने से अधिक और 2021-22 में 2017-18 की तुलना में लगभग तीन गुना हो गया है।

चूंकि आयकर विभाग सीएपी-1 विवरण में मांग की विभिन्न श्रेणियों के लिए विस्तृत आंकड़े नहीं रख रहा था, इसलिए एआईएस में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत विवरण अप्राप्त रह गए, जिसके परिणामस्वरूप 'पता न लगने वाले निर्धारिती' के अंतर्गत निर्धारिती की पहचान नहीं हो पाई।

अनुशंसा 16:

सीबीडीटी को एआईएस में विभिन्न प्राधिकरणों से प्राप्त पैन विवरण को 'पता न लगने वाले निर्धारिती' के अंतर्गत वर्गीकृत मांगों के पैन विवरण के साथ खाका तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि निर्धारण के समय या निर्धारण पूरा होने के बाद निर्धारिती की पहचान की जा सके और उन पर नजर रखी जा सके।

7.3.5 सुरक्षात्मक मांग

सीएपी-1 विवरण के कॉलम 9(डी) में, आयकर विभाग ने 'वसूली करने में कठिन मांग' शीर्षक के तहत बकाया सुरक्षात्मक मांग का डेटा प्रदर्शित किया है। ₹ 17,43,057.13 करोड़ की वसूली अयोग्य कुल मांग में से, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 34,627.71 करोड़ की राशि को सुरक्षात्मक मांग श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया था।

सुरक्षात्मक निर्धारण तब किया जाता है जब किसी आय के स्वामित्व के बारे में संदेह होता है। ऐसे मामलों में, आय का निर्धारण उस व्यक्ति के हाथों में किया जाता है जिसके बारे में दृढ़ता से माना जाता है कि वह प्राप्तकर्ता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति है जो उसी आय का संभावित प्राप्तकर्ता हो सकता है, तो उसके हाथों में सुरक्षात्मक निर्धारण किया जाता है और साथ ही सावधानी भी बरती जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निर्धारण की समय-सीमा समाप्त होने की संभावना को समाप्त किया जा सके।

सुरक्षात्मक निर्धारण से संबंधित मांग को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसे स्थगित रखा जाना चाहिए। इस मांग को विवरणों में 'मांग वसूली योग्य नहीं' के रूप में दिखाया जाना चाहिए। अपीलीय अधिकारियों द्वारा मूल निर्धारण की पुष्टि करने के बाद सुरक्षात्मक निर्धारण निष्फल हो जाता है। यदि मूल निर्धारण अपील में खारिज हो जाता है, तो सुरक्षात्मक निर्धारण मूल हो जाता है। इन परिस्थितियों में, बकाया मांग के आंकड़े में सुरक्षात्मक मांग को शामिल करने से दोहराव पैदा हो रहा है क्योंकि मूल मांग और सुरक्षात्मक मांग दोनों की गणना एक ही आय पर की जाती है।

इस प्रकार, 'वसूली करने में कठिन मांगों' के अंतर्गत सुरक्षात्मक मांगों को वर्गीकृत करने की प्रथा की समीक्षा की जानी चाहिए तथा बकाया मांग की सही स्थिति को दर्शाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

7.3.6 टीडीएस/प्री-पेड करों का बेमेल

टीडीएस और अन्य प्री-पेड करों का बेमेल होना आयकर विभाग द्वारा मांग को 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक था। लेखापरीक्षा ने पाया कि "टीडीएस / प्री-पेड करों के बेमेल" के तहत बकाया मांग मार्च 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान ₹ 40,555.36 करोड़ से बढ़कर ₹ 99,658.33 करोड़ हो गई थी।

चयनित निर्धारण इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 966 मामलों में पाया कि निर्धारिती ने मार्च 2020 तक टीडीएस, अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के रूप में ₹ 15,512.79 करोड़ के कर क्रेडिट का दावा किया था। हालांकि, आयकर विभाग ने पूर्व भुगतान किए गए करों के आंकड़ों में बेमेल होने के कारण निर्धारिती को केवल ₹ 12,840.70 करोड़ की कर क्रेडिट की अनुमति दी। चूंकि, आयकर विभाग ₹ 2,672.09 करोड़ के पूर्व भुगतान किए गए करों के शेष का मिलान नहीं कर सका, इसे सीएपी-1 विवरण के क्रमांक 9(एन) में 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पाए गए ऐसे बेमेल और लंबित मिलान के कुल मामलों की संख्या प्रधान सीसीआईटीवार समेकित की गई है, जैसा कि नीचे तालिका 7.13 में दिखाया गया है:

तालिका 7.13: लघु भत्ते टीडीएस/प्रीपेड करों का क्षेत्रवार विश्लेषण					
क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों की संख्या	टीडीएस/टीसीएस/सैट/अग्रिम कर (₹ करोड़ में)		
			निर्धारिती द्वारा दावा किया गया	विभाग द्वारा अनुमति दी गई	लघु अनुमत
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	47	58.16	37.48	20.68
2	बिहार और झारखंड	6	11.03	0.01	11.02
3	तमिलनाडु	4	185.25	41.73	143.52
4	केरल	2	2.29	2.11	0.18
5	गुजरात	77	592.75	574.59	18.16

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

तालिका 7.13: लघु भत्ते टीडीएस/प्रीपेड करों का क्षेत्रवार विश्लेषण					
क्र. सं.	क्षेत्र	मामलों की संख्या	टीडीएस/टीसीएस/सैट/अग्रिम कर (₹ करोड़ में)		
			निर्धारिती द्वारा दावा किया गया	विभाग द्वारा अनुमति दी गई	लघु अनुमत
6	राजस्थान	42	11.93	4.34	7.59
7	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	13	9.50	0	9.50
8	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	34	11.98	6.89	5.09
9	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	103	118.49	91.97	26.52
10	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	5	1.97	1.87	0.10
11	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	8	5.97	3.94	2.03
12	मुंबई	234	7,750.95	7,200.76	550.19
13	बेंगलुरु	121	2,698.46	1,839.32	859.14
14	दिल्ली	142	2,178.14	1,982.91	195.23
15	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, नई दिल्ली	64	1,856.84	1,039.47	817.37
16	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	59	12.81	12.26	0.55
	कुल	961	15,506.52	12,839.65	2,666.87
स्रोत: आयकर विभाग से निर्धारण अभिलेख। भुवनेश्वर क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी गई। पुणे और नागपुर क्षेत्र का चयन नहीं किया गया।					

इस प्रकार, सीएपी-1 विवरण में 'मांग की वसूली करना कठिन' के रूप में टीडीएस क्रेडिट नहीं दिये गये का वर्गीकरण सही नहीं है, और वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि स्रोत पर काटे गए कर और कटौतीकर्ताओं द्वारा सरकारी खाते में भुगतान किए गए कर या निर्धारिती द्वारा स्वयं जमा किए गए कर पूर्व-निर्धारण संग्रह का हिस्सा बनते हैं, जिन्हें सरकारी खाते में जमा किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

बकाया मांग के आंकड़े में सुरक्षात्मक मांग को शामिल करना सही नहीं था, क्योंकि सुरक्षात्मक और मूल कर दोनों एक ही आय पर लगाए गए थे और बकाया मांग में दोनों करों को शामिल करने से बकाया मांग का आंकड़ा बढ़ जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे मामलों को शामिल करना, जहां स्रोत पर कर कटौती सरकारी खाते में जमा कर दी गई है, लेकिन कटौतीकर्ता को दावा किए गए टीडीएस का क्रेडिट मिलना बाकी है, उसे 'वसूली करने में कठिन मांग' या बकाया मांग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा 17:

सीबीडीटी 'वसूली करने में कठिन मांग' श्रेणी के अंतर्गत दर्शाए गए कारकों के वर्गीकरण की समीक्षा कर सकता है, ताकि सीएपी-1 प्रतिवेदन में केवल वास्तविक बकाया मांग ही दर्शाई जा सके। सुरक्षात्मक मांग और टीडीएस असंतुलन के मामलों को 'वसूली करने में कठिन मांग' के अंतर्गत शामिल करने से बकाया मांग की स्थिति की गलत तस्वीर सामने आती है।

7.3.7 सीएपी-1 में वर्गीकृत 'कोई अन्य कारण'

सभी प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण के अनुसार, सीएपी-1 विवरण में 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में दर्शाई गई कुल बकाया मांग और उसके कारणों की समीक्षा से पता चला है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 1,14,818.16 करोड़ की बकाया मांगों को 'कोई अन्य कारण' के तहत वर्गीकृत किया गया था।

आयकर विभाग उपरोक्त बकाया मांग को 'वसूली करने में कठिन मांग' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बता सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस श्रेणी के तहत बकाया मांग की मात्रा 2018 में ₹ 48,569.57 करोड़ से बढ़कर 2022 में ₹ 1,14,818.16 करोड़ हो गई है, और 'कोई अन्य कारण' के तहत सीएपी-1 में लंबित मांग का प्रतिशत पिछले वर्षों की तुलना में दोगुने से भी अधिक हो गया है। इन बकाया मांगों की वसूली की संभावनाएँ बहुत कम हैं, क्योंकि प्रभावी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि आरंभ में उन कारणों की पहचान की जाए जिनके कारण मांगें वसूल नहीं हो सकीं। विस्तृत आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकी, जिससे यह पता चल सके कि इस श्रेणी के अंतर्गत मांग लंबे समय तक बकाया क्यों रही।
मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

7.3.8 वसूली न की जा सकने वाली मांग को बट्टे खाते में डालना

सीबीडीटी द्वारा जारी आयकर विभाग की कार्यालय प्रक्रिया (समेकित) 2019 की नियमावली में कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने से संबंधित कानून के प्रावधान शामिल हैं। सीबीडीटी ने कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियों और मौद्रिक सीमाओं पर समय-समय पर निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए थे। कर बकाया को निम्न में से किसी भी एक प्रक्रिया द्वारा बट्टे खाते में डाला जा सकता है: (i) बट्टे खाते में डालने की नियमित प्रक्रिया (ii) तदर्थ प्रक्रिया और (iii) बट्टे खाते में डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया, जैसा कि **परिशिष्ट 3ए** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

कार्यालय प्रक्रिया (समेकित) 2019 की नियमावली के अनुसार, एमओपी वॉल्यूम-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 2.1 के अनुसार, प्रत्येक मामले में जो ₹ 1,000 से अधिक नहीं हो, ऐसी छोटी मांगों को एओ द्वारा बिना किसी और जांच के सरसरी तौर पर बट्टे खाते में डाला जा सकता है, यदि राशि पांच साल से अधिक समय से बकाया है और राशि किसी भी चालू मामले से संबंधित नहीं है। पुनः ₹ 10,000 तक के कर बकाया को 'तदर्थ' प्रक्रिया के तहत बट्टे खाते में डाला जा सकता है, बशर्ते, वे प्रत्येक निर्धारिती के खिलाफ निर्धारण अभिलेख और निर्धारिती के विस्तृत पते की अनुपलब्धता के कारण उस निर्धारण वर्ष से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों से बकाया रहे हों, जिसके दौरान उन्हें बट्टे खाते में डालना जाना प्रस्तावित है।

262 इकाइयों से संबंधित 18,88,365 बकाया मांग मामलों में से (नमूनाबद्ध 279 इकाइयों में से, तीन क्षेत्रों की 17 इकाइयों में विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे), लेखापरीक्षा ने पाया कि संक्षिप्त और तदर्थ बट्टे खाते में डालने के लिए 8,43,190 उपयुक्त मामले थे और ऐसे मामलों की कुल बकाया राशि ₹ 267.84 करोड़ थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों का आयु-वार विश्लेषण किया और पाया कि 83 प्रतिशत मामले पाँच वर्ष से अधिक पुराने थे, जैसा कि नीचे तालिका 7.14 में दिखाया गया है:

तालिका 7.14: बड़े खाते में नहीं डाले गए बकाया मांग का आयु-वार विश्लेषण (₹ करोड़ में)						
वर्ग	सारांश बड़े खाते		तदर्थ बड़े खाते		कुल	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
3 से 5 वर्ष	लागू नहीं*	लागू नहीं*	92,900	32.12	92,900	32.12
5 से 10 वर्ष	1,92,968	68.15	2,80,457	97.44	4,73,425	165.59
10 वर्ष से अधिक	1,23,593	26.24	1,53,272	43.89	2,76,865	70.13
कुल	3,16,561	94.39	5,26,629	173.45	8,43,190	267.84

* 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित मांगें ही संक्षिप्त बड़े खाते में डालने के लिए पात्र होंगी।

इन मामलों को संक्षिप्त या तदर्थ बड़े खाते में डालने की प्रक्रिया के तहत बड़े खाते में डालने के लिए विचार नहीं किया गया था। मार्च 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 को समाप्त अवधि के लिए सीएपी-1 विवरण के अनुसार बकाया मांग 'बड़े खाते में डालने के लिए लंबित' पूरे भारत की (क्षेत्रवार) स्थिति नीचे तालिका 7.15 में दर्शाई गई है:

तालिका 7.15: सीएपी-1 विवरण के अनुसार 'बड़े खाते में डालने हेतु लंबित' कुल बकाया मांग का ब्यौरा (क्षेत्रवार) (₹ करोड़ में)						
क्रम सं.	क्षेत्र	मार्च में समाप्त वर्ष				
		2018	2019	2020	2021*	2022*
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	105.2	186	185.11	184.28	183.34
2	बैंगलुरु	25.7	24.61	24.72	24.07	23.69
3	भुवनेश्वर	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
4	बिहार और झारखंड	6.67	5.81	5.66	5.39	5.22
5	दिल्ली	150.04	154.37	166.86	131.14	130.35
6	गुजरात	217.57	217.06	187.21	187	186.65
7	गुवाहाटी	13.21	12.69	8.13	8.13	8
8	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	18.58	0	0	0	0
9	केरल	10.93	10.6	10.54	9.41	9.28
10	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	17.63	71.96	71.86	78.35	75.39
11	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	85.81	85.78	84.91	85.57	86.99
12	मुंबई	1,447.15	1,574.76	1,890.68	1,145.29	1928.18
13	नागपुर	7.31	3.25	1.84	1.77	1.68
14	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	39.55	27.19	21.62	लागू नहीं	लागू नहीं
15	पुणे	17.61	81.91	81.35	79.02	78.26
16	राजस्थान	20.05	20.29	20.26	20.25	19.93
17	तमिलनाडु	61.89	59	1,233.88	594.34	441.78
18	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	688.52	688.15	73.67	65.62	65.62
19	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	207.72	208.14	200.89	168.96	167.4
	कुल	3,141.31	3,431.74	4,269.36	2,788.76	3,411.93

स्रोत: सभी क्षेत्रों का सीएपी-1 विवरण

* उत्तर-पश्चिम क्षेत्र (चंडीगढ़) का डाटा शामिल नहीं किया गया क्योंकि सीएपी-1 विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

आयकर विभाग ने तीन स्तरीय संरचना (स्थानीय/क्षेत्रीय/ज़ोनल समितियाँ) बनाई¹¹⁰ थी और प्रत्येक प्राधिकरण के लिए विचार करने और बट्टे खाते में डालने की सिफारिश करने के लिए मौद्रिक सीमा तय की थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3बी** में विस्तृत है। इन समितियों के कामकाज का विवरण और इन समितियों द्वारा विचार किए गए मामलों की संख्या आयकर विभाग से मांगी गई थी। जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

16 क्षेत्रों के लिए सीएपी-II विवरण की लेखापरीक्षा में विभागीय समितियों यानी स्थानीय, क्षेत्रीय और जोनल समितियों द्वारा बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया में अक्षमताओं का पता चला। चार क्षेत्रों (प्रधान सीसीआईटी उत्तर पूर्व, भुवनेश्वर, भोपाल और लखनऊ) में, मार्च 2018 और मार्च 2020 को समाप्त निर्धारण वर्षों के बीच तीन समितियों में से किसी को भी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। इसके अलावा, मार्च 2018 से मार्च 2020 तक प्रधान सीसीआईटी बेंगलुरु क्षेत्र द्वारा क्षेत्रीय समिति को केवल एक प्रस्ताव दिया गया था। प्रधान सीसीआईटी राजस्थान क्षेत्र में, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए ₹ 18.20 करोड़ की मांग से जुड़े सात प्रस्ताव मार्च 2020 तक अस्वीकृत रहे। अन्य क्षेत्रों में भी प्रस्ताव लंबित थे। इसके अतिरिक्त सीएपी-II का प्रारूप दिये गये प्रस्तावों की संख्या और शामिल राशि दोनों को दर्शाता है, लेकिन 'प्राप्त अनुमोदन' की जानकारी के लिए वह राशि प्रदर्शित नहीं होती है जिसके लिये बट्टे खाते में डालने के लिये मंजूरी दी गई है, इस प्रकार पूरी जानकारी का अभाव है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने लंबे समय से लंबित उपयुक्त बकाया को बट्टे खाते में डालने की प्रभावी निगरानी नहीं की है, जिसके लिए इन समितियों के कामकाज की समीक्षा करने और उसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है (**परिशिष्ट 15**)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग ने उपयुक्त बकाया मांग मामलों को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, जो लंबे समय से लंबित हैं। इस विषय पर सीएजी की वर्ष 2011 की निष्पादन लेखा

¹¹⁰ निर्देश संख्या 14/2003 दिनांक 06 नवंबर 2003 को एफ. सं. 375/3/2002-आईटी(बी) दिनांक 18 नवंबर 2003 के साथ पढ़ा जाए

परीक्षा संख्या 23 में भी चर्चा की गई थी। आयकर विभाग इन समितियों की प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकता है और उन्हें मजबूत बना सकता है।

असंग्रहणीय मांगों की पहचान एवं निस्तारण के लिए कार्यालय प्रक्रिया 2019 की आयकर नियमावली में निर्धारित बड़े खाते में डालने की प्रक्रियाओं का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया।

अनुशंसा 18:

सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि:-

- (i) बड़े खाते में डालने के मामलों के संबंध में सीएपी-II विवरण के प्रारूप को पर्याप्त और सही जानकारी देने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।
- (ii) बड़े खाते में डाले गए मामलों के समय पर निपटान के संबंध में विभिन्न समितियों के गठन और उनके कामकाज की प्रभावी निगरानी की जाती है।
- (iii) बकाया मांगों की समय-समय पर समीक्षा करके अप्राप्य मांगों का आकलन किया जाता है और इन मांगों को बड़े खाते में डालने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जाती है। कम पैसे वाले मामलों को बड़े खाते में डालने को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे मामलों की संख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण कमी आएगी, भले ही पैसे के मामले में नहीं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (मई 2023) कि मौजूदा सीएपी-II कथन के अनुसार, प्रासंगिक जानकारी पर्याप्त रूप से प्राप्त की गई है। एओ द्वारा प्रस्तुत संभावित बड़े खाते में डालने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए बड़े खाते के लिए प्रस्तावित मांग की मात्रा के आधार पर विभिन्न समितियों के गठन का तंत्र पहले से ही मौजूद है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, मांग को बड़े खाते में डालने की समय-समय पर निगरानी के लिए एक तंत्र मौजूद है, जिसका विस्तृत विवरण टीआरओ मैनुअल में दिया गया है। इसके अलावा, टीआरओ मैनुअल में अधिसूचित मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, स्थानीय/क्षेत्रीय समितियों का गठन बकाया मांग की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

मंत्रालय का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सीएपी-11 विवरण में प्रारंभिक शेष राशि और समिति द्वारा बड़े खाते में डालने के लिए स्वीकृत राशि शामिल नहीं है। इसके अलावा, कई क्षेत्रों में, चयनित वर्षों में समिति को बड़े खाते में डालने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। उपयुक्त मामलों को समय पर बड़े खाते में डालने से बकाया मांग में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। आयकर विभाग समितियों के कामकाज की प्रभावशीलता की समीक्षा और विचार कर सकता है।

7.4 निर्विवाद मांग की वसूली न होना

लेखापरीक्षा ने मार्च 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 को समाप्त अवधि के लिए सभी क्षेत्रों के सीएपी-11 विवरण के अनुसार 'निर्विवाद मांग' का आयु-वार विवरण संक्षेप में प्रस्तुत किया। विवरण परिशिष्ट 16 में संलग्न हैं। मार्च 2022 को पूरे हुए / समाप्त वर्ष का विश्लेषण नीचे तालिका 7.16 में दिखाया गया है:

तालिका 7.16: मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 'मांग विवाद के अंतर्गत नहीं है' का आयु-वार विश्लेषण (क्षेत्रवार) (₹ करोड़ में)							
क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए					कुल निर्विवाद मांग में प्रतिशत आयु
		> 1 वर्ष और <= 2 वर्ष	>2 वर्ष और <= 5 वर्ष	> 5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल	
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	12,799.96	3,843.30	1,180.95	186.4	18,010.61	5.42
2	बेंगलुरु	10,643.96	3,485.52	391.26	44.99	14,565.73	4.38
3	भुवनेश्वर	2,235.46	331.81	39.07	3.56	2,609.90	0.79
4	बिहार और झारखंड	2,760.98	2,379.14	317.34	104.3	5,561.76	1.67
5	दिल्ली	40,604.90	51,153.64	925.18	5,850.92	98,534.64	29.66
6	गुजरात	21,838.58	10,460.19	884.9	253.8	33,437.47	10.06
7	केरल	1,115.88	724.74	224.95	20.08	2,085.65	0.63
8	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	7,643.59	1,526.32	180.9	44.78	9,395.59	2.83
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	4,680.03	1,558.19	597.92	81.93	6,918.07	2.08
10	मुंबई	33,460.97	14,824.88	1,046.92	196.4	49,529.17	14.91
11	नागपुर	1,407.77	358.95	323.36	9.42	2,099.50	0.63

तालिका 7.16: मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 'मांग विवाद के अंतर्गत नहीं है' का आयु-वार विश्लेषण (क्षेत्रवार) (₹ करोड़ में)							
12	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	529.74	352.72	45.9	10.02	938.38	0.28
13	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
14	प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)	4,961.36	4,932.53	194.36	13.16	10,101.41	3.04
15	पुणे	6,063.30	3,667.25	355.95	157.29	10,243.79	3.08
16	राजस्थान	1,922.31	748.15	83.23	7.78	2,761.47	0.83
17	तमिलनाडु	13,665.30	5,962.99	347.72	52.91	20,028.92	6.03
18	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	8,782.75	2,869.65	685.57	85.39	12,423.36	3.74
19	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	19,159.97	13,276.43	494.79	62.55	32,993.74	9.93
	कुल	1,94,276.81	1,22,456.40	8,320.27	7,185.68	3,32,239.16	-
स्रोत: मार्च 2022 की अवधि के लिए सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का कॉलम 12 (एनडब्ल्यूआर को छोड़कर)							

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पूरे भारत के स्तर पर ₹ 3,32,239.16 करोड़ की बकाया मांग को आयकर विभाग ने मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए 'मांग विवाद के अंतर्गत नहीं है' के रूप में वर्गीकृत किया है। इस मांग में से 50 प्रतिशत से अधिक मांग, जो ₹ 1.38 लाख करोड़ है, दो वर्षों से अधिक समय से अप्राप्त थी। अकेले दिल्ली क्षेत्र (₹ 98,534.00 करोड़) में 31/03/2022 तक लंबित कुल अविवादित मांगों का 30 प्रतिशत हिस्सा था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

7.5 संक्षिप्त निर्धारण¹¹¹ के अंतर्गत उठाई गई मांग

निर्धारिती द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद, अधिनियम की धारा 143(1) के प्रावधानों के अनुसार (वर्ष 2010 से) रिटर्न को सीपीसी-आईटीआर, बंगलुरु द्वारा संसाधित किया जाता है। इसे आयकर विभाग द्वारा संक्षिप्त निर्धारण भी कहा जाता है।

¹¹¹ ऐसे आकलन जहां आइटीआर की अंकगणितीय सटीकता, आंतरिक संगति आदि के लिए जाँच की जाती है। इसके अलावा, फॉर्म 26एएस या फॉर्म 16ए या फॉर्म 16 में दिखाई देने वाली आय को भी जोड़ा जाता है, जिसे रिटर्न में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया आइटीआर में उपलब्ध डेटा के साथ होती है और निर्धारिती से रिकॉर्ड और जानकारी मांगे बिना होती है। यह प्रकृति में गैर-हस्तक्षेपकारी है। प्रसंस्करण के बाद, यदि निर्धारिती से कोई मांग बकाया है, तो उसे डिमांड नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

अधिनियम में यह प्रावधान है कि जहां कोई राशि संक्षिप्त निर्धारण के आधार पर निर्धारित द्वाारा देय निर्धारित की जाती है, धारा 143(1) के तहत जारी सूचना को अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग की सूचना के रूप में माना जाएगा। इसलिए, यदि मामले को संवीक्षा निर्धारण के लिए नहीं चुना जाता है या किसी कारण से फिर से नहीं खोला जाता है, तो संक्षिप्त निर्धारण के आधार पर उठाई गई मांग या जारी किया गया प्रतिदाय अंतिम होता है। क्षेत्राधिकार वाले एओ को अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत उठाई गई मांग की तरह संक्षिप्त निर्धारण में उठाई गई मांग के संग्रहण के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जेएओ को सभी प्रकार की बकाया मांगों के संग्रह के लिए एक ही प्रक्रिया का उपयोग करना होता है। इसलिए, संक्षिप्त निर्धारण¹¹² (सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु द्वारा उठाए गए) से उत्पन्न मांगों को भी संबंधित जेएओ द्वारा आगे बढ़ाया/एकत्र किया जाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि संक्षिप्त निर्धारण के संबंध में बकाया मांग जेएओ द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है और ऐसे मामलों को जेएओ द्वारा मांग वसूली के सभी तरीकों का इस्तेमाल पूरा करने के बाद सम्पत्ति की कुर्की आदि जैसे आगे की कार्रवाई के लिए टीआरओ को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 279 चयनित निर्धारण इकाइयों से एकत्रित बकाया मांग के विवरण से, लेखापरीक्षा ने मांगों के आयु-वार मामलों को निकाला, जो संक्षिप्त निर्धारण के तहत सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु द्वारा उठाए गए थे, जैसा कि नीचे तालिका 7.17 में विस्तृत है:

¹¹² अधिनियम की धारा 143(1) के तहत मामले पर कार्रवाई करना

तालिका 7.17: 31 मार्च 2020 तक संक्षिप्त निर्धारण के तहत सीपीसी द्वारा उठाई गई कुल मांग और वसूली के लिए लंबित का आयु-वार चित्रण (₹ करोड़ में)											
क्र. सं.	क्षेत्र	तीन वर्ष से कम		तीन से पांच वर्ष के बीच		पांच वर्ष से अधिक		कुल		प्रतिशतता	
		मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि	मामलों की संख्या	बकाया राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	33,280	2,280	16,020	123	1,10,737	1,491	1,60,037	3,894	10.5	6.7
2	बैंगलुरु	51,586	5,918	23,558	447	1,62,142	3,183	2,37,286	9,548	15.6	16.3
3	भुवनेश्वर	11,359	580	5,400	53	45,188	123	61,947	757	4.1	1.3
4	बिहार और झारखंड	31,964	337	18,465	86	1,24,728	296	1,75,157	719	11.5	1.2
5	दिल्ली	15,098	9,313	3,384	271	23,936	1,457	42,418	11,041	2.8	18.9
6	गुजरात	28,201	2,686	12,940	222	60,378	189	1,01,519	3,097	6.7	5.3
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	1,247	156	2,439	372	3,201	517	6,887	1,046	0.5	1.8
8	केरल	8,261	88	4,060	55	23,499	74	35,820	217	2.3	0.4
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	36,115	226	16,210	27	60,162	132	1,12,487	384	7.4	0.7
10	मुंबई	20,244	1,950	9,325	62	49,964	11,665	79,533	13,677	5.2	23.4
11	उत्तर पूर्व क्षेत्र	18,077	100	9,565	19	71,057	133	98,699	252	6.5	0.4
12	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	7,072	715	3,006	118	11,443	37	21,521	869	1.4	1.5
13	राजस्थान	18,500	90	6,772	11	49,899	64	75,171	165	4.9	0.3
14	तमिलनाडु	15,312	1,850	6,519	152	56,465	741	78,296	2,743	5.1	4.7
15	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	22,292	139	8,661	43	37,437	91	68,390	272	4.5	0.5
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	15,008	151	7,221	13	23,071	41	45,300	204	3.0	0.3
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	23,744	8,997	12,186	80	89,237	562	1,25,167	9,640	8.2	16.5
	कुल	3,57,360	35,574	1,65,731	2,155	10,02,544	20,796	15,25,635	58,525		

स्रोत: ई-फाइलिंग पोर्टल डेटा।

उपरोक्त तालिका से, लेखापरीक्षा ने पाया कि संक्षिप्त निर्धारण के 15.26 लाख मामलों के संबंध में बकाया मांग, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 58,525 करोड़ थी, जो नवंबर 2020 तक लंबित थी। इसमें से ₹ 20,796 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि संक्षिप्त निर्धारण से पूरे भारत में कुल बकाया राशि ₹ 58,525 करोड़ में से अकेले मुंबई क्षेत्र का हिस्सा 23.37 प्रतिशत (₹ 13,677 करोड़) था। बैंगलुरु क्षेत्र में सबसे अधिक 2,37,286 मामले थे, जो पूरे भारत के स्तर पर 15.26 लाख मामलों का 15.60 प्रतिशत था।

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सीबीडीटी प्रत्येक वर्ष बकाया मांगों के संग्रह/कमी के लिए 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करता रहा है, तथापि संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत लंबित मांगों के संबंध में आयकर विभाग इस श्रेणी की बकाया मांगों को कम करने के लिए कोई प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं कर रहा है।

इसके अलावा, 164 निर्धारण इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने उन निर्धारितों के अनन्य मामलों का चयन किया जिनके लिए अकेले संक्षिप्त निर्धारण के तहत उठाई गई मांगें 31 मार्च 2020 तक लंबित थीं। चयनित मामलों में से, लेखापरीक्षा ने मांगों के 1,715 मामलों की स्थिति (अगस्त 2022) की नमूना जांच की और इन मामलों का विवरण नीचे तालिका 7.18 में दिया गया है:

तालिका 7.18: अगस्त 2022 तक संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत लंबित मांगों की स्थिति (क्षेत्रवार)												
											(₹ करोड़ में)	
क्र. सं.	क्षेत्र	नमूना जांची गई निर्धारण इकाइयों की संख्या	जांचे गए निर्धारितियों की संख्या		जांच/सुधार/आंशिक भुगतान आदि के कारण मांगों में संशोधन		143(1) मांग बकाया रही		टीआरओ को हस्तांतरित किए गए मामले		टीआरओ को हस्तांतरित न किए गए संक्षिप्त मामलों का प्रतिशत	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या/सं. का प्रतिशत	राशि का प्रतिशत
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	28	234	495.44	43	400.89	191	94.55	2	0.12	189/ (99.0)	99.9
2	बिहार और झारखंड	12	66	34.45	19	19.82	47	14.64			47/ (100.0)	100.0
3	दिल्ली	6	97	561.30	19	385.70	78	175.59	1	1.52	77/ (98.7)	99.1
4	गुजरात	5	9	6.19	2	1.07	7	5.12			7/ (100.0)	100.0
5	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	8	64	83.32	14	30.70	50	52.62			50/ (100.0)	100.0
6	बैंगलुरु	3	46	7.92	5	3.76	41	4.16			41/ (100.0)	100.0
7	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	9	181	156.83	24	3.06	157	153.77			157/ (100.0)	100.0
8	मुंबई	13	146	2,040.55	41	818.05	105	1,222.50	3	1171.54	102/ (97.1)	4.2
9	उत्तर पूर्व क्षेत्र	4	7	5.16	2	1.45	5	3.71			5/ (100.0)	100.0
10	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	11	163	1,093.42	44	808.53	119	284.89			119/ (100.0)	100.0
11	भुवनेश्वर	9	187	434.01	60	369.32	127	64.69			127/ (100.0)	100.0
12	राजस्थान	6	20	151.85	13	151.28	7	0.57			7/ (100.0)	100.0
13	तमिलनाडु	14	142	64.30	17	25.91	125	38.40	1	27.82	124/ (99.2)	27.6
14	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	3	30	7.50	9	5.04	21	2.46			21/ (100.0)	100.0
15	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	3	24	94.57	3	5.08	21	89.49			21/ (100.0)	100.0
16	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	22	238	8,247.33	46	8,219.09	192	28.24			192/ (100.0)	100.0
17	केरल	8	61	29.29	9	3.89	52	25.39			52/ (100.0)	100.0
	कुल	164	1715	13,513.43	370	11,252.64	1345	2,260.79	7	1,201	1,338/ (99.5)	46.9

स्रोत: आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकीय विवरण

उपरोक्त तालिका के अनुसार, संक्षिप्त निर्धारण के तहत उठाई गई मांगों के अंतर्गत 1,715 मामलों में से, जिनकी बकाया मांग अगस्त 2022 तक ₹ 13,513.43 करोड़ थी, 1,345 मामले (₹ 2,260.79 करोड़ की बकाया मांग) लंबित रहे। शेष 370 मामलों (₹ 11,252.64 करोड़ की बकाया मांग) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मामलों को बाद में या तो संवीक्षा निर्धारण या सुधार के लिए चुना गया था, जिसके परिणामस्वरूप मांगों की राशि में परिवर्तन हुआ।

ऊपर उल्लिखित 1,345 मामलों के संबंध में, इन मांगों को वसूलने के लिए एओ द्वारा की गई कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि चूंकि किसी भी अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित संक्षिप्त निर्धारण मामलों का विवरण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था, इसलिए मांगें 'संग्रहणीय' प्रकृति की थीं।

1,345 लंबित संक्षिप्त मामलों में से केवल सात उच्च मूल्य के मामले (बकाया मांग ₹ 1,201 करोड़) निर्धारिती की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से बकाया राशि वसूलने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु टीआरओ को हस्तांतरित किए गए और 1,338 मामले (बकाया मांग ₹ 1,059.79 करोड़) टीआरओ को हस्तांतरित नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एओ के पास लंबित 1,338 मामलों में से 533 मामले (₹ 235 करोड़ की बकाया मांग) और टीआरओ के पास लंबित सात मामलों में से छह (₹ 1,197 करोड़ की बकाया मांग) दस साल से ज़्यादा पुराने थे। ये मांगें (अगस्त 2022) तक लंबित थीं। लेखापरीक्षा में आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं लगाया जा सका।

इस संबंध में, गुजरात क्षेत्र के एओ ने कहा (फरवरी 2024) कि संक्षिप्त निर्धारण मामलों के संबंध में बकाया मांग के संग्रह के लिए कोई विशिष्ट एसओपी नहीं है।

सीपीसी-आईटीआर, बेंगलुरु द्वारा संक्षिप्त निर्धारण किया जाता है और उठाई गई मांगों को वसूली के लिए संबंधित एओ के पोर्टल में दर्शाया जाता है। हालांकि, संक्षिप्त आकलन के तहत उठाई गई मांगों को वसूलने के लिए आयकर विभाग द्वारा टीआरओ को हस्तांतरण जैसी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी होने पर, सीपीसी-आईटीआर बेंगलुरु द्वारा निर्धारिती को मांग सूचना नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद, निर्धारिती को कोई आवधिक अनुस्मारक जारी नहीं किया गया, जबकि मांग लंबे समय से लंबित थी। इसे देखते हुए, यह संदेहास्पद था कि क्या निर्धारिती को उनकी लंबित बकाया मांग के बारे में पता था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

अनुशंसा 19:

सीबीडीटी कर सकता है

- (i) संक्षिप्त निर्धारण के तहत बकाया मांगों की वसूली को प्राथमिकता दे, क्योंकि वे किसी अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित नहीं हैं, तथा वसूली योग्य हैं।
- (ii) निर्धारिती को उनकी बकाया मांगों की याद दिलाने के लिए समय-समय पर चेतावनी जारी करे और निर्धारण आदेश की सूचना जारी करते समय, यदि कोई हो तो पिछले वर्षों की लंबित मांगों का भी उल्लेख किया जाए।
- (iii) क्षेत्राधिकार वाले एओ द्वारा अनुपालन की निगरानी, विशेष रूप से जब अधिनियम की धारा 143(1) के तहत मांगों को संक्षेप में उठाया जाता है, प्रभावी होना चाहिए, और ऐसे मामलों को यदि आवश्यक हो तो जेएओ द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों में उपलब्ध सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद टीआरओ को भेजा जाए।

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा (जून 2023) कि मांग, चाहे संक्षिप्त निर्धारण से उत्पन्न हो या अन्यथा, मासिक सीएपी-। विवरण में प्रतिवेदन की गई 'निवल संग्रहणीय मांग' के अंतर्गत आने वाली मांग के आधार पर वसूल/संग्रहित की जाती है। निवल संग्रहणीय मांग के संग्रह के लिए लक्ष्य हर साल की केंद्रीय कार्रवाई योजना में निर्धारित किए जाते हैं और सभी स्तरों पर पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, संक्षिप्त निर्धारण या अन्य कारण उठाई गई मांग के बीच वसूली/संग्रह प्रक्रिया के संबंध में कोई अंतर नहीं किया जाता है।

उपरोक्त (iii) के जवाब में, मंत्रालय ने कहा (मई 2023) कि आयकर अधिनियम, 1961 और सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार जेएओ/टीआरओ को बकाया मांग की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। उनके कार्यों की उच्च अधिकारियों द्वारा विधिवत निगरानी की जाती है।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर (जून 2023) मान्य नहीं है क्योंकि एओ 143(1) और 220(2) के कारण उठाई गई मांग को सीएपी प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। मंत्रालय प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा कर सकता है और बकाया मांग की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के अपने निर्देशों को दोहराने पर विचार कर सकता है।

नई दिल्ली

दिनांक : 16 नवंबर 2024



(मोनिका वर्मा)

महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 18 नवंबर 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

I. निर्धारण अधिकारी की शक्तियां एवं कार्य¹¹³ - (संदर्भ: पैरा 1.3)

क्रम सं.	निर्धारण अधिकारी की शक्तियां और कार्य ¹¹⁴
1	<p>निर्धारण अधिकारी के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं:</p> <p>(क) एएसटी मॉड्यूल पर रिटर्न का प्रसंस्करण सुनिश्चित करना।</p> <p>(ख) जहां भी आवश्यक हो, पैन आवंटित करना।</p> <p>(ग) आईआरएलए को क्रियाशील बनाना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी मांगें इस प्रणाली में दर्ज की जाएं।</p> <p>(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रणाली द्वारा निर्धारित सभी सॉफ्टवेयर पैकेज प्रचालनशील हों।</p> <p>(ङ) यह सुनिश्चित करना कि सभी निर्धारित शिकायतों का समय पर निपटारा हो तथा उनका समयबद्ध तरीके से निवारण हो।</p> <p>(च) मांगों का समय पर संग्रह और प्रतिदाय जारी किया जाना सुनिश्चित करना।</p> <p>(छ) समय पर संवीक्षा के लिए मामलों का चयन और उनका समय पर निपटान सुनिश्चित करना।</p> <p>(ज) क्षेत्र के सभी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना तथा उनका रखरखाव, प्रतिस्थापन और अद्यतन सुनिश्चित करना। कंप्यूटर सिस्टम के संचालन के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।</p> <p>(झ) कर आधार को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।</p> <p>(ण) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य।</p> <p>(ट) यह सुनिश्चित करना कि अपील प्रभाव दिए जा रहे हैं तथा केंद्रीय जांच प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत की जा रही है।</p> <p>(ठ) वैधानिक कार्य</p>

¹¹³ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(7ए) के अनुसार, "कर निर्धारण अधिकारी" का अर्थ सहायक आयुक्त या उप आयुक्त या आयकर अधिकारी है, जिसे धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत जारी निर्देशों या आदेशों के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, और अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त जिसे उस धारा की उपधारा (4) के खंड (बी) के तहत इस अधिनियम के तहत कर निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या सौंपे गए सभी या किसी भी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग या निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।

¹¹⁴ आयकर विभाग का कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (समेकित) 2019।

II. कर वसूली अधिकारी (टीआरओ)¹¹⁵ की शक्तियां और कार्य

क्रम सं.	टीआरओ ¹¹⁶ की शक्तियों का विवरण
1	<p>कर वसूली अधिकारी द्वारा अधिकार का प्रयोग</p> <p>टीआरओ का अधिकार अधिनियम की धारा 222 से 232, अधिनियम की अनुसूची II और III तथा आईटीसीपी नियमों¹¹⁷ से प्राप्त होता है; वे एक स्व-निहित संहिता का गठन करते हैं, जिसमें करों के संग्रहण और वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और चूककर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम के तहत लागू किए जाने वाले करों के बकाए की वसूली के विभिन्न तरीकों का निर्धारण किया गया है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, आयकर नियम, 1962 के नियम 117सी के अनुसार टीआरओ को अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार करने का अधिकार दिया गया है।</p>
2	<p>कर वसूली अधिकारी की भूमिका</p> <p>निर्धारण किए जाने और मांग नोटिस द्वारा मांग जारी किए जाने के पश्चात, विशेष रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के स्तर तक अपील का निर्णय होने तथा निर्धारित के विरुद्ध मांगें अभी भी लंबित होने के पश्चात, ऐसी मांगों की वसूली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है तथा क्योंकि निर्धारण अधिकारी पर निर्धारण आदेश पारित करने तथा बजट संग्रह के अन्य कार्ययोजना लक्ष्यों का पहले से ही बोझ है, इसलिए ऐसी कठिन मांगों की वसूली में टीआरओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत टीआरओ को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा टीआरओ के रूप में पदस्थ आयकर अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी शक्तियों का विवेकपूर्ण तथा उचित ढंग से प्रयोग करें, ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध निवारक प्रभाव उत्पन्न किया जा सके।</p>

¹¹⁵ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(44) के अनुसार, "कर वसूली अधिकारी" (टीआरओ) का तात्पर्य किसी भी आयकर अधिकारी से है, जिसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त द्वारा लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा टीआरओ की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है और ऐसी शक्ति और कार्य का प्रयोग या निष्पादन करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है, जो अधिनियम के तहत एक आकलन अधिकारी (जिसे आगे एओ के रूप में संदर्भित किया जाता है) को प्रदान किए जाते हैं या सौंपे जाते हैं और जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

¹¹⁶ आयकर नियम, 1962 के विभिन्न नियम, धाराएं और पैराग्राफ; आयकर अधिनियम, 1961 और कर वसूली अधिकारी मैनुअल 2014 और आयकर विभाग कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (समेकित) 2019।

¹¹⁷ आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962

क्रम सं.	टीआरओ ¹¹⁶ की शक्तियों का विवरण
3	<p>धारा 222: कर वसूली प्रमाणपत्र</p> <p>(1) जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूक करने वाला समझा जाता है, तो कर वसूली अधिकारी निर्धारित प्रपत्र 44 में अपने हस्ताक्षर से एक विवरण तैयार कर सकेगा जिसमें निर्धारिती से देय बकाया की रकम निर्दिष्ट की जाएगी (ऐसा विवरण इस अध्याय में और द्वितीय अनुसूची में इसके पश्चात "प्रमाणपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और ऐसे निर्धारिती से द्वितीय अनुसूची में अधिकथित नियमों के अनुसार नीचे वर्णित एक या अधिक तरीकों से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट रकम वसूल करने के लिए आगे बढ़ेगा-] (क) निर्धारिती की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री; (ख) निर्धारिती की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री; (ग) निर्धारिती की गिरफ्तारी और जेल में उसका निरुद्ध होना; (घ) निर्धारिती की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करना।</p> <p>(2) कर वसूली अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई कर सकेगा, भले ही बकाया की वसूली के लिए किसी अन्य तरीके से कार्यवाही की गई हो।</p>
4	<p>धारा 223: अधिकार क्षेत्र</p> <p>(1) कर वसूली अधिकारी धारा 222 के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा- (क) वह कर वसूली अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्धारिती अपना कारोबार या पेशा करता है या जिसके अधिकार क्षेत्र में उसके कारोबार या पेशे का मुख्य स्थान स्थित है, या (ख) वह कर वसूली अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्धारिती निवास करता है या निर्धारिती की कोई चल या अचल संपत्ति स्थित है, इस प्रयोजन के लिए अधिकार क्षेत्र वह होगा जो बोर्ड द्वारा या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अधीन कर वसूली अधिकारी को सौंपा गया है, जिसे धारा 120 के अनुसरण में बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है।</p> <p>(2) जहां किसी निर्धारिती के पास एक से अधिक कर वसूली अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में संपत्ति है और कर वसूली अधिकारी, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र तैयार किया गया है- (क) अपने अधिकार क्षेत्र में चल या अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा पूरी रकम वसूल करने में सक्षम नहीं है, या (ख) उसकी राय है कि इस अध्याय के अधीन पूरी रकम या उसके किसी भाग की वसूली में तेजी लाने या उसे सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह प्रमाणपत्र या जहां रकम का केवल एक भाग वसूल किया जाना है, वहां निर्धारित तरीके से प्रमाणित और वसूल की जाने वाली रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र की एक प्रति उस कर वसूली अधिकारी को भेज सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में निर्धारिती निवास करता है या उसके पास संपत्ति है और तब वह कर वसूली अधिकारी भी इस अध्याय के अधीन रकम वसूल करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़ेगा मानो प्रमाणपत्र या उसकी प्रति उसके द्वारा तैयार की गई हो।</p>

क्रम सं.	टीआरओ ¹¹⁶ की शक्तियों का विवरण
5	<p>धारा 224: टीआरओ की सामान्य शक्तियां</p> <p>कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाण-पत्र की सत्यता पर किसी भी आधार पर विवाद करना निर्धारिती के लिए खुला नहीं होगा, किन्तु कर वसूली अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि वह प्रमाण-पत्र को रद्द कर दे, यदि वह किसी कारणवश ऐसा करना आवश्यक समझे, या उसमें कोई लिपिकीय या अंकगणितीय गलती सुधारे।</p>
6	<p>धारा 225: प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाही पर रोक तथा उसका संशोधन या निरस्तीकरण</p> <p>(1) कर वसूली अधिकारी के लिए किसी कर के भुगतान के लिए समय देना वैध होगा और जब वह ऐसा करता है, तो वह ऐसे कर की वसूली के लिए कार्यवाही को इस प्रकार दिए गए समय की समाप्ति तक रोक देगा।</p> <p>(2) जहां कर की मांग को जन्म देने वाला आदेश, जिसके लिए प्रमाणपत्र तैयार किया गया है, इस अधिनियम के तहत अपील या अन्य कार्यवाही में उपांतरित किया जाता है, और, इसके परिणामस्वरूप, मांग कम हो जाती है, लेकिन आदेश इस अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही का विषय है, कर वसूली अधिकारी प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट राशि के ऐसे हिस्से की वसूली को रोक देगा जो उक्त कटौती से संबंधित है, उस अवधि के लिए जिसके लिए अपील या अन्य कार्यवाही लंबित रहती है।</p> <p>(3) जहां कोई प्रमाणपत्र तैयार किया गया है और तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी अपील या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप बकाया मांग की रकम कम हो जाती है, वहां कर वसूली अधिकारी, जब वह आदेश, जो ऐसी अपील या अन्य कार्यवाही का विषय था, अंतिम और निश्चयक हो गया है, प्रमाणपत्र को संशोधित करेगा या उसे रद्द करेगा, जैसा भी मामला हो।</p>
7	<p>धारा 226: वसूली के तरीके</p> <p>(1) जहां धारा 222 के अंतर्गत कोई प्रमाण-पत्र तैयार नहीं किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी इस धारा में दिए गए किसी एक या अधिक तरीकों से कर वसूल कर सकता है।</p> <p>(1ए) जहां धारा 222 के अधीन प्रमाणपत्र तैयार किया गया है, वहां कर वसूली प्राधिकरण, उस धारा में विनिर्दिष्ट वसूली के तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में उपबंधित किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा कर की वसूली कर सकेगा।</p> <p>(2) यदि कोई निर्धारिती "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य कोई आय प्राप्त करता है, तो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उसे भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से, ऐसे निर्धारिती से देय कर की किसी बकाया राशि को ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख के पश्चात् किसी भुगतान में से काटने की मांग कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करेगा तथा इस प्रकार काटी गई राशि को केंद्रीय सरकार के खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार जमा करेगा:</p>

क्रम सं.	टीआरओ ¹¹⁶ की शक्तियों का विवरण
	<p>परंतु वेतन का कोई भाग, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)55 की धारा 60 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त है, इस उपधारा के अंतर्गत की गई किसी अध्यपेक्षा से छूट प्राप्त होगा।</p> <p>(3) (i) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर लिखित नोटिस द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे निर्धारिती को धन मिलना है या मिलने वाला हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से जो निर्धारिती के लिए या उसके खाते में धन रखता है या बाद में रख सकता है, निर्धारिती अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को धन मिलने या मिलने पर तुरंत या नोटिस में निर्दिष्ट समय पर या उसके भीतर (धन मिलने या मिलने से पहले नहीं) उतना धन देने की अपेक्षा कर सकता है जो बकाया के संबंध में निर्धारिती द्वारा देय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो या पूरा धन जब वह उस राशि के बराबर या उससे कम हो। (ii) इस उप-धारा के तहत एक नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से निर्धारिती के लिए या उसके खाते में कोई धन रखता है या बाद में रख सकता है और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे खाते में संयुक्त धारकों के शेषों को, जब तक विपरीत साबित न हो जाए, बराबर माना जाएगा। (iii) नोटिस की एक प्रति निर्धारिती को उसके अंतिम पते पर, जो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जाएगी और संयुक्त खाते की स्थिति में सभी संयुक्त धारकों को उनके अंतिम पते पर, जो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को ज्ञात हो, भेजी जाएगी। (iv) इस उपधारा में अन्यथा प्रदान की गई बात के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन नोटिस जारी किया जाता है, ऐसे नोटिस का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेष रूप से, जहां ऐसा कोई नोटिस किसी डाकघर, बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता को जारी किया जाता है, वहां किसी भी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या इसी प्रकार के प्रयोजन के लिए भुगतान किए जाने से पहले कोई पासबुक, जमा रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, भले ही इसके विपरीत कोई नियम, प्रथा या आवश्यकता हो। (v) किसी संपत्ति के संबंध में, जिसके संबंध में इस उपधारा के अधीन नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाला कोई दावा, नोटिस में निहित किसी भी मांग के विरुद्ध शून्य होगा। (vi) जहां कोई व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन नोटिस भेजा जाता है, शपथ पर कथन द्वारा उस पर आपत्ति करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग निर्धारिती को देय नहीं है या वह निर्धारिती के लिए या उसके खाते में कोई धन नहीं रखता है, तो इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, कोई राशि या उसका भाग देने के लिए अपेक्षित करने वाली नहीं समझी जाएगी, किन्तु यदि</p>


क्रम सं.	टीआरओ ¹¹⁶ की शक्तियों का विवरण
	<p>यह पता चलता है कि ऐसा कथन किसी तात्विक विशेष में झूठा था, तो ऐसा व्यक्ति निर्धारण अधिकारी कर वसूली अधिकारी के प्रति नोटिस की तारीख को निर्धारिती के प्रति अपने दायित्व की सीमा तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के लिए निर्धारिती के दायित्व की सीमा तक, जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। (vii) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर इस उपधारा के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस को संशोधित या रद्द कर सकता है या ऐसे नोटिस के अनुसरण में कोई भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकता है। (viii) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी इस उपधारा के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुपालन में भुगतान की गई किसी राशि के लिए रसीद प्रदान करेगा और इस प्रकार भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान की गई राशि की सीमा तक निर्धारणकर्ता के प्रति अपने दायित्व से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। (ix) इस उपधारा के अधीन नोटिस प्राप्त होने के पश्चात निर्धारणकर्ता के प्रति किसी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्वहन किए गए निर्धारणकर्ता के प्रति अपने दायित्व की सीमा तक या इस अधिनियम के अधीन देय किसी राशि के लिए निर्धारणकर्ता के दायित्व की सीमा तक, जो भी कम हो, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। (x) यदि वह व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन नोटिस भेजा गया है, उसके अनुसरण में निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी को भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में चूककर्ता निर्धारिती माना जाएगा और रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध धारा 222 से 225 में उपबंधित रीति से आगे की कार्यवाही की जा सकेगी, मानो वह उससे देय कर का बकाया हो और नोटिस का वही प्रभाव होगा जो धारा 222 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर वसूली अधिकारी द्वारा किसी ऋण की कुर्की का होता है।</p> <p>(4) निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जिसकी अभिरक्षा में निर्धारिती का धन है, ताकि उसे उस धन की सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा सके, या यदि वह देय कर से अधिक है, तो कर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान किया जा सके।</p> <p>(5) यदि मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तो निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, तृतीय अनुसूची में निर्धारित तरीके से निर्धारणकर्ता से उसकी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा कर की बकाया राशि वसूल कर सकता है।</p>

क्रम सं.	टीआरओ ¹¹⁶ की शक्तियों का विवरण
8	कर वसूली अधिकारी के व्यापक-आधारित कार्य
	<p>कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) का अधिकार क्षेत्र तब शुरू होता है जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में चूक करता है या चूक करने वाला माना जाता है। कर वसूली अधिकारी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 222(1) के तहत निर्धारिती से बकाया राशि निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से एक विवरण तैयार कर सकता है। कर की वसूली की प्रक्रिया आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित की गई है।</p> <p>द्वितीय अनुसूची का नियम 4 कर के बकाया की वसूली के निम्नलिखित तरीके निर्धारित करता है:</p> <p>(क) निर्धारिती की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री।</p> <p>(ख) उसकी अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री।</p> <p>(ग) निर्धारिती की गिरफ्तारी और उसे जेल में नजरबंद करना।</p> <p>(घ) चूककर्ता की चल एवं अचल सम्पत्तियों के प्रबन्धन के लिए एक प्राप्तिकर्ता की नियुक्ति करना।</p> <p>कर वसूली अधिकारी को आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम (आईटीसीपी नियम), 1962 और आयकर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है। कर वसूली अधिकारी मुख्य रूप से कर के बकाए की वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी भी समय, कर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उच्च अधिकारी निर्धारिती को किसी निश्चित मांग के लिए किसी विशेष अवधि के लिए चूककर्ता नहीं मानता है, तो टीआरओ उस मांग के लिए उस विशेष अवधि के लिए अपनी वसूली कार्यवाही को रोकने के लिए बाध्य है। उसे निर्धारण अधिकारी के साथ संपर्क करना चाहिए ताकि चल और अचल संपत्ति का विवरण और मांग की सही स्थिति का पता लगाया जा सके।</p>

परिशिष्ट 2

(संदर्भ: पैरा 1.5)

आयकर विभाग में विद्यमान प्रणालियों के माध्यम से मांग/वापसी आदि के संबंध में सूचना का प्रवाह



उपरोक्त फ्लो चार्ट में उल्लिखित आईटी प्रणालियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सीपीसी-आईटीआर पोर्टल - यह धारा 143(1) के तहत रिटर्न की प्रोसेसिंग, धारा 154 के तहत सुधार करने, मांग नोटिस/रिफंड आदेश जारी करने में शामिल है। यह गणना और अन्य प्रक्रिया के लिए बैक एंड सीपीसी-एफएएस सिस्टम के साथ संपर्क (अंतःक्रिया) करता है और ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ भी संपर्क (अंतःक्रिया) करता है।

आईटीबीए - आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग, निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली फ्रंट एंड प्रणाली है, जिसका उपयोग निर्धारण अधिकारियों द्वारा निर्धारण आदेशों, सुधारों, पुनर्निर्धारण आदेशों, अपील संशोधनों से उत्पन्न मांग की गणना तैयार करने के लिए किया जाता है और यह सीपीसी-एफएएस के साथ संपर्क (अंतःक्रिया) करता है।

सीपीसी-एफएएस - यह बैक एंड सिस्टम के रूप में काम करता है और डेटा के प्रसंस्करण, मांग की गणना, प्रतिदाय के लिए सभी फ्रंट एंड सिस्टम अर्थात् सीपीसी-आईटीआर पोर्टल, आईटीबीए पोर्टल, ओएलटीएएस पोर्टल, एएसटी पोर्टल लीगेसी के संपर्क (अंतःक्रिया) करता है और फ्रंट एंड सिस्टम¹¹⁸ को आवश्यक डेटा भेजता है।

एएसटी - 'निर्धारण सूचना प्रणाली' आईटीबीए से पहले की विरासत प्रणाली है। पूर्ववर्ती एएसटी में पूर्ण किए गए निर्धारणों का संशोधन/सुधार वर्तमान में आईटीबीए में निर्धारण अधिकारियों द्वारा मैनुअली अपलोड किया जाता है।

ओएलटीएएस - ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम वह सिस्टम एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से कर, जुर्माना, ब्याज, प्रतिदाय आदि के भुगतान के लिए चालान विवरण का निपटान किया जाता है।

आई-टैक्सनेट - वह प्रतिवेदन प्रणाली है जिसके माध्यम से सीएपी-I और सीएपी-II प्रतिवेदन आंतरिक रूप से तैयार की जाती हैं और विनियोजित प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाती हैं।

¹¹⁸ यह उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित सूचना प्रणाली की सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने और उनका अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।

बीसीपी - व्यवसाय निरंतरता योजना आयकर विभाग का एक डेटा सेंटर है जो प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर सूचना के संदर्भ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए सूचना प्रणाली संचालन की बहाली सुनिश्चित करता है।

परिशिष्ट 3 ए

(संदर्भ: पैरा 7.3.8)

वसूली न की जा सकने वाली मांगों को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया

क्र. सं.	प्रक्रियाएँ
1.	<p>बट्टे खाते में डालने की नियमित प्रक्रिया केवल वही कर बकाया जो तीन वर्ष से अधिक पुराना है और "स्पष्ट रूप से वसूली योग्य नहीं" रह गया है, बट्टे खाते में डालने पर विचार किया जा सकता है। कर बकाया निम्नलिखित कारणों से वसूली योग्य नहीं हो सकता है: (क) निर्धारिती की मृत्यु हो गई है; (ख) निर्धारिती दिवालिया हो गया है; (ग) उसका पता नहीं चल रहा है; (घ) वह भारत छोड़ चुका है; (ङ) कंपनी का परिसमापन हो गया है; (च) फर्म विघटित हो गई है और उसका कारोबार बंद हो गया है; (छ) निर्धारिती के पास कुर्क करने योग्य कोई संपत्ति नहीं है; और (ज) जब चूककर्ता के सिविल कारावास की सहायता सहित अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्धारित नियमों के अनुसार वसूली के सभी तरीके समाप्त हो गए हैं और बकाया अभी भी बना हुआ है।</p> <p>किसी मामले को बट्टे खाते में डालने की संस्तुति करने से पहले, संबंधित प्राधिकरण को इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि मामले में वसूली के लिए पर्याप्त और समय पर कदम उठाए गए थे या नहीं। यदि अभिलेखों की जांच करने और पूछताछ करने के बाद, एओ संतुष्ट हो जाता है कि यह बट्टे खाते में डालने के लिए उपयुक्त मामला है, तो वसूली के लिए उठाए गए कदमों और बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता को उचित ठहराने वाला एक स्व-व्याख्यात्मक नोट तैयार किया जाना चाहिए। टीआरओ से वसूली न किए जाने का प्रमाण पत्र भी लिया जाना चाहिए। यदि बकाया राशि को एसीआईटी या आईटीओ के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा बट्टे खाते में डाला जाना है, तो फॉर्म बी (अनुलग्नक-1) को भरकर स्व-व्याख्यात्मक संक्षिप्त विवरण के साथ सीआईटी/अतिरिक्त सीआईटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>

क्र. सं.	प्रक्रियाएँ
2.	<p>बट्टे खाते में डालने के लिए तदर्थ प्रक्रिया आयकर विभाग नियमावली का कार्यालय प्रक्रिया (समेकित) 2019 के अध्याय-27 के पैरा 7 में बकाया मांगों को बट्टे खाते में डालने की तदर्थ प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के तहत, आयकर विभाग द्वारा ₹ 10,000 तक की राशि को बट्टे खाते में डाला जा सकता है, बशर्ते कि वे उस निर्धारण वर्ष से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक निर्धारिती के विरुद्ध कर अभिलेख और निर्धारिती के विस्तृत पते की अनुपलब्धता के कारण बकाया रहे हों, जिसके दौरान उन्हें बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव है।</p>
3.	<p>बट्टे खाते में डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया कर मांग बकाया की वसूली और बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया पर लोक लेखा समिति (पीएसी) की चिंताओं को सीएंडएजी की प्रतिवेदन संख्या 3 सीए 2016 के अध्याय 6 (कर मांग का बट्टे खाते में डालना) में उजागर किया गया था। लेखापरीक्षा ने सीबीडीटी को आयकर विभाग द्वारा एक निश्चित समयसीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी, जिसका टीआरओ और अन्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जाना था, ताकि कर बकाया की वसूली की संभावना तय करने और बट्टे खाते में डालने के मामलों का शीघ्र निपटान करने में अनिश्चितकालीन देरी से बचा जा सके।</p> <p>आयकर विभाग की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (समेकित) 2019 के अध्याय-27 के पैरा 8 के अनुसार संक्षिप्त प्रक्रिया बट्टे खाते में डालने के तहत प्रत्येक मामले में जो ₹ 1,000 से अधिक नहीं हो, उन छोटी मांगों को एओ द्वारा बिना किसी और जांच के सरसरी तौर पर बट्टे खाते में डाला जा सकता है, यदि राशि पांच साल से अधिक समय से बकाया है और राशि किसी भी जीवित मामले से संबंधित नहीं है।</p>

परिशिष्ट 3 बी

(संदर्भ: पैरा 2.2.5 एवं 7.3.8)

बड़े खाते में डालने के लिए मौद्रिक शक्तियां

समिति का नाम	संविधान	द्वारा अधिसूचित किया जाएगा	बड़े खाते में डालने का आदेश	बड़े खाते में डालने के लिए मौद्रिक सीमा
स्थानीय समिति	अतिरिक्त सीआईटी स्तर के 3 अधिकारी	सीसीआईटी	आईटीओ/टीआरओ	मांग अधिकतम ₹ 5,000/-
			डीसीआईटी/एसीआईटी	₹ 5,000/- से अधिक और अधिकतम ₹ 25,000/- तक की मांग
			एडिशनल सीआईटी/जेसीआईटी	₹ 25,000/- से अधिक और अधिकतम ₹ 1 लाख तक की मांग
उप-क्षेत्रीय या प्रादेशिक समिति	सीआईटी स्तर के 3 अधिकारी	केंद्र नियंत्रण सीसीआईटी (सीबीडीटी को सूचित करते हुए)	सीआईटी अगले उच्च प्राधिकारी को प्रतिवेदन करने के अधीन	₹ 1 लाख से अधिक और अधिकतम ₹ 10 लाख तक की मांग
क्षेत्रीय समिति	सीसीआईटी स्तर के 3 अधिकारी	सीबीडीटी	सीसीआईटी को प्रतिवेदन करने के अधीन अगला उच्च अधिकारी	₹ 10 लाख से अधिक और अधिकतम ₹ 25 लाख तक की मांग
			सीसीआईटी द्वारा पूर्ण सीबीडीटी की मंजूरी के साथ	₹ 25 लाख से अधिक और अधिकतम ₹ 50 लाख तक की मांग
			पूर्ण सीबीडीटी और वित्त मंत्री की मंजूरी से सीसीआईटी	₹ 50 लाख से अधिक की मांग की मांग

स्रोत: आयकर विभाग की कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल 2019 (समेकित)

परिशिष्ट 4

इकाइयों और मामलों के चयन के लिए लेखापरीक्षा मानदंड (संदर्भ पैरा 3.4)

स्तर-1: इकाइयों का चयन	मानदंड
श्रेणी ए राज्यों के लिए (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित इकाइयां)	
सर्किल	एओ वार समेकित आंकड़ों के अनुसार कुल खुली मांग के आधार पर शीर्ष 16 सर्किल और नीचे से 04 सर्किल
वार्ड	एओ वार समेकित आंकड़ों के अनुसार कुल खुली मांग के आधार पर शीर्ष 08 वार्ड और नीचे से 02 वार्ड
श्रेणी बी राज्यों के लिए (कोच्चि, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इलाहाबाद, पटना, रांची, ग्वालियर, रायपुर और जयपुर में स्थित इकाइयां)	
सर्किल	इकाइयों की वास्तविक संख्या अधिकतम 10 इकाइयाँ (खुली मांग के अनुसार कुल चयनित इकाइयों में से शीर्ष और निचली इकाइयों का प्रतिशत क्रमशः 80% और 20%)
वार्ड	05 वार्ड (कुल चयनित इकाइयों में से शीर्ष और निचली इकाइयों का प्रतिशत, खुली मांग के अनुसार क्रमशः 80% और 20%)
स्तर-2 (i): जांच के लिए मामलों का चयन - 31 मार्च 2020 तक बकाया मांग लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि तक वसूली लंबित	
प्रतिशतता	
बकाया राशि की मांग ₹10 करोड़ से अधिक	100%
₹1 करोड़ से ₹10 करोड़ के बीच बकाया मांग	10% अधिकतम 50 मामलों और न्यूनतम 20 मामलों तक सीमित
₹1 करोड़ से कम बकाया मांग	5% अधिकतम 25 मामलों और न्यूनतम 10 मामलों तक सीमित
स्तर-2 (ii): जांच के लिए मामलों का चयन - संग्रह या बाद के आदेश के कारण 01-अप्रैल-2020 से बंद या रद्द की गई बकाया मांग	
प्रतिशतता	
मूल मांग राशि ₹1 करोड़ से अधिक	100%
मूल मांग राशि ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बीच	10% अधिकतम 20 मामलों और न्यूनतम 10 मामलों तक सीमित
₹10 लाख से कम बकाया मांग	5% अधिकतम 10 मामलों और न्यूनतम 05 मामलों तक सीमित
टिप्पणी: विभिन्न स्तरों में मामलों (अद्वितीय निर्धारिती और निर्धारण वर्ष का संयोजन) के चयन के लिए ऊपर निर्दिष्ट प्रतिशत (5% या 10%) को लागू करते समय, एक विशेष स्तर में अभिलेखों की संपूर्ण जनसंख्या पर सरल यादृच्छिक नमूना नियोजित किया गया था।	

परिशिष्ट 5

(संदर्भ: पैरा 3.4)

नमूनाकरण के लिए चयनित इकाइयों की क्षेत्रवार कुल संख्या

क्रम. सं.	क्षेत्र	चयनित निर्धारण इकाइयों की संख्या	चयनित टीआरओ इकाइयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	29	5
2	बैंगलुरु	21	5
3	भुवनेश्वर	10	1
4	बिहार और झारखंड	15	4
5	गुजरात	23	4
6	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	21	9
7	केरल	9	3
8	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	4	1
9	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	9	2
10	मुंबई	27	11
11	दिल्ली	23	6
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	5	1
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	8	2
14	राजस्थान	14	4
15	तमिलनाडु	28	7
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	3	1
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	30	8
	कुल	279	74

परिशिष्ट 6

(संदर्भ: पैरा 3.5)

उच्च मूल्य के मामलों में अभिलेख प्रस्तुत न करना

क्रम. सं.	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों की सूची
1	मेसर्स एम1 लिमिटेड.	1994-95 से 2015-16	सभी 8 मामलों के संबंध में निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, क्योंकि कहा गया कि पुनर्गठन के बाद भौतिक अभिलेख हस्तांतरित नहीं किए गए थे।
2	मेसर्स वी1 लिमिटेड.	2010-11 और 2011-12	आग से दुर्घटना में कई रिकार्ड नष्ट हो जाने का हवाला दे कर निर्धारण फाइलें/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए गए।
3	मेसर्स एच1 लिमिटेड	2011-12 और 2012-13	आग दुर्घटना में कई रिकार्ड नष्ट हो जाने का हवाला दे कर निर्धारण फाइलें/रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए गए।

परिशिष्ट 7

(संदर्भ: पैरा 3.5)

मार्च 2023 तक आयकर विभाग द्वारा अभिलेख/विवरण प्रस्तुत न करने का विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र	निर्धारण अभिलेख			सांख्यिकीय जानकारी अनुलग्नक देखें			लेखापरीक्षा जापन/टिप्पणियाँ		
		मांग	प्राप्त	प्रस्तुत नहीं की गई	मांग	प्राप्त	प्रस्तुत नहीं की गई	जारी किए गए	उत्तर प्राप्त हुआ	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	1,573	960	613	34	14	20	79	35	44
2	बैंगलुरु	1,515	1,038	477	49	0	49	300	1	299
3	भुवनेश्वर	646	433	213	17	2	15	19	3	16
4	बिहार और झारखंड	487	437	50	54	19	35	143	३१	112
5	दिल्ली	3,008	740	2,268	63	20	43	36	0	36
6	गुजरात	1,640	1,404	236	35	16	19	225	97	128
7	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	698	377	321	23	17	6	64	17	47
8	केरल	362	155	207	44	24	20	63	12	51
9	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	103	99	4	14	0	14	19	4	15
10	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	575	501	74	38	9	29	62	6	56
11	मुंबई	2,218	1,410	808	46	20	26	214	5	209
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	237	220	17	16	3	१३	63	6	57
13	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	513	510	3	24	11	१३	269	2	267
14	राजस्थान	662	575	87	43	29	14	201	130	71
15	तमिलनाडु	1,347	671	676	58	11	47	204	32	172
16	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	88	78	10	20	1	19	20	6	14
17	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	3,198	1,288	1,910	75	22	53	175	23	152
कुल		18,870	10,896	7,974	653	218	435	2,156	410	1,746

परिशिष्ट 8

(संदर्भ पैरा 5.3.3)

अभिरक्षक को बताए गए आंकड़ों, आईटीबीए के अनुसार बकाया मांग और ई-फाइलिंग प्रणाली के अनुसार मांग में विसंगति

(₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार मांग	अभिरक्षक को भेजी गई बकाया मांग का ब्यौरा (220(2) ब्याज सहित) (नवंबर 2021)	31 मार्च 2020 तक आईटीबीए (रिकवरी विश्लेषण विवरण) के अनुसार मांग
1988-89	3.89	3.89	3.89
1989-90	9.14	31.69	9.14
1990-91	127.23	0	127.23
ब्लॉक	0	190.62	अभिलेखों में उल्लेखित नहीं
1991-92	897.75	3,249.53	897.75
1992-93	6,826.13	0	7,442.51
1992-93	6,357.12	0	6,357.12
1992-93	6,100.36	0	6,100.36
1993-94	4,369.17	0	4,369.17
1993-94	3,307.39	0	3,307.39
1994-95	20.32	75.82	20.32
1995-96	58.37	111.49	58.37
1996-97	10.56	35.03	10.56
1997-98	7.28	13.9	7.28
1998-99	2.61	7.91	2.61
1999-00	49.46	149.86	49.46
2000-01	15.88	46.2	15.88
2001-02	39.42	114.72	39.42
2002-03	97.74	9,469.23	97.74
2003-04	412.41	35.61	412.41
2004-05	0	0.65	0
2005-06	0	20.27	0
2006-07	11.59	0	11.59
2006-07	11.24	12.78	11.24
2007-08	10.46	22.89	10.46

निर्धारण वर्ष	31 मार्च 2020 तक ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार मांग	अभिरक्षक को भेजी गई बकाया मांग का ब्यौरा (220(2) ब्याज सहित) (नवंबर 2021)	31 मार्च 2020 तक आईटीबीए (रिकवरी विश्लेषण विवरण) के अनुसार मांग
2008-09	10.9	10.89	10.9
2009-10	33.89	39	33.89
2010-11	0	21.03	0
2011-12	0	16.98	0
2012-13	0	4.68	0
2013-14	0	4.61	0
2018-19	1.07	0	0
कुल	28,791.38	13,868.76	29,407.76
स्रोत- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग और आईटीबीए पोर्टल			

परिशिष्ट 9

(पैरा. संदर्भ 6.3.1)

टीआरसी जारी और निपटान

क्षेत्र	टीआरओ चार्ज का नाम	वर्ष	लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या/ संग्रह (प्रारंभिक शेष)	वर्ष के दौरान जारी किए गए कर वसूली प्रमाण पत्र	वर्ष के दौरान की गई निपटान	अन्य न्यायिक टीआरओ से प्राप्त कर वसूली प्रमाण पत्र	कर वसूली प्रमाणपत्र अन्य न्यायिक टीआरओ को हस्तांतरित किए गए	बड़े खाते में डाली गई मांग, यदि हो	* लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या (समापन शेष)	प्रतिशत निपटान	क्या 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ?
दिल्ली	टीआरओ, प्र. सीआईटी -7	2017-18	24	1	0	3	0	0	28	0	
		2018-19	28	1	4	1	0	0	26	14.29	
		2019-20	50	28	31	2	0	0	49	62	हासिल
	टीआरओ, प्र. सीआईटी -1	2017-18	250	2	28	2	0	0	226	11.2	
		2018-19	224	0	10	0	0	0	214	4.46	
		2019-20	214	4	24	4	0	0	198	11.21	
	टीआरओ, प्र. सीआईटी -20	2017-18	35	12	6	0	0	0	41	17.14	
		2018-19	41	5	0	1	0	0	47	0	
		2019-20	46	36	5	57	5	0	129	10.87	
	टीआरओ, सीआईटी (केंद्रीय)-01	2017-18	65	69	27	0	14	0	93	41.54	
		2018-19	93	16	27	1	1	0	82	29.03	हासिल
		2019-20	81	40	13	8	8	0	108	16.05	
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	टीआरओ-ग्वालियर	2017-18	210	8	0	0	0	0	218	0	
		2018-19	218	0	140	2	0	0	80	64.22	हासिल
		2019-20	80	0	9	0	0	0	71	11.25	
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	टीआरओ रायपुर	2017-18	37	14	18	0	4	0	29	48.65	हासिल
		2018-19	29	38	19	0	0	0	48	65.52	हासिल
		2019-20	48	23	9	0	0	0	62	18.75	

क्षेत्र	टीआरओ चार्ज का नाम	वर्ष	लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या/ संग्रह (प्रारंभिक शेष)	वर्ष के दौरान जारी किए गए कर वसूली प्रमाण पत्र	वर्ष के दौरान की गई निपटान	अन्य न्यायिक टीआरओ से प्राप्त कर वसूली प्रमाण पत्र	कर वसूली प्रमाणपत्र अन्य न्यायिक टीआरओ को हस्तांतरित किए गए	बड़े खाते में डाली गई मांग, यदि हो	* लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या (समापन शेष)	प्रतिशत निपटान	क्या 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ?
राजस्थान	टीआरओ, छूट, जयपुर	2017-18	1	0	0	0	0	0	1	0	
		2018-19	1	2	1	0	0	0	2	100	हासिल
		2019-20	2	1	0	0	0	0	3	0	
भुवनेश्वर	टीआरओ भुवनेश्वर	2017-18	275	0	0	0	0	0	275	0	
		2018-19	275	0	11	0	0	0	264	4	
		2019-20	264	18	0	1	0	0	283	0	
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	टीआरओ गुवाहाटी	2017-18	971	7	616	0	0	0	362	63.44	हासिल
		2018-19	362	45	154	42	0	0	295	42.54	हासिल
		2019-20	253	172	35	165	1	0	554	13.83	
केरल	टीआरओ, कोच्चि	2017-18	381	108	6	0	0	0	483	1.57	
		2018-19	483	168	0	0	0	0	651	0	
		2019-20	651	28	9	6	14	0	662	1.38	
अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	टीआरओ (अंतर्राष्ट्रीय कर), बेंगलुरु	2017-18	0	1	0	6	0	0	7	0	
		2018-19	7	2	0	0	6	0	3	0	
		2019-20	3	0	0	0	0	0	3	0	
बेंगलुरु	टीआरओ-1, पीसीआईटी-1	2017-18	287	62	26	8	35	11	285	9.06	
		2018-19	252	82	31	12	32	22	261	12.3	
		2019-20	362	112	59	16	29	19	383	16.3	
	टीआरओ-2, पीसीआईटी-2	2017-18	94	11	0	1	8	0	98	0	
		2018-19	84	1	2	2	0	0	85	2.38	
		2019-20	573	0	0	0	0	0	573	0	

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्षेत्र	टीआरओ चार्ज का नाम	वर्ष	लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या/ संग्रह (प्रारंभिक शेष)	वर्ष के दौरान जारी किए गए कर वसूली प्रमाण पत्र	वर्ष के दौरान की गई निपटान	अन्य न्यायिक टीआरओ से प्राप्त कर वसूली प्रमाण पत्र	कर वसूली प्रमाणपत्र अन्य न्यायिक टीआरओ को हस्तांतरित किए गए	बट्टे खाते में डाली गई मांग, यदि हो	* लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या (समापन शेष)	प्रतिशत निपटान	क्या 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ?
	टीआरओ-3, पीसीआईटी-3	2017-18	123	0	0	10	10	0	123	0	
		2018-19	123	7	11	14	2	0	131	8.94	
		2019-20	125	11	10	7	10	0	123	8	
	टीआरओ छूट	2017-18	6	0	0	0	0	0	6	0	
		2018-19	6	6	0	1	0	0	13	0	
		2019-20	13	0	0	1	0	0	14	0	
	टीआरओ टीडीएस, सीआईटी-टीडीएस	2017-18	229	4	46	0	0	0	187	20.09	हासिल
		2018-19	186	1	26	10	5	0	166	13.98	
		2019-20	76	6	0	0	0	0	82	0	
लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	टीआरओ, इलाहाबाद	2017-18	477	161	0	0	0	0	638	0	
		2018-19	638	0	15	0	0	0	623	2.35	
		2019-20	623	30	0	0	0	0	653	0	
बिहार और झारखंड	टीआरओ-1, पीसीआईटी-1 कार्यालय पटना	2017-18	324	0	16	0	0	147	161	4.94	
		2018-19	161	5	6	0	0	0	160	3.73	
		2019-20	160	6	8	0	0	0	158	5	
	टीआरओ सेंट्रल, ओ/ओ पीसीआईटी सेंट्रल पटना	2017-18	489	49	40	0	0	0	498	8.18	
		2018-19	498	131	11	2	11	0	609	2.21	
		2019-20	533	2	47	0	0	0	488	8.82	
सीसीआईटी	2017-18	995	25	6	25	0	0	1,039	0.6		
	2018-19	1,014	21	5	21	0	0	1,051	0.49		

क्षेत्र	टीआरओ चार्ज का नाम	वर्ष	लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या/संग्रह (प्रारंभिक शेष)	वर्ष के दौरान जारी किए गए कर वसूली प्रमाण पत्र	वर्ष के दौरान की गई निपटान	अन्य न्यायिक टीआरओ से प्राप्त कर वसूली प्रमाण पत्र	कर वसूली प्रमाणपत्र अन्य न्यायिक टीआरओ को हस्तांतरित किए गए	बड़े खाते में डाली गई मांग, यदि हो	* लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या (समापन शेष)	प्रतिशत निपटान	क्या 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड		2019-20	1,030	3	0	3	0	0	1,036	0	
मुंबई	सीआईटी सेंट्रल 4, मुंबई	2017-18	586	224	190	10	95	0	535	32.42	हासिल
		2018-19	535	109	89	3	1	0	557	16.64	
		2019-20	557	118	91	10	0	0	594	16.34	
अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	टीआरओ-अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अहमदाबाद	2017-18	13	0	3	0	0	0	10	23.08	हासिल
		2018-19	10	0	1	0	0	0	9	10	
		2019-20	9	4	2	0	0	0	11	22.22	हासिल
गुजरात	टीआरओ-3, अहमदाबाद	2017-18	399	50	83	0	0	0	366	20.8	हासिल
		2018-19	366	25	17	0	0	0	374	4.64	
		2019-20	374	6	62	0	0	0	318	16.58	
	टीआरओ- सेंट्रल, अहमदाबाद	2017-18	102	55	11	5	32	0	119	10.78	
		2018-19	119	25	10	0	23	0	111	8.4	
		2019-20	111	13	6	0	9	0	109	5.41	
	टीआरओ (छूट), अहमदाबाद	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018-19	0	0	0	1	0	0	1	0	
		2019-20	1	0	0	0	0	0	1	0	
	टीआरओ-1, अहमदाबाद	2017-18	2,758	67	1063	1	1	1,056	706	38.54	हासिल
		2018-19	1,762	75	390	2	5	380	1,064	22.13	हासिल
		2019-20	1,447	69	305	2	1	300	912	21.08	हासिल

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्षेत्र	टीआरओ चार्ज का नाम	वर्ष	लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या/ संग्रह (प्रारंभिक शेष)	वर्ष के दौरान जारी किए गए कर वसूली प्रमाण पत्र	वर्ष के दौरान की गई निपटान	अन्य न्यायिक टीआरओ से प्राप्त कर वसूली प्रमाण पत्र	कर वसूली प्रमाणपत्र अन्य न्यायिक टीआरओ को हस्तांतरित किए गए	बट्टे खाते में डाली गई मांग, यदि हो	* लंबित कर वसूली प्रमाणपत्रों की संख्या (समापन शेष)	प्रतिशत निपटान	क्या 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ?
तमिलनाडु	टीआरओ छूट	2017-18	14	7	0	0	0	0	21	0	
		2018-19	21	4	1	0	1	0	23	4.76	
		2019-20	23	0	1	0	1	0	21	4.35	
	टीआरओ सेंट्रल 2	2017-18	206	184	8	0	0	0	382	3.88	
		2018-19	382	90	39	0	0	0	433	10.21	
		2019-20	433	65	33	0	0	0	465	7.62	
	टीआरओ 8	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018-19	1,967	10	437	0	0	0	1,540	22.22	हासिल
		2019-20	1,540	110	1,040	0	0	0	610	67.53	हासिल
	टीआरओ 3	2017-18	320	36	1	0	0	0	355	0.31	
		2018-19	355	15	0	0	0	0	370	0	
		2019-20	370	0	20	714	0	0	1064	5.41	
कुल	30 टीआरओ	2017-18	9,671	1,157	2,194	71	199	1214	7,292		
		2018-19	10,240	884	1,457	115	87	402	9,293		
		2019-20	10,052	905	1,819	996	78	319	9,737		

* समापन शेष की गणना सूत्र के अनुसार की गई है

परिशिष्ट 10

(संदर्भ पैरा 6.3.2)

टीआरओ द्वारा किया गया सर्वेक्षण

क्रम सं.	क्षेत्र	टीआरओ	वर्ष	लक्ष्य निश्चित	निर्धारण वर्ष के दौरान किया गया सर्वेक्षण		कमी	टिप्पणी
					मामलों की संख्या	वसूली गई राशि (₹ लाख में)		
1	गुजरात	टीआरओ-3	2017-18	10	6	620.00	4	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	0	0.00	10	
2	गुजरात	टीआरओ सेंट्रल	2017-18	10	3	70.00	7	
			2018-19	10	7	350.00	3	
			2019-20	10	3	0.75	7	
3	गुजरात	TRO -1	2017-18	10	11	154.56	-1	लक्ष्य हासिल किया
			2018-19	10	8	115.60	2	
			2019-20	10	3	46.98	7	
4	राजस्थान	टीआरओ सेंट्रल	2017-18	10	1	0.00	9	
			2018-19	10	18	0.00	-8	लक्ष्य हासिल किया
			2019-20	10	2	4.60	8	
5	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	टीआरओ गुवाहाटी	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	1	4.15	9	
6	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	टीआरओ-पीसीआईटी-2	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	2	50.00	8	
			2019-20	10	5	16.00	5	
7	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	टीआरओ-सेंट्रल,	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	3	1972.00	7	
			2019-20	10	6	15.00	4	
8	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	टीआरओ, इलाहाबाद	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	1	31.86	9	
9	बिहार और झारखंड	टीआरओ रांची	2017-18	10	1	0.00	9	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	0	0.00	10	
10	बिहार और झारखंड	टीआरओ सेंट्रल पटना	2017-18	10	6	6.50	4	
			2018-19	10	2	2.00	8	
			2019-20	10	3	10.10	7	

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	क्षेत्र	टीआरओ	वर्ष	लक्ष्य निश्चित	निर्धारण वर्ष के दौरान किया गया सर्वेक्षण		कमी	टिप्पणी
					मामलों की संख्या	वसूली गई राशि (₹ लाख में)		
11	तमिलनाडु	टीआरओ सेंट्रल 2	2017-18	10	8	102.13	2	
			2018-19	10	15	1676.58	-5	लक्ष्य हासिल किया
			2019-20	10	3	7.28	7	
12	तमिलनाडु	टीआरओ 3	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	5	19.02	5	
			2019-20	10	9	278.10	1	
13	तमिलनाडु	टीआरओ 8	2017-18	10	10	75.99	0	लक्ष्य हासिल किया
			2018-19	10	3	20.86	7	
			2019-20	10	1	1.50	9	
14	तमिलनाडु	टीआरओ छूट	2017-18	10	1	0.00	9	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	0	0.00	10	
15	मुंबई	टीआरओ सेंट्रल 4	2017-18	10	1	133.00	9	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	0	0.00	10	
16	केरल	टीआरओ सेंट्रल	2017-18	10	3	214.00	7	
			2018-19	10	4	61.00	6	
			2019-20	10	2	13.00	8	
17	केरल	टीआरओ, कोच्चि	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	1	1.00	9	
			2019-20	10	4	74.00	6	
18	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	टीआरओ, रायपुर	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	2	0.00	8	
19	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ-2 कोलकाता	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	3	20.00	7	
20	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ-सेंट्रल 1 कोलकाता	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	12	19.89	-2	लक्ष्य हासिल किया
			2019-20	10	10	14.00	0	लक्ष्य हासिल किया

क्रम सं.	क्षेत्र	टीआरओ	वर्ष	लक्ष्य निश्चित	निर्धारण वर्ष के दौरान किया गया सर्वेक्षण		कमी	टिप्पणी
					मामलों की संख्या	वसूली गई राशि (₹ लाख में)		
21	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ-सेंट्रल 2 कोलकाता	2017-18	10	0	0.00	10	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	9	30.00	1	
22	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ-5 कोलकाता	2017-18	10	1	2.25	9	
			2018-19	10	0	0.00	10	
			2019-20	10	1	1.50	9	
कुल				660	200	6235.68		6 टीआरओ ने एक वर्ष में कम से कम 10 सर्वेक्षण का लक्ष्य हासिल किया
*3 वर्षों के लिए 22 टीआरओ का लक्ष्य 22x10x3 = 660 है								

परिशिष्ट 11

(संदर्भ: पैरा 6.3.6)

टीआरओ द्वारा रजिस्ट्रों का अनुरक्षण/गैर-अनुरक्षण

क्र.सं.	क्षेत्र	टीआरओ का नाम	रजिस्ट्रों का अनुरक्षण एवं अद्यतनीकरण की स्थिति
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	टीआरओ-सेंट्रल, हैदराबाद	अनुरक्षित एवं अद्यतन
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	टीआरओ-पीसीआईटी-4- हैदराबाद	अनुरक्षित एवं अद्यतन
3	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	टीआरओ-पीसीआईटी-2 हैदराबाद	अनुरक्षित एवं अद्यतन
4	बैंगलुरु	टीआरओ छूट, बैंगलुरु	अनुरक्षित किया गया लेकिन अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है
5	बैंगलुरु	टीआरओ-2 बैंगलुरु	अनुरक्षित किया गया लेकिन अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है
6	बैंगलुरु	टीआरओ-3 बैंगलुरु	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों का अनुरक्षित नहीं किया गया
7	बैंगलुरु	टीआरओ-टीडीएस, बैंगलुरु	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों का अनुरक्षित नहीं किया गया
8	भुवनेश्वर	टीआरओ भुवनेश्वर	अनुरक्षित एवं अद्यतन
9	बिहार और झारखंड	टीआरओ, रांची	टीआरओ द्वारा केवल कुछ ही रजिस्टर अनुरक्षित रखे गए थे
10	दिल्ली	टीआरओ, पीसीआईटी-7 दिल्ली	कुछ को अनुरक्षित किया गया है तथा कुछ का अद्यतन किया गया है और एक रजिस्टर का विवरण उपलब्ध नहीं है
11	दिल्ली	टीआरओ (सेंट्रल)-1	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों को अनुरक्षित नहीं किया गया
12	दिल्ली	टीआरओ, पीसीआईटी -20	कुछ को अनुरक्षित किया गया है तथा कुछ का अद्यतन किया गया है और एक रजिस्टर का विवरण उपलब्ध नहीं है

क्र.सं.	क्षेत्र	टीआरओ का नाम	रजिस्ट्रों का अनुरक्षण एवं अद्यतनीकरण की स्थिति
13	गुजरात	टीआरओ सेंट्रल, अहमदाबाद	अनुरक्षित एवं अद्यतन
14	गुजरात	टीआरओ-1, अहमदाबाद	टीआरओ द्वारा केवल कुछ ही रजिस्टर अनुरक्षित रखे गए थे
15	गुजरात	टीआरओ- छूट, अहमदाबाद	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों को अनुरक्षित नहीं किया गया
16	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	टीआरओ- आईटी और टीपी, अहमदाबाद	अनुरक्षित एवं अद्यतन
17	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	टीआरओ, प्रधान सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-3	अनुरक्षित किया गया लेकिन अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है
18	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, दिल्ली	टीआरओ-अंतर्राष्ट्रीय कराधान हैदराबाद	अनुरक्षित एवं अद्यतन
19	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	टीआरओ, रायपुर	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों को अनुरक्षित नहीं किया गया
20	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	टीआरओ, ग्वालियर	टीआरओ द्वारा केवल कुछ ही रजिस्टर अनुरक्षित रखे गए थे
21	उत्तर पूर्व क्षेत्र	टीआरओ गुवाहाटी	कुछ को अनुरक्षित किया गया है तथा कुछ का अद्यतन किया गया है और एक रजिस्टर का विवरण उपलब्ध नहीं है
22	राजस्थान	टीआरओ, पीसीआईटी-1, जयपुर।	टीआरओ द्वारा केवल कुछ ही रजिस्टर अनुरक्षित रखे गए थे
23	राजस्थान	टीआरओ, पीसीआईटी-II, जयपुर।	अनुरक्षित एवं अद्यतन
24	राजस्थान	टीआरओ, छूट, जयपुर।	अनुरक्षित किया गया लेकिन अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है
25	राजस्थान	टीआरओ, सेंट्रल, जयपुर।	टीआरओ द्वारा केवल कुछ ही रजिस्टर अनुरक्षित रखे गए थे
26	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ - सेंट्रल 1, कोलकाता	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों को अनुरक्षित नहीं किया गया
27	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ - सेंट्रल 2, कोलकाता	अनुरक्षित एवं अद्यतन

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्र.सं.	क्षेत्र	टीआरओ का नाम	रजिस्ट्रों का अनुरक्षण एवं अद्यतनीकरण की स्थिति
28	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ -18, कोलकाता	अनुरक्षित एवं अद्यतन
29	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ छूट, कोलकाता	अनुरक्षित एवं अद्यतन
30	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ-5, कोलकाता	अनुरक्षित एवं अद्यतन
31	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	टीआरओ-2, कोलकाता	11 रजिस्ट्रों में से एक या दो रजिस्ट्रों को अनुरक्षित नहीं किया गया

परिशिष्ट 12ए

(संदर्भ: पैराग्राफ 7.1)

सीएपी-1 की संरचना

प्रधान सीसीआईटी..... के लिए सीएपी-1 प्रतिवेदन मार्च 20.....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	कोड	बकाया		चालू		कुल
			आईटी	सीटी	आईटी	सीटी	
1	वर्ष की 1 अप्रैल को मांग	एडी					
2	1 अप्रैल से की गई मांग	सीडी					
3	पूर्व में दिए गए कर के रूप में घटौती (-)	सीए					
4	स्थानान्तरण/सत्यापन आदि के कारण समायोजन के बाद माह के अंत में कुल मांग।	एडीवी					
5	मांग जो अभी देय नहीं है (-)	एनएफडी					
6	नकद संग्रहण (-)	सीसीओएल					
7	घटौती						
	(क) अपील के कारण						
	(ख) भूल सुधार के कारण						
	(ग) अन्य						
	कुल कमी [(क) से (ग)]	डी एस					
8	माह के अंत तक संग्रहण के लिए कुल मांग	एनओडी					
9	मांग जिसकी वसूली कठिन है।						
	(क) बड़े खाते में डालने के लिए लंबित	पीडब्लूओ					
	(ख) निर्धारित का पता लगा पाना कठिन है (उस सीमा तक जहां तक कि इससे वसूली को प्रभावित करने की संभावना है)	एएनटी					
	(ग) वसूली हेतु कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसंपत्तियां (अपर्याप्तता की सीमा तक)	एनएआर					
	(घ) सुरक्षात्मक मांग	पीडी					
	(ड) ऐसे मामले जहां विभाग अपील में हार चुका है लेकिन मांग दूसरे वर्ष के लिए लंबित है अथवा विभाग अगले वर्ष के लिए जारी रखना चाहता है।	डीएलए					
	(च) विशेष न्यायालय के अधीन अधिसूचित व्यक्ति (प्रतिभूति से संबंधित अपराध पर मुकद्दमा चलना) अधिनियम 1992	एनपी					

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	विवरण	कोड	बकाया		चालू		कुल
			आईटी	सीटी	आईटी	सीटी	
	(छ) एनसीएलटी के समक्ष आईबीसी-2016 के तहत लंबित मामले	बीबी					
	(ज) परिसमापन में कंपनियाँ	सीआइएल					
	(झ) समझौता आयोग के समक्ष मामले	बीएससी					
	(ण) न्यायालयों/आईटीएटी द्वारा मांग पर रोक	डीएससी					
	(ट) आईटी प्राधिकारियों द्वारा मांग पर रोक	डीएसआईटी					
	(ठ) किशतों में पूर्ति हो रही मांग (केवल उस सीमा तक जो माह के दौरान वसूली योग्य नहीं है)	आईएनएसटी					
	(ड) मांग, जिसकी वसूली आयकर प्राधिकारियों द्वारा विचाराधीन निर्धारिती की स्थगन याचिका के कारण नहीं की जा रही है।	एसपी					
	(ढ)टीडीएस / प्रीपेड करों का बेमेल होना	टीडीएस					
	(ज) प्रवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में मानचित्र प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त की मांग नहीं।	जीआरटी					
	(त) प्रविष्टियों के दोहराव के कारण सुधार लंबित	डीपीएल					
	(थ) बीआईएफआर को छोड़कर अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियां	ओएजी					
	(द) संपत्तियों की कुर्की के विरुद्ध अपील लंबित	पीआरपी					
	(ध) कोई अन्य कारण (अलग अनुलग्नक में दिखाए) जिसके मांग वसूली के लिए बाधित हो रही है।	ओआर					
	कुल मांग की वसूली करना कठिन [(क) से (ध)]	डीआईएफएफ					
10	शुद्ध संग्रहणीय मांग (8-9)	एनसीओएल					
11	विवादित मांग का विश्लेषण						
	(क) सीआईटी (ए)	डीसीआईटी					
	(ख) आईटीएटी	डीआईटीएटी					
	(ग) उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय	डीआईसी					
	(घ) सुधार/संशोधन/छूट आईटी प्राधिकारियों के समक्ष लंबित	डीआईडी					
	कुल विवादित मांग	टीडीडी					
12	कर राजस्व बढ़ोतरी परंतु वसूली न करना (एफआरबीएम अधिनियम)		>1 वर्ष और <=2 वर्ष	>2 वर्ष और <=5 वर्ष	>5 वर्ष और <=10 वर्ष	>10 वर्ष	कुल
	0020 - विवादित निगम कर						

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	विवरण	कोड	बकाया		चालू		कुल
			आईटी	सीटी	आईटी	सीटी	
	021 - विवादित मांग						
	020 - निगम कर विवाद के अंतर्गत नहीं है						
	021 - आयकर विवाद के अंतर्गत नहीं						
	मांग विवाद के अंतर्गत नहीं						
	020 - निगम कर वसूल नहीं हुआ						
	021 - आयकर वसूल नहीं हुआ						
	कुल कर राजस्व प्राप्त नहीं हुआ						
13	नकद संग्रह का लक्ष्य	टीसीसी					
14	(6/13) लक्ष्य अनुपात के अनुसार संग्रहण % में (6/13)	सीटीआर					
15	(6/10) शुद्ध संग्रहणीय मांग के अनुसार संग्रह % में (6/10)	सीएनसीडी					
अनुलग्नक: मांग को एकत्रित करने में कठिनाई के अन्य कारणों का विवरण -9(एस)							

परिशिष्ट 12बी

(संदर्भ पैराग्राफ 7.1)

की संरचना सीएपी-II प्रतिवेदन

1. कर आधार									
गतिविधि का क्षेत्र	1 अप्रैल को - पिछले वर्ष के मार्च माह के समापन से आगे लाया गया	महीने के पहले दिन पर - पिछले महीने के समापन से आगे लाया गया (यदि कोई सुधार हो तो उसे लागू करने के बाद)	महीने के दौरान होने वाले बदलाव				महीने का अंतिम दिन पर (ii) + (iii) + (iv) - (v) - (vi)	पिछले माह के समापन पर लागू किए जाने वाले सुधार (ix की टिप्पणी के अनुसार)	टिप्पणी (पिछले महीनों की त्रुटियों के आधार पर सुधार के मामले में)
			नया निर्धारिती (+)	स्थानांतरण अंदर (+)	स्थानांतरण बाहर (-)	हटा दिया गया (-)			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
अभिलेख के अनुसार निर्धारिती									

2. रिटर्न							
गतिविधि का क्षेत्र	माह के अंत तक दाखिल रिटर्न				महीने के अंत तक स्टॉप फाइलर्स के विरुद्ध कार्रवाई		
	(क) द्वारा वर्तमान निर्धारिती	(ख) नए निर्धारिती द्वारा	(ग) कुल (i) + (ii)	(iii) ₹ 10 लाख से अधिक आय दिखाने वाले रिटर्न में से	धारा 142(1) के अंतर्गत नोटिस के संबंध में	धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के संबंध में	कुल (v) + (vi)
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
क. रिटर्न की रसीद (कागज़ पर)							
ख. रिटर्न की प्राप्ति (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में)							

3. निर्धारण अधिकारियों से संबंधित कार्य										
(क) सर्वेक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य										
कार्यकलाप का क्षेत्र	पिछले वर्ष के मार्च के समापन से 1 अप्रैल को आगे लाया गया	पिछले माह के समापन से माह के पहले दिन आगे लाया गया (यदि कोई हो तो सुधार लागू करने के बाद)	माह के दौरान स्थानांतरण/बाहर/काट दिया गया (+/-)	माह के दौरान जोड़	माह के दौरान निपटान/कमी	माह के अंत तक निपटान/कमी (यदि कोई हो तो सुधार लागू करने के बाद)	आगे ले जाया गया शेष = (ii)+(iii)+(iv)-(v)	गंभीर लंबितता*	पिछले माह के समापन पर लागू किए जाने वाले सुधार निपटान/कमी	माह के अंत में लागू किए जाने वाले सुधार
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
(i) रिटर्न की प्रोसेसिंग										
(a) पेपर रिटर्न										
(b) ई-फाइल किए गए रिटर्न										
(ii) रिफंड										
(क) धारा 143(1) के तहत रिफंड की संख्या										
(ख) अन्य रिफंड की संख्या										
(iii) जांच आकलन-कंपनी मामले										
(क) धारा 143(3) के तहत										
(ख) धारा 143(3) के तहत अन्य धाराओं के अधीन										
(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में समय की पाबंदी										
(iv) जांच आकलन-गैर-कंपनी मामले										
(क) धारा 143(3) के तहत										

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

(ख) धारा 143(3) के तहत अन्य धाराओं के अधीन										
(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में समय की पाबंदी										
(v) तलाशी आकलन										
(क) धारा 153ए के तहत तलाशी आकलन										
(ख) धारा 153सी के तहत तलाशी आकलन										
(ग) अन्य तलाशी आकलन										
(vi) शिकायतें										
(vii) सुधार आवेदन										
(viii) अपील प्रभाव										
(क) अपील प्रभाव - सीआईटी (ए) आदेश										
(ख) अपील प्रभाव - आईटीएटी आदेश										
(ग) अपील प्रभाव - एचसी/एससी आदेश										
((ix) दंड कार्यवाही										
(क) धारा 271(1)(ग) के तहत शुरू की गई जुर्माना कार्यवाही										
(ख) शुरू की गई अन्य जुर्माना कार्यवाही										
(x) अभियोजन										
(क) धारा 276सी के तहत शुरू किए गए अभियोजन										
(ख) शुरू किए गए अन्य अभियोजन मामले										
(xi) राजस्व लेखा परीक्षा आपत्तियां										

(क) राजस्व लेखा परीक्षा - प्रमुख आपत्ति (बकाया)										
(ख) राजस्व लेखा परीक्षा - प्रमुख आपत्ति (वर्तमान)										
(ग) राजस्व लेखा परीक्षा - मसौदा पैरा										
(xii) आंतरिक लेखा परीक्षा आपत्ति										
(क) आंतरिक लेखा परीक्षा - प्रमुख आपत्ति (बकाया)										
(ख) आंतरिक लेखा परीक्षा - प्रमुख आपत्ति (वर्तमान)										
(xiii) रिफंड के लंबित मामलों का आयु-वार विवरण	1-6 माह	6-12 माह	एक वर्ष से अधिक				कुल			
	(i)	(ii)	(iii)				(iv)			
(a) धारा 143(1) के अंतर्गत रिफंड (रिटर्न प्राप्त होने वाले माह से गिना जाएगा पेपर रिटर्न) (1-9 माह और 9-12 माह के रूप में पढ़ा जाएगा)										
(b) धारा 143(1) के अंतर्गत रिफंड (रिटर्न प्राप्त होने वाले माह से गिना जाएगा)										
(c) अन्य रिफंड (रिटर्न निर्धारित होने की तिथि से गिना जाएगा)										

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

	1 अप्रैल को आगे लाई गई अपीलें - पिछले वर्ष के मार्च के समापन से	पिछले माह के समापन से माह के पहले दिन आगे लाई गई (यदि कोई सुधार लागू करने के बाद)	माह के दौरान स्थानांतरित/बाहर/काट दिया गया (+/-)	माह के दौरान अधिकृत अपीलें	माह के दौरान दायर की गई अपीलें	माह के अंत तक दायर की गई अपीलें (यदि कोई सुधार लागू करने के बाद)	आगे ले जाया गया शेष (ii)+(iii)+(iv)-(v)	गंभीर लंबित*	पिछले माह के समापन पर लागू किए जाने वाले सुधार	अपील माह के अंत में लागू किए जाने वाले सुधार
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
(xiv) धारा 260ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील										

(xv) बकाया मांग को बढ़े खाते में डालना	माह के दौरान बड़े खाते में डाली गई मांगों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	स्थानीय/क्षेत्रीय/ जोनल समितियों को बड़े खाते में डालने के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	ऐसे प्रस्तावों में शामिल राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदनों की संख्या			प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की सं. माह के अंत तक किए जाने वाले सुधार (लागू करने के बाद)	राशि शामिल माह के अंत तक किए जाने वाले सुधार (लागू करने के बाद)	प्राप्त किए गए अनुमोदनों की सं. माह के अंत तक किए जाने वाले सुधार (लागू करने के बाद)	
					माह के दौरान	माह के अंत तक (यदि कोई सुधार लागू करने के बाद)	माह के दौरान				
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
(i) स्थानीय समिति											
(ii) क्षेत्रीय समिति											
(iii) जोनल समिति											
(iv) तदर्थ बड़े खाते में डालना											
(v) सारांश बड़े खाते में डालना											
कुल											

3(बी) सर्वेक्षण कार्य										
गतिविधि का क्षेत्र	माह के दौरान सर्वेक्षणों की संख्या		पिछले वर्ष की संगत अवधि (माह के अंत तक)	पता लगाई गई अघोषित आय की राशि (₹ लाख में)		प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट	सर्वेक्षणों की संख्या		अघोषित आय की राशि	प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट
	माह के अंत तक के सर्वेक्षण (यदि कोई हो तो सुधार लागू करने के बाद)	माह के अंत तक के सर्वेक्षण (यदि कोई हो तो सुधार लागू करने के बाद)		माह के दौरान	माह के अंत तक (यदि कोई हो तो सुधार लागू करने के बाद)		माह के दौरान	माह के अंत तक (यदि कोई हो तो सुधार लागू करने के बाद)		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
(i) धारा 133 ए(1) के अंतर्गत सर्वेक्षण										
(क) पाई गई नकदी में विसंगति (राशि लाख में)										
(ख) पाई गई स्टॉक में विसंगति (राशि लाख में)										
(ग) पाई गई अन्य विसंगति (राशि लाख में)										
धारा 133ए(5) के तहत सर्वेक्षण										

परिशिष्ट 13

(संदर्भ: पैरा 7.3.2)

मार्च 2018 से मार्च 2022 तक समाप्त वर्षों के लिए "मांग जिसकी वसूली कठिन" है को 19 कारणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समाप्त वर्ष के लिए		मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
1	बट्टे-खाते में डालना लंबित	9(क)	3,141.31	3,431.76	4,269.36	2,788.76	3,411.93
2	निर्धारिती का पता नहीं चल पाया	9(ख)	85,337.15	89,421.79	1,77,938.44	1,63,880.00	2,26,019.26
3	कोई संपत्ति नहीं/अपर्याप्त संपत्ति	9(ग)	4,89,328.80	5,45,081.39	6,04,374.72	5,50,442.06	6,49,420.29
4	सुरक्षात्मक मांग	9(घ)	28,051.27	31,951.63	35,153.80	32,695.03	34,627.71
5	विभाग अपील में हार गया, लेकिन अन्य वर्षों के लिए बकाया मांग प्रस्ताव जारी रहेंगे या मामले को जीवित रखने के लिए मांग जारी रहेगी, क्योंकि विभाग आगे अपील में है।	9(ड)	55,703.34	67,180.71	38,587.24	39,685.44	36,192.91
6	विशेष न्यायालय के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति (प्रतिभूति अधिनियम, 1992 से संबंधित अपराधों का परीक्षण)	9(च)	28,997.81	30,801.24	28,324.99	34,702.17	34,433.46
7	आईबीसी-2016 के अंतर्गत एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामले	9(छ)	14,097.00	20,652.96	55,111.41	48,069.37	62,429.75
8	परिसमापन में कंपनियाँ	9(ज)	25,695.71	32,605.62	39,254.28	30,470.17	60,453.28
9	निपटान आयोग के समक्ष मामले	9(झ)	307.80	341.68	673.67	358.47	547.93

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	समाप्त वर्ष के लिए		मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21	मार्च 22
10	न्यायालयों/आईटीएटी द्वारा मांग पर रोक	9(ण)	85,958.79	1,15,836.76	1,28,106.58	1,19,950.59	1,19,751.85
11	आयकर अधिकारियों द्वारा मांग पर रोक लगाई गई	9(ट)	85,508.66	87,961.00	1,18,593.48	98,052.61	1,42,608.23
12	किशतों में कवर की गई मांग (वसूली योग्य न होने की सीमा तक)	9(ठ)	4,418.66	3,935.47	2,871.15	2,536.75	3,066.95
13	मांग, जिसकी वसूली आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारिती की विचाराधीन स्थगन याचिका के कारण नहीं की जा रही है	9(ड)	18,364.45	20,385.84	19,094.52	11,186.05	34,918.21
14	टीडीएस/प्रीपेड करों का बेमेल	9(ढ)	40,555.36	47,917.54	64,093.82	65,569.86	99,658.33
15	एमएपी प्रक्रिया के तहत प्राप्त बैंक गारंटी के कारण मांग लागू नहीं होगी	9(ज)	11,500.61	18,395.74	8,600.91	7,271.49	6,600.01
16	प्रविष्टियों के दोहराव के कारण सुधार लंबित	9(त)	4,843.56	15,133.88	15,086.38	13,632.14	20,603.90
17	बीआईएफआर को छोड़कर अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियां	9(थ)	61,718.20	47,878.15	94,481.21	96,024.62	92,689.44
18	संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ अपील लंबित	9(द)	1,279.31	1,906.06	870.94	870.69	805.53
19	कोई अन्य कारण (अलग अनुलग्नक में निर्दिष्ट किया जाना है)	9(ध)	48,569.57	38,665.18	55,788.94	44,894.63	1,14,818.16
20	कुल 'मांग जिसकी वसूली कठिन' है		10,93,377.36	12,19,484.40	14,91,275.84	13,63,080.90	17,43,057.13

परिशिष्ट 14

(संदर्भ: पैरा 7.3.3)

अपील के विभिन्न चरणों में लंबित बकाया मांग को दर्शाने वाला विवरण - क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी	मार्च 2018					मार्च 2019				
		सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल	सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल
1	मुंबई	75,379.04	99,407.09	7,457.70	5,014.10	1,87,257.93	2,70,500.11	95,230.87	7,275.98	5,714.65	3,78,721.61
2	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	10,099.96	5,634.98	2,457.78	712.45	18,905.17	11,611.51	5,931.56	2,549.91	638.45	20,731.43
3	राजस्थान	3,023.41	200.2	91.62	128.96	3,444.19	3,002.99	229.85	95.21	84.22	3,412.27
4	नागपुर	386.52	42.51	4.4	200.22	633.65	381.46	55.48	4.61	371.7	813.25
5	पुणे	13,613.49	3,169.52	593.02	3,947.24	21,323.27	15,749.61	2,798.97	700.02	4,393.90	23,642.50
6	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	1,951.66	1,265.38	11.59	319.36	3,547.99	2,470.49	1,336.92	13.49	385.04	4,205.94
7	पूर्वी उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	17,151.23	639.73	214.56	182.63	18,188.15	21,100.62	759.92	242.88	234.06	22,337.48
8	भोपाल (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	12,682.31	595.91	394.73	380.03	14,052.98	14,280.36	747.32	411.35	312.46	15,751.49

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी	मार्च 2018					मार्च 2019				
		सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल	सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल
9	बेंगलुरु	15,134.71	5,039.20	767.59	2,385.31	23,326.81	18,198.18	10,382.26	2,264.54	1,973.73	32,818.71
10	तमिलनाडु	11,393.31	1,482.62	1,667.29	1,593.65	16,136.87	13,597.68	1,526.41	2,499.44	1,192.24	18,815.77
11	केरल	3,670.72	589.57	476.78	195.91	4,932.98	4,145.47	630.82	1,463.43	232.18	6,471.90
12	भुवनेश्वर	2,745.83	139.54	588.47	163.22	3,637.06	1,594.19	379.07	94.19	36.98	2,104.43
13	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	394.06	71.8	0.33	146.34	612.53	338.91	95.35	3.91	120.5	558.67
14	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	43,182.32	3,370.45	285.57	711.2	47,549.54	44,936.18	5,051.85	295	789.38	51,072.41
15	बिहार और झारखंड	4,508.28	381.11	50.96	152.93	5,093.28	4,704.57	423.55	220.31	242.85	5,591.28
16	दिल्ली	1,19,086.67	40,302.94	11,329.09	5,075.72	1,75,794.42	1,10,145.08	60,205.08	11,846.45	7,806.80	1,90,003.41
17	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र	8,104.74	2,765.47	664.29	395.57	11,930.07	9,776.00	2,428.71	375.33	660.78	13,240.82
18	प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)	45,147.00	11,246.40	61,825.78	1,830.66	1,20,049.84	43,352.02	10,247.57	60,918.37	10,352.56	1,24,870.52
19	गुजरात	20,462.37	1,280.08	226.11	842.8	22,811.36	34,841.55	1,224.76	356.37	965.26	37,387.94
	कुल	4,08,117.63	1,77,624.50	89,107.66	24,378.30	6,99,228.09	6,24,726.98	1,99,686.32	91,630.79	36,507.74	9,52,551.83

परिशिष्ट 14 (जारी...)

(संदर्भ: पैरा 7.3.3)

अपील के विभिन्न चरणों में लंबित बकाया मांग को दर्शाने वाला विवरण - क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्र. सीसीआईटी	मार्च 2020					मार्च 2021				
		सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल	सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल
1	मुंबई	2,84,809.04	71,375.09	9,120.60	6,640.30	3,71,945.03	2,83,154.58	70,162.08	8,172.91	7,799.18	3,69,288.75
2	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	18,299.62	5,614.96	2,587.79	590	27,092.37	18,429.26	5,392.10	2,633.77	579.05	27,034.18
3	राजस्थान	4,639.22	215.56	112.5	163.6	5,130.88	6,403.78	228.79	252.78	298.72	7,184.07
4	नागपुर	488.36	44.71	4.61	460.44	998.12	477.75	33.16	1.66	505.09	1,017.66
5	पुणे	17,536.08	2,277.69	580.55	4,184.49	24,578.81	18,422.12	4,022.03	638.55	6,721.36	29,804.06
6	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	3,775.58	1,442.28	27.55	410.15	5,655.56	3,765.34	1,765.03	22.19	400.28	5,952.84
7	पूर्वी उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	24,069.87	1,839.58	241.74	346.96	26,498.15	23,975.20	1,856.12	238.68	349.47	26,419.47
8	भोपाल (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	16,876.47	759.52	393.09	749.83	18,778.91	17,340.62	875.56	2,971.33	552.54	21,740.05

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	प्र. सीसीआईटी	मार्च 2020					मार्च 2021				
		सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल	सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/ संशोधन/ छूट लंबित	कुल
9	बैंगलुरु	23,783.39	13,267.21	1,384.20	2,693.50	41,128.30	24,395.01	11,652.51	2,607.41	2,689.16	41,344.09
10	तमिलनाडु	17,256.13	1,677.77	2,713.27	1,526.28	23,173.45	21,762.82	1,559.41	4,608.62	1,326.29	29,257.14
11	केरल	4,990.65	421.21	1,742.41	412.91	7,567.18	6,822.66	946.56	2,103.94	937.44	10,810.60
12	भुवनेश्वर	3,225.74	377.45	96.77	28.93	3,728.89	2,761.92	67	325.94	76.81	3,231.67
13	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	1,198.55	122.7	0.9	84.21	1,406.36	1,139.45	109.23	79.29	83	1,410.97
14	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	49,326.06	3,356.54	576.85	821.08	54,080.53	56,268.75	2,866.79	537.47	2,309.86	61,982.87
15	बिहार और झारखंड	5,744.48	501.21	244.4	203.6	6,693.69	5,901.34	543.95	249.05	303.44	6,997.78
16	दिल्ली	73,510.68	46,630.46	5,798.37	3,012.72	1,28,952.23	112,874.12	62,596.70	7,009.63	2,826.35	1,85,306.80
17	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र	14,139.90	4,333.79	383.26	816.96	19,673.91	0.00	0	0	0	0
18	प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)	47,732.95	11,964.71	59,832.40	11,126.23	1,30,656.29	45,854.48	11,892.80	59,047.36	13,839.34	1,30,633.98
19	गुजरात	39,822.99	5,607.46	329.17	963.34	46,722.96	42,031.23	3,246.35	321.34	1,356.07	46,954.99
	कुल	6,51,225.76	1,71,829.90	86,170.43	35,235.53	9,44,461.62	6,91,780.43	1,79,816.17	91,821.92	42,953.45	10,06,371.97

परिशिष्ट 14 (जारी..)

(संदर्भ: पैरा 7.3.3)

अपील के विभिन्न चरणों में लंबित बकाया मांग को दर्शाने वाला विवरण - क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्र. सीसीआईटी	मार्च 2022				कुल
		सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/संशोधन/ छूट लंबित	
1	मुंबई	3,06,921.50	71,908.50	8,428.72	9,787.04	3,97,045.76
2	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	29,902.77	6,301.94	3,412.12	2,893.60	42,510.43
3	राजस्थान	7,519.26	412.17	300.92	444.61	8,676.96
4	नागपुर	1,067.85	32.96	1.73	639.91	1,742.45
5	पुणे	19,120.99	1,627.74	703.14	9,020.53	30,472.40
6	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	3,112.83	1,714.65	42.92	357.68	5,228.08
7	यूपी ईस्ट (लखनऊ)	26,666.62	1,844.47	238.52	297.73	29,047.34
8	भोपाल (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	20,657.06	700.77	5,748.88	490.85	27,597.56
9	बैंगलुरु	22,605.53	10,598.72	4,748.90	6,950.33	44,903.48
10	तमिलनाडु	30,981.56	2,194.61	7,472.56	1,494.35	42,143.08
11	केरल	7,758.44	1,451.79	755.2	421.92	10,387.35
12	भुवनेश्वर	2,794.19	61.28	325.79	57.63	3,238.89
13	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	1,136.06	94.82	169.49	95.6	1,495.97
14	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	54,893.94	2,851.35	541.7	2,518.27	60,805.26

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्र. सं.	प्र. सीसीआईटी	मार्च 2022				कुल
		सीआईटी(ए)	आईटीएटी	उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय	आईटी अधिकारियों के समक्ष सुधार/संशोधन/ छूट लंबित	
15	बिहार और झारखंड	6,483.47	613.95	249.19	314.1	7,660.71
16	दिल्ली	1,26,600.30	56,893.08	6,872.32	2,687.57	1,93,053.27
17	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र	0	0	0	0	0
18	प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)	39,614.78	12,308.18	27,593.99	12,193.00	91,709.95
19	गुजरात	45,540.48	7,665.85	346.6	1,318.08	54,871.01
	कुल	7,53,377.63	1,79,276.83	67,952.69	51,982.80	10,52,589.95

परिशिष्ट 15

(संदर्भ: पैरा 7.3.8)

मार्च 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सीएपी-II विवरण के अनुसार 16 क्षेत्रों में विभागीय समितियों द्वारा बड़े खाते में डालने हेतु प्रस्तावों और अनुमोदनों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र का नाम	समिति का प्रकार	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
			प्रस्तावों की संख्या	मात्रा (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या
1	तमिलनाडु	स्थानीय समिति	62	1	62	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	3	2,742	2,167	3	575	0	2	1,036	0
2	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व	स्थानीय समिति	7	162	0	7	162	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	2	93	0	2	93	0	0	0	0
3	उत्तर प्रदेश पश्चिम, उत्तराखंड	स्थानीय समिति	22	2,53,703	0	22	2,53,793	0	22	2,53,793	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	19	66,679	0	19	66,679	0	19	66,679	0
4	दिल्ली	स्थानीय समिति	5	2,506	970	3	2,085	0	1	452	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	1	28	0	1	28	0	0	0	0

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र का नाम	समिति का प्रकार	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
			प्रस्तावों की संख्या	मात्रा (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या
5	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	स्थानीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	183	0	0	1	334	0	0	0	0
6	राजस्थान	स्थानीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	7	1,820	0	7	1,734	0	7	1,734	0
7	केरल	स्थानीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	1	32	0	1	32	0	0	0	0
8	भोपाल (मप्र एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र)	स्थानीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मुंबई	स्थानीय समिति	1		39	1	0	39	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	1	0	39
		आंचलिक समिति	5	2,220	115	5	2,220	0	7	2,783	0
10	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	स्थानीय समिति	90	438	0	94	12	95	94	11	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	4	5,078	0	2	680	4,915	2	677	0

क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र का नाम	समिति का प्रकार	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
			प्रस्तावों की संख्या	मात्रा (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या
11	बेंगलुरु	स्थानीय समिति	216	3	0	213	2	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	1	3	0	0	0	0	0	0	0
12	उत्तर पूर्व क्षेत्र	स्थानीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	भुवनेश्वर	स्थानीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	उत्तर पश्चिम क्षेत्र	स्थानीय समिति	0	0	0	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	0	0	0
		आंचलिक समिति	3	107	0	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	2	100	0
15	गुजरात	स्थानीय समिति	5	319	1	1	313	1	2	633	1
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		आंचलिक समिति	6	1,693	1	7	1,252	0	5	918	0

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	प्रधान सीसीआईटी क्षेत्र का नाम	समिति का प्रकार	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक		
			प्रस्तावों की संख्या	मात्रा (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या	प्रस्तावों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त अनुमोदन की संख्या
16	अंतर्राष्ट्रीय कराधान, नई दिल्ली	स्थानीय समिति	0	0	0	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	0	0	0
		क्षेत्रीय समिति	0	0	0	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	0	0	0
		आंचलिक समिति	0	0	0	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	0	0	0

परिशिष्ट 16

(पैरा 7.4 देखें)

मार्च 2018 से मार्च 2022 तक समाप्त वर्षों के लिए "मांग जो विवाद के अंतर्गत नहीं है" का आयु-वार विश्लेषण (क्षेत्रवार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी क्षेत्र / वर्ष समाप्ति	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए				
		> 1 वर्ष और <= 2 वर्ष	>2 वर्ष और <= 5 वर्ष	> 5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल
1	मुंबई					
(i)	मार्च 2018	18,736.36	7,254.85	501.33	451.05	26,943.59
(ii)	मार्च 2019	24,057.70	10,476.93	397.99	448.52	35,381.14
(iii)	मार्च 2020	22,884.73	15,881.31	1,088.12	412.57	40,266.73
(iv)	मार्च 2021	35,836.54	14,867.50	277.26	249.82	51,231.12
(v)	मार्च 2022	33,460.97	14,824.88	1,046.92	196.40	49,529.17
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना					
(i)	मार्च 2018	3,407.60	2,451.23	453.92	104.42	6,417.17
(ii)	मार्च 2019	3,787.11	2,874.48	558.58	94.62	7,314.79
(iii)	मार्च 2020	12,015.71	3,468.66	760.35	91.07	16,335.79
(iv)	मार्च 2021	21,279.04	4,079.52	1,270.86	134.36	26,763.78
(v)	मार्च 2022	12,799.96	3,843.30	1,180.95	186.40	18,010.61
3	राजस्थान					
(i)	मार्च 2018	423.35	115.76	42.11	20.06	601.28
(ii)	मार्च 2019	719.17	171.88	42.07	18.70	951.82
(iii)	मार्च 2020	1,093.15	277.73	41.99	22.52	1,435.39
(iv)	मार्च 2021	2,615.73	756.46	92.29	23.88	3,488.36
(v)	मार्च 2022	1,922.31	748.15	83.23	7.78	2,761.47
4	नागपुर					
(i)	मार्च 2018	214.30	138.27	300.18	1.30	654.05
(ii)	मार्च 2019	224.51	148.26	300.84	0.94	674.55
(iii)	मार्च 2020	259.30	198.57	302.61	0.56	761.04
(iv)	मार्च 2021	1,302.67	280.94	317.10	4.39	1,905.10
(v)	मार्च 2022	1,407.77	358.95	323.36	9.42	2,099.50
5	पुणे					

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी क्षेत्र / वर्ष समाप्ति	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए				
		> 1 वर्ष और <= 2 वर्ष	>2 वर्ष और <= 5 वर्ष	> 5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल
(i)	मार्च 2018	1,943.28	717.62	117.99	34.65	2,813.54
(ii)	मार्च 2019	2,328.52	1,561.75	192.18	95.31	4,177.76
(iii)	मार्च 2020	3,416.96	2,079.35	252.91	128.94	5,878.16
(iv)	मार्च 2021	6,493.25	3,386.76	477.38	1,649.33	12,006.72
(v)	मार्च 2022	6,063.30	3,667.25	355.95	157.29	10,243.79
6	पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड					
(i)	मार्च 2018	1437.89	283.67	850.84	73.48	2645.88
(ii)	मार्च 2019	2192.52	553.41	1110.36	79.85	3936.14
(iii)	मार्च 2020	3443.44	1531.34	1146.43	88.55	6209.76
(iv)	मार्च 2021	8973.63	2,440.02	1,565.07	85.78	13,064.50
(v)	मार्च 2022	8,782.75	2,869.65	685.57	85.39	12,423.36
7	लखनऊ, उत्तर प्रदेश पूर्व					
(i)	मार्च 2018	848.01	252.54	86.60	54.21	1241.36
(ii)	मार्च 2019	1121.87	374.50	93.54	49.38	1639.29
(iii)	मार्च 2020	4196.27	330.85	91.82	53.00	4671.94
(iv)	मार्च 2021	8019.39	989.27	241.97	39.62	9290.25
(v)	मार्च 2022	7643.59	1526.32	180.90	44.78	9395.59
8	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़					
(i)	मार्च 2018	1,197.87	587.36	317.26	83.54	2,186.03
(ii)	मार्च 2019	2,041.87	848.69	315.27	80.66	3,286.49
(iii)	मार्च 2020	5,236.73	991.65	337.24	75.70	6,641.32
(iv)	मार्च 2021	5,095.30	1,756.70	426.47	76.97	7,355.44
(v)	मार्च 2022	4,680.03	1,558.19	597.92	81.93	6,918.07
9	बेंगलुरु					
(i)	मार्च 2018	4,266.25	1,093.67	117.21	46.66	5,523.79
(ii)	मार्च 2019	3,828.49	1,031.20	358.84	58.01	5,276.54
(iii)	मार्च 2020	3,982.90	3,702.08	850.51	65.43	8,600.92
(iv)	मार्च 2021	9,188.08	3,769.84	463.86	53.66	13,475.44

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी क्षेत्र / वर्ष समाप्ति	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए				
		> 1 वर्ष और <= 2 वर्ष	>2 वर्ष और <= 5 वर्ष	> 5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल
(वी)	मार्च 2022	10,643.96	3,485.52	391.26	44.99	14,565.73
10	तमिलनाडु					
(i)	मार्च 2018	2,540.60	2,498.10	104.38	236.33	5,379.41
(ii)	मार्च 2019	2,799.08	2,140.07	119.62	80.50	5,139.27
(iii)	मार्च 2020	5,111.55	2,209.09	132.87	39.44	7,492.95
(iv)	मार्च 2021	16,779.96	4,571.33	312.99	36.29	21,700.57
(v)	मार्च 2022	13,665.30	5,962.99	347.72	52.91	20,028.92
11	केरल					
(i)	मार्च 2018	783.38	279.58	52.59	10.04	1,125.59
(ii)	मार्च 2019	876.89	732.63	138.65	32.22	1,780.39
(iii)	मार्च 2020	928.34	848.25	153.86	30.62	1,961.07
(iv)	मार्च 2021	961.83	1,187.68	202.42	22.17	2,374.10
(v)	मार्च 2022	1,115.88	724.74	224.95	20.08	2,085.65
12	भुवनेश्वर					
(i)	मार्च 2018	600.71	200.50	23.97	4.83	830.01
(ii)	मार्च 2019	1,025.64	534.19	28.16	2.45	1,590.44
(iii)	मार्च 2020	1,356.27	253.78	41.23	2.75	1,654.03
(iv)	मार्च 2021	2385.58	440.88	48.56	3.25	2878.27
(v)	मार्च 2022	2,235.46	331.81	39.07	3.56	2,609.90
13	उत्तर-पूर्व क्षेत्र ¹¹⁹					
(i)	मार्च 2018	185.85	152.84	32.69	34.06	405.44
(ii)	मार्च 2019	193.93	140.86	20.95	33.34	389.08
(iii)	मार्च 2020	245.01	176.58	48.69	9.86	480.14
(iv)	मार्च 2021	747.37	222.49	39.99	8.49	1,018.34
(v)	मार्च 2022	529.74	352.72	45.90	10.02	938.38
14	पश्चिम बंगाल और सिक्किम					
(i)	मार्च 2018	10,920.29	5,043.10	448.10	782.47	17,193.96
(ii)	मार्च 2019	13,158.13	6,179.59	360.74	781.72	20,480.18
(iii)	मार्च 2020	13,529.89	8,294.82	425.51	764.85	23,015.07

¹¹⁹ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी क्षेत्र / वर्ष समाप्ति	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए				
		> 1 वर्ष और <= 2 वर्ष	>2 वर्ष और <= 5 वर्ष	> 5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल
(iv)	मार्च 2021	19,298.84	12,553.53	432.51	127.55	32,412.43
(v)	मार्च 2022	19,159.97	13,276.43	494.79	62.55	32,993.74
15	बिहार और झारखंड					
(i)	मार्च 2018	1,293.33	821.59	237.46	83.58	2,435.96
(ii)	मार्च 2019	1,333.70	752.82	269.64	74.85	2,431.01
(iii)	मार्च 2020	1,452.54	783.77	304.66	98.41	2,639.38
(iv)	मार्च 2021	3,191.04	857.36	359.77	117.21	4,525.38
(v)	मार्च 2022	2,760.98	2,379.14	317.34	104.30	5,561.76
16	दिल्ली					
(i)	मार्च 2018	7,725.50	3,227.19	975.70	302.92	12,231.31
(ii)	मार्च 2019	12,442.29	5,220.69	774.84	122.49	18,560.31
(iii)	मार्च 2020	12,122.84	56,006.86	1,058.25	119.82	69,307.77
(iv)	मार्च 2021	40,684.93	56,405.88	730.84	4,114.55	101,936.20
(v)	मार्च 2022	40,604.90	51,153.64	925.18	5,850.92	98,534.64
17	उत्तर-पश्चिम क्षेत्र ¹²⁰					
(i)	मार्च 2018	5,381.22	1,106.63	203.56	89.69	6,781.10
(ii)	मार्च 2019	5,720.98	1,635.04	230.91	172.72	7,759.65
(iii)	मार्च 2020	8,356.40	2,034.37	559.01	162.20	11,111.98
(iv)	मार्च 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	मार्च 2022	-	-	-	-	-
18	प्रधान सीसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)					
(i)	मार्च 2018	1,177.27	682.11	196.38	70.65	2,126.41
(ii)	मार्च 2019	2,103.21	1,096.15	210.14	75.28	3,484.78
(iii)	मार्च 2020	1,646.49	3,143.41	142.06	7.21	4,939.17
(iv)	मार्च 2021	1,543.82	2,200.49	90.07	4.62	3,839.00
(v)	मार्च 2022	4,961.36	4,932.53	194.36	13.16	10,101.41
19	गुजरात					
(i)	मार्च 2018	8,827.87	1,623.74	313.95	254.95	11,020.51
(ii)	मार्च 2019	11,509.19	2,068.14	404.83	235.37	14,217.53

¹²⁰ पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	प्र. सीसीआईटी क्षेत्र / वर्ष समाप्ति	मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए				
		> 1 वर्ष और <= 2 वर्ष	>2 वर्ष और <= 5 वर्ष	> 5 वर्ष और <=10 वर्ष	> 10 वर्ष	कुल
(iii)	मार्च 2020	16,445.17	3,770.82	479.66	262.12	20,957.77
(iv)	मार्च 2021	25,901.18	11,160.91	1,968.16	292.17	39,322.42
(v)	मार्च 2022	21,838.58	10,460.19	884.90	253.80	33,437.47
	कुल	6,85,674.41	4,17,438.88	37,159.99	21,941.23	11,62,214.51

स्रोत: मार्च 2022 की अवधि के लिए सभी क्षेत्रों के सीएपी-1 विवरण का कॉलम 12 (उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर)

संक्षिप्त रूप	
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एआई	निर्धारित आय
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरणी
एएलपी	आर्म्स लेंथ प्राइस
एओ	कर निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एवाई/नि.व.	निर्धारण वर्ष
सीएसएस	कंप्यूटर एडेड स्कूटनी चयन
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी-आईटीआर	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर रिटर्न
सीपीसी-टीडीएस	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - स्रोत पर कर कटौती
सीटी	निगम कर
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डीजीआईटी (सिस्टम)	आयकर महानिदेशक (सिस्टम)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटी	प्रत्यक्ष कर
एफवाई/वि.व.	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यापार आवेदन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर रिटर्न
जेसीआईटी	आयकर संयुक्त आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घ अवधि पूंजी प्राप्ति

2024 की प्रतिवेदन संख्या 14 (प्रत्यक्ष कर)

पैन	स्थायी खाता संख्या
प्रिसिपल. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्रिसिपल. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
ओएलटीएस	ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली
प्रिसिपल. डीजीआईटी	आयकर प्रधान महानिदेशक
रूल्स	आयकर नियम, 1962
एसटीटी	प्रतिभूति लेनदेन कर
टीसीएस	स्रोत पर एकत्र किया गया कर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण
टीपीओ	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in